भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
का
31 मार्च 2014 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन

राज्य का वित्त

मध्य प्रदेश सरकार

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

का

31 मार्च 2014 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन

राज्य का वित्त

मध्य प्रदेश सरकार

विषय सूची

विवरण	कंडिका	पृष्ठ क्रमांक
प्राक्कथन		ix
कार्यपालन सारांश		xi
अध्याय 1		
राज्य सरकार के वित्त		
राज्य की रूपरेखा		1
प्रस्तावना	1.1	2
2013-14 में राजकोषीय लेन-देनों का सारांश	1.1.1	3
राजकोषीय स्थिति की समीक्षा	1.1.2	4
बजट अनुमान और वास्तविक आंकड़ें	1.1.3	5
जेण्डर बजटिंग	1.1.4	6
राज्य के संसाधन	1.2	8
वार्षिक वित्त लेखे के अनुसार राज्य के संसाधन	1.2.1	8
राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को राज्य बजट से बाहर निधियों का अंतरण	1.2.2	10
राजस्व प्राप्तियां	1.3	11
राज्य के स्वयं के संसाधन	1.3.1	14
भारत सरकार से सहायता अनुदान	1.3.2	16
केंद्रीय कर अंतरण	1.3.3	17
तेरहवें वित्त आयोग के अनुदानों का अधिकतम उपयोग	1.3.4	17
संभावित राजस्व की हानि (Foregone Revenue)	1.3.5	19
पूंजीगत प्राप्तियां	1.4	20
विनिवेश से प्राप्ति	1.4.1	20
कर्ज एवं अग्रिमों की वसूलियां	1.4.2	20
लोक ऋण प्राप्तियां	1.4.3	21
लोक लेखे प्राप्तियां	1.5	21
संसाधनों का अनुप्रयोग	1.6	21

विवरण	कंडिका	पृष्ठ क्रमांक
व्यय की वृद्धि एवं संरचना	1.6.1	22
पूंजीगत व्यय	1.6.2	24
राजस्व व्यय में वृद्धि की प्रवृत्ति	1.6.3	24
वेतन, ब्याज भुगतान, पेंशन भुगतान एवं राजसहायताओं पर व्यय	1.6.4	25
राज्य सरकार द्वारा स्थानीय निकायों तथा अन्य संस्थाओं को वित्तीय सहायता	1.6.5	28
स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा व्यवस्थाऐं एवं निधियों का हस्तांतरण	1.6.6	29
व्यय की गुणवत्ता	1.7	30
सार्वजनिक व्यय की पर्याप्तता	1.7.1	30
व्यय के उपयोग की दक्षता	1.7.2	31
शासकीय व्यय और निवेशों का वित्तीय विश्लेषण	1.8	33
निवेश तथा प्रतिलाभ	1.8.1	33
अपूर्ण परियोजनाएं	1.8.2	34
राज्य सरकार द्वारा कर्ज तथा अग्रिम	1.8.3	35
रोकड़ शेष एवं रोकड़ शेषों का निवेश	1.8.4	36
परिसम्पत्तियां तथा देयताएं	1.9	37
परिसम्पत्तियों तथा देयताओं की वृद्धि तथा संरचना	1.9.1	37
राजकोषीय देयताएं	1.9.2	37
समस्त ऋणों के परिशोधन के लिए निक्षेप निधि की स्थापना	1.9.3	39
गारंटियों की स्थिति-आकस्मिक देयताएं	1.9.4	39
असंचालित आरक्षित निधियाँ	1.9.5	41
ऋण प्रबंधन	1.10	41
ऋण संधारणीयता	1.10.1	41

विवरण	कंडिका	पृष्ठ क्रमांक
ऋण स्थिरीकरण	1.10.2	42
ऋणेत्तर प्राप्तियों की पर्याप्तता	1.10.3	42
उधार ली गई निधियों की निवल उपलब्धता	1.10.4	42
राज्य ऋण की परिपक्वता रूपरेखा	1.10.5	43
राजकोषीय असंतुलन	1.11	43
राजकोषीय घाटे के संघटक तथा इसकी वित्त व्यवस्था का प्रतिरूप	1.11.1	45
घाटे/आधिक्य की गुणवत्ता	1.12	46
निष्कर्ष एवं अनुशंसाएं	1.13	47
अध्याय 2		
वित्तीय प्रबंधन तथा बजटीय नियंत्रण		
प्रस्तावना	2.1	51
विनियोग लेखे का सारांश	2.2	51
वित्तीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन	2.3	53
आवंटनीय प्राथमिकताओं की तुलना में विनियोग-सारभूत बचतें	2.3.1	53
सतत बचतें	2.3.2	54
योजनाओं के अंतर्गत अधिक व्यय	2.3.3	55
योजनाओं के अंतर्गत अप्रयुक्त प्रावधान	2.3.4	55
2013-14 के दौरान प्रावधान से आधिक्य जिनके नियमन की आवश्यकता है	2.3.5	55
विगत वर्षों से संबंधित प्रावधान से आधिक्य जिनके नियमन की आवश्यकता है	2.3.6	56
अनावश्यक/अत्यधिक/अपर्याप्त अनुपूरक प्रावधान	2.3.7	57
निधियों का अत्यधिक/अनावश्यक पुनर्विनियोग/समर्पण	2.3.8	57
समर्पित न की गई प्रत्याशित बचतें	2.3.9	57
व्यय की अत्यधिकता	2.3.10	57

विवरण	कंडिका	पृष्ठ क्रमांक
निधियों का आहरण एवं सिविल जमा में रखना	2.3.11	58
बजट में नवीन मदों पर व्यय के लिये किए गए प्रावधान का उपयोग न होना	2.3.12	58
अवास्तविक बजट अनुमान	2.3.13	58
चयनित अनुदानों की समीक्षा का परिणाम	2.4	59
सारांशीकृत स्थिति	2.4.1	59
बजट अनुमानों की तदर्थ आधार पर तैयारी	2.4.2	60
व्यय की अत्यधिकता	2.4.3	60
बचत को देरी से/नहीं समर्पित किया जाना	2.4.4	60
अनावश्यक अनुपूरक बजट प्रावधान	2.4.5	61
त्रुटियुक्त बजटिंग	2.4.6	62
निष्कर्ष एवं अनुशंसाएं	2.5	62
अध्याय 3		
वित्तीय प्रतिवेदन		
उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में विलंब	3.1	65
स्वायत्त निकायों के लेखाओं/पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की प्रस्तुति में विलंब	3.2	66
दुर्विनियोग, हानियां, गबन इत्यादि की सूचना	3.3	67
विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक देयकों की प्रस्तुति में विलंब	3.4	68
संक्षिप्त आकस्मिक देयकों के विरूद्ध विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक देयकों की प्रस्तुति में विलंब	3.4.1	68
विभागीय प्राप्तियों एवं व्यय का मिलान	3.5	70
अस्थायी अग्रिमों का समायोजन न होना	3.6	70
लघु शीर्ष '800-अन्य प्राप्तियां' एवं '800-अन्य व्यय' के अंतर्गत बुकिंग	3.7	71
निकायों एवं प्राधिकरणों को दिए गए अनुदान या ऋण के विवरणों को प्रस्तुत न करना	3.8	72
व्यक्तिगत जमा खातों का रख-रखाव	3.9	72
निष्कर्ष एवं अनुशंसाएं	3.10	75

परिशिष्ट

सरल क्रमांक	विवरण	पृष्ठ क्रमांक
1.1	राज्य रूपरेखा (मध्य प्रदेश)	79
1.2 भाग-क	सरकारी लेखों की संरचना	80
1.2 भाग-ख	पूर्ववर्ती मध्य प्रदेश राज्य की 31 मार्च 2014 को परिसंपत्तियों एवं देयताओं का उत्तरवर्ती मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्यों के मध्य विभाजन दर्शाने वाला विवरण पत्र	81
1.3 भाग-क	राजकोषीय स्थिति के मूल्यांकन हेतु अंगीकृत प्रणाली	82
1.3 भाग-ख	राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबन्धन अधिनियम, 2005	83
1.3 भाग-ग	चयनित राजकोषीय संकेतकों की प्रवृत्ति	85
1.4	राज्य सरकार के वित्त के समयबद्ध आंकड़े	86
1.5 भाग-क	वर्ष 2013-14 के लिए प्राप्तियों एवं संवितरणों का सारांश	90
1.5 भाग-ख	31 मार्च 2014 को मध्य प्रदेश सरकार की सारांशीकृत वित्तीय स्थिति	94
1.6	खेल एवं युवा कल्याण विभाग एवं जनजातीय कल्याण विभाग के श्रेणी-2 के अंतर्गत बचतों का विवरण	96
1.7	वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 के दौरान राजसहायता भुगतानों का विवरण	97
1.8 भाग-क	राज्य सरकार द्वारा नगरीय स्थानीय निकायों को कार्यों का हस्तांतरण	100
1.8 भाग-ख	राज्य सरकार द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को कार्यों का हस्तांतरण	100
1.9	अद्यतन वर्ष जिसके लिये लेखाओं को अन्तिम रूप दिया गया था, 31 मार्च 2014 की स्थिति में हानि में चलने वाले सांविधिक निगमों/सरकारी कम्पनियों की वित्तीय स्थिति	102
1.10 भाग-क	अपूर्ण परियोजनाओं का विवरण जिसमें प्रारंभिक बजट लागत का पुनरीक्षण किया गया-ऊर्जा विभाग, जल संसाधन विभाग, लोक निर्माण विभाग एवं नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण	104

सरल क्रमांक	विवरण	पृष्ठ क्रमांक
1.10 भाग-ख	अपूर्ण परियोजनाओं का विवरण जिसमें प्रारंभिक बजट लागत का पुनरीक्षण नहीं किया गया-ऊर्जा विभाग, जल संसाधन विभाग, लोक निर्माण विभाग एवं नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण	104
1.10 भाग-ग	अपूर्ण परियोजनाओं का विवरण जिनमें वास्तविक व्यय, प्रारंभिक बजट से अधिक है लेकिन परियोजनाओं की लागत का पुनरीक्षण नहीं किया गया-जल संसाधन विभाग एवं लोक निर्माण विभाग	104
1.11	मई 2014 तक विभिन्न क्षेत्रों के अंतर्गत सार्वजनिक निजी साझेदारी परियोजनाओं की स्थिति	105
2.1	विभिन्न अनुदानों/विनियोगों जिनमें बचतें ₹ 10 करोड़ से अधिक और कुल प्रावधान का 20 प्रतिशत से भी अधिक थी, का विवरण पत्र	106
2.2 (क)	तालिका 2.2 में दिए गए अनुदानों/विनियोगों से संबंधित योजनाओं के प्रकरण जिनमें सारभूत बचतें (प्रत्येक प्रकरण में ₹ 20 करोड़ से अधिक) हुई	109
2.2 (ख)	अनुदानों/विनियोगों के अंतर्गत विभिन्न योजनाएं जिनमें प्रत्येक में व्यय ₹ 10 करोड़ से अधिक और कुल प्रावधान के 20 प्रतिशत से अधिक था, का विवरण पत्र	115
2.2 (ग)	योजनाओं के प्रकरण जिनमें सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 10 करोड़ या अधिक अप्रयुक्त रहा	119
2.3	पिछले वर्षों के प्रावधान से अधिक व्यय जिसके नियमन की आवश्यकता है	126
2.4	वे प्रकरण जिनमें अनुपूरक प्रावधान (प्रत्येक प्रकरण में ₹ एक करोड़ अथवा इससे अधिक) अनावश्यक सिद्ध हुए	127
2.5	वे प्रकरण जिनमें अनुपूरक प्रावधान अधिक सिद्ध हुए	130
2.6	निधियों का अधिक/अनावश्यक पुनर्विनियोजन/समर्पण	132
2.7	₹ एक करोड़ तथा इससे अधिक एवं 20 प्रतिशत से अधिक की समर्पित नहीं की गयी बचतों का विवरण	135
2.8	31 मार्च 2014 को ₹ 10 करोड़ से अधिक निधियों के समर्पण के प्रकरण	138
2.9	व्यय की अत्यधिकता	140
2.10	बजट में प्रावधानित नवीन मद के व्यय के लिए ₹ एक करोड़ से अधिक का प्रावधान अप्रयुक्त दिखाए जाने वाला विवरण पत्र	143

सरल क्रमांक	विवरण	पृष्ठ क्रमांक
2.11	ऐसे प्रकरण जिनमें पिछले दो वर्ष के दौरान ₹ एक करोड़ से अधिक के संपूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे	144
2.12	चयनित अनुदानों में विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत अप्रयुक्त प्रावधान	148
2.13	चयनित अनुदानों में व्यय की अत्यधिकता	149
3.1	मार्च 2014 तक की स्थिति में लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्रों की विभागवार जानकारी	151
3.2	दुर्विनियोग, गबन आदि के प्रकरणों का विभागवार/अवधिवार ब्यौरा	152
3.3	चोरी, दुर्विनियोग/सरकारी सामग्रियों की हानि के प्रकरणों के संबंध में विभाग/संवर्गवार विवरण	154
3.4	2013-14 के दौरान अपलेखन के प्रकरणों के विभागवार विवरण	156
3.5	लघु शीर्ष '800-अन्य व्यय' के अंतर्गत बुकिंग	157
3.6	लघु शीर्ष '800-अन्य प्राप्तियों' के अंतर्गत बुकिंग	158

प्राक्कथन

1. यह प्रतिवेदन संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत मध्य प्रदेश के राज्यपाल को प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया गया है।

2. इस प्रतिवेदन के पहले और दूसरे अध्याय में 31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य सरकार के क्रमशः वित्त लेखे और विनियोग लेखे के परीक्षण से उद्‌भूत प्रकरणों पर लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ समाविष्ट हैं। जहाँ आवश्यक हुआ, मध्य प्रदेश सरकार से सूचना प्राप्त की गई है।

3. वित्तीय प्रतिवेदन पर तीसरा अध्याय, वर्तमान वर्ष के दौरान विभिन्न वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं तथा निदेशों के राज्य सरकार द्वारा अनुपालन की स्थिति और विहंगावलोकन प्रस्तुत करता है।

4. निष्पादन लेखापरीक्षा एवं विभिन्न विभागों में संव्यवहार की लेखापरीक्षा एवं सांविधिक निगमों, बोर्डों और सरकारी कंपनियों की लेखापरीक्षा से उद्‌भूत टिप्पणियां सम्मिलित करते हुए प्रतिवेदन तथा राजस्व प्राप्तियों पर टिप्पणियां सम्मिलित करते हुए प्रतिवेदन पृथक से प्रस्तुत किए जाते हैं।

कार्यपालन सारांश

कार्यपालन सारांश

पृष्ठभूमि

मध्य प्रदेश सरकार के वित्त पर प्रतिवेदन वर्ष 2013-14 के दौरान राज्य के वित्तीय निष्पादन के आकलन के उद्देश्य से लाया गया है जो कि वित्तीय आंकड़ों (डाटा) के लेखापरीक्षा विश्लेषण पर आधारित है। विश्लेषण को परिदृश्य देने के उद्देश्य से, हमने राज्य सरकार की उपलब्धियों की तुलना राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 के लक्ष्यों, राज्य बजट दस्तावेजों, तेरहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित मानक और विभिन्न शासकीय विभागों और संस्थानों से प्राप्त अन्य वित्तीय आंकड़ों से करने का प्रयास किया है।

प्रतिवेदन

31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लिए मध्य प्रदेश सरकार के लेखा परीक्षित लेखाओं के आधार पर प्रतिवेदन में राज्य सरकार के वार्षिक लेखाओं पर विश्लेषणात्मक समीक्षा है। प्रतिवेदन तीन अध्यायों में संरचित है।

पहला अध्याय वित्त लेखों की लेखा परीक्षा पर आधारित है और यह 31 मार्च 2014 को मध्य प्रदेश सरकार की राजकोषीय स्थिति का मूल्यांकन प्रस्तुत करता है। यह बजटेत्तर मार्ग के माध्यम से राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को सीधे अन्तरित केन्द्रीय निधियों के संक्षिप्त लेखे देने के अतिरिक्त राज्य के समग्र वित्त, बजट अनुमानों की तुलना में वास्तविक व्यय, वेतन एवं मजदूरी, पेंशन, ब्याज अदायगियां और राजसहायताओं, व्यय तथा उधार पद्धति की प्रवृत्ति पर अंतरदृष्टि डालता है। यह विकास, सामाजिक क्षेत्र और पूंजीगत व्यय पर राज्य की राजकोषीय प्राथमिकता की पर्याप्तता के आकलन को भी प्रस्तुत करता है।

दूसरा अध्याय विनियोग लेखे की लेखापरीक्षा पर आधारित है एवं अनुदानवार विनियोगों का विवरण एवं सेवा प्रदायक विभागों द्वारा आवंटित संसाधनों के प्रबंधन की रीति प्रस्तुत करता है। इसके अतिरिक्त, इस अध्याय में चयनित अनुदानों की समीक्षा से उत्पन्न टिप्पणियां भी दी गई हैं।

तीसरा अध्याय में विभिन्न सूचना आवश्यकताओं तथा वित्तीय नियमों के साथ मध्य प्रदेश सरकार के अनुपालन की एक सूची है।

प्रतिवेदन में निष्कर्षों के समर्थन में विभिन्न सरकारी विभागों/संगठनों से संग्रहीत आंकड़ों का संकलन भी है।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

अध्याय-1: राज्य सरकार के वित्त

राजकोषीय असन्तुलनों का प्रबंधन एवं संसाधन संग्रहण

- राज्य ने वर्ष 2013-14 के दौरान ₹ 5,879 करोड़ का राजस्व आधिक्य बनाये रखा तथापि इसमें विगत वर्ष की तुलना में ₹ 1,580 करोड़ की कमी आई। यद्यपि राज्य का राजकोषीय घाटा (₹ 9,882 करोड़) 13वें वित्त आयोग, राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम तथा बजट अनुमानों द्वारा निर्धारित सीमा के भीतर था, राजकोषीय घाटे में विगत वर्ष से ₹ 462 करोड़ की वृद्धि हुई। तथापि सकल राज्य घरेलू उत्पाद की तुलना में राजकोषीय घाटे ने 2012-13 में 2.53 प्रतिशत से वर्तमान वर्ष में 2.19 प्रतिशत का सुधार मुख्यतः 2013-14 के दौरान सकल राज्य घरेलू उत्पाद में विगत वर्ष की तुलना में (19.41 प्रतिशत) उच्चतर संवृद्धि (21.15 प्रतिशत) के कारण हुआ।

(कंडिका 1.1.2 एवं राज्य की रुपरेखा)

- राजस्व प्राप्तियों (₹ 75,749 करोड़) में विगत वर्ष में 12.50 प्रतिशत की संवृद्धि की तुलना में 2013-14 में 7.56 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इस कमी का मुख्य कारण भारत सरकार से अनुदानों (2 प्रतिशत) में कमी एवं राज्य के स्वयं के कर राजस्व में कम संवृद्धि था। 2013-14 के दौरान, राजस्व प्राप्तियों का 54 प्रतिशत राज्य के स्वयं के संसाधनों से आया एवं 46 प्रतिशत केंद्रीय कर अंतरण एवं भारत सरकार से सहायतानुदान से था।

(कंडिका 1.3)

व्यय प्रबंधन एवं राजकोषीय प्राथमिकता

- 2013-14 के दौरान, राज्य के राजस्व व्यय (₹ 69,870 करोड़) में 10.96 प्रतिशत की वृद्धि हुई। आयोजनेत्तर राजस्व व्यय में 13.05 प्रतिशत की वृद्धि हुई तथा यह राजस्व व्यय का 72 प्रतिशत था। वास्तविक आयोजनेत्तर राजस्व व्यय, तेरहवें वित्त आयोग के प्रक्षेपणों से 46.88 प्रतिशत अधिक था लेकिन मध्यम कालिक राजकोषीय नीति विवरण में किए गए प्रक्षेपणों के लगभग बराबर था।

(कंडिका 1.6.3)

- 2013-14 में पूंजीगत व्यय में विगत वर्ष की तुलना में सात प्रतिशत की कमी आई। कमी मुख्यतः ग्रामीण विकास, ऊर्जा एवं कृषि तथा संबंद्ध गतिविधियों के अंतर्गत थी जिसे सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण तथा परिवहन में वृद्धि द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया।

(कंडिका 1.6.2)

- वेतन एवं मजदूरी, पेंशन भुगतान, ब्याज अदायगी एवं राजसहायताएं सभी पर व्यय, राजस्व व्यय का 53 प्रतिशत व राजस्व प्राप्तियों का 49 प्रतिशत था। ₹ 6,567 करोड़ की कुल राजसहायता भुगतानों में से, 46 प्रतिशत ऊर्जा विभाग से संबंधित थी।

(कंडिका 1.6.4)

- 2013-14 के दौरान मध्य प्रदेश में सामाजिक क्षेत्र व्यय तथा शिक्षा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र पर व्यय में दी गई प्राथमिकता, जब सामान्य श्रेणी के राज्यों के औसत से तुलना की गई, पर्याप्त नहीं थी।

(कंडिका 1.7.1)

राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को राज्य बजट के बाहर अंतरित की गई निधियां

- 2013-14 के दौरान, राज्य अभिकरणों को विभिन्न योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए प्रत्यक्ष रूप से कुल ₹ 9,280.05 करोड़ अंतरित किए गए थे। ये निधियां राज्य बजट से होकर नहीं गुजरी थीं।

(कंडिका 1.2.2)

निवेश पर प्रतिलाभ

- 2013-14 के दौरान, सरकार द्वारा 2013-14 तक सांविधिक निगमों, कंपनियों, सहकारी समितियों इत्यादि में निवेश ₹ 15,275.10 करोड़ पर प्रतिलाभ (₹ 378.72 करोड़) केवल 2.48 प्रतिशत था जबकि वर्ष के दौरान औसत उधारी दर 6.84 प्रतिशत थी।

(कंडिका 1.8.1)

- बाईस सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों जिनके लेखों को 2013-14 तक अंतिम रुप दिया जा चुका था, अद्यतन वर्ष के लिए उनका कुल निवेश ₹ 12,695.31 करोड़ था घाटे में चल रही थी जिनका कुल संचित घाटा ₹ 22,071.34 करोड़ तक हो गया था।

(कंडिका 1.8.1)

अपूर्ण परियोजनाएं

- ऊर्जा, जल संसाधन, लोक निर्माण तथा नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण विभागों में 201 अपूर्ण परियोजनाओं पर 31 मार्च 2014 तक किया गया व्यय ₹ 34,465 करोड़ निष्फल रहा। इनमें से 50 परियोजनाओं की प्रारम्भिक अनुमानित लागत पुनरीक्षित की गई थी जिससे ₹ 12,701 करोड़ की लागत वृद्धि हुई।

(कंडिका 1.8.2)

देयताओं का प्रबंधन

- वर्ष 2013-14 के अंत में, राज्य की कुल देयताएं ₹ 96,826 करोड़ थीं। सकल राज्य घरेलू उत्पाद की तुलना में कुल देयताओं से अनुपात 21.47 प्रतिशत था जो कि राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन के लक्ष्य एवं तेरहवें वित्त आयोग (36 प्रतिशत) की निर्धारित सीमा के भीतर था। सकल राज्य घरेलू उत्पाद के संबंध में कुल देयताओं की उत्प्लावकता में 2012-13 में 0.53 से 2013-14 के दौरान 0.35 की कमी आई।

(कंडिका 1.9.2)

अध्याय-2: वित्तीय प्रबंधन तथा बजटीय नियन्त्रण

मूल एवं अनुपूरक अनुदानों के अंतर्गत बढ़े हुए प्रावधान

- 2013-14 के दौरान कुल बजट प्रावधान ₹ 1,13,550 करोड़ के विरुद्ध कुल ₹ 90,432 करोड़ व्यय हुए, परिणामस्वरुप ₹ 23,118 करोड़ की समग्र बचतें हुई। अतः ₹ 11,088 करोड़ (मूल प्रावधान का 10.82 प्रतिशत) के सम्पूर्ण अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुए। 21 अनुदानों के अंतर्गत, 27 मदों में प्रत्येक में ₹ 100 करोड़ से अधिक की कुल ₹ 12,427 करोड़ की बचतें हुई थीं।

(कंडिकाएं 2.2 एवं 2.3.1)

देरी से/नहीं समर्पित की गईं बचतें

- वर्ष के दौरान कुल बचतों का केवल 54.24 प्रतिशत (₹ 12,538.75 करोड़) समर्पित किया गया था। 59 प्रकरणों में ₹ 7,558 करोड़ की बचतें (प्रत्येक में ₹ 10 करोड़ से अधिक) वित्त वर्ष के अंतिम दिवस को समर्पित की गई थीं, जिससे इन निधियों के अन्य कार्यों में उपयोग हेतु गुंजाइश नहीं बची।

(कंडिका 2.3.9)

आधिक्य व्यय जिसके नियमन की आवश्यकता है

- 2013-14 के दौरान ₹ 34.32 करोड़ का आधिक्य व्यय हुआ, जिसका संविधान के अनुच्छेद 205 के अधीन नियमन की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त, विगत वर्षों से संबंधित ₹ 740 करोड़ भी अनियमित रहे।

(कंडिकाएं 2.3.5 एवं 2.3.6)

केन्द्रीय निधियों को सिविल जमा में रखना

- 29 मार्च 2014 को आहरित ₹ 12.25 करोड़ की केन्द्रीय निधि को व्यपगत होने से बचाने के लिए लोक लेखे में सिविल जमा में अंतरित किया गया था, जिससे राज्य की समेकित निधि के अंतर्गत उस वर्ष के लिए व्यय बढ़ा हुआ था।

(कंडिका 2.3.11)

अध्याय-3: वित्तीय प्रतिवेदन

उपयोगिता प्रमाण-पत्रों का प्रस्तुतीकरण

- राज्य सरकार द्वारा दिए गए ₹ 27,372.73 करोड़ के अनुदानों के संबंध में अनुदानग्राही संस्थानों से बड़ी संख्या में उपयोगिता प्रमाण-पत्र (36,414) प्रतीक्षित थे जो संबंधित विभागों द्वारा अनुदानों के उपयोग में उपयुक्त निगरानी की कमी को दर्शाता है।

(कंडिका 3.1)

स्वायत्त निकायों द्वारा लेखों का प्रस्तुतीकरण

- छह स्वायत्त निकायों द्वारा महालेखाकार को लेखाओं के प्रस्तुतीकरण में अत्यधिक विलंब (69 महीनों तक) हुआ परिणामस्वरुप स्वायत्त निकायों की कार्यपद्धति की संवीक्षा में देरी हुई।

(कंडिका 3.2)

दुर्विनियोग एवं हानियों की सूचना

- ₹ 28.17 करोड़ की राशि की हानियों, दुर्विनियोग इत्यादि के 2989 प्रकरणों के निवर्तन में सरकार का अनुपालन लंबित था।

(कंडिका 3.3)

संक्षिप्त आकस्मिक देयकों के विरुद्ध विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक देयकों का प्रस्तुतीकरण

- मार्च 2014 तक संक्षिप्त आकस्मिक देयकों पर आहरित ₹ 14.96 करोड़ के विरुद्ध विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक देयक प्रतीक्षित थे।

(कंडिका 3.4.1)

विभागीय व्यय का मिलान

- 31 मार्च 2014 को 13 विभागों के नियंत्रण अधिकारियों ने ₹ 50,546.04 करोड़ की राशि के व्यय का मिलान नहीं किया।

(कंडिका 3.5)

व्यक्तिगत जमा खातों का रखरखाव

- मध्य प्रदेश कोषालय संहिता के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए व्यक्तिगत जमा खाते बिना वित्त विभाग के अनुमोदन के वित्त वर्ष की समाप्ति के पश्चात भी जारी रहे थे। मार्च 2014 की समाप्ति तक व्यक्तिगत जमा खाते में कुल ₹ 1,784.77 करोड़ राशि का अत्यधिक अंतिम शेष था।

(कंडिका 3.9)

अध्याय 1

राज्य सरकार के वित्त

अध्याय 1

राज्य सरकार के वित्त

राज्य की रूपरेखा

मध्य प्रदेश भारत के मध्य भाग में स्थित है। यह भौगोलिक दृष्टि (308 हजार वर्ग किलोमीटर) से दूसरा एवं जनसंख्या (2011 जनगणना के अनुसार 7.26 करोड़) की दृष्टि से छठवां सबसे बड़ा राज्य है। संयुक्त मध्य प्रदेश राज्य की संस्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 (2000 की संख्या 28) के अंतर्गत पूर्व के मध्य प्रदेश राज्य के 16 जिलों को मिलाकर 1 नवंबर 2000 को नये राज्य छत्तीसगढ़ का गठन किया गया।

जैसा कि **परिशिष्ट 1.1** में निर्दिष्ट किया गया है, राज्य की जनसंख्या में वृद्धि 2001 में 196 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से 2011 में 236 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर (अनंतिम आंकड़े) हुई। राज्य ने 2004-05 से 2013-14 के दौरान 16.12 प्रतिशत की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर्ज की। राज्य में गरीबी रेखा के नीचे जनसंख्या का प्रतिशत (38.30 प्रतिशत) अखिल भारतीय औसत (21.92 प्रतिशत) से उच्चतर था। 2013-14 के दौरान वर्तमान मूल्य पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद ₹ 4,50,900 करोड़ था, जो कि पिछले वर्ष से 21.15 प्रतिशत बढ़ा। राज्य की साक्षरता दर में आंशिक वृद्धि 2001 में 69.69 प्रतिशत से 2011 की जनगणना अनुसार 70.63 प्रतिशत हुई जो कि अखिल भारतीय औसत 74.04 प्रतिशत (2011 जनगणना) से निम्नतर थी। 2004-05 से 2013-14 के दौरान मध्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय (14.93 प्रतिशत) में दशकीय वृद्धि सामान्य संवर्ग के राज्यों (14.88 प्रतिशत) की तुलना में अंशतः अधिक थी।

राज्य से संबंधित सामान्य आंकड़े (विकास सूचक सहित) **परिशिष्ट 1.1** में दिए गए हैं।

सकल राज्य घरेलू उत्पाद

सकल राज्य घरेलू उत्पाद दी गई अवधि में राज्य में उत्पादित आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त सभी वस्तुओं एवं सेवाओं का बाजार मूल्य है। राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में संवृद्धि, राज्य की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण संकेत है क्योंकि यह राज्य की जनता के जीवन स्तर को दर्शाता है। वर्तमान मूल्यों पर भारत के सकल घरेलू उत्पाद एवं राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वार्षिक संवृद्धि की प्रवृत्ति को नीचे दर्शाया हैः

वर्तमान मूल्य पर भारत के सकल घरेलू उत्पाद एवं मध्य प्रदेश का सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वार्षिक संवृद्धि दर

(₹ करोड़ में)

वर्ष	2009-10	2010-11	2011-12 (PE)*	2012-13 (QE)*	2013-14 (AE)*
वर्तमान मूल्य पर भारत का सकल घरेलू उत्पाद	61,08,903	72,48,860	83,91,691	93,88,876	1,04,72,807
सकल घरेलू उत्पाद की संवृद्धि दर (प्रतिशत)	15.18	18.66	15.77	11.88	11.54
वर्तमान मूल्य पर मध्य प्रदेश का सकल राज्य घरेलू उत्पाद	2,27,557	2,63,396	3,11,670	3,72,171	4,50,900
सकल राज्य घरेलू उत्पाद@ की संवृद्धि दर (प्रतिशत)	15.35	15.75	18.33	19.41	21.15

(स्रोतः योजना आयोग आंकड़ा तालिका एवं आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय,मध्य प्रदेश सरकार)

****PE-अनंतिम अनुमान, QE- त्वरित अनुमान, AE- अग्रिम अनुमान***

@ वर्ष 2009-10 से 2012-13 के लिए वर्तमान मूल्य पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद राज्य सरकार द्वारा पुनरीक्षित है इसलिए पूर्व प्रतिवेदनों में दर्शाए गए 2009-10 से 2012-13 के लिए सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सन्दर्भ में प्रतिशत अनुपात/विभिन्न मापदण्डों की उत्प्लावकता पुनरीक्षित कर दी गई है।

2011-14 की अवधि के दौरान सकल राज्य घरेलू उत्पाद का क्षेत्रवार निष्पादन नीचे दिया गया हैः

(₹ करोड़ में)

क्षेत्र का नाम	2011-12 (P)	2012-13 (Q)	2013-14 (A)
प्राथमिक क्षेत्र [1]	84,069 (27)	1,10,275 (30)	1,54,405 (34)
द्वितीयक क्षेत्र[2]	85,924 (28)	95,344 (25)	1,03,321 (23)
तृतीयक क्षेत्र[3]	1,41,677 (45)	1,66,552 (45)	1,93,174 (43)
योग	**3,11,670**	**3,72,171**	**4,50,900**

(P)- अनंतिम, (Q)- त्वरित, (A)- अग्रिम

कोष्ठक में आंकड़े कुल सकल राज्य घरेलू उत्पाद में क्षेत्रों के अंशदान को दर्शाते हैं

1.1 प्रस्तावना

यह अध्याय मध्य प्रदेश सरकार के 2013-14 के दौरान वित्त का लेखापरीक्षित परिदृश्य प्रस्तुत करता है तथा विगत पाँच वर्षों के दौरान समग्र प्रवत्तियों को ध्यान में रखते हुए, मुख्य राजकोषीय समूहों का विगत वर्ष की तुलना में विवेचनात्मक परिवर्तनों का विश्लेषण करता है। यह विश्लेषण मध्य प्रदेश सरकार के वित्त लेखे तथा उनमें उपलब्ध करायी गई जानकारी पर आधारित है। सरकारी लेखाओं की संरचना और प्रारूप तथा वित्त लेखे का विन्यास **परिशिष्ट 1.2 भाग-क** में चित्रित किया गया है।

संयुक्त मध्य प्रदेश राज्य के पुनर्गठन के दिनांक से पूर्व अन्य वित्तीय समायोजनों के साथ-साथ, राज्य की परिसंपत्तियों एवं देयताओं के अभिभाजन को मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 (2000 की संख्या 28) के प्रावधानों के अनुसार किया गया है। इस दिशा में प्राप्त की गयी वास्तविक प्रगति **परिशिष्ट 1.2 भाग-ख** में दर्शाई गई है।

राजकोषीय स्थिति के मूल्यांकन के लिए अपनाई गई पद्धति और राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजटीय प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अंतर्गत निर्धारित मानदण्डों/

1 *कृषि (पशुपालन सहित), वानिकी, मत्स्यपालन इत्यादि सम्मिलित हैं*

2 *खनन एवं खदान, उत्पादन, विद्युत, गैस एवं जल आपूर्ति, निर्माण इत्यादि सम्मिलित हैं*

3 *व्यापार, होटल एवं रेस्तराँ, परिवहन, भण्डारण, संचार, वित्त, बीमा, जमीन-जायदाद एवं कारोबार सेवाएं, समुदाय, सामाजिक एवं व्यक्तिगत सेवाएं इत्यादि सम्मिलित हैं*

उच्चतम सीमाओं, चयनित राजकोषीय संकेतकों की प्रवृत्तियों एवं राज्य वित्त के समयबद्ध आंकड़े को **परिशिष्ट 1.3** एवं **परिशिष्ट 1.4** में चित्रित किया गया है।

1.1.1 2013-14 में राजकोषीय लेन-देनों का सारांश

तालिका 1.1 विगत वर्ष (2012 -13) की तुलना में वर्तमान वर्ष (2013-14) के दौरान राज्य सरकार के राजकोषीय लेन-देनों का सारांश प्रस्तुत करता है, जबकि **परिशिष्ट 1.5 भाग-क** वर्तमान वर्ष के दौरान समग्र राजकोषीय स्थिति के साथ-साथ प्राप्तियों और संवितरणों का विवरण उपलब्ध कराता है।

तालिका 1.1: 2013-14 में राजकोषीय प्रचालनों का सारांश

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियां	**2012-13**	**2013-14**	**संवितरण**	**2012-13**	**2013-14**		
अनुभाग-कः राजस्व					**आयोजनेत्तर**	**आयोजना**	**योग**
राजस्व प्राप्तियां	**70,427.28**	**75,749.24**	**राजस्व व्यय**	**62,968.53**	**50,443.49**	**19,426.27**	**69,869.76**
कर राजस्व	30,581.70	33,552.16	सामान्य सेवाएं	17,705.14	20,479.36	111.57	20,590.93
करेत्तर राजस्व	7,000.22	7,704.99	सामाजिक सेवाएं	24,375.47	15,465.83	12,302.38	27,768.21
संघ करों/शुल्कों का अंश	20,805.16	22,715.27	आर्थिक सेवाएं	16,823.35	10,720.64	6,250.69	16,971.33
भारत सरकार से अनुदान	12,040.20	11,776.82	सहायतानुदान तथा अंशदान	4,064.57	3,777.66	761.63	4,539.29
अनुभाग-खः पूंजीगत एवं अन्य							
विविध पूंजीगत प्राप्तियां	**31.45**	**35.98**	**पूंजीगत परिव्यय**	**11,566.89**	**42.56**	**10,769.96**	**10,812.52**
			सामान्य सेवाएं	204.89	27.61	168.70	196.31
			सामाजिक सेवाएं	1,620.99	4.95	1,894.35	1,899.30
			आर्थिक सेवाएं	9,741.01	10.00	8,706.91	8,716.91
कर्ज तथा अग्रिम की वसूलियां	**32.53**	**93.22**	**संवितरित कर्ज तथा अग्रिम**	**5,378.25**	**2,906.33**	**2,171.19**	**5,077.52**
अन्तर्राज्यीय परिशोधन	**9.14**	**2.44**	**अन्तर्राज्यीय परिशोधन**	**7.02**			**2.36**
लोक ऋण प्राप्तियां	**8,791.16**	**9,540.82***	**लोक ऋण का पुनर्भुगतान**	**3,583.94**			**4,004.65***
आकस्मिकता व्यय निधि	**-**	**-**	**आकस्मिकता व्यय निधि**	**-**			**निरंक**
लोक लेखा प्राप्तियां	**86,247.57**	**94,811.32**	**लोक लेखा संवितरण**	**82,735.57**			**93,063.99**
प्रारम्भिक रोकड़ शेष	**7,775.88**	**7,074.81**	**अन्तिम रोकड़ शेष**	**7,074.81**			**4,477.03**
योग	**1,73,315.01**	**1,87,307.83**	**योग**	**1,73,315.01**			**1,87,307.83**

वर्ष के दौरान कोई अर्थोपाय अग्रिम आहरित नहीं किए गए थे।

(स्रोतः वित्त लेखे)

विगत वर्ष की तुलना में 2013-14 के दौरान महत्वपूर्ण परिवर्तन निम्नलिखित हैं:

- राजस्व प्राप्तियों में ₹ 5,321.96 करोड़ (आठ प्रतिशत) की वृद्धि स्वयं के कर राजस्व (₹ 2,970.46 करोड़ से), करेत्तर राजस्व (₹ 704.77 करोड़ से) एवं संघ के करों/शुल्कों के अंश (₹ 1,910.11 करोड़ से) में वृद्धि के कारण हुई। 2013-14 के लिए राजस्व प्राप्तियां मध्यम कालिक राजकोषीय नीति विवरण में किए गए प्रक्षेपणों से ₹ 3,854.23 करोड़ कम रहीं।
- राजस्व व्यय में ₹ 6,901.23 करोड़ (11 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। वृद्धि सामाजिक सेवा क्षेत्र (₹ 3,392.71 करोड़ से), सामान्य सेवा क्षेत्र (₹ 2,885.79 करोड़ से), सहायता अनुदान एवं अंशदान (₹ 474.72 करोड़ से) एवं आर्थिक सेवा क्षेत्र (₹ 147.98 करोड़ से) के अंतर्गत थी।

- पूंजीगत व्यय में ₹ 754.37 करोड़ (सात प्रतिशत) की कमी आई; कमी मुख्यतः आर्थिक सेवा क्षेत्र (₹ 1,024.10 करोड़ से) के अंतर्गत थी जो सामाजिक सेवा क्षेत्र में ₹ 278.31 करोड़ के अंतर्गत वृद्धि से प्रति संतुलित हुई।
- लोक ऋण प्राप्तियों में ₹ 749.66 करोड़ (8.53 प्रतिशत) की वृद्धि हुई एवं पुनर्भुगतान में ₹ 420.71 करोड़ (12 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। कोई अर्थोपाय अग्रिम आहरित नही किया गया था।
- लोक लेखा प्राप्तियों एवं संवितरणों में क्रमशः ₹ 8,563.75 करोड़ (10 प्रतिशत) एवं ₹ 10,328.42 करोड़ (12 प्रतिशत) की वृद्धि हुई।
- राज्य सरकार के नकद शेषों में ₹ 2,597.78 करोड़ की कमी आई।

1.1.2 राजकोषीय स्थिति की समीक्षा

बारहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के प्रत्युत्तर में, राज्य सरकार ने अपना राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 अधिनियमित किया जो कि 1 जनवरी 2006 से लागू हुआ, जिसका उद्देश्य राजस्व घाटे के प्रगामी निरसन के द्वारा राजकोषीय प्रबंधन एवं राजकोषीय स्थायित्व में विवेक की दृष्टि से, राजकोषीय घाटे सहित धारणीय ऋण प्रबंधन एकरूपता, सरकार के राजकोषीय प्रचालनों में वृहत्तर पारदर्शिता तथा मध्यम अवधि राजकोषीय ढाँचे में राजकोषीय नीति के संचालन को सुनिश्चित करना था।

राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रावधानों के अनुसार, राज्य सरकार ने 2013-14 के बजट के साथ (क) वृहद् आर्थिक रूपरेखा विवरण (ख) मध्यम कालिक राजकोषीय नीति विवरण और (ग) राजकोषीय नीति युक्ति विवरण को रखा है। चयनित संकेतकों के लिए 2011-12 के लिए वास्तविक, 2012-13 के लिए पुनरीक्षित अनुमान एवं 2013-14 के लिए बजट अनुमान जैसे कि मध्यम कालिक राजकोषीय नीति विवरण में प्रस्तुत किए गए हैं **परिशिष्ट 1.3 भाग-ग** में दिए गए हैं।

तेरहवें वित्त आयोग, राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम एवं मध्यम कालिक राजकोषीय नीति विवरण द्वारा वर्ष 2013-14 के लिए निर्धारित राजकोषीय पूर्वानुमान तथा 2013-14 हेतु वास्तविक उपलब्धियों को **तालिका 1.2** में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका 1.2: 2013-14 हेतु राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, मध्यम कालिक राजकोषीय नीति विवरण एवं तेरहवें वित्त आयोग के अधीन राजकोषीय पूर्वानुमान

(₹ करोड़ में)

राजकोषीय पूर्वानुमान	राज्य के लिए तेरहवें वित्त आयोग के लक्ष्य	राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम/मध्यम कालिक राजकोषीय नीति विवरण में निर्धारित लक्ष्य	बजट 2013-14 में प्रस्तावित लक्ष्य	वास्तविक उपलब्धि
राजस्व घाटा (-)/ आधिक्य (+)	0.0 प्रतिशत	राजस्व घाटे को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में घटाया जाए ताकि इसे 31.03.2009 तक समाप्त किया जा सके एवं उसके पश्चात राजस्व आधिक्य उत्पन्न किया जा सके	सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 1.27 प्रतिशत (बजट अनुमान के अनुसार (+)5,215 करोड़)	(+) 5,879 (सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 1.30 प्रतिशत)
राजकोषीय घाटा/ सकल राज्य घरेलू उत्पाद	3.0 प्रतिशत	31 मार्च 2012 तक सकल राज्य घरेलू उत्पाद के तीन प्रतिशत से अधिक न हो, तक कम करना	सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 2.98 प्रतिशत (बजट अनुमान के अनुसार (-)12,219 करोड़)	(-) 9,882 (सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 2.19 प्रतिशत)

कुल बकाया ऋणों का सकल राज्य घरेलू उत्पाद से अनुपात	36.00 प्रतिशत	उस वर्ष के लिए अनुमानित सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 36.00 प्रतिशत से अधिक न हो	सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 25.78 प्रतिशत	सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 21.47 प्रतिशत
बकाया गारंटियां	---	पिछले वर्ष की कुल राजस्व प्राप्तियों के 80 प्रतिशत से अधिक न हो	कोई प्रक्षेपण नहीं किए गए। 2012-13 के दौरान यह पिछले वर्ष की राजस्व प्राप्तियों का 12.33 प्रतिशत था	पिछले वर्ष की राजस्व प्राप्तियों का 14.17 प्रतिशत

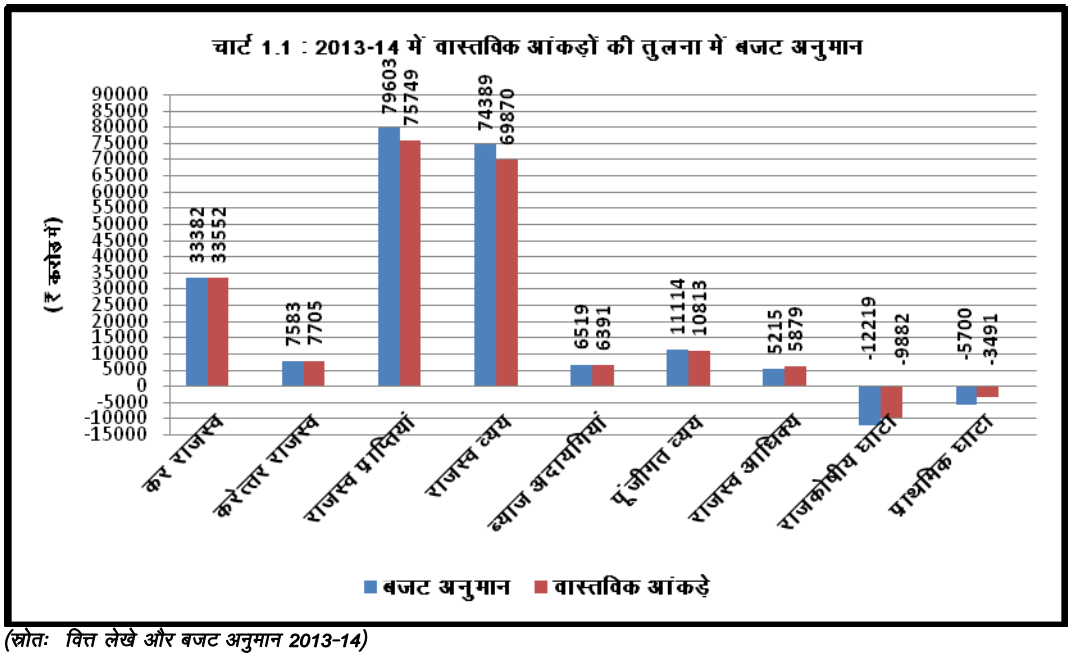
(स्रोतः तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा 2010-15, मध्य प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2005, 2013-14 के दौरान राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2005 के अधीन विधान सभा के समक्ष बजट के साथ प्रस्तुत पत्रक तथा वित्त लेखे 2013-14)

- राज्य ने 2004-05 में राजस्व आधिक्य उपार्जित कर लिया था और उसके पश्चात आधिक्य को बनाए रखा, यद्यपि विगत वर्ष की तुलना में 2013-14 के दौरान ₹ 1,580 करोड़ की कमी आई।
- 2013-14 के दौरान राजकोषीय घाटा, सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 2.19 प्रतिशत, राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम लक्ष्यों, तेरहवें वित्त आयोग एवं मध्यम कालिक राजकोषीय नीति विवरण के प्रक्षेपणों में निर्धारित सीमा (3 प्रतिशत) के भीतर था। यह अनुपात 2012-13 की तुलना में कम था (2.53 प्रतिशत)। 2013-14 के दौरान, 2012-13 की तुलना में इसमें ₹ 462 करोड़ की कमी आई।
- कुल बकाया ऋण का सकल राज्य घरेलू उत्पाद से अनुपात 21.47 प्रतिशत पर राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन लक्ष्य एवं तेरहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित 36 प्रतिशत की सीमा के भीतर था। यह मध्यम कालिक राजकोषीय नीति विवरण के प्रक्षेपणों (25.78 प्रतिशत) से भी कम था।
- वर्ष के दौरान बकाया गारंटियां पूर्ववर्ती वर्ष की राजस्व प्राप्तियों की 14.17 प्रतिशत थीं जो कि राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन लक्ष्यों (80 प्रतिशत) में निर्धारित सीमा के भीतर थी यद्यपि विगत वर्ष की तुलना में अनुपात में अंशतः वृद्धि हुई।

1.1.3 बजट अनुमान और वास्तविक आंकड़े

बजट अनुमानों में राजस्व प्राप्तियों एवं व्यय की परिशुद्धता का महत्व राजकोषीय नीतियों को प्रभावशाली रूप से लागू करने के संदर्भ में समग्र आर्थिक प्रबंधन के लिए व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है। बजट अनुमानों से विचलन वांछित राजकोषीय उद्देश्यों का प्राप्त न होना एवं प्रभावपूर्ण तरीके से उपयोग न होना दर्शाता है।

चार्ट 1.1 2013-14 के लिए कतिपय महत्वपूर्ण राजकोषीय मापदण्डों के लिए बजट अनुमानों एवं वास्तविक आंकड़ों को प्रस्तुत करता है।



(स्रोतः वित्त लेखे और बजट अनुमान 2013-14)

- राज्य की राजस्व प्राप्तियां (₹ 75,749 करोड़) बजट अनुमानों से ₹ 3,854 करोड़ (4.84 प्रतिशत) कम थीं।
- राज्य का कर राजस्व (₹ 33,552 करोड़) बजट अनुमान से ₹ 170 करोड़ अंशतः उच्चतर था। इसके अतिरिक्त, करेत्तर राजस्व, बजट अनुमान से ₹ 122 करोड़ (1.61 प्रतिशत) उच्चतर था।
- राजस्व व्यय एवं पूंजीगत व्यय बजट अनुमान से क्रमशः ₹ 4,519 करोड़ (6.07 प्रतिशत) तथा ₹ 301 करोड़ (2.71 प्रतिशत) कम थे।
- ब्याज भुगतान बजट अनुमानों से ₹ 128 करोड़ (1.96 प्रतिशत) कम था जो कि मुख्यतः बाजार ऋण पर ब्याज एवं राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की योजना के लिए कर्जों पर ब्याज में कमी के कारण था।
- प्रमुख राजकोषीय संकेतकों यथा राजस्व आधिक्य, राजकोषीय घाटे एवं प्राथमिक घाटे में बजट अनुमानों के तुलना में सुधार दर्शित हुआ।

1.1.4 जेण्डर बजटिंग

राज्य का जेण्डर बजट महिलाओं को पूर्ण या आंशिक हितलाभ दिलाने वाली योजनाओं पर समग्र बजट में से किए जाने वाले प्रस्तावित व्यय को प्रकट करता है। जेण्डर बजटिंग 2007-08 में शुरूआत की गई थी एवं जेण्डर बजट का पृथक खण्ड महिलाओं व लड़कियों से संबंधित बजट प्रावधानों का विवरण उपलब्ध करवाने के लिए, बजट के साथ प्रस्तुत किया गया था। जेण्डर बजट से संबंधित योजनाओं को दो श्रेणी में विभाजित किया गया था (1) योजनाएं जिसमें 100 प्रतिशत बजट प्रावधान महिलाओं से संबंधित थे और (2) योजनाएं जिसमें कम से कम 30 प्रतिशत बजट प्रावधान महिलाओं से संबंधित थे।

2013-14 के दौरान, 25 विभागों[4] (श्रेणी 1: 51 योजनाओं एवं श्रेणी 2: 390 योजनाओं) में महिलाओं के हितलाभ हेतु बजट प्रावधान किए गए थे।

वित्त विभाग द्वारा प्रस्तुत (अगस्त 2014) की गई जानकारी के अनुसार, 2009-10 से 2013-14 तक के वर्षों के लिए श्रेणी 1 एवं 2 के संबंध में सम्मिलित वर्षवार आवंटन एवं व्यय **तालिका 1.3** में दिया गया है।

तालिका 1.3: 2009-14 के दौरान जेण्डर बजटीय आवंटन

(₹ करोड़ में)

वर्ष	श्रेणी 1			श्रेणी 2		
	परिव्यय	व्यय	परिव्यय की तुलना में व्यय का प्रतिशत	परिव्यय	व्यय	परिव्यय की तुलना में व्यय का प्रतिशत
2009-10	638.68	868.67	136.01	11,977.79	1,510.02	12.61
2010-11	858.27	780.56	90.95	12,809.86	1,467.60	11.46
2011-12	1,510.02	1,245.41	82.48	20,500.64	6,908.51	33.70
2012-13	1,745.00	1,473.08	84.42	23,038.77	19,195.10	83.32
2013-14	1,768.19	1,688.93	95.52	24,464.97	24,229.29	99.04
योग	**6,520.16**	**6,056.65**	**92.89**	**92,792.03**	**53,310.52**	**57.45**

(स्रोतः वित्त विभाग, मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रदाय सूचना)

जेण्डर बजटिंग शुरू होने के पश्चात महिलाओं की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति पर प्रभाव के विश्लेषण के बारे में पूछे जाने पर, वित्त विभाग ने कोई उत्तर नहीं दिया (जुलाई 2014)। दो चयनित विभागों से प्राप्त जानकारी के अनुसार (जुलाई 2014) जनजातीय कल्याण विभाग में महत्वपूर्ण बचतें थीं जैसा कि **तालिका 1.4** में दर्शाया गया है।

तालिका 1.4: 2013-14 के दौरान श्रेणीवार प्रावधान एवं व्यय

(₹ करोड़ में)

श्रेणी-1 (100 प्रतिशत)					श्रेणी-2 (30 प्रतिशत)			
विभाग का नाम	योजनाओं की संख्या	कुल प्रावधान	कुल व्यय	बचत (प्रतिशत)	योजनाओं की संख्या	कुल प्रावधान	कुल व्यय	बचत (प्रतिशत)
खेलकूद एवं युवा कल्याण विभाग	3	1.45	1.34	0.11 (7.59)	16	87.61	80.53	7.08 (8.08)
जनजातीय कल्याण विभाग	4	83.50	41.29	42.21 (50.55)	47	1,305.30	1,127.64	177.67 (13.61)

(i) जनजातीय कल्याण विभाग के अंतर्गत निधियों के उपयोग न किए जाने के कोई विशिष्ट कारण आयुक्त द्वारा सूचित नहीं किए थे (सितम्बर 2014)।

[4] *1. गृह विभाग, 2. खेलकूद एवं युवा कल्याण, 3. वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार, 4. किसान कल्याण एवं कृषि विकास, 5. सहकारिता विभाग, 6. लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, 7. नगरीय प्रशासन एवं विकास, 8. स्कूल शिक्षा, 9. पंचायत, 10. जनजातीय कल्याण, 11. सामाजिक न्याय, 12. खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, 13. जल संसाधन विभाग, 14. पशुपालन, 15. उच्च शिक्षा, 16. जन शक्ति नियोजन, 17. विमानन, 18. महिला एवं बाल विकास, 19. ग्रामीण उद्योग, 20. पिछड़ा वर्ग कल्याण, 21. अनुसूचित जाति कल्याण, 22. ग्रामीण विकास, 23. उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण, 24.आयुष विभाग, 25. विमुक्त, घुमक्कड एवं अर्द्ध घुमक्कड जाति कल्याण*

(ii) संचालक, खेलकूद एवं युवा कल्याण विभाग ने बचतों का कारण वेतन एवं मजदूरी, प्रतियोगिता आयोजन, प्रशिक्षकों को प्रोत्साहन राशि एवं खेलकूद सामग्री की अधिप्राप्ति के अंतर्गत निधियों के अल्प उपयोग को बताया।

श्रेणी 2 के अंतर्गत जनजातीय कल्याण विभाग (18) एवं खेलकूद एवं युवा कल्याण विभाग (3) की 21 योजनाओं में 2013-14 के दौरान किया गया व्यय श्रेणी 2 के लिए निर्धारित राशि से बहुत कम था। प्रत्येक योजना में ₹ एक करोड़ से अधिक की बचतों वाले प्रकरणों को **परिशिष्ट 1.6** में दर्शाया गया है।

परिशिष्ट से स्पष्ट है कि महिलाओं के लिए उद्दिष्ट किए गए प्रावधान अप्रयुक्त रहे। बचतें छह से 97 प्रतिशत के मध्य रहीं। इससे यह दर्शित हुआ कि महिला उन्मुखी योजनाएं, विशेषतः जनजातीय जनसंख्या के लिए, समुचित ढ़ंग से क्रियान्वित नहीं की गई थी।

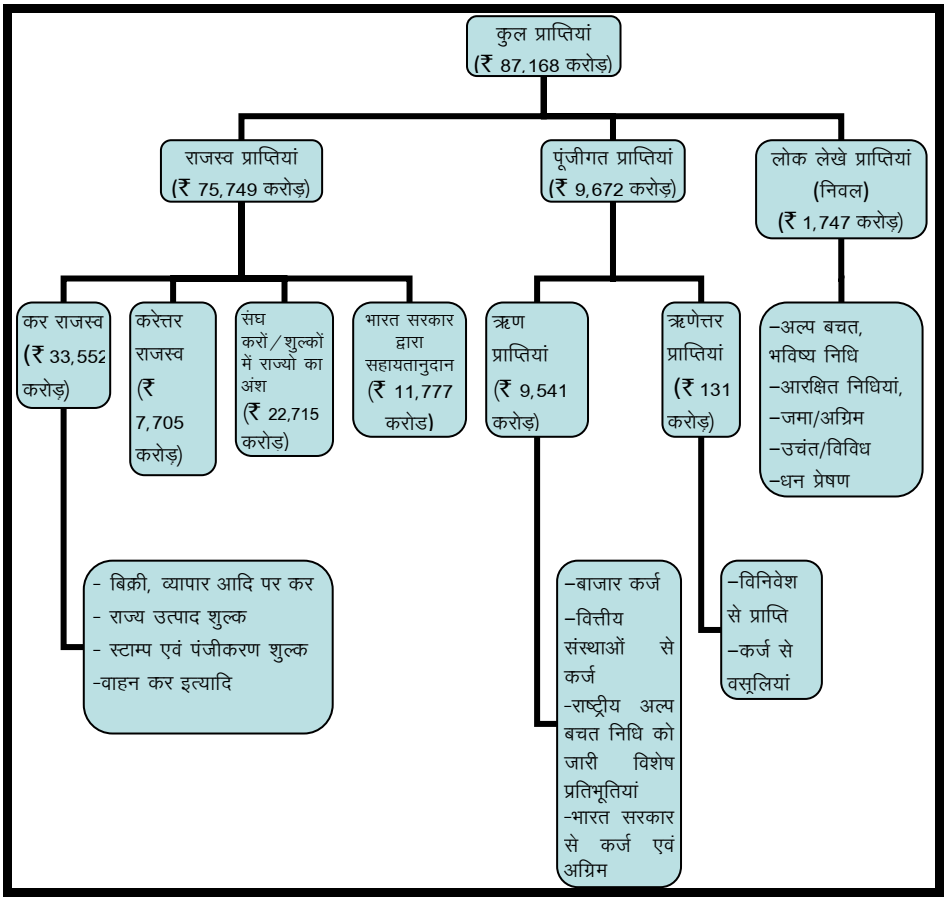
1.2 राज्य के संसाधन

1.2.1 वार्षिक वित्त लेखे के अनुसार राज्य के संसाधन

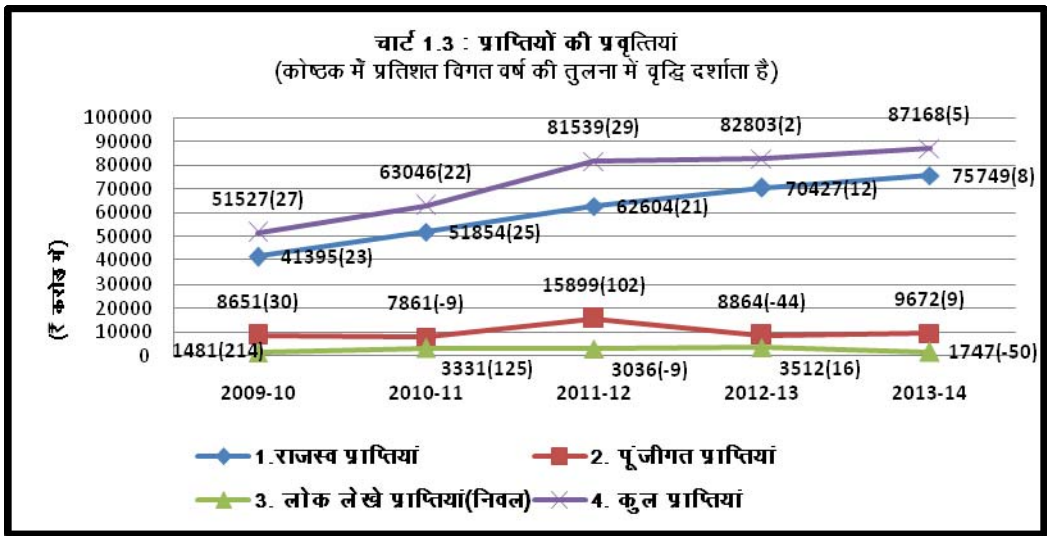
राजस्व तथा पूंजी, प्राप्तियों की दो धाराएं है जिनमें राज्य सरकार के संसाधन समाविष्ट है। राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व, करेत्तर राजस्व, संघ करों तथा शुल्कों में राज्य का अंश और भारत सरकार से सहायतानुदान सम्मिलित है। पूंजीगत प्राप्तियों में विविध पूंजीगत प्राप्तियों यथा विनिवेश से प्राप्त विक्रय धन, ऋण तथा अग्रिमों की वसूली, आंतरिक स्त्रोतों से ऋण प्राप्तियां (बाजार कर्ज, वित्तीय संस्थानों/वाणिज्यिक बैंकों से उधारियां) तथा भारत सरकार से ऋण तथा अग्रिम सहित लोक लेखे से निवल संग्रहण सम्मिलित है।

चार्ट 1.2 में 2013-14 के दौरान राज्य की प्राप्तियों के संघटकों को श्रेणीबद्ध किया गया है।

चार्ट 1.2: संसाधनों के संघटक एवं उपसंघटक

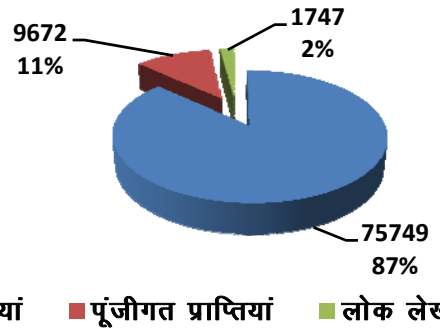


तालिका 1.1 वर्तमान वर्ष के दौरान राज्य के वार्षिक वित्त लेखे में यथा अभिलिखित प्राप्तियों एवं संवितरणों को प्रस्तुत करती है जबकि **चार्ट 1.3** वर्ष 2009-14 के दौरान राज्य की प्राप्तियों के विभिन्न संघटकों की प्रवृत्ति का चित्रण करता है एवं **चार्ट 1.4** 2013-14 के दौरान प्राप्तियों की संरचना का चित्रण करता है।



(स्रोत: वित्त लेखे)

चार्ट 1.4: 2013–14 के दौरान कुल प्राप्तियां (निवल लोक लेखे प्राप्ति सहित) की संरचना
(₹ करोड़ मे)



(स्रोत: वित्त लेखे)

- वर्ष 2013-14 के दौरान राजस्व, पूंजीगत एवं लोक लेखे प्राप्तियों (निवल) में कुल प्राप्तियों का क्रमशः 87 प्रतिशत, 11 प्रतिशत एवं दो प्रतिशत समाविष्ट है।
- 2009-14 की अवधि के दौरान, राज्य की कुल प्राप्तियों (निवल लोक लेखे प्राप्तियां सहित) में 69 प्रतिशत की वृद्धि हुई। 2009-14 की अवधि के दौरान राजस्व प्राप्तियों, पूंजीगत प्राप्तियों एवं निवल लोक लेखे प्राप्तियों में वृद्धि क्रमशः 83 प्रतिशत, 12 प्रतिशत एवं 18 प्रतिशत थी।
- वर्ष 2012-13 की तुलना में 2013-14 में कुल प्राप्तियों की संवृद्धि दर केवल पांच प्रतिशत थी।
- वर्ष 2009-10 से 2013-14 के दौरान कुल प्राप्तियों में राजस्व प्राप्तियों का अंश 77 प्रतिशत एवं 87 प्रतिशत के मध्य था। वर्ष 2009-10 से 2013-14 के दौरान कुल प्राप्तियों में पूंजीगत प्राप्तियों का अंश 11 प्रतिशत एवं 20 प्रतिशत के मध्य था।
- 2013-14 के दौरान राजस्व प्राप्तियों में ₹ 5,322 करोड़ (7.56 प्रतिशत) एवं पूंजीगत प्राप्तियों में ₹ 808 करोड़ (9 प्रतिशत) की वृद्धि मुख्य रुप से लोक ऋण प्राप्तियों (₹ 750 करोड़ से) में वृद्धि के कारण हुई। यद्यपि लोक लेखे के अंतर्गत निवल प्राप्तियों में ₹ 1,765 करोड़ (50 प्रतिशत) की कमी आई।
- लोक ऋण प्राप्तियों में वृद्धि का कारण केन्द्र सरकार की राष्ट्रीय अल्प बचत निधियों को जारी विशेष प्रतिभूतियां, बाजार कर्ज एवं राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम के अंतर्गत अधिक उधारियां थीं।

1.2.2 राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को राज्य बजट से बाहर निधियों का अंतरण

भारत सरकार ऐसे आर्थिक एवं सामाजिक क्षेत्र जो कि महत्वपूर्ण होते हैं, में विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों में कार्यान्वयन के लिये निधियों की बड़ी प्रमात्रा सीधे राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को अंतरित करती है। वर्तमान तंत्र में, ये निधियां राज्य बजट/राज्य कोषालय प्रणाली से नहीं गुजरती हैं एवं इसलिए राज्य वित्त लेखे में उल्लेख नहीं होता है। इस तरह राज्य के वार्षिक वित्त लेखे राज्य सरकार के नियंत्रण के अंतर्गत संसाधनों की सम्पूर्ण तस्वीर उपलब्ध नहीं कराते।

2012-13 में एवं 2013-14 के दौरान केंद्रीय आयोजनागत योजनाओं के संबंध में राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को प्रत्यक्ष रूप से अंतरित की गई निधियों का विवरण **तालिका 1.5** में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका 1.5: राज्य में राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को प्रत्यक्ष रूप से अन्तरित निधियां

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	कार्यक्रम/योजना का नाम	कार्यान्वयन अभिकरण/विभाग	भारत सरकार द्वारा जारी	
			2012-13	2013-14
1	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (90:10)	मध्य प्रदेश राज्य रोजगार गारंटी, भोपाल	1,610.15	1,839.82
2	सर्व शिक्षा अभियान (65:35)	मध्य प्रदेश सर्व शिक्षा अभियान मिशन	1,353.43	2,004.09
3	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पी.एम.जी.एस.वाय.) (100:0)	मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, भोपाल	242.88	615.00
4	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन.आर.एच.एम.) केंद्र प्रवर्तित (85:15)	राज्य स्वास्थ्य संस्था, मध्य प्रदेश	14.96	657.53
5	ग्रामीण आवास योजना-आई.ए.वाई. (75:25)	जिला ग्रामीण विकास प्राधिकरण (सभी जिले)	237.89	472.69
6	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	राज्य जल एवं सफाई मिशन, मध्य प्रदेश, भोपाल	550.37	474.95
7	राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आर.एम.एस.ए.)	मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अभियान समिति	461.22	524.56
8	उत्कृष्टता के चिह्न के रूप में खण्ड स्तर पर 6000 मॉडल स्कूलों की स्थापना की योजना	मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अभियान समिति	22.93	133.23
9	केंद्रीय ग्रामीण सफाई योजना	राज्य जल एवं सफाई मिशन, मध्य प्रदेश, भोपाल	257.80	660.39
10	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (100:0)	राज्य कृषि विस्तार तथा प्रशिक्षण संस्थान	247.15	366.07
11	सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एम.पी.एल.ए.डी.एस.)	जिलाधीश (सभी जिले)	223.00	207.50
12	एकीकृत जलग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम (आई. डब्ल्यू. एम.पी.)	राज्य स्तरीय केन्द्रक अभिकरण, म.प्र.	128.30	142.63
13	आजीविका-स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना	मध्य प्रदेश राज्य आजीविका फोरम	142.71	102.03
14	राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचाई मिशन	संचालक, उद्यानिकी, मध्य प्रदेश	63.84	106.52
15	राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन	मिशन संचालक, राज्य उद्यानिकी मिशन, भोपाल	30.67	75.37
16	अन्य		636.03	897.67
योग			**6,223.33**	**9,280.05**

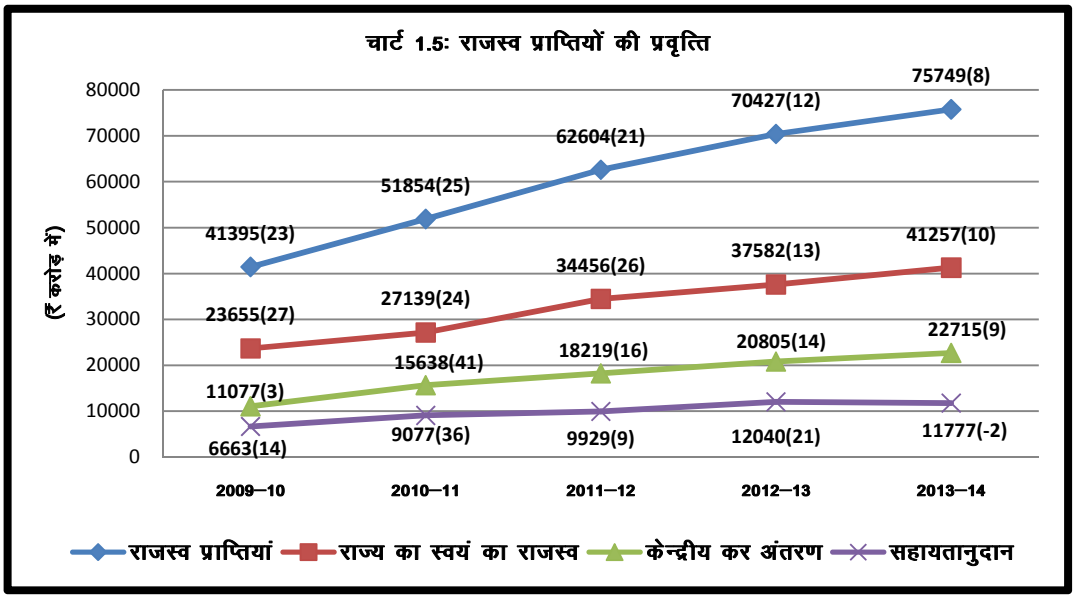
(स्रोतः वित्त लेखे)

2013-14 के दौरान, राज्य की कुल प्राप्तियों (₹ 1,80,232 करोड़)[5] में प्रत्यक्ष रूप से अंतरण पर प्राप्त राशि (₹ 9,280.05 करोड़) सम्मिलित नही है।

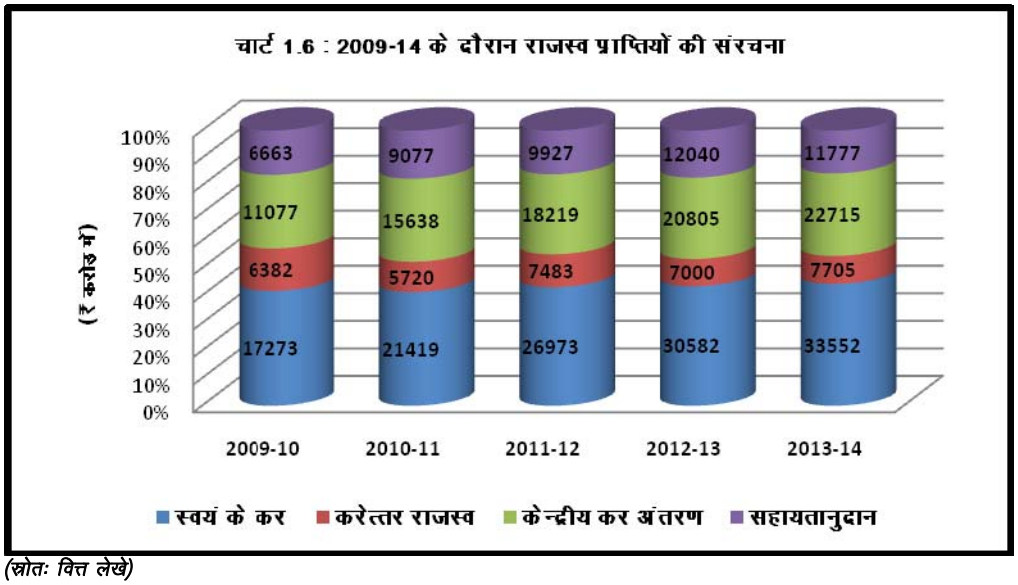
1.3 राजस्व प्राप्तियां

वित्त लेखे के विवरण पत्रक-11 में सरकार की राजस्व प्राप्तियों के ब्यौरे दिए गए हैं। राजस्व प्राप्तियों में स्वयं के कर एवं करेत्तर राजस्व, केंद्रीय कर अंतरणों एवं भारत सरकार से सहायता-अनुदान समाविष्ट हैं। 2009-14 की अवधि में राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति एवं संरचना **परिशिष्ट 1.4** में प्रस्तुत की गई है और क्रमशः **चार्ट 1.5** एवं **1.6** में भी चित्रित की गई हैं।

[5] *इसमें सकल लोक लेखा प्राप्तियां सम्मिलित हैं।*



(कोष्ठक में आंकड़े संवृद्धि दर दर्शाते है)
(स्रोतः वित्त लेखे)



(स्रोतः वित्त लेखे)

सामान्य प्रवृत्तियां

- राज्य की राजस्व प्राप्तियों में 2009-10 में ₹ 41,395 करोड़ से 2013-14 में ₹ 75,749 करोड़ तक 83 प्रतिशत की वृद्धि 16.60 प्रतिशत की औसत वार्षिक संवृद्धि की दर से हुई। 2013-14 के दौरान संवृद्धि दर 2012-13 में 12.50 प्रतिशत के विरुद्ध 7.56 प्रतिशत थी। जबकि 2013-14 के दौरान राजस्व प्राप्तियों का 54 प्रतिशत राज्य के स्वयं के संसाधनों से आया जिसमें कर राजस्व (44 प्रतिशत) एवं करेत्तर राजस्व (10 प्रतिशत) समाविष्ट था, शेष 46 प्रतिशत केंद्रीय कर अंतरणों एवं सहायता अनुदानों का संयुक्त अंशदान था।

- वर्ष 2009-10 से 2013-14 के दौरान, कुल राजस्व प्राप्तियों में राज्य के स्वयं के कर राजस्व का सापेक्ष अशंदान 41 प्रतिशत एवं 44 प्रतिशत के मध्य रहा जबकि 2009-10 से 2013-14 के दौरान राजस्व प्राप्तियों के अन्य संगठकों

अर्थात करेत्तर राजस्व, केंद्रीय कर अंतरण एवं सहायता अनुदान का संयुक्त अंश 56 प्रतिशत एवं 59 प्रतिशत के मध्य रहा।

सकल राज्य घरेलू उत्पाद की तुलना में राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियों को **तालिका 1.6** में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका 1.6: सकल राज्य घरेलू उत्पाद की तुलना में राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियां

	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
राजस्व प्राप्तियां (₹ करोड़ में)	41,395	51,854	62,604	70,427	75,749
राजस्व प्राप्तियों की संवृद्धि दर (प्रतिशत)	23.28	25.27	20.73	12.50	7.56
सकल राज्य घरेलू उत्पाद की संवृद्धि दर (प्रतिशत)	15.35	15.75	18.33	19.41	21.15
राजकोषीय देयताओं की संवृद्धि दर (प्रतिशत)	12.28	11.28	8.28	10.29	7.38
राज्य के स्वयं के कर की संवृद्धि दर (प्रतिशत)	26.88	24.00	25.93	13.38	9.71
राजस्व प्राप्तियां/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	18.19	19.69	20.09	18.92	16.80
उत्प्लावकता अनुपात[6]					
सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सन्दर्भ में राजस्व उत्प्लावकता	1.52	1.60	1.13	0.64	0.36
सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सन्दर्भ में राज्य के स्वयं के करों की उत्प्लावकता	1.75	1.52	1.41	0.69	0.46
राज्य के स्वयं के कर के संदर्भ में राजस्व उत्प्लावकता	0.87	1.05	0.80	0.93	0.78
सकल राज्य घरेलू उत्पाद के संदर्भ में राजकोषीय देयताएं	0.80	0.72	0.45	0.53	0.35

(स्रोतः वित्त लेखे और आर्थिक तथा सांख्यकीय संचालनालय, मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रेषित जानकारी) वर्ष 2009-10 से 2012-13 के लिए वर्तमान मूल्य पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुमान पुनरीक्षित है इसलिए पूर्व प्रतिवेदनों में दर्शाए गए 2009-10 से 2012-13 के लिए सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सन्दर्भ में प्रतिशत अनुपात/विभिन्न मापदण्डों की उत्प्लावकता पुनरीक्षित कर दी गई है।

आदर्शतः, राजस्व प्राप्तियों की संवृद्धि दर सकल राज्य घरेलू उत्पाद की संवृद्धि दर से अधिक होनी चाहिये ताकि समय के साथ बजट बेहतर संतुलित किया जा सके। **तालिका 1.6** के विश्लेषण पर निम्नलिखित प्रकट हुआः

- सकल राज्य घरेलू उत्पाद की तुलना में राजस्व प्राप्तियों में 2009-10 में 18.19 प्रतिशत से 2011-12 में 20.09 प्रतिशत तक की सुसंगत वृद्धि हुई परंतु 2013-14 में 16.80 प्रतिशत की कमी आई।
- 2009-10 में राजस्व प्राप्तियों की संवृद्धि दर में 23.28 प्रतिशत से 2010-11 में 25.27 प्रतिशत की वृद्धि हुई एवं उसके पश्चात विगत वर्ष की तुलना में 2013-14 में 7.56 प्रतिशत की कमी आई जिसका मुख्य कारण भारत सरकार से प्राप्त अनुदानों (2 प्रतिशत) में कमी एवं स्वयं के कर राजस्व में कम संवृद्धि था।
- सकल राज्य घरेलू उत्पाद के संदर्भ में राजस्व उत्प्लावकता के साथ राज्य के स्वयं के करों की उत्प्लावकता में विगत वर्ष (क्रमशः 0.64 एवं 0.69) की तुलना में 2013-14 (क्रमशः 0.36 एवं 0.46) में कमी आई, जिसका कारण वर्ष 2013-14 के दौरान राजस्व प्राप्तियों की संवृद्धि की दर में कमी होना तथा सकल राज्य घरेलू उत्पाद की संवृद्धि दर में वृद्धि था।

[6] *उत्प्लावकता अनुपात आधारभूत अस्थिरता में दिये गये परिवर्तनों के सम्बन्ध में राजकोषीय अस्थिरता की प्रतिक्रियाशीलता का लचीलापन अथवा अवस्था दर्शाता है। उदाहरण के लिये 0.6 पर राजस्व उत्प्लावकता का अर्थ होता है कि यदि सकल राज्य घरेलू उत्पाद में एक प्रतिशत तक वृद्धि होती है तो राजस्व प्राप्तियों में 0.6 प्रतिशत पॉइन्ट तक वृद्धि की प्रवृत्ति होती है।*

1.3.1 राज्य के स्वयं के संसाधन

चूंकि केंद्रीय करों एवं भारत सरकार से सहायता अनुदानों में राज्य के अंश का निर्धारण वित्त आयोग की अनुशंसाओं के आधार पर निश्चित किया जाता है इसलिए संसाधनों को जुटाने में राज्य के निष्पादन का मूल्यांकन उसके स्वयं के स्रोतों जिसमें स्वयं के कर एवं करेत्तर स्रोत समाहित हैं से किया जाता है।

तेरहवें वित्त आयोग, पुनरीक्षित अनुमानों एवं मध्यम कालिक राजकोषीय नीति विवरण द्वारा किए गए निर्धारणों की तुलना में वर्ष 2013-14 के लिए राज्य के वास्तविक कर एवं करेत्तर प्राप्तियां **तालिका 1.7** में दी गई हैं।

तालिका 1.7: कर राजस्व एवं करेत्तर राजस्व

(₹ करोड़ में)

	तेरहवें वित्त आयोग के प्रक्षेपण	पुनरीक्षित बजट अनुमान 2013-14	मध्यम कालिक राजकोषीय नीति विवरण प्रक्षेपण	वास्तविक आंकड़े
कर राजस्व	24,510	33,929	33,382	33,552
करेत्तर राजस्व	5,480	8,139	7,583	7,705

(स्रोतः वित्त लेखे एवं राज्य बजट 2013-14 तथा 2014-15 के साथ राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम के अधीन विधान सभा के समक्ष प्रस्तुत विवरण एवं तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसाएं)

यह देखा जा सकता है कि कर राजस्व एवं करेत्तर राजस्व के अंतर्गत वास्तविक प्राप्ति (क्रमशः 36.89 प्रतिशत एवं 40.60 प्रतिशत से) तेरहवें वित्त आयोग द्वारा किए गए निर्धारण की तुलना में महत्वपूर्ण रुप से उच्चतर थीं। कर राजस्व के साथ-साथ करेत्तर राजस्व के अंतर्गत वास्तविक प्राप्ति मध्यम कालिक राजकोषीय नीति विवरण प्रक्षेपणों की तुलना में अंशतः उच्चतर थी एवं पुनरीक्षित बजट अनुमानों से कम थी।

1.3.1.1 कर राजस्व

मुख्य करों एवं शुल्कों के संबंध में सकल संग्रहण **तालिका 1.8** में दिया गया है।

तालिका 1.8: राज्य के कर राजस्व के संघटक

(₹ करोड़ में)

राजस्व शीर्ष	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि(+)/कमी(-) (प्रतिशत में)
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	7,724	10,257	12,517	14,856	16,650	(+) 12.08
राज्य उत्पाद शुल्क	2,952	3,603	4,317	5,078	5,907	(+) 16.33
वाहन कर	919	1,198	1,357	1,531	1,599	(+) 4.44
स्टाम्प तथा पंजीकरण शुल्क	1,783	2,514	3,284	3,944	3,400	(-) 13.79
भू-राजस्व	180	361	279	444	366	(-) 17.57
माल तथा यात्री कर	1,333	1,746	2,047	2,395	2,579	(+) 7.68
विद्युत पर कर एवं शुल्क	-	-	1,773	1,478	1,972	**(+)** 33.42
अन्य कर*****	2,382	1,740	1,399	856	1,079*	(+) 26.05
कुल कर राजस्व	**17,273**	**21,419**	**26,973**	**30,582**	**33,552**	**(+) 9.71**

**** अन्य करों में कृषि भूमि से भिन्न अचल सम्पत्ति पर कर (₹ 667 करोड़), आय तथा व्यय पर अन्य कर (₹ 275 करोड़), वस्तुओं एवं सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क (₹ 137 करोड़) सम्मिलित है ।***
(स्रोतः वित्त लेखे)

- 2013-14 के दौरान राज्य के स्वयं के कर राजस्व में बिक्री, व्यापार आदि पर कर की प्रमुख हिस्सेदारी (49.62 प्रतिशत) थी, इसके पश्चात राज्य उत्पाद शुल्क (17.61 प्रतिशत), स्टाम्प तथा पंजीकरण शुल्क (10.13 प्रतिशत), माल

तथा यात्री कर (7.69 प्रतिशत) तथा वाहन कर (4.77 प्रतिशत) की हिस्सेदारी थी।

- बिक्री, व्यापार आदि पर कर के अंतर्गत प्राप्तियों में वृद्धि (₹ 1,794 करोड़ से) का मुख्य कारण उप शीर्ष 102-राज्य बिक्री कर अधिनियम के अंतर्गत अधिक प्राप्तियां थीं। राज्य उत्पाद शुल्क प्राप्तियों में वृद्धि (₹ 829 करोड़ से) मुख्यतः '800-अन्य प्राप्तियां', '106 वाणिज्यिक और विकृत स्पिरिट तथा औषध युक्त मदिरा' एवं '107 एल्कोहल, अफीम आदि सहित औषधीय एवं प्रसाधन निर्मिति' के अंतर्गत थी। स्टाम्प तथा पंजीकरण शुल्क के अंतर्गत कमी (₹ 544 करोड़ से) मुख्यतः राज्य की कराधान नीति में परिवर्तन के कारण पंजीकरण दस्तावेजों के लिए शुल्क में कमी थी।
- कृषि भूमि से भिन्न अचल सम्पत्ति पर कर के अंतर्गत वृद्धि (₹ 254 करोड़ से) का मुख्य कारण उप शीर्ष '800-अन्य प्राप्तियां' के अंतर्गत अधिक प्राप्तियां थीं। विद्युत कर तथा शुल्क के अंतर्गत वृद्धि (₹ 494 करोड़ से) का मुख्य कारण उप शीर्ष '101-विद्युत बिक्री एवं उपभोग पर कर एवं अन्य प्राप्तियों' के अंतर्गत प्राप्तियों में वृद्धि थी।

राजस्व की संग्रहण लागत

वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 के दौरान बिक्री, व्यापार आदि पर कर, वाहन कर, राज्य उत्पाद शुल्क एवं स्टाम्प तथा पंजीकरण शुल्क का सकल संग्रहण, उनके संग्रहण पर हुआ व्यय एवं सकल संग्रहण से उसकी प्रतिशतता इसके साथ ही संबंधित विगत वर्षों के लिए अखिल भारतीय संग्रहण की औसत लागत को **तालिका 1.9** में दर्शाया गया है।

तालिका 1.9: राजस्व प्राप्तियों की संग्रहण लागत

स.क्र.	राजस्व के शीर्ष	वर्ष	बजट अनुमान (₹ करोड़ में)	वास्तविक संग्रहण (₹ करोड़ में)	राजस्व के संग्रहण पर व्यय (₹ करोड़ में)	संग्रहण पर व्यय की प्रतिशतता	अखिल भारतीय औसत (प्रतिशत में)
1.	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	2012-13	14,000.00	14,856.30	129.32	0.87	0.83
		2013-14	16,500.00	16,649.85	136.63	0.82	0.73
2.	वाहन कर	2012-13	1,400.00	1,531.25	40.07	2.62	2.96
		2013-14	1,650.00	1,598.93	50.67	3.17	4.17
3.	राज्य उत्पाद शुल्क	2012-13	4,800.00	5,078.06	1,188.87	23.41	2.98
		2013-14	5,750.00	5,907.39	1,320.37	22.35	2.96
4.	स्टाम्प तथा पंजीकरण शुल्क	2012-13	3,200.00	3,944.24	79.00	2.00	1.89
		2013-14	4,000.00	3,400.00	85.93	2.53	3.25

(स्रोतः वित्त लेखे एवं महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखापरीक्षा), म.प्र. द्वारा संकलित जानकारी)

2013-14 के दौरान, बिक्री, व्यापार आदि पर कर एवं राज्य उत्पाद शुल्क के संबंध में सकल संग्रहण बजट अनुमानों से अधिक था। वाहन कर एवं स्टाम्प तथा पंजीकरण शुल्क का संग्रहण बजट अनुमानों से कम था। इनके अंतर्गत संग्रहण लागत में विगत वर्ष की तुलना में वृद्धि हुई।

1.3.1.2 करेत्तर राजस्व

करेत्तर राजस्व में मुख्यतः ब्याज, अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग, वानिकी तथा वन्य प्राणी, शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति आदि से प्राप्तियां शामिल हैं जैसा कि **तालिका 1.10** में दर्शाया गया है।

तालिका 1.10: करेत्तर राजस्व की संवृद्धि दर

(₹ करोड़ में)

राजस्व शीर्ष	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2013-14 के दौरान प्रतिशत वृद्धि(+)/कमी(-)
ब्याज प्राप्तियां	1,284	299	1,571	301	318	(+) 5.65
अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग	1,590	2,121	2,038	2,443	2,306	(-) 5.61
वानिकी तथा वन्य प्राणी	80	837	879	910	1,037	(+) 13.96
शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति	745	1,194	1,551	1,682	2,008	(+) 19.38
लाभांश एवं लाभ	50	32	38	18	379	(+) 2006
अन्य करेत्तर प्राप्तियां	2,633	1,237	1,406	1,646	1,657	(+)0.67
योग	**6,382**	**5,720**	**7,483**	**7,000**	**7,705**	**(+)10.07**

(स्रोतः वित्त लेखे)

- करेत्तर राजस्व में, 2012-13 में ₹ 7,000 करोड़ से 2013-14 में ₹ 7,705 करोड़ तक, ₹ 705 करोड़ की वृद्धि हुई जिसका मुख्य कारण लाभांश एवं लाभ (₹ 361 करोड़ से) एवं शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति (₹ 326 करोड़ से) के अंतर्गत प्राप्तियों में वृद्धि थी।
- 2013-14 के दौरान, करेत्तर राजस्व में, मुख्य रूप से योगदान करने वालो में, अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग (29.93 प्रतिशत), शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति (26.06 प्रतिशत) एवं वानिकी तथा वन्य प्राणी (13.46 प्रतिशत) थे।
- राज्य सरकार द्वारा ऋण समेकन एवं राहत सुविधा योजना के अंतर्गत कोई भी ऋण अधित्याग प्राप्त नहीं किए गए थे।

1.3.2 भारत सरकार से सहायता अनुदान

भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान में 2009-10 में **₹** 6,663 करोड़ से 2013-14 में **₹** 11,777 करोड़ तक की वृद्धि हुई जैसा कि **तालिका 1.11** में दर्शाया है।

तालिका 1.11: भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान

(₹ करोड़ में)

विवरण	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
आयोजनेत्तर अनुदान	1,533	1,636	2,114	333	3,540
राज्य आयोजनागत योजनाओं के लिए अनुदान	3,102	4,522	4,215	7,099	5,536
केंद्रीय आयोजनागत योजनाओं के लिए अनुदान	393	649	364	500	153
केंद्र प्रवर्तित योजनाओं के लिए अनुदान	1,635	2,270	3,236	4,108	2,548

विशेष आयोजनागत योजनाओं के लिए अनुदान	--	--	--	--	--
योग	**6,663**	**9,077**	**9,929**	**12,040**	**11,777**
विगत वर्ष की तुलना में वृद्धि(+)/कमी(-) की प्रतिशतता	13.84	36.23	9.39	21.26	(-) 2.18
राजस्व प्राप्तियों की प्रतिशतता के रूप में कुल अनुदान	16.10	17.50	15.86	17.10	15.55

(स्रोतः वित्त लेखे)

विगत वर्ष की तुलना में 2013-14 के दौरान भारत सरकार से अनुदान के अंतर्गत ₹ 263 करोड़ की निवल कमी का कारण राज्य आयोजनागत योजना (₹ 1,563 करोड़ से), केंद्र प्रवर्तित आयोजना योजना (₹ 1,560 करोड़ से) एवं केंद्रीय आयोजनागत योजना (₹ 347 करोड़ से) में कमी था जो आयोजनेत्तर अनुदान (₹ 3,207 करोड़ से) में वृद्धि द्वारा प्रतिसंतुलित हुआ।

राज्य आयोजनागत योजना के लिए अनुदान में कमी मुख्यतः पंचायती राज (₹ 1,203 करोड़ से) एवं ब्लॉक अनुदान (₹ 219 करोड़ से) के अंतर्गत थी। केंद्र प्रवर्तित योजनाओं के लिए अनुदान में कमी मुख्यतः प्रारंभिक शिक्षा-अन्य अनुदान (₹ 639 करोड़ से), शहरी परिवार कल्याण सेवाएं (₹ 265 करोड़ से) तथा अनुसूचित जाति कम्पोनेंट आयोजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता (₹ 101 करोड़ से) के अंतर्गत कमी के कारण थी। केंद्रीय आयोजना योजना के लिए अनुदान में कमी मुख्यतः कृषि अर्थव्यवस्था तथा सांख्यिकी (₹ 182 करोड़ से), तकनीकी शिक्षा-पॉलीटेक्निक्स (₹ 54 करोड़ से) एवं वन संरक्षण विकास तथा पुनरुत्पादन (₹ 32 करोड़ से) के अंतर्गत था। आयोजनेत्तर अनुदान में वृद्धि मुख्यतः संविधान के अनुच्छेद 275(1) के प्रावधान के अंतर्गत अनुदानों के अंतर्गत थी।

1.3.3 केंद्रीय कर अंतरण

केंद्रीय करों का हस्तांतरण वित्त आयोग अवार्ड द्वारा निर्धारित किया जाता है। 2013-14 के दौरान ₹ 22,715 करोड़ के केंद्रीय कर अंतरण वृहद् आर्थिक रूपरेखा विवरण में दी गई अनुमानित राशि ₹ 23,694 करोड़ से अंशतः कम थे। यद्यपि इसमें 2012-13 में ₹ 20,805 करोड़ से ₹ 1,910 करोड़ की वृद्धि हुई। वृद्धि मुख्यतः निगम कर के अतिरिक्त आय पर कर (₹ 556.15 करोड़ से) एवं सेवा कर (₹ 662.65 करोड़ से) के अंतर्गत थी।

1.3.4 तेरहवें वित्त आयोग के अनुदानों का अधिकतम उपयोग

2013-14 के दौरान, तेरहवें वित्त आयोग ने ₹ 3,205.16 करोड़ अनुदानों के रूप में, जिसमें राज्य के लिए विशिष्ट अनुदान सम्मिलित है, की अनुशंसा की थी। इसके विरूद्ध, राज्य सरकार ने कुल ₹ 2,589.35 करोड़ के अनुदान प्राप्त किए गए थे। विवरण **तालिका 1.12** में दिए गए हैं।

तालिका 1.12: अनुशंसित अंतरण एवं वास्तविक जारी किए गए अनुदान

(₹ करोड़ में)

स.क्र.	अंतरण	तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा	भारत सरकार द्वारा जारी वास्तविक राशि
1	**स्थानीय निकाय**	**1,464.41**	**1,101.10**
	पंचायती राज संस्थाओं को अनुदान	**1,080.52**	**868.35**
	सामान्य मूल अनुदान	615.10	629.26
	पंचायती राज संस्थाओं को सामान्य निष्पादन अनुदान	420.30	214.85*
	विशेष क्षेत्र मूल अनुदान	22.56	24.24
	विशेष क्षेत्र निष्पादन अनुदान	22.56	निरंक
	नगरीय स्थानीय निकायों को अनुदान	**383.89**	**232.75**
	सामान्य मूल अनुदान	223.40	228.51
	नगरीय स्थानीय निकायों को सामान्य निष्पादन अनुदान	152.60	निरंक
	विशेष क्षेत्र मूल अनुदान	3.95	4.24
	विशेष क्षेत्र निष्पादन अनुदान	3.94	निरंक
2	**(अ) आपदा राहत निधि-केंद्रांश**	**341.00**	**341.00**
	(ब) क्षमता निर्माण	**5.00**	**निरंक**
3	**परिणामी अनुदान में सुधार**	**141.42**	**निरंक**
	(i) न्याय प्रदान करने में सुधार	81.48	निरंक
	(ii) यू.आई.डी. जारी करने के लिए प्रोत्साहन	49.94	निरंक
	(iii) राज्य में सांख्यिक पद्धति में सुधार	10.00	निरंक
4	**वन का संरक्षण**	**122.58**	**122.58**
5	**जल क्षेत्र प्रबंधन**	**37.00**	**निरंक**
6	**शिशु मृत्यु दर में कमी**	**0.00**	**4.92**
7	**प्रारंभिक शिक्षा**	**523.00**	**523.00**
8	**सड़कें एवं पुल**	**263.00**	**263.00**
9	**राज्य विशिष्ट अनुदान**	**307.75**	**233.75**
	(i) आंगनबाड़ी केंद्र	100.00	100.00
	(ii) पुलिस प्रशिक्षण	45.00	45.00
	(iii) पर्यटन विकास	45.00	45.00
	(iv) स्वास्थ्य अधोसंरचना	62.50	निरंक
	(v) विरासत संरक्षण	43.75	43.75
	(vi) गांधी मेडिकल कॉलेज में वायरस विज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना	6.00	निरंक
	(vii) एम.टी.एच. अस्पताल, इंदौर का उन्नयन	5.50	निरंक
	योग	**3,205.16**	**2,589.35**

राज्य को अन्य राज्यों की जब्त राशि में से प्राप्त ₹ 173.23 करोड़ को छोड़कर

(स्रोतः वित्त विभाग, मध्य प्रदेश से प्राप्त जानकारी)

पुलिस विभाग के अभिलेखों की नमूना जांच (जुलाई 2014) एवं वित्त विभाग से जानकारी संग्रहण के दौरान (अक्टूबर 2014) हमने अधिक/त्रुटिपूर्ण उपयोगिता प्रमाण-पत्रों का प्रस्तुतीकरण, तेरहवें वित्त आयोग से अनुदान के रूप में प्राप्त राशि का अनुपयोगी रहना एवं जमा लेखे में राशियों को रोक कर रखना देखा जिसकी चर्चा नीचे की गई है:

तेरहवें वित्त आयोग के 2011-15 की अवार्ड अवधि के लिए भारत सरकार ने मध्य प्रदेश में पाँच पुलिस प्रशिक्षण केंद्रों के उन्नयन एवं सागर में एक नया मूल कॉन्सटेबल स्कूल की स्थापना के लिए ₹ 180 करोड़ का अनुदान (₹ 45 करोड़ की चार वार्षिक किस्तों में) संस्वीकृत (सितम्बर 2010) किए थे। दिशा-निर्देशों के अनुसार, प्रथम किस्त की सम्पूर्ण राशि एवं द्वितीय किस्त का दो तिहाई राशि के उपयोग के बाद तीसरी किस्त जारी की जानी थी। इसी तरह, चौथी किस्त के जारी होने के लिए, प्रथम एवं द्वितीय किस्त का 100 प्रतिशत एवं तृतीय किस्त के दो तिहाई का उपयोग किया जाना था।

2011-12 एवं 2012-13 के दौरान जारी ₹ 90 करोड़ के विरुद्ध राज्य सरकार (वित्त विभाग) ने ₹ 74.45 करोड़ के लिए प्रगामी उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए (मार्च 2014) अर्थात ₹ 15.55 करोड़ अव्ययित शेष बताए गए। हमने देखा कि वास्तविक अव्ययित शेष ₹ 31.34 करोड़ था। (₹ 27.16 करोड़ पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन द्वारा अनुपयोगी रखे गए थे एवं ₹ 4.18 करोड़ एडीजी (प्रशिक्षण) द्वारा के-डिपोजिट में रखे गए थे) इस प्रकार, उपयोगिता प्रमाण पत्रों की राशि ₹ 15.79 करोड़ तक बढ़ी हुई थी। इस उपयोगिता प्रमाण पत्र के आधार पर, भारत सरकार ने वर्ष 2013-14 के लिए ₹ 45 करोड़ की तीसरी किस्त जारी कर दी (मई 2014)। जबकि एडीजी (प्रशिक्षण) द्वारा 2014-15 के दौरान ₹ 4.18 करोड़ का उपयोग किया गया। पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन अव्ययित राशि को बैंक में रखे रहे।

हमने यह भी देखा (अक्टूबर 2014) कि राज्य वित्त विभाग ने तीन किस्तों में ₹ 135 करोड़ के विरुद्ध, ₹ 11.89 करोड़ अव्ययित शेष के साथ, पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन के बैंक खातें में ₹ 45.44 करोड़ का अव्ययित शेष होने के बावजूद (2012-13 तक ₹ 27.16 करोड़ + 2013-14 के लिए ₹ 18.28 करोड़), ₹ 123.11 करोड़ के प्रगामी उपयोगिता प्रमाण पत्र सितम्बर 2014 में प्रस्तुत किए थे। इस प्रकार, उपयोगिता प्रमाण पत्र ₹ 33.55 करोड़ तक बढ़े हुए थे।

इस ओर इंगित करने पर, अपर महानिदेशक मध्य प्रदेश पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेंशन लिमिटेड ने बताया (जुलाई 2014) कि पूर्व में उपयोगिता प्रमाण पत्र किए गए कार्य के निर्धारित मूल्य के आधार पर जारी किए गए थे। परन्तु लेखापरीक्षा को बताया गया व्यय ठेकेदार को किया गया वास्तविक भुगतान था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि कार्य के आंकलित मूल्य के आधार पर उपयोगिता प्रमाण पत्र का जारी करना सही नहीं था एवं सुसंगत नियमों के प्रतिकूल था।

1.3.5 संभावित राजस्व की हानि (Foregone Revenue)

31 मार्च 2014 को दो विभागों द्वारा सूचित किए गए राजस्व अपवंचन के विवरण **तालिका 1.13** में दिए गए हैं। अन्य चार राजस्व विभागों ने जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई है।

तालिका 1.13: कर का अपवंचन

राजस्व की प्रकृति	31 मार्च 2013 को लंबित प्रकरणों की संख्या	2013-14 के दौरान जानकारी में आए प्रकरणों की संख्या	प्रकरणों की कुल संख्या	प्रकरणों की संख्या जिनमें अन्वेषण पूर्ण कर लिया गया एवं बढ़ाई गई शास्ति सहित अतिरिक्त मांग		31.03.2014 को लंबित प्रकरणों की संख्या
				प्रकरणों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	253	263	516	239	44.19	277
स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्क	16,394	9,876	26,270	12,694	49.43	13,576
योग	**16,647**	**10,139**	**26,786**	**12,933**	**93.62**	**13,853**

(स्रोतः महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखापरीक्षा), मध्य प्रदेश द्वारा संधारित जानकारी)

1.4 पूंजीगत प्राप्तियां

तालिका 1.14 पूंजीगत प्राप्तियों की संरचना एवं संवृद्धि की प्रवृत्ति को दर्शाती है।

तालिका 1.14: प्राप्तियों की संरचना एवं संवृद्धि की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

राज्य की प्राप्तियों के स्त्रोत	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
पूंजीगत प्राप्तियां	**8,651**	**7,861**	**15,899**	**8,864**	**9,672**
ऋणेत्तर पूंजीगत प्राप्तियां	**48**	**403**	**9,149**	**73**	**131**
विविध पूंजीगत प्राप्तियां	22	367	23	31	36
अंतर्राज्यीय परिशोधन	3	2	3	9	2
कर्ज एवं अग्रिमों की वसूली	23	34	9,123	33	93
ऋण पूंजीगत प्राप्तियां	**8,603**	**7,458**	**6,750**	**8,791**	**9,541**
पूंजीगत प्राप्तियों की संवृद्धि दर (प्रतिशत में)	30.44	-9.13	102.25	-44.25	9.12
ऋणेत्तर पूंजीगत प्राप्तियों की संवृद्धि दर (प्रतिशत में)	-39.24	739.58	2,170.22	-99.20	79.45
ऋण पूंजीगत प्राप्तियों की संवृद्धि दर (प्रतिशत में)	31.28	-13.31	-9.49	30.24	8.53
सकल राज्य घरेलू उत्पाद की संवृद्धि दर (प्रतिशत में)	15.35	15.75	18.33	19.41	21.15

(स्रोतः वित्त लेखे)

1.4.1 विनिवेश से प्राप्ति

वित्त लेखे 2013-14 के अनुसार, विविध पूंजीगत प्राप्तियों के अंतर्गत सहकारी समितियों/बैंकों का विनिवेश में 2012-13 में ₹ 21.45 करोड़ से 2013-14 में ₹ 25.53 करोड़ की अंशतः वृद्धि हुई।

1.4.2 कर्ज एवं अग्रिमों की वसूलियां

वर्ष के दौरान ₹ 93 करोड़ के कर्ज एवं अग्रिमों की वसूली बजट अनुमानों (₹ 125 करोड़) से कम थी। 2013-14 के दौरान विगत वर्ष की तुलना में वास्तविक वसूली में

₹ 60 करोड़ की वृद्धि मुख्यतः जल प्रदाय, सफाई, आवास एवं नगरीय विकास (₹ 56.75 करोड़ से) से कर्ज की अधिक वसूली के कारण थी।

1.4.3 लोक ऋण प्राप्तियां

लोक ऋण प्राप्तियों में आंतरिक ऋण एवं भारत सरकार से ऋण सम्मिलित थे। 2013-14 के दौरान, लोक ऋण प्राप्तियों में वृद्धि मुख्यतः आंतरिक ऋण के अंतर्गत हुई।

- आंतरिक ऋण प्राप्तियों में 2012-13 में ₹ 7,234 करोड़ से 2013-14 में ₹ 8,328 करोड़, कुल ₹ 1,094 करोड़ की वृद्धि का कारण मुख्यतः बाजार ऋण एवं केंद्र सरकार की राष्ट्रीय अल्प बचत निधियों को जारी विशेष प्रतिभूतियों के अंतर्गत वृद्धि था।
- भारत सरकार से कर्ज एवं अग्रिम में 2012-13 में ₹ 1,557 करोड़ से 2013-14 में ₹ 1,212 करोड़, कुल ₹ 345 करोड़ की कमी आई। संपूर्ण कमी राज्य/संघ क्षेत्र आयोजनागत योजना के लिए कर्ज के अंतर्गत थी।

1.5 लोक लेखे प्राप्तियां

कुछ निश्चित लेन देनों के संबंध में प्राप्तियां एवं संवितरण जैसे अल्प बचत, भविष्य निधि, आरक्षित निधियां, जमा, उचंत, प्रेषण, इत्यादि जो कि समेकित निधि के भाग नहीं हैं, को संविधान के अनुच्छेद 266(2) के अंतर्गत स्थापित लोक लेखे में रखे जाते हैं एवं इन पर राज्य विधानसभा द्वारा वोट नहीं किया जा सकता है। यहाँ पर सरकार एक बैंकर की तरह कार्य करती है। संवितरण के पश्चात शेष राशि, सरकार के पास उपलब्ध वह राशि है जिसका वह उपयोग कर सकती है।

2009-14 के दौरान लोक लेखे प्राप्तियों के संबंध में प्रवृत्तियों को **तालिका 1.15** में दर्शाया गया है।

तालिका 1.15: लोक लेखे प्राप्तियों में प्रवृत्तियां

(₹ करोड़ में)

विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत संसाधन	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
लोक लेखे प्राप्तियां (सकल)	**52,353**	**65,675**	**76,315**	**86,248**	**94,811**
(क) अल्प बचतें, भविष्य निधि इत्यादि	1,512	1,737	2,033	2,319	2,784
(ख) आरक्षित निधि	764	1,191	1,534	2,441	1,612
(ग) जमा एवं अग्रिम	9,334	9,724	9,872	6,502	10,369
(घ) उचंत एवं विविध	31,457	41,810	50,620	59,819	64,444
(ड.) प्रेषण	9,286	11,213	12,256	15,167	15,602

(स्रोतः वित्त लेखे)

लोक लेखे प्राप्तियों (सकल) में 2012-13 में ₹ 86,248 करोड़ से 2013-14 में ₹ 94,811 करोड़, कुल ₹ 8,563 करोड़ (10 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। वृद्धि मुख्यतः जमा एवं अग्रिमों (₹ 3,867 करोड़ से) एवं उचंत तथा विविध (₹ 4,625 करोड़ से) के अंतर्गत हुई।

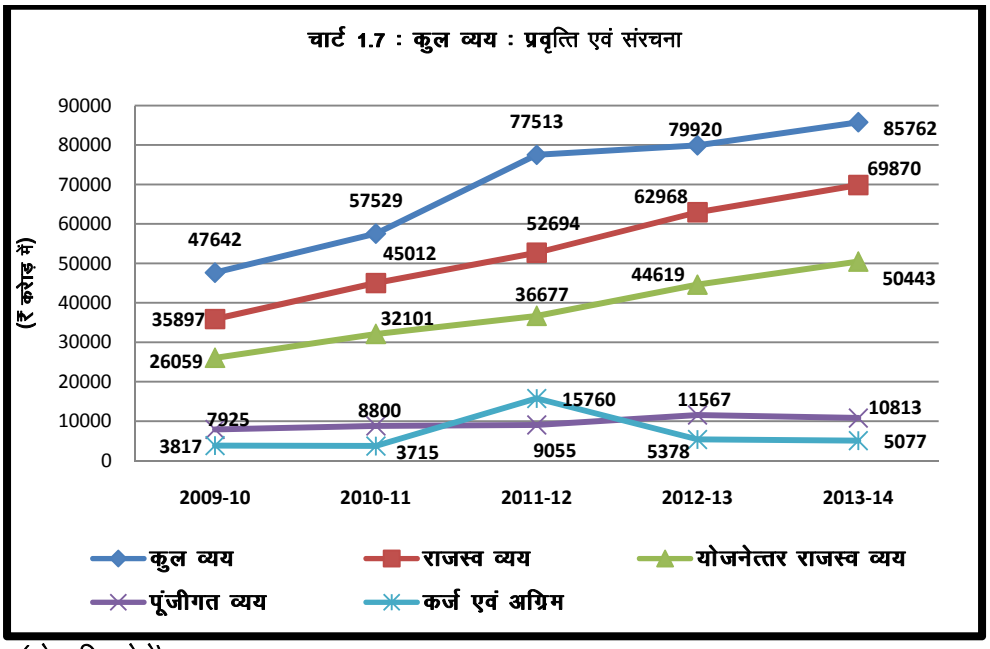
1.6 संसाधनों का अनुप्रयोग

व्यय के आवंटन का विश्लेषण राज्य सरकार के स्तर द्वारा महत्वपूर्ण होता है क्योंकि मुख्य व्यय उत्तरदायित्व उन्हें सौंपा गया है। राजकोषीय उत्तरदायित्व विधानों के ढाँचे के

अंतर्गत, घाटे अथवा उधारियों द्वारा वित्तपोषित लोक व्यय को उठाने में बजटीय प्रतिबंध है, इसलिए यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि राजकोषीय सुधार एवं समेकन की प्रक्रिया सामाजिक क्षेत्र के विकास की ओर अग्रसर व्यय की लागत पर नहीं है।

1.6.1 व्यय की वृद्धि एवं संरचना

चार्ट 1.7 विगत पांच वर्षों की अवधि (2009-14) के कुल व्यय (लोक ऋणों पुनर्भुगतानों को छोड़कर) की प्रवृत्ति को दर्शाता है। विभिन्न संघटकों के अंतर्गत किए गए व्यय को **चार्ट 1.8** में दर्शाया गया है एवं गतिविधियों/सेवाओं के द्वारा व्यय की प्रवृत्ति को **चार्ट 1.9** में दर्शाया गया है।



(स्रोतः वित्त लेखे)

2009-14 की अवधि के दौरान, राज्य के कुल व्यय में ₹ 38,120 करोड़ (80 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। इसी अवधि के दौरान राजस्व व्यय एवं पूंजीगत व्यय में क्रमशः ₹ 33,973 करोड़ (95 प्रतिशत) एवं ₹ 2,888 करोड़ (36 प्रतिशत) की वृद्धि हुई।

2013-14 के दौरान, 2012-13 की तुलना में कुल व्यय में ₹ 5,842 करोड़ (सात प्रतिशत से) की वृद्धि मुख्यतः राजस्व व्यय में ₹ 6,902 करोड़ (11 प्रतिशत) की वृद्धि के कारण हुई थी जिसे पूंजीगत व्यय में ₹ 754 करोड़ (सात प्रतिशत) एवं कर्ज एवं अग्रिमों ₹ 301 करोड़ (छह प्रतिशत) के अंतर्गत कमी द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया।

2013-14 के दौरान कुल आयोजना व्यय[7] एवं कुल आयोजनेत्तर व्यय[8] में विगत वर्ष की तुलना में क्रमशः ₹ 940 करोड़ तथा ₹ 4,907 करोड़ की वृद्धि हुई। 2013-14 के दौरान कुल आयोजना व्यय एवं कुल आयोजनेत्तर व्यय कुल व्यय का क्रमशः 38 प्रतिशत एवं 62 प्रतिशत था।

जैसा कि **चार्ट 1.8** से देखा जा सकता है कि कुल व्यय में राजस्व व्यय के अंश में 2009-10 में 75 प्रतिशत से 2013-14 में 81 प्रतिशत तक, वर्ष 2011-12 को

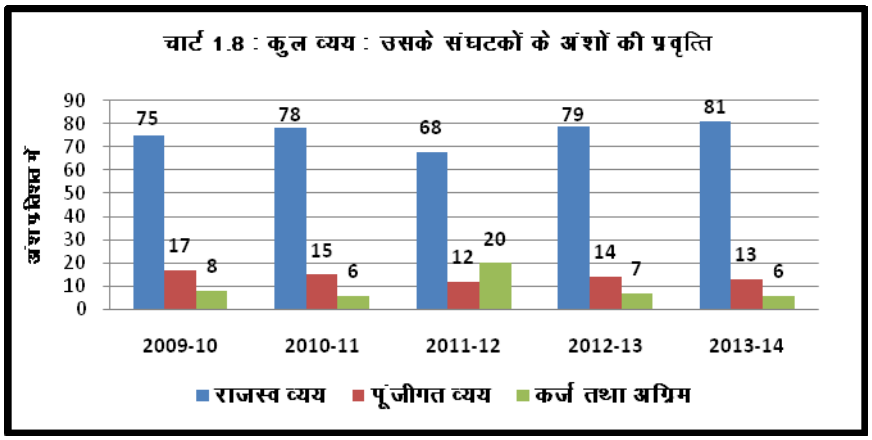
7 *राजस्व, पूंजीगत तथा कर्ज एवं अग्रिमों के अंतर्गत आयोजना व्यय सम्मिलित है।*

8 *राजस्व, पूंजीगत तथा कर्ज एवं अग्रिमों के अंतर्गत आयोजनेत्तर व्यय सम्मिलित है।*

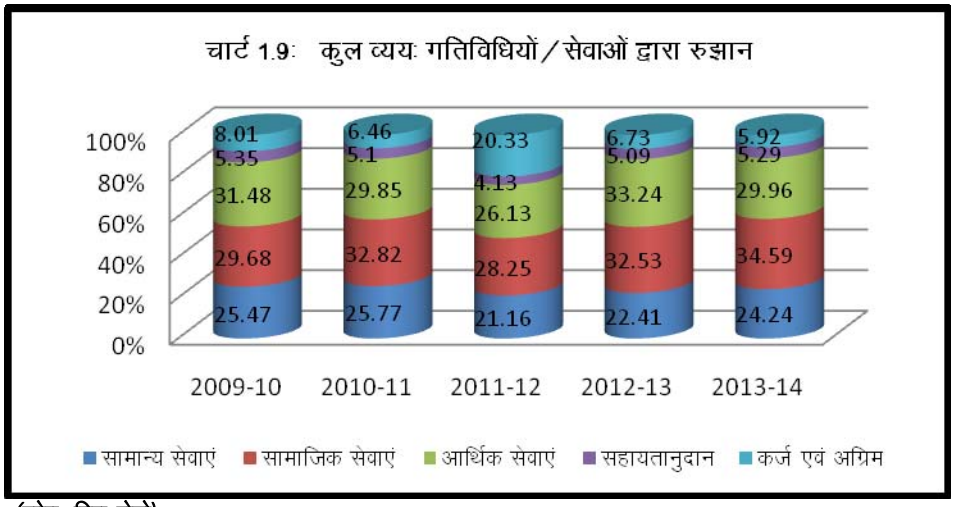
छोड़कर, लगातार वृद्धि हुई। कुल व्यय में पूंजीगत व्यय के अंश में 2009-10 में 17 प्रतिशत से 2013-14 में 13 प्रतिशत तक, वर्ष 2012-13 को छोड़कर, लगातार कमी आई।

2013-14 के दौरान, आयोजनेत्तर राजस्व व्यय में विगत वर्ष की तुलना में ₹ 5,824 करोड़ (13 प्रतिशत) की वृद्धि हुई।

2013-14 में कुल व्यय (₹ 85,762 करोड़) का 88 प्रतिशत राजस्व प्राप्तियों (₹ 75,749 करोड़) से पूरा किया जा सकता था।



राजस्व व्यय में वृद्धि मुख्यतः शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति (₹ 2,801 करोड़ से),अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग का कल्याण (₹ 138 करोड़ से),स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (₹ 155 करोड़ से), सामाजिक कल्याण एवं पोषण (₹ 116 करोड़ से) तथा जल प्रदाय, सफाई एवं नगरीय विकास (₹ 100 करोड़ से) में वृद्धि के कारण थी।



(स्रोतः वित्त लेखे)

➢ **चार्ट 1.9** में दर्शाये अनुसार कुल व्यय की तुलना में सामान्य सेवाओं (ब्याज की अदायगी सहित) के अंतर्गत व्यय के अंश में 2009-10 में 25.47 प्रतिशत से 2013-14 में 24.24 प्रतिशत की गिरावट आई जबकि सामाजिक सेवाओं के अंतर्गत व्यय के अंश में 2009-10 में 29.68 प्रतिशत से 2013-14 में 34.59 प्रतिशत तक अंतरवर्षीय परिवर्तनों सहित वृद्धि हुई। आर्थिक सेवाओं के अंतर्गत

व्यय के अंश में 2009-10 में 31.48 प्रतिशत से 2013-14 में 29.96 प्रतिशत कमी की प्रवृत्ति दर्शाई। विकास व्यय, जिसमें सामाजिक एवं आर्थिक सेवाएं सम्मिलित होती हैं, में 2009-10 में 61.16 प्रतिशत से 2013-14 में 64.55 प्रतिशत तक अंतरवर्षीय परिवर्तनों सहित वृद्धि हुई।

- कुल व्यय में सहायता अनुदानों के अंश में 2009-10 में 5.35 प्रतिशत से 2013-14 में 5.29 प्रतिशत तक अंतरवर्षीय उतार-चढ़ाव सहित अंशतः कमी आई।

- कुल व्यय में कर्ज एवं अग्रिमों के अंश में 2011-12 (20.33 प्रतिशत) को छोड़कर 2009-10 में 8.01 प्रतिशत से 2013-14 में 5.92 प्रतिशत की लगातार कमी हुई।

1.6.2 पूंजीगत व्यय

- पूंजीगत व्यय में 2009-10 में ₹ 7,925 करोड़ से 2012-13 में ₹ 11,567 करोड़ की वृद्धि हुई उसके बाद 2013-14 में ₹ 10,813 करोड़ तक की कमी आई (सात प्रतिशत से)। पूंजीगत व्यय में विगत वर्ष की तुलना में ₹ 754 करोड़ की कमी मुख्यतः ग्रामीण विकास (₹ 749 करोड़ से), उर्जा (₹ 595 करोड़ से) एवं कृषि एवं संबद्ध गतिविधियां (₹ 159 करोड़ से) के अंतर्गत थी जिसे सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण (₹ 268 करोड़ से) एवं परिवहन (₹ 267 करोड़ से) में वृद्धि के द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया। 2013-14 के दौरान कुल पूंजीगत व्यय बजट अनुमान ₹ 11,114 करोड़ (₹ 301 करोड़ से) कम था।

1.6.3 राजस्व व्यय में वृद्धि की प्रवृत्ति

- राज्य के राजस्व व्यय में 2009-10 में ₹ 35,897 करोड़ से 2013-14 में ₹ 69,870 करोड़ की वृद्धि हुई, जो इस अवधि के दौरान 18.93 प्रतिशत की औसत वार्षिक वृद्धि को प्रदर्शित करती है। विगत वर्ष की तुलना में 2013-14 के दौरान राजस्व व्यय में कुल ₹ 6,902 करोड़ (10.96 प्रतिशत) की वृद्धि हुई थी। 2013-14 के दौरान आयोजनेत्तर व्यय ₹ 50,443 करोड़ था जो कुल राजस्व व्यय का 72 प्रतिशत था।

- वास्तविक आयोजनेत्तर राजस्व व्यय (₹ 16,100 करोड़ सेः 46.88 प्रतिशत), तेरहवें वित्त आयोग द्वारा किए गए निर्धारणों से बहुत उच्चतर था। यह राज्य सरकार द्वारा मध्यम कालिक राजकोषीय नीति विवरण में किए गए निर्धारणों के लगभग बराबर था जैसा कि **तालिका 1.16** में दर्शाया गया है।

तालिका 1.16: आयोजनेत्तर राजस्व व्यय में संवृद्धि की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	तेरहवें वित्त आयोग द्वारा किए गए निर्धारण	मध्यम कालिक राजकोषीय नीति विवरण में राज्य सरकार द्वारा किया गया निर्धारण	वास्तविक आयोजनेत्तर राजस्व व्यय
2013-14	34,343	50,827	50,443

(स्रोतः वित्त लेखे और तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा तथा राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम के अधीन प्रस्तुत विवरण)

- आयोजनेत्तर राजस्व व्यय में 2009-10 में ₹ 26,059 करोड़ से 2013-14 में ₹ 50,443 करोड़ तक की वृद्धि हुई जो इस अवधि के दौरान 18.71 प्रतिशत की औसत वृद्धि दर प्रदर्शित करती है। आयोजनेत्तर राजस्व व्यय में विगत वर्ष की तुलना में 13.05 प्रतिशत की वृद्धि हुई।
- 2013-14 के दौरान आयोजनेत्तर राजस्व व्यय में ₹ 5,824 करोड़ की वृद्धि मुख्यतः शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति (₹ 2,004 करोड़ से), सामाजिक कल्याण एवं पोषण (₹ 409 करोड़ से), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (₹ 306 करोड़ से) एवं विद्युत (₹ 304 करोड़ से) में वृद्धि के कारण थी।
- आयोजना राजस्व व्यय जिसमें 2009-14 की अवधि के दौरान लगातार वृद्धि हुई थी, 2013-14 के दौरान विगत वर्ष की तुलना में ₹ 1,078 करोड़ (5.87 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। 2013-14 आयोजना राजस्व व्यय में वृद्धि मुख्यतः शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति (₹ 796 करोड़ से) एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के कल्याण (₹ 165 करोड़ से) के अंतर्गत थी।

1.6.4 वेतन, ब्याज भुगतान, पेंशन भुगतान एवं राजसहायताओं पर व्यय

राज्य सरकार के ब्याज भुगतान पर व्यय, वेतन एवं मजदूरी, पेंशन एवं राजसहायताओं पर व्यय प्रतिबद्ध व्यय होते हैं। **तालिका 1.17** एवं **चार्ट 1.10** 2009-14 की अवधि के दौरान इन संघटकों पर व्यय की प्रवृत्ति को दर्शाते हैं।

तालिका 1.17: प्रतिबद्ध व्यय के संघटक

(₹ करोड़ में)

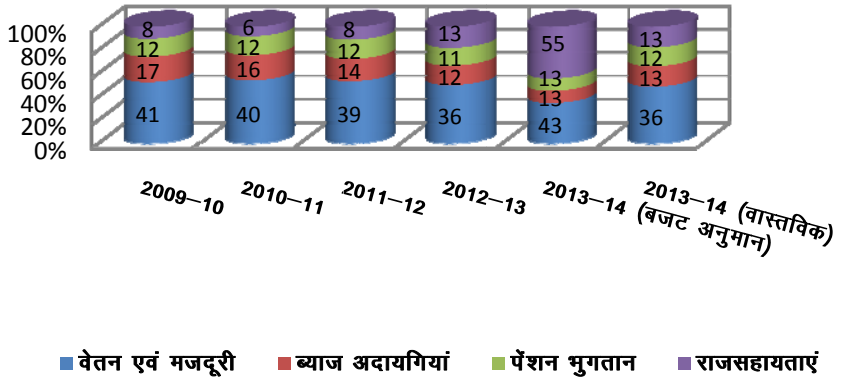
प्रतिबद्ध व्यय के संघटक	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	
					बजट अनुमान	वास्तविक आंकड़े
वेतन एवं मजदूरी, जिसमें	10,678 (25.80)	13,100 (25.26)	14,113 (22.54)	16,026 (22.76)	21,831	18,361 (24.24)
आयोजनेत्तर शीर्ष	*9,406*	*11,490*	*12,274*	*14,133*	--	*16,081*
*आयोजना शीर्ष***	*1,272*	*1,610*	*1,839*	*1,893*	--	*2,280*
ब्याज अदायगियां	4,454 (10.76)	5,049 (9.74)	5,300 (8.47)	5,574 (7.91)	6,519	6,391 (8.44)
पेंशन भुगतान	3,077 (7)	3,767 (7.26)	4,389 (7.01)	4,947 (7.02)	6,531	5,932 (7.83)
राजसहायताएं	2,033 (4.91)	1,810 (3.49)	2,926 (4.67)	5,697 (8.09)	27,776	6,567 (8.67)
योग	**20,242 (49)**	**23,726 (46)**	**26,728 (43)**	**32,244 (46)**	**62,657 (79)**	**37,251 (49)**

नोटः कोष्ठकों के आंकड़े राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत प्रदर्शित करते हैं।

*****आयोजना शीर्ष में केंद्र प्रवर्तित योजनाओं के अधीन प्रदत्त वेतन एवं मजदूरी सम्मिलित है।***

(स्रोतः वित्त लेखे एवं प्रधान महालेखाकार (ले. एवं ह.) मध्य प्रदेश द्वारा संकलित व्ही.एल.सी. आंकड़े)

चार्ट 1.10: 2009–14 के दौरान वेतन एवं मजदूरी, ब्याज अदायगियां, पेंशन भुगतान एवं राजसहायता के आयोजनेत्तर राजस्व व्यय में अंश



(स्रोतः वित्त लेखे, महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), मध्य प्रदेश द्वारा संकलित आंकड़े तथा बजट दस्तावेज)

2013-14 के दौरान, वेतन एवं मजदूरी, पेंशन भुगतान, ब्याज भुगतान एवं राज सहायताओं पर व्यय (₹ 37,251 करोड़) राजस्व व्यय का 53 प्रतिशत एवं आयोजनेत्तर राजस्व व्यय का 74 प्रतिशत था। 2009-14 की अवधि के दौरान वेतन एवं मजदूरी, ब्याज भुगतान, पेंशन भुगतान एवं राज सहायताओं पर समग्र व्यय में, 16.81 प्रतिशत की औसत वार्षिक दर से 84 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई। 2012-13 में 20.64 प्रतिशत की तुलना में 2013-14 में 15.53 प्रतिशत वृद्धि हुई थी। 2009-14 की अवधि के दौरान राजस्व प्राप्तियों की प्रतिशतता के रूप में यह 43 प्रतिशत से 49 प्रतिशत के मध्य रहा। 2013-14 के दौरान, यह राजस्व प्राप्तियों का 49 प्रतिशत रहा एवं राजस्व प्राप्तियों के बजट अनुमानों (79 प्रतिशत) से कम था। संघटकवार विश्लेषण नीचे दिया गया है:

1.6.4.1 वेतन एवं मजदूरी

वेतन एवं मजदूरी पर व्यय में 2009-10 में ₹ 10,678 करोड़ से 2013-14 में ₹ 18,361 करोड़, 72 प्रतिशत की वृद्धि हुई। 2013-14 में वेतन एवं मजदूरी पर वास्तविक व्यय बजट अनुमान के प्रक्षेपणों (₹ 21,831 करोड़) से कम था। 2009-14 की अवधि के दौरान राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रुप में वेतन एवं मजदूरी पर व्यय 22.54 प्रतिशत एवं 25.80 प्रतिशत के मध्य रहा। 2013-14 के दौरान यह राजस्व प्राप्तियों का 24.24 प्रतिशत था।

विगत वर्ष की तुलना में 2013-14 के दौरान आयोजनेत्तर शीर्ष के अंतर्गत वेतन एवं मजदूरी पर व्यय में 14 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी।

1.6.4.2 पेंशन भुगतान

पेंशन भुगतानों पर व्यय में 2009-10 में ₹ 3,077 करोड़ से 2013-14 के दौरान ₹ 5,932 करोड़ तक की वृद्धि हुई। विगत वर्ष की तुलना में 2013-14 में ₹ 985 करोड़ (20 प्रतिशत से) की वृद्धि मुख्यतः अधिवार्षिकी एवं सेवानिवृत्ति भत्ते (₹ 652 करोड़ से), परिवार पेंशन (₹ 121 करोड़ से) एवं उपदान (₹ 108 करोड़ से) के अंतर्गत वृद्धि के कारण थी।

2013-14 में वास्तविक पेंशन भुगतान ₹ 5,932 करोड़, बजट अनुमान ₹ 6,531 करोड़ से, 9.17 प्रतिशत कम था और तेरहवें वित्त आयोग द्वारा प्रक्षेपित ₹ 3,904 करोड़ से 51.95 प्रतिशत अधिक था।

अंशदायी पेंशन योजना

राज्य सरकार के जिन कर्मचारियों की 1 जनवरी 2005 को या उसके पश्चात नियुक्ति हुई है वे नई पेंशन योजना के अंतर्गत आतें हैं जिसे अंशदायी पेंशन योजना परिभाषित किया गया है। योजना के अनुसार, कर्मचारियों के अंशदान के साथ राज्य सरकार का अनुरुप अंश मनोनीत निधि प्रबंधन को NSDL/ट्रस्टी बैंको द्वारा अंतरित किया जाता है। यद्यपि कर्मचारियों के अंशदान की वास्तविक राशि एवं राज्य सरकार का अनुरुप अंशदान का अनुमान नहीं लगाया गया है। राज्य सरकार नई पेंशन योजना में मुख्य शीर्ष "0071-पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के संबंध में अंशदान और वसूली" के अंतर्गत कर्मचारियों के अंशदान प्राप्ति करती है तथा बजटिंग की विधि अपनाती है। तत्पश्चात ये अंशदान लघुशीर्ष '900-वापसी घटाइए' के अंतर्गत संचालित कर निधि को अंतरित की जाती है। चूंकि समेकित निधि सरकार के लिए वर्ष के अंत में बंद कर दी जाती है, अतः किसी वर्ष में निधि को प्रेषित अंशदानों में किसी भी प्रकार की कमी आगामी वर्ष के लेखों में उपलब्ध नहीं होती है।

2013-14 के दौरान, कर्मचारियों के अंशदान ₹ 158.66 करोड़ के विरुद्ध सरकार ने ₹ 176.78 करोड़ अंशदान किया। वर्तमान लेखाकरण कार्यविधि के अंतर्गत यह अभिनिश्चित नहीं किया जा सकता है कि 2013-14 के लिए सरकार का अंशदान कर्मचारियों के अंशदान से अधिक अंशदान पूर्व के वर्षों की कमी के विरुद्ध था। हमने देखा कि मुख्य शीर्ष 0071 के अंतर्गत जमा कुल अंशदान ₹ 335.44 करोड़ में से राज्य सरकार ने मार्च 2014 तक NSDL/ट्रस्टी बैंको को ₹ 323.10 करोड़ अंतरित किए थे। चूंकि यह राशि निधि में नही रखी गई थी इसलिए यह वित्त वर्ष की समाप्ति पर शासकीय खाते में व्यपगत हो गई थी। असंग्रहीत, बे-मेल एवं अंतरित नहीं की गई राशियां, अर्जित ब्याज सहित योजना के अंतर्गत बकाया देयताओं को दर्शाती हैं।

1.6.4.3 ब्याज अदायगियां

2009-10 से 2013-14 की अवधि के दौरान किए गए ब्याज भुगतान **तालिका 1.18** में दिए गए हैं।

तालिका 1.18: ब्याज अदायगियां

(₹ करोड़ में)

	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
ब्याज अदायगियां	4,454	5,049	5,300	5,574	6,391

2013-14 के दौरान ₹ 6,391 करोड़ के ब्याज अदायगियां राजस्व प्राप्तियों की 8.44 प्रतिशत लेखांकित की गई और राजस्व व्यय की 9.15 प्रतिशत थी। ब्याज अदायगियां मुख्यतः बाजार कर्ज (₹ 2,580 करोड़), केंद्र सरकार की राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियाँ (₹ 1,639 करोड़), राज्य भविष्य निधि (₹ 843 करोड़) केंद्र सरकार से लिए गए कर्ज (₹ 638 करोड़) एवं अन्य आंतरिक ऋण (₹ 436 करोड़) पर थी।

विगत वर्ष की तुलना में 2013-14 के दौरान ब्याज अदायगी में ₹ 817 करोड़ (14.66 प्रतिशत) की वृद्धि बाजार कर्ज पर ब्याज (₹ 886 करोड़ से), अन्य दायित्वों पर ब्याज (₹ 146 करोड़ से), अन्य आंतरिक ऋणों पर ब्याज (₹ 41 करोड़ से) के अंतर्गत वृद्धि का परिणाम थी जिसे मुख्यतः केंद्र सरकार की राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष

प्रतिभूतियों (₹ 131 करोड़ से) एवं राज्य भविष्य निधि (₹ 104 करोड़ से) पर ब्याज के अंतर्गत कमी द्वारा प्रतिसन्तुलित किया गया।

वर्ष के दौरान ₹ 6,391 करोड़ की ब्याज अदायगियां बजट अनुमान ₹ 6,519 करोड़ से एवं तेरहवें वित्त आयोग द्वारा 2013-14 के लिए किए गए प्रक्षेपणों (₹ 6,960 करोड़) से कम थी।

1.6.4.4 राजसहायताएं

2013-14 के दौरान ₹ 6,567 करोड़ (आयोजनेत्तरः ₹ 4,596 करोड़ एवं आयोजनाः ₹ 1,971 करोड़) की राजसहायता के भुगतान को राजस्व प्राप्तियों का 8.67 प्रतिशत और राजस्व व्यय का 9.40 प्रतिशत लेखांकित किया गया। आयोजनेत्तर एवं आयोजना राजस्व व्यय में राजसहायताओं के ब्यौरे **परिशिष्ट 1.7** में प्रस्तुत किए गए हैं।

2013-14 के दौरान, कुल ₹ 6,567 करोड़ की राजसहायताओं में से, ₹ 3,041 करोड़ (46 प्रतिशत) ऊर्जा विभाग के अंतर्गत थी। 2013-14 में वास्तविक राजसहायता बजट अनुमान ₹ 27,776 करोड़ की 23.64 प्रतिशत थी।

विगत वर्ष की तुलना में 2013-14 में राजसहायता की राशि (₹ 870 करोड़ से) में वृद्धि मुख्यतः ऊर्जा (₹ 368 करोड़ से), उद्योग (₹ 124 करोड़ से), खाद्य राजसहायता (₹ 102 करोड़ से) एवं फसल कृषि कर्म (₹ 94 करोड़ से) की राजसहायता में वृद्धि के कारण थी।

1.6.5 राज्य सरकार द्वारा स्थानीय निकायों तथा अन्य संस्थाओं को वित्तीय सहायता

2012-13 से 2013-14 की अवधि के दौरान स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थाओं को अनुदानों एवं ऋणों के द्वारा उपलब्ध कराई गई सहायता की प्रमात्रा **तालिका 1.19** में प्रस्तुत की गई है।

तालिका 1.19: स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थानों को वित्तीय सहायता

(₹ करोड़ में)

संस्थाओं को वित्तीय सहायता	2012-13	2013-14
शैक्षणिक संस्थाएँ	2,520.24	3,862.98
चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	564.11	743.05
आवास	267.98	225.02
नगरीय विकास	1,034.50	1,170.22
अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	404.78	387.91
सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	880.75	649.67
ग्रामीण विकास	3,017.70	2,650.05
पंचायती राज	3,932.57	4,314.29
जल आपूर्ति तथा सफाई	178.57	237.94
अन्य संस्थाएं	685.84	712.21
योग	**13,487.04**	**14,953.34**
राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में सहायता	**21.42**	**21.40**

(स्रोतः महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), मध्य प्रदेश के व्ही.एल.सी.आंकड़े)

- स्थानीय निकायों और अन्य संस्थाओ को वित्तीय सहायता में 2012-13 में ₹ 13,487.04 करोड़ से 2013-14 में ₹ 14,953.34 करोड़ तक ₹ 1,466.30 करोड़ की वृद्धि हुई। वृद्धि मुख्यतः शैक्षणिक संस्थानों (₹ 1,342.74 करोड़ सेः 53 प्रतिशत) को वित्तीय सहायता देने के कारण हुई।

- राजस्व व्यय के प्रतिशतता के रूप में सहायता में 2012-13 में 21.42 प्रतिशत से 2013-14 में 21.40 प्रतिशत तक आंशिक कमी आई।

1.6.6 स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा व्यवस्थाएं एवं निधियों का हस्तांतरण

तेहत्तरवें एवं चौहत्तरवें संविधान संशोधन अधिनियम 1992, के पश्चात नगरीय स्थानीय निकायों एवं पंचायती राज संस्थानों को स्पष्टतः परिभाषित कार्यों व जिम्मेदारियों से निहित करते हुए स्थानीय स्वशासी सरकार के रूप में सम्पूर्ण और जीवंत संस्थान बनाया गया। तदनुसार, राज्य सरकार ने नगरीय स्थानीय निकायों एवं पंचायती राज संस्थाओं को तीन प्रकार[9] से संगठित किया। वर्तमान में, राज्य में 377 नगरीय स्थानीय निकाय[10] एवं 23,369 पंचायती राज संस्थाएं[11] हैं।

1.6.6.1 निधियों, कार्यों एवं अमले का अंतरण

संशोधन के अनुसार (संविधान की ग्यारहवीं एवं बारहवीं अनुसूची) राज्य सरकार द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्य एवं नगरीय स्थानीय निकायों को 18 कार्य हस्तांतरित किए जाने थे जिनका विवरण **परिशिष्ट 1.8** में दिया गया है। यद्यपि राज्य सरकार ने नगरीय स्थानीय निकायों को सभी कार्य हस्तांतरित कर दिए थे। सरकार द्वारा कोई भी निधि एवं अमला अलग से अंतरित नहीं किया गया (जुलाई 2014)। पंचायती राज संस्थाओं को कार्यों का हस्तांतरण नहीं किया गया था।

1.6.6.2 नगरीय स्थानीय निकायों एवं पंचायती राज संस्थाओं को अनुदानों का हस्तांतरण

तृतीय राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा एवं राज्य सरकार द्वारा फरवरी 2010 में स्वीकृत के अनुसार राज्य सरकार के विभाजनीय कोष[12] का एक प्रतिशत एवं चार प्रतिशत क्रमशः नगरीय स्थानीय निकायों एवं पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरित किया जाना चाहिए। वर्ष 2013-14 के दौरान, वित्त विभाग द्वारा नगरीय स्थानीय निकायों एवं पंचायती राज संस्थाओं में राज्य वित्त आयोग के अनुदान हस्तांतरित किए गए जैसा कि **तालिका 1.20** में दर्शाया गया है।

तालिका 1.20: नगरीय स्थानीय निकायों एवं पंचायती राज संस्थाओं को अनुदानों का हस्तांतरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	नगरीय स्थानीय निकाय		कम जारी की गईं निधियां	पंचायती राज संस्थान		कम जारी की गईं निधियां
	निधियां जो हस्तांतरित की जानी थीं	वास्तविक हस्तांतरित की गईं निधियां		निधियां जो हस्तांतरित की जानी थीं	वास्तविक हस्तांतरित की गईं निधियां	
1	2	3	(2-3)	4	5	(4-5)
2013-14	239.40	170.81	68.59	957.60	809.63	147.97

उपर्युक्त से देखा जा सकता है कि वित्त विभाग में 2013-14 के दौरान नगरीय स्थानीय निकायों को ₹ 68.59 करोड़ एवं पंचायती राज संस्थाओं को ₹ 147.97 करोड़ कम

9 नगरीय स्थानीय निकायः- बड़े नगरीय क्षेत्रों के लिए नगर पालिका निगम, छोटे नगरीय क्षेत्रों के लिए नगर पालिका परिषद एवं संक्रमणकालीन क्षेत्रों के लिए नगर परिषद, पंचायती राज संस्थाएंः-जिला स्तर पर जिला पंचायत, ब्लाक स्तर पर जनपद पंचायत एवं ग्रामीण स्तर पर ग्राम पंचायत

10 नगरीय स्थानीय निकायः-14 नगर पालिका निगम, 100 नगर पालिका परिषद, 263 नगर परिषद

11 पंचायती राज संस्थाएंः-50 जिला पंचायत, 313 जनपद पंचायत, 23,006 ग्राम पंचायतें

12 विभाजनीय कोष का तात्पर्य विगत वर्ष के राज्य के कर राजस्व में से कर संग्रहण हेतु व्यय दस प्रतिशत को कम करने के बाद नगरीय स्थानीय निकायों एवं पंचायती राज संस्थाओं को सौंपे गए राजस्व को घटाने के उपरान्त प्राप्त राशि से है।

जारी किए। वित्त विभाग द्वारा कारण बताए गए (नवम्बर 2014) कि निधियां अंतरित की जा रहीं थी।

1.6.6.3 लेखापरीक्षा व्यवस्थाएं

तकनीकी मार्गदर्शन एवं पर्यवेक्षण व्यवस्था के अनुसार, संचालक स्थानीय निधि संपरीक्षा महालेखाकार (लेखापरीक्षा) के निरीक्षण प्रतिवेदन की कंडिकाओं का अनुपालन उसी तरह करेंगे जैसे वे उनके स्वयं के प्रतिवेदन हो। 2013-14 के अंत में नगरीय स्थानीय निकायों में 5671 अभ्युक्तियां (2013-14 के दौरान जारी 732 अभ्युक्तियों सहित) एवं पंचायती राज संस्थाओं में 22,347 अभ्युक्तियां (2013-14 के दौरान जारी 3749 अभ्युक्तियों सहित) अनुपालन हेतु शेष थी।

1.6.6.4 प्रतिवेदन का स्थानन

पंचायती राज संस्थाओं के लिए मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज्य अधिनियम 1993 (जुलाई 2011) एवं नगरीय स्थानीय निकायों के लिए मध्य प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1956 एवं मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 (जनवरी 2012) में संशोधन के अनुसार भारत के नियंत्रक -महालेखापरीक्षक का वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन तथा संचालक स्थानीय निधि संपरीक्षा का वार्षिक प्रतिवेदन राज्य विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए। संचालक स्थानीय निधि संपरीक्षा ने सूचित किया (फरवरी 2014) कि वर्ष 2011-12 के लिए प्रथम वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करने के लिए प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा गया था। संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा से इसकी स्थिति सितम्बर 2014 में फिर से चाही गई थी । उत्तर प्रतीक्षित था (नवम्बर 2014)।

1.7 व्यय की गुणवत्ता

राज्य में बेहतर सामाजिक और भौतिक अधोसरंचना की उपलब्धता सामान्यतः उसके व्यय की गुणवत्ता को प्रदर्शित करती है। व्यय की गुणवत्ता में सुधार के अंतर्गत मुख्यतः तीन पक्ष समाविष्ट होते हैं यथा व्यय की पर्याप्तता (अर्थात लोक सेवा उपलब्ध कराने के लिये पर्याप्त प्रावधान), व्यय उपयोग की दक्षता और प्रभावशीलता (चयनित सेवाओं हेतु परिव्यय-परिणाम संबंधों का आकलन)।

1.7.1 सार्वजनिक व्यय की पर्याप्तता

सामाजिक क्षेत्र एवं आर्थिक अधोसरंचना से संबंधित व्यय उत्तरदायित्व राज्य सरकार को सौंपे गए हैं, वृहद् रूप से राज्य के विषय है। मानवीय विकास के स्तरों में वृद्धि हेतु अपेक्षित है कि राज्य प्रमुख सामाजिक सेवाओं, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य आदि पर अपने व्यय बढ़ाए। अल्प राजकोषीय प्राथमिकता (कुल व्यय की तुलना में एक संवर्ग विशेष के अंतर्गत व्यय का अनुपात) एक क्षेत्र विशेष से जुड़ी हुई कही जा सकती है, यदि उस वर्ष के लिए विशेष व्यय शीर्ष को दी गई प्राथमिकता सामान्य संवर्ग के राज्यों के औसत से नीचे होती है।

तालिका 1.21 में 2010-11 एवं वर्तमान वर्ष 2013-14 में सामान्य संवर्ग के राज्यों के औसत की तुलना में विकास व्यय, सामाजिक व्यय एवं पूंजीगत व्यय के संबंध में राजकोषीय प्राथमिकता का विश्लेषण किया गया है।

तालिका 1.21: 2010-11 एवं 2013-14 में राज्य की राजकोषीय प्राथमिकता

(प्रतिशत में)

राज्य द्वारा राजकोषीय प्राथमिकता	कुल व्यय/ सकल राज्य घरेलू उत्पाद	विकास व्यय#/ कुल व्यय	सामाजिक क्षेत्र का व्यय/कुल व्यय	पूंजीगत व्यय/ कुल व्यय	शिक्षा पर व्यय/ कुल व्यय	स्वास्थ्य पर व्यय/ कुल व्यय
*सामान्य संवर्ग के राज्यों का औसत (अनुपात) 2010-11	15.78	65.09	36.88	13.49	17.48	4.37
मध्य प्रदेश का औसत (अनुपात) 2010-11	21.84	69.07	33.14	15.30	14.88	3.74
*सामान्य संवर्ग के राज्यों का औसत (अनुपात) 2013-14	15.92	66.45	37.56	13.62	17.20	4.51
मध्य प्रदेश का औसत (अनुपात) 2013-14	19.02	70.46	34.67	12.61	16.14	4.02

**दिल्ली, गोवा एवं पुदुचेरी के अतिरिक्त सामान्य संवर्ग के राज्य*

विकास व्यय में विकास राजस्व व्यय, विकास पूंजीगत व्यय तथा संवितरित कर्ज तथा अग्रिम सम्मिलित है।

स्रोत : सकल राज्य घरेलू उत्पाद के लिए, 1 अगस्त 2014 को सी.एस.ओ. वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी, केरल जहां आंकड़े प्रधान महालेखाकार द्वारा उपलब्ध कराए गए थे एवं गुजरात जहां आंकड़े 2013-14 के लिए बजट दस्तावेज से लिए गए हैं को छोड़कर। सकल राज्य घरेलू उत्पाद के लिए मध्य प्रदेश के लिए जानकारी राज्य के आर्थिक एवं सांख्यकीय संचालनालय से संग्रहीत की गई थी।

तुलनात्मक विश्लेषण से निम्नलिखित प्रकट हुआः

- मध्य प्रदेश ने 2010-11 एवं 2013-14 के दौरान सामान्य संवर्ग के राज्यों की तुलना में कुल व्यय पर अपने सकल राज्य घरेलू उत्पाद का उच्चतर अनुपात व्यय किया।

- 2010-11 एवं 2013-14 के दौरान मध्य प्रदेश में कुल व्यय के अनुपात के रूप में विकास व्यय भी सामान्य श्रेणी के राज्य के औसत की तुलना में उच्चतर हुआ।

- विकास व्यय में आर्थिक सेवाओं एवं सामाजिक सेवा व्यय समाविष्ट होते हैं। 2010-11 एवं 2013-14 में मध्य प्रदेश में सामाजिक सेवाओं पर व्यय (कुल व्यय के अनुपात के रूप में) सामान्य संवर्ग के राज्यों के औसत से निम्नतर रहा है। इसके अतिरिक्त, दोनों वर्षों के दौरान स्वास्थ्य के साथ-साथ शिक्षा को पर्याप्त प्राथमिकता नहीं दी गई क्योंकि इन दोनों क्षेत्रों पर सामान्य संवर्ग राज्य के औसत की तुलना में कमतर अनुपात में व्यय किया गया था।

- यह देखा गया कि 2010-11 के दौरान मध्य प्रदेश में पूंजीगत व्यय, कुल व्यय के प्रतिशतता के रूप में सामान्य संवर्ग के राज्य के औसत से उच्चतर था जबकि वर्ष 2013-14 के दौरान कम था।

1.7.2 व्यय के उपयोग की दक्षता

सामाजिक और आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से विकास शीर्षो पर लोक व्यय के महत्व की दृष्टि से उचित व्यय युक्तिकरण उपाय करना और सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्वीकार्य आचरण (कोर पब्लिक गुड्स) तथा उपयोगी पदार्थो[13] (मेरिट गुड्स) के प्रावधान

[13] *कोर पब्लिक गुड्स वह होता है जिसका सभी नागरिक इस समझदारी से मिलजुल कर उपयोग करते है कि ऐसे स्वीकार्य आचरण का प्रत्येक व्यक्ति द्वारा उपभोग किये जाने पर भी उक्त स्वीकार्य आचरण के किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उपभोग से किसी के अधिकार का कोई उल्लंघन नही होता, उदाहरणार्थ कानून और व्यवस्था का प्रवर्तन करना, हमारे अधिकारों की सुरक्षा और संरक्षण, प्रदूषण रहित वायु और अन्य पर्यावरणीय पदार्थ तथा सड़के अधोसंरचना आदि।*
मेरिट गुड्स में वे वस्तुएं आती है जो सार्वजनिक क्षेत्रों द्वारा निःशुल्क अथवा आर्थिक सहायता प्राप्त दर पर उपलब्ध करायी जाती है क्योंकि उन्हें एक व्यक्ति या समाज द्वारा कतिपय आवश्यकता की अवधारणा के आधार पर प्राप्त करना चाहिये, न कि सरकार को भुगतान करने की योग्यता एवं इच्छा के आधार पर और इसलिये उनके उपयोग को प्रोत्साहित करने की इच्छा रखता हो। ऐसे पदार्थों के उदाहरणों में पोषण समर्थन के लिये निर्धनों को निःशुल्क अथवा आर्थिक सहायता दर पर अन्न का प्रावधान, जीवन

पर बल देना राज्य सरकार के लिए महत्वपूर्ण है। विकास व्यय[14] के लिए आवंटन का अनुमोदन करने के अतिरिक्त, व्यय उपयोग की दक्षता, कुल व्यय की तुलना में पूंजीगत परिव्यय के अनुपात के द्वारा और राजस्व व्यय के समानुपात के रूप में विद्यमान सामाजिक और आर्थिक सेवाओं के प्रचालन और संधारण पर होने वाले व्यय द्वारा भी प्रतिबिम्बित होती है। कुल व्यय की तुलना में इन संघटकों का अनुपात जितना उच्चतर होगा, व्यय की गुणवत्ता भी उतनी ही बेहतर होगी।

तालिका 1.22 चयनित सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं के संधारण पर किए गए राजस्व व्यय के संघटकों एवं पूंजीगत व्यय का विवरण उपलब्ध कराती है।

तालिका 1.22: चयनित सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं में व्यय के उपयोग की दक्षता

(प्रतिशत में)

सामाजिक/आर्थिक अधोसंरचना	2012-13			2013-14		
	कुल व्यय की तुलना में पूंजीगत व्यय का अंश	संबंधित क्षेत्र के राजस्व व्यय में निम्नांकित का अंश		कुल व्यय की तुलना में पूंजीगत व्यय का अंश	संबंधित क्षेत्र के राजस्व व्यय में निम्नांकित का अंश	
		वेतन एवं मजदूरी	प्रचालन तथा रख रखाव		वेतन एवं मजदूरी	प्रचालन तथा रख रखाव
सामाजिक सेवाएं						
शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति	1.33	53.57	0.16	0.95	48.85	0.05
स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण	5.36	57.02	0.22	4.81	63.89	0.18
जल आपूर्ति, सफाई, आवास तथा नगरीय विकास	22.44	8.76	6.37	24.30	3.34	2.09
अन्य सामाजिक सेवाएं	5.81	9.29	0.08	7.83	28.55	0.10
योग (सामाजिक सेवाएं)	**6.20**	**35.15**	**0.84**	**6.39**	**35.53**	**0.65**
आर्थिक सेवाएं						
कृषि तथा संबद्ध क्रियाकलाप	5.18	30.50	0.17	2.78	35.24	0.19
सिचांई तथा बाढ़ नियन्त्रण	85.57	68.19	4.79	85.28	63.93	6.36
बिजली तथा ऊर्जा	14.29	0.01	0.28	7.59	0.01	0.21
परिवहन	62.35	5.95	69.42	62.79	2.57	29.87
अन्य आर्थिक सेवाएं	12.61	3.96	1.39	14.95	38.09	18.70
योग (आर्थिक सेवाएं)	**30.66**	**17.12**	**6.58**	**28.40**	**19.53**	**7.86**
योग (सामाजिक सेवाएं + आर्थिक सेवाएं)	**19.63**	**27.79**	**2.19**	**17.57**	**29.46**	**3.38**

(स्रोतः वित्त लेखे और महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), मध्य प्रदेश द्वारा प्रस्तुत जानकारी)

तालिका 1.22 से प्रकट होता है कि सामाजिक सेवाओं के अंतर्गत कुल व्यय में पूंजीगत व्यय का अंश में 2012-13 में 6.20 प्रतिशत से 2013-14 में 6.39 प्रतिशत की अंशतः वृद्धि हुई। यद्यपि, आर्थिक सेवाओं के अंतर्गत अंश में 2012-13 में 30.66 प्रतिशत से 2013-14 में 28.40 प्रतिशत तक की कमी आई।

- सामाजिक सेवाओं के अंतर्गत, पूंजीगत व्यय के अंश में वृद्धि मुख्यतः जल आपूर्ति, सफाई, आवास एवं शहरी विकास क्षेत्रों के अंतर्गत हुई जबकि आर्थिक सेवाओं के अंतर्गत पूंजीगत व्यय के अंश में कमी मुख्यतः उर्जा एवं कृषि तथा संबद्ध गतिविधियों क्षेत्रों के अंतर्गत थी। इससे यह प्रदर्शित हुआ कि सामाजिक सेवाओं के अंतर्गत पूंजीगत व्यय पर प्राथमिकता में सुधार किए जाने की आवश्यकता है।

स्तर में सुधार करने के लिए स्वास्थ्य सेवाओं का परिदान एवं अस्वस्थता दर में कमी लाना, सभी को आधारभूत शिक्षा उपलब्ध कराना, पीने का पानी तथा सफाई व्यवस्था आदि सम्मिलित है।

14 *व्यय के आंकडों का विश्लेषण विकास व्यय तथा गैर विकास व्यय के रूप में पृथक-पृथक किया गया है। राजस्व लेखे, पूंजीगत परिव्यय और कर्ज तथा अग्रिमों से संबंधित समस्त व्ययों को सामाजिक सेवाओं, आर्थिक सेवाओं और सामान्य सेवाओं के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। विस्तृत रूप से सामाजिक और आर्थिक सेवाओं में विकास व्यय संघटित होता है, जबकि सामान्य सेवाओं पर व्यय को गैर विकास व्यय के रूप में प्रतिपादित किया जाता है।*

- राजस्व व्यय में सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं के अंतर्गत वेतन एवं मजदूरी दोनों के अंश में संयुक्त रूप से 2012-13 में 27.79 प्रतिशत से 2013-14 में 29.46 प्रतिशत की वृद्धि हुई। प्रचालन एवं संधारण के मामले में भी व्यय में 2012-13 में 2.19 प्रतिशत से 2013-14 में 3.38 प्रतिशत की वृद्धि मुख्यतः सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण के अंतर्गत हुई। इससे इंगित हुआ कि राजकोषीय स्थिति में सुधार की आवश्यकता है।

जैसा कि **परिशिष्ट 1.1** में दर्शाया गया है, 2004-13 की अवधि के दौरान, मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य क्षेत्र पर राजस्व व्यय की संपोषित वार्षिक वृद्धि दर अन्य सामान्य संवर्ग के राज्यों की तुलना में कम थी जबकि शिक्षा पर सामान्य संवर्ग के राज्यों की तुलना में यह उच्चतर थी। इससे इंगित हुआ कि स्वास्थ्य क्षेत्र पर व्यय में वृद्धि करने की आवश्यकता थी।

1.8 शासकीय व्यय और निवेशों का वित्तीय विश्लेषण

पश्च राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन ढांचे में राज्य सरकार से अपेक्षा की जाती है कि वह अपने राजकोषीय घाटे (उधारियों) को न केवल निम्न स्तर पर बनाए रखे अपितु अपने निवेशों पर पर्याप्त प्रतिलाभ अर्जित करे और अन्तर्निहित आर्थिक सहायताओं के रूप में वहन करने की उधार ली गई निधियों की लागत वसूल करने के उपाय प्रारंभ करने एवं वित्तीय प्रचालनों में पारदर्शिता लाने के लिए अपेक्षित कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। इस भाग में सरकार द्वारा विगत वर्षों की तुलना में वर्ष 2013-14 के दौरान किए गए निवेशों और अन्य पूंजीगत व्यय का व्यापक वित्तीय विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है।

1.8.1 निवेश तथा प्रतिलाभ

सरकार ने 31 मार्च 2014 तक सांविधिक निगमों (26), सरकारी कम्पनियों (35), संयुक्त स्टॉक कम्पनियों और साझेदारीयों (23), बैंक (एक) एवं सहकारी समितियों (130) इत्यादि में ₹ 15,275.10 करोड़ निवेश किए **(तालिका 1.23)**। 2009-14 के दौरान इन निवेशों पर औसत प्रतिलाभ 0.72 प्रतिशत था जबकि सरकार ने उसी अवधि के लिए उधारियों पर औसत ब्याज दर (6.81 प्रतिशत) का भुगतान किया।

तालिका 1.23: निवेशों पर प्रतिलाभ

(₹ करोड़ में)

निवेश/प्रतिलाभ/उधारियों की लागत	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
वर्ष के अन्त में निवेश	11,686.28	12,216.04	13,183.59	14,656.50	15,275.10
प्रतिलाभ	49.75	32.20	37.98	18.38	378.72
प्रतिलाभ (प्रतिशत)	0.43	0.26	0.29	0.13	2.48
सरकार द्वारा लिए गए उधार पर औसत ब्याज दर (प्रतिशत)	6.94	7.04	6.74	6.48	6.84
ब्याज दर तथा प्रतिलाभ के मध्य अन्तर (प्रतिशत)	6.51	6.78	6.45	6.35	4.36

(स्रोतः वित्त लेखे)

- मार्च 2014 के अन्त तक ₹ 15,275.10 करोड़ के कुल निवेश में से, ₹ 1,076.04 करोड़ संयुक्त मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित थे और उनका आवंटन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मध्य लंबित था (सांविधिक निगमः ₹ 411 करोड़; सरकारी कम्पनियाँः ₹ 180.49 करोड़; सहकारी बैंक एवं समितियांः ₹ 483.01 करोड़ और संयुक्त स्टॉक कम्पनियाँ एवं साझेदारियाँः ₹ 1.54 करोड़)।

- 2013-14 के दौरान इन निवेशों पर प्रतिलाभ 2.48 प्रतिशत था जबकि सरकार ने वर्ष के दौरान अपनी उधारियों पर 6.84 प्रतिशत की औसत दर से ब्याज का भुगतान किया। इस प्रकार सरकारी निवेशों पर प्रतिलाभ उधारियों की लागत की तुलना में बहुत कम था।

- बाईस सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों जिनके लेखों को 2013-14 तक अंतिम रुप दिया जा चुका था, अद्यतन वर्ष के लिए उनका कुल निवेश ₹ 12,695.31 करोड़ था, घाटे में चल रहीं थी जिनका कुल संचित घाटा ₹ 22,071.34 करोड़ तक हो गया था। विवरण **परिशिष्ट 1.9** में दिए गए हैं।

1.8.2 अपूर्ण परियोजनाएं

हमने देखा कि राज्य सरकार से अपूर्ण परियोजनाओं के संबंध में वर्ष 2008-09 से 2013-14 के लिए जानकारी वित्त लेखों में सम्मिलित करने हेतु प्राप्त नहीं हुई थी। तथापि 31 मार्च 2014 को ऊर्जा, जल संसाधन, लोक निर्माण एवं नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण विभागों से जानकारी प्राप्त की गई थी। अपूर्ण परियोजनाओं की स्थिति, प्रत्येक की लागत ₹ एक करोड़ से अधिक **तालिका 1.24** में दी गई है।

तालिका 1.24: 31 मार्च 2014 को अपूर्ण परियोजनाओं की स्थिति

(₹ करोड़ में)

विवरण	अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या	प्रारंभिक बजटीय लागत	परियोजनाओं की पुनरीक्षित कुल लागत	संचयी वास्तविक व्यय	लागत में वृद्धि
उर्जा विभाग	92	62,374.21	11,611.64	24,246.53	3,125.52
जल संसाधन विभाग	49	418.81	283.41	366.53	89.06
लोक निर्माण विभाग	47	248.78	187.11	211.80	64.00
नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण	13	5,546.15	12,460.60	9,639.89	9,422.26
योग	**201**	**68,587.95**	**24,542.76**	**34,464.75**	**12,700.84**

(स्रोतः महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखापरीक्षा) मध्य प्रदेश, भोपाल द्वारा संधारित जानकारी)

- हमने देखा कि 50 प्रकरणों में परियोजनाओं की प्रारम्भिक लागत (कुल ₹ 11,842.84 करोड़) पुनरीक्षित की गई थी (कुल ₹ 24,542.76 करोड़)। 146 प्रकरणों में प्रारम्भिक लागत (कुल ₹ 56,718.16 करोड़) पुनरीक्षित नहीं की गई थी। इन सभी प्रकरणों में परियोजनाओं के प्रगामी व्यय पुनरीक्षित प्रारम्भिक अनुमान से अधिक नहीं हुए। यद्यपि पांच प्रकरणों में परियोजनाओं का प्रगामी व्यय (₹ 27.87 करोड़) प्रारम्भिक परियोजना लागत (₹ 26.95 करोड़) से अधिक हुआ, परियोजना लागत पुनरीक्षित नहीं की गई। विभागवार विवरण **परिशिष्ट 1.10** में दिया गया है।

- संबंधित विभागों ने इन परियोजनाओं के पूर्ण होने में देरी का कारण मानवशक्ति एवं सामग्री की कमी, एप्लीकेशन के विकास में देरी, टर्न-की कान्ट्रेक्टरों द्वारा सामग्री के अधिग्रहण में कुप्रबंधन एवं वित्तीय संकट के कारण कार्य की धीमी प्रगति, जनता के विरोध के कारण भूमि की समस्या, घनी जनसंख्या एवं वन विभाग से अनापत्ति में बाधा, निधियों की कमी, पुल के डिजाइन एवं प्रकार में पुनरीक्षण, पहुंच सड़क एवं रेलवे लाइन क्रॉस करने के लिए लाइन प्रणाली पूर्ण होने में देरी इत्यादि बताया।

सार्वजनिक निजी साझेदारी परियोजनाएं

परियोजनाओं को वित्त पोषित करने के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाता है क्योंकि यह उन क्षेत्रों में सार्वजनिक क्षेत्र की वस्तुओं के लिए बहुमूल्य

राजकोषीय व्यवस्था उपलब्ध कराता है जहाँ पर वित्त पोषण नहीं हो पा रहा था। मध्य प्रदेश सरकार सड़क, परिवहन, नगरीय अधोसंरचना, स्वास्थ्य, उर्जा, पर्यटन, खेल, शिक्षा एवं डेयरी इत्यादि के क्षेत्रों में सार्वजनिक निजी साझेदारी परियोजनाओं का कार्यान्वयन कर रही है।

हमने देखा कि मार्च 2014 तक विभिन्न क्षेत्रों के अंतर्गत प्रारम्भ की गई 207 सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजनाओं (लागतः ₹ 26,173.10 करोड़) में से, ₹ 5,342.80 करोड़ लागत की केवल 41 परियोजनाओं (19.81 प्रतिशत) को पूर्ण किया गया था। जबकि ₹ 13,559.00 करोड़ लागत वाली 113 परियोजनाओं में कार्य प्रगति पर था, अन्य 53 परियोजनाएं (लागतः ₹ 7,271.30 करोड़) शुरु नहीं की गईं। विवरण **परिशिष्ट 1.11** में दिया गया है।

1.8.3 राज्य सरकार द्वारा कर्ज तथा अग्रिम

सहकारी समितियाँ, निगमों एवं कम्पनियों में निवेश के अतिरिक्त, सरकार इन संस्थाओं/संगठनों में से अनेक को कर्ज तथा अग्रिम भी उपलब्ध करवा चुकी है। **तालिका 1.25** 31 मार्च 2014 को बकाया कर्ज तथा अग्रिमों, विगत तीन वर्षो के दौरान ब्याज अदायगियों की तुलना में ब्याज प्राप्तियों को प्रस्तुत करती है।

तालिका 1.25: राज्य सरकार द्वारा दिए गए कर्ज एवं अग्रिमों पर प्राप्त औसत ब्याज

(₹ करोड़ में)

कर्ज की मात्रा/ब्याज प्राप्तियां/उधारियों की लागत	2011-12	2012-13	2013-14	
			बजट अनुमान	वास्तविक आंकड़े
दिए गए कर्ज का प्रारंभिक शेष	15,105	21,742	--	27,088
वर्ष के दौरान दी गई राशि	15,760	5,378	6,445	5,077
वर्ष के दौरान चुकाई गई राशि	9,123	32	125	93
अन्त शेष	21,742	27,088	--	32,072
निवल संयोजन	6,637	5,346	6,570	4,984
ब्याज प्राप्तियां	1,200	42	204	12
बकाया कर्ज तथा अग्रिमों की प्रतिशतता में ब्याज प्राप्तियां	6.51	0.17	--	0.04
राज्य सरकार की बकाया राजकोषीय देयताओं की प्रतिशतता में ब्याज अदायगियां	6.74	6.48	--	6.84
ब्याज अदायगियों तथा ब्याज प्राप्तियों के मध्य अन्तर (प्रतिशत)	0.23	6.31	--	6.80

(स्रोतः वित्त लेखे एवं बजट अनुमान 2013-14)

- 31 मार्च 2014 को कुल बकाया कर्ज तथा अग्रिम ₹ 32,072 करोड़[15] थे। इन कर्जो के विरुद्ध प्राप्त ब्याज ₹ 12 करोड़ था। विभिन्न राज्य सरकारी संस्थाओं को दिए गए कर्ज, वसूल किए गए कर्ज की राशि से अधिक थे परिणामस्वरूप बकाया कर्जो एवं अग्रिमों में वृद्धि हुई।
- यह देखा गया कि 31 मार्च 2014 को बकाया कर्ज तथा अग्रिमों का 82 प्रतिशत (₹ 26,268 करोड़) मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मण्डल एवं उसकी उत्तराधिकारी कम्पनियों से संबंधित थे तथा सात प्रतिशत जल आपूर्ति, सफाई, आवास तथा नगरीय विकास (₹ 2,227 करोड़) में कार्यरत इकाईयों से वसूल किये जाने थे।

[15] इसमें छत्तीसगढ़ से संबंधित ₹ 2,186 करोड़ सम्मिलित हैं। जिन्हें अंतिम/अंतरित नहीं किया गया है।

- 2013-14 के दौरान उधारियों पर 6.84 प्रतिशत की दर से भुगतान किए गए औसत ब्याज को ध्यान में रखते हुए,सरकार द्वारा दिए गए कर्ज एवं अग्रिमों पर प्राप्त ब्याज की दर 0.04 प्रतिशत बहुत कम थी।
- 2013-14 के दौरान, प्राप्त ब्याज (₹ 12 करोड़), 2013-14 के बजट अनुमान (₹ 204 करोड़) एवं 2012-13 के वास्तविक आंकड़ो (₹ 42 करोड़) से कम था जो कि मुख्य रूप से विद्युत परियोजनाओं से ब्याज प्राप्त न होने के कारण था।

1.8.4 रोकड़ शेष एवं रोकड़ शेषों का निवेश

तालिका 1.26 वर्ष के दौरान रोकड़ शेषों में से राज्य सरकार द्वारा किए गए निवेशों एवं रोकड़ शेषों का चित्रण करती है।

तालिका 1.26: रोकड़ शेष तथा रोकड़ शेषों का निवेश

(₹ करोड़ मे)

	1 अप्रैल 2013 को प्रारंभिक शेष	31 मार्च 2014 को अंतिम शेष	वृद्धि(+)/कमी (-)
(1). सामान्य रोकड़ शेष [(i) से (iv)+2]	**6,543.70**	**4,072.36**	**(-)2,471.34**
(i) कोषालयों में रोकड़	--	--	--
(ii) रिजर्व बैंक में जमा	(-)262.75	173.22	(+)435.97
(iii) अन्य बैंकों में जमा	--	--	--
(iv) पारगमन में प्रेषण- स्थानीय	--	--	--
योग (i) से (iv)	**(-)262.75**	**173.22**	**(+) 435.97**
(2). रोकड़ शेष निवेश लेखे में हुए निवेश	**6,806.45**	**3,899.14**	**(-)2,907.31**
(3). अन्य रोकड़ शेष एवं निवेश (i) से (iii)	**531.11**	**404.67**	**(-)126.44**
(i) विभागीय रोकड़ शेष	132.24	2.57	(-) 129.67
(ii) स्थायी पेशगी	0.81	0.83	(+)0.02
(iii) उद्दिष्ट निधि से निवेश	398.06	401.27	(+) 3.21
समग्र रोकड़ स्थिति (1)+(3)	**7,074.81**	**4,477.03**	**(-)2,597.78**

(स्रोत : वित्त लेखे)

- सरकार के रोकड़ शेषों में विगत वर्ष के ₹ 7,074.81 करोड़ से वर्ष 2013-14 के अंत में ₹ 2,597.78 करोड़ की कमी आई।
- वित्त लेखे 2013-14 के अनुसार, ₹ 3,899.14 करोड़ भारत सरकार के खजाना बिलों में निवेश किए गए जिस पर वर्ष के दौरान ₹ 241 करोड़ ब्याज की प्राप्ति हुई। बड़े रोकड़ शेषों को रखने की सलाह नहीं दी जाती है क्योंकि इनको कम ब्याज वाले 14 दिनी खजाना बिलों में निवेश किया जाता है।
- भारतीय रिजर्व बैंक के साथ किए गए करार के अनुसार, मध्य प्रदेश सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक में ₹ 1.96 करोड़ का न्यूनतम रोकड़ शेष रखना होता है। करार के अनुसार यदि यह शेष राशि निश्चित न्यूनतम शेष राशि से किसी भी दिन कम होती है, तो उस कमी की पूर्ति समय-समय पर साधारण एवं विशेष अर्थोपाय अग्रिमों/अधिविकर्षण लेकर की जाती है। वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 के दौरान राज्य द्वारा, अर्थोपाय अग्रिम (साधारण/विशेष) नहीं लिए गए थे।
- मुख्य शीर्ष 8670-चेक एवं देयक के अंतर्गत बकाया शेष, नहीं भुनाए गए चेकों की राशि को दर्शाते हैं। 2013-14 के वित्त लेखे के अनुसार इस शीर्ष के अंतर्गत वर्ष के अंत में बकाया शेष 2012-13 में ₹ 27.27 करोड़ की तुलना में

2013-14 में ₹ 56.69 करोड़ था। रोकड़ शेष, लम्बित चेकों की राशि तक बढ़े बताए गए।

1.9 परिसम्पत्तियां तथा देयताएं

1.9.1 परिसम्पत्तियों तथा देयताओं की वृद्धि तथा संरचना

विद्यमान सरकारी लेखाकरण पद्धति में सरकार की स्वामित्व वाली अचल परिसम्पत्तियों यथा भूमि तथा भवनों का व्यापक लेखाकरण नही किया जाता है। फिर भी सरकारी लेखे, सरकार की वित्तीय देयताओं तथा किए गए व्यय से सृजित परिसम्पत्तियों को समाहित करते है।

कुल देयताएं, जिसकी परिभाषा राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम 2005 में दी गई है, राज्य के लोक लेखे एवं समेकित निधि के अंतर्गत देयताएं हैं। समेकित निधि देयताओं में भारत सरकार से प्राप्त कर्ज एवं अग्रिम तथा आंतरिक ऋण समाहित है।

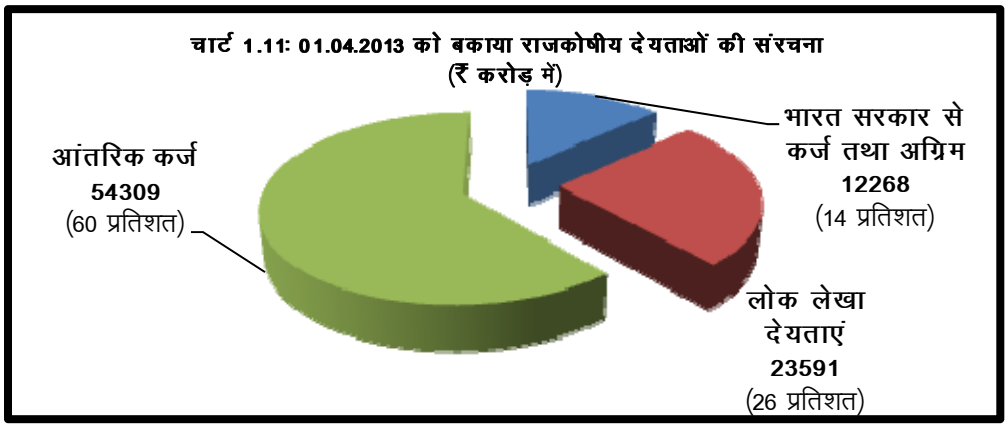
इसके अतिरिक्त, आंतरिक ऋण में बाजार कर्ज, केंद्र सरकार की राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियां, क्षतिपूर्ति एवं अन्य बॉण्ड्स तथा वित्तीय संस्थाओं से कर्ज सम्मिलित है। भारत के संविधान में प्रावधान है कि राज्य, विधानसभा के अधिनियम द्वारा समय-समय पर निर्धारित सीमा के अंदर समेकित निधि की प्रतिभूति पर भारत के क्षेत्र के अंतर्गत उधार ले सकते हैं एवं निर्धारित की जाने वाली सीमाओं के अंदर गारंटी दे सकते हैं। लोक लेखे देयताओं में अल्प बचतें, भविष्य निधि इत्यादि, आरक्षित निधियां एवं अन्य जमा सम्मिलित हैं।

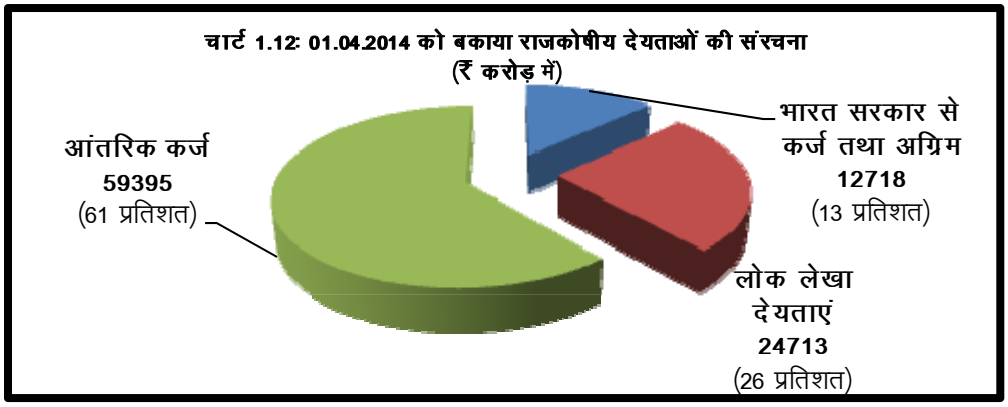
शासकीय परिसंपत्तियों में समेकित निधि के अंतर्गत परिसंपत्तियां एवं रोकड़ सम्मिलित होते हैं। समेकित निधि के अंतर्गत परिसंपत्तियों में निर्धारित परिसंपत्तियों पर पूंजीगत परिव्यय-निगमों एवं कम्पनियों के शेयरों में निवेश एवं कर्ज तथा अग्रिम जिसमें विद्युत परियोजनाओं के लिए कर्ज एवं अन्य विकास कर्ज सम्मिलित होते हैं।

परिशिष्ट 1.5 भाग-ख में 31 मार्च 2013 को तदनुरूप स्थिति की तुलना में 31 मार्च 2014 को ऐसी देयताओं और परिसम्पत्तियों का सार दिया गया है।

1.9.2 राजकोषीय देयताएं

राज्य की बकाया राजकोषीय देयताओं की प्रवृत्ति **परिशिष्ट 1.4** में प्रस्तुत की गई है। विगत वर्ष की तुलना में वर्ष 2013-14 के दौरान राजकोषीय देयताओं की संरचना को **चार्ट 1.11** एवं **1.12** में प्रस्तुत किया गया है।





राज्य की समग्र राजकोषीय देयताओं में 2009-10 में ₹ 67,853 करोड़ से 2013-14 में ₹ 96,826 करोड़ तक की वृद्धि हुई।

इन देयताओं में 2012-13 में 10.29 प्रतिशत के विरूद्ध 2013-14 में 7.38 प्रतिशत की वृद्धि हुई। विगत वर्ष की तुलना में 2013-14 के दौरान राजकोषीय देयताओं में वृद्धि मुख्यतः बाजार कर्ज (₹ 3,572 करोड़ से), राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियां (₹ 1,270 करोड़ से), राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) से कर्ज (₹ 667 करोड़ से) एवं भारत सरकार से कर्ज एवं अग्रिम (₹ 450 करोड़ से) के अंतर्गत थी।

तालिका 1.27 2012-13 एवं 2013-14 के अंत में राज्य की राजकोषीय देयताओं के विवरण का चित्रण करती है।

तालिका 1.27: राज्य की राजकोषीय देयताओं के संघटक

(₹ करोड़ में)

स.क्र.	नाम	2012-13	2013-14
1.	**समेकित निधि देयताएं (लोक ऋण)**	**66,577**	**72,113**
(i)	बाजार कर्ज	31,407	34,979
(ii)	राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियां	16,806	18,076
(iii)	क्षतिपूर्ति एवं अन्य बॉण्डस का जारी करना	1,413	1,052
(iv)	नाबार्ड से कर्ज	4,172	4,839
(v)	अन्य कर्ज	511	449
(vi)	**योग (i) से (v)**	**54,309**	**59,395**
(vii)	**भारत सरकार से कर्ज एवं अग्रिम**	**12,268**	**12,718**
2.	**लोक लेखा देयताएं**	**23,591**	**24,713**
(i)	अल्प बचत, भविष्य निधि इत्यादि	10,752	11,699
(ii)	सब्याज दायित्व	490	189
(iii)	ब्याज रहित दायित्व	12,349	12,825

(स्रोत : वित्त लेखे)

13वें वित्त आयोग में निर्धारित 36 प्रतिशत की सीमा के विरुद्ध 2013-14 के अंत में राजकोषीय देयताएं सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 21.47 प्रतिशत थी। ये राजस्व प्राप्तियों की 1.28 गुना तथा राज्य के स्वयं के संसाधन की 2.35 गुना थी। सकल राज्य घरेलू उत्पाद के संबंध में इन देयताओं की उत्प्लावकता में, 2012-13 में 0.53 से वर्ष के दौरान 0.35 की कमी हुई जो मुख्य रूप से इन देयताओं की संवृद्धि दर में कमी के कारण थी (**तालिका 1.6**)।

1.9.3 समस्त ऋणों के परिशोधन के लिए निक्षेप निधि की स्थापना

बारहवें वित्त आयोग की रिपोर्ट (2005-10) के पैरा क्र.12.59 के अनुसार, सभी राज्यों को, बैंकों से ऋण, राष्ट्रीय अल्प बचत निधि के कारण देयताओं इत्यादि सहित समस्त ऋणों के परिशोधन के लिए एक निक्षेप निधि स्थापित करना चाहिए। निधियों का राज्य की समेकित निधि से अलग से रखरखाव किया जाना चाहिए एवं ऋण मोचन को छोड़कर, अन्य किसी उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। हमने देखा कि सितम्बर 2014 तक राज्य में निक्षेप निधि की स्थापना नहीं की गयी।

वित्त विभाग ने बताया (सितम्बर 2014) कि राज्य के निक्षेप निधि की स्थापना के लिए कार्यवाही प्रक्रियांतर्गत थी।

1.9.4 गारंटियों की स्थिति-आकस्मिक देयताएं

गारंटियां राज्य की संचित निधि पर प्रभारित वह आकस्मिक देयताएं हैं जो उस उधार गृहिता के लिए जिसके लिए गारंटी दी गई है द्वारा चूक होने की स्थिति में होती है।

मध्य प्रदेश राज्य सरकार गारंटी नियम (MPSGGR), 2009 (संशोधित) 20 नवंबर 2009 से प्रभावी हुआ और भारत के संविधान के अनुच्छेद 293 के अंतर्गत उन सभी प्रकरणों में लागू होता है जहाँ राज्य सरकार ऋणों के पुनर्भुगतान एवं उस पर ब्याज के लिए गारंटी देती है। गारंटियों के संस्वीकृतियों के आदेश वित्त विभाग द्वारा जारी किए जाते है।

मध्य प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम 2005 का खंड 9(2)(घ), वार्षिक संवृद्धिकारक गारंटियों की सीमा निश्चित करने के लिए राजकोषीय लक्ष्य निर्धारित करता है जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि कुल गारंटियां वर्तमान वर्ष से पूर्ववर्ती वर्ष में कुल राजस्व प्राप्तियों की 80 प्रतिशत से अधिक न हो। वर्ष 2011-12 से 2013-14 के दौरान, वार्षिक संवृद्धिकारक गारंटी, मध्य प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम के अधीन निर्धारित अधिकतम सीमा के भीतर थी।

वित्त लेखे के विवरण पत्र 9 के अनुसार, राज्य द्वारा दी गई गारंटियों के लिए अधिकतम राशियाँ और अंतिम तीन वर्षो के लिए बकाया गारंटिया **तालिका 1.28** में दी गई है।

तालिका 1.28: म.प्र. सरकार द्वारा दी गई गारंटियां

(₹ करोड़ मे)

गारंटियों का विवरण	2011-12	2012-13	2013-14
गारंटी की अधिकतम राशि	11,107.51	14,751.71	21,472.12
गारंटियों की बकाया राशि	5,605.03	7,719.54	9,977.62
चालू वर्ष से पूर्ववर्ती वर्ष में कुल राजस्व प्राप्ति का 80 प्रतिशत (राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम के अनुसार मानदंड)	41,483.20	50,083.20	56,341.60
कुल राजस्व प्राप्तियों की तुलना मे गारंटी की अधिकतम राशि की प्रतिशतता	17.74	20.95	28.35
कुल राजस्व प्राप्तियों की तुलना में बकाया गारंटी की प्रतिशतता	10.81	12.33	14.17
प्राप्य गारंटी या फीस	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	102.86
प्राप्त गारंटी या फीस	0.44	4.81	2.50

(स्रोतः वित्त लेखे)

वर्ष 2013-14 के दौरान, विद्युत क्षेत्र (61), सहकारी क्षेत्र (5),राज्य वित्त निगम क्षेत्र (22), नगरीय विकास एवं आवास क्षेत्र (91) तथा अन्य अधोसंरचना (62) के संबंध में गारंटियां दी गई थी। वर्ष 2013-14 के दौरान विगत वर्ष की तुलना में, अधिकतम राशि जिसकी गारंटी दी गई थी, में ₹ 6,720 करोड़ (29.25 प्रतिशत) की अत्यधिक वृद्धि हुई जैसा कि उपर्युक्त **तालिका 1.28** में देखा जा सकता है।

नुकसान में चल रहे सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को दी गई गारंटियां

चार चयनित सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों से प्राप्त जानकारी के विश्लेषण से प्रकट हुआ कि गारंटी की बकाया राशि में ₹ 3,449 करोड़ सम्मिलित थे जिनका विवरण **तालिका 1.29** में दिया गया है।

तालिका 1.29: सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के संबंध में दी गईं गारंटियां एवं संचित हानियां

(₹ करोड़ में)

स.क्र.	नाम	वर्ष की समाप्ति पर बकाया गारंटी		संचित लाभ(+) या हानि(-)	
		2012-13	2013-14	2012-13	2013-14
1.	म.प्र.विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेड	1,994.89	1,646.85	(-)1,418.71	(-) 2,002.75
2.	म.प्र.पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड	759.48	611.16	(-)6,937.29	(-) 8,824.43
3.	म.प्र.पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड	761.52	543.87	(-)5,922.60	(-) 7,733.55
4.	म.प्र.मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड	1,122.89	646.84	(-)6,001.03	(-) 8,673.05
	योग	**4,638.78**	**3,448.72**		

चूंकि सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम में हानियां हो रही हैं एवं उनकी बड़ी राशियों के ऋणों की पुनर्भुगतान क्षमता संदिग्ध है, अतः सरकार की आकस्मिक देयताओं की वास्तविक देयताएं होने की संभावना है।

गारंटी मोचन निधि

वर्ष 2005-06 के दौरान, सरकार ने गारंटी मोचन निधि निर्मित की थी जिसमें 2013-14 की समाप्ति पर ₹ 389.87 करोड़ का अंतिम शेष था। सम्पूर्ण राशि का निवेश कर दिया गया।

यदि विशेष रुप से छूट नहीं दी गई हो तो एक प्रतिशत की दर से गारंटी फीस प्रमुख ऋणी पर प्रभारित की जाती है। इस तरह वसूल की गई फीस सरकार के राजस्व में जमा की जाती है। वर्ष 2013-14 के दौरान, प्राप्त होने वाली राशि ₹ 102.86 करोड़ में से ₹ 2.50 करोड़ (2.43 प्रतिशत) गारंटी फीस के रुप में वसूले गए थे और शासकीय

लेखों में जमा किए गए थे। 2013-14 के दौरान किसी भी गारंटी का आवाहन *(Invoke)* नहीं किया गया था।

अनुरुप अंश के साथ ₹ 9.62 करोड़ निधियों में प्रेषित किए जाने थे उसके विरुद्ध केवल ₹ एक करोड़ जमा किए गए थे।

1.9.5 असंचालित आरक्षित निधियाँ

हमने देखा कि मुख्य शीर्ष 8229-200-प्रतिपूर्ति वन निधि के अंतर्गत आरक्षित निधि में 31 मार्च 2014 को ₹ 31.81 करोड़ का जमा शेष था जिसका पिछले छह वर्षों से न तो उपयोग किया गया और न ही निवेश किया गया।

1.10 ऋण प्रबंधन

1.10.1 ऋण संधारणीयता

सरकार के ऋण के परिमाण के अतिरिक्त, उन विभिन्न संकेतकों का विश्लेषण करना महत्वपूर्ण है जो राज्य की ऋण संधारणीयता[16] का निर्धारण करते हैं। यह भाग ऋण स्थिरीकरण[17], ऋणेत्तर प्राप्तियों की पर्याप्तता[18], उधार ली गई निधियों की निवल उपलब्धता[19], ब्याज अदायगियों का भार (राजस्व प्राप्तियों की तुलना में ब्याज अदायगी के अनुपात द्वारा मापा गया) और सरकारी प्रतिभूतियों की परिपक्वता रूपरेखा के अनुसार सरकार के ऋणों की संधारणीयता का मूल्यांकन करता है। **तालिका 1.30** में 2009-14 की अवधि के लिए इन संकेतकों के अनुसार राज्य की ऋण संधारणीयता का विश्लेषण किया गया है।

तालिका 1.30: ऋण संधारणीयता: संकेतक तथा प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

ऋण संधारणीयता के संकेतक	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
ऋण स्थिरीकरण (प्रमात्रा प्रसार + प्राथमिक घाटा)	2,117	8,333	10,390	4,632	9,412
ऋणेत्तर प्राप्तियों की पर्याप्तता (संसाधन अंतराल)	(-)1,766	927	(-)488	(-)3,660	(-)462
उधार ली गई निधियों की निवल उपलब्धता (कोष्ठक में प्रतिशत)	3,131 (16)	2,606 (13)	955 (5)	2,838 (15)	569 (2)
ब्याज अदायगियों का भार (ब्याज अदायगियां/राजस्व प्राप्ति अनुपात)	0.11	0.10	0.08	0.08	0.08

16 *ऋण धारणीयता किसी समयावधि में ऋण-सकल राज्य घरेलू उत्पाद का एक स्थिर अनुपात बनाए रखने की राज्य की योग्यता के रूप में परिभाषित की जाती है तथा अपने ऋणों के निर्वहन के सम्बन्ध में अपने सरोकार को मूर्त रूप देती है। अतएव ऋण की धारणीयता का उल्लेख चालू अथवा प्रतिबद्ध दायित्वों को पूरा करने के लिये तरल परिसम्पत्तियों की पर्याप्तता एवं अतिरिक्त उधारी की लागत के साथ ऐसी उधारियों से प्रतिलाभ के बीच संतुलन बनाए रखने की क्षमता के लिये भी किया जाता है। इसका तात्पर्य है कि राजकोषीय घाटे में वृद्धि ऋण सेवा की क्षमता में वृद्धि के साथ होना चाहिये।*

17 *ऋण स्थिरता के लिये एक आवश्यक शर्त है कि यदि अर्थव्यवस्था में वृद्धि की दर, लोक ऋणों की लागत अथवा ब्याज दर की तुलना में अधिक होती है तो ऋण-सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात एक स्थिर होगा बशर्ते प्राथमिक शेष या तो शून्य अथवा सकारात्मक हो अथवा संतुलित रूप से नकारात्मक हो। दर प्रसार (सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि दर - ब्याज दर) तथा प्रमात्रा प्रसार (ऋण X दर प्रसार) मानते हुये, ऋण धारणीयता स्थिति अभिव्यक्त करती है यदि प्रमात्रा प्रसार के साथ प्राथमिक घाटा शून्य होता तो ऋण सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात एक स्थिर होगा या ऋण अन्ततः स्थिर होगा। दूसरी ओर यदि प्राथमिक घाटा प्रमात्रा प्रसार के साथ नकारात्मक हो जाता है तो ऋण सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात में वृद्धि हो रही होगी और यदि यह सकारात्मक है तो, ऋण - सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात अन्ततः गिर रहा होगा।*

18 *वृद्धि से संबंधित ब्याज देयताओं तथा वृद्धि से सम्बन्धित प्राथमिक व्यय की पूर्ति के लिये राज्य की वृद्धि से सम्बन्धित ऋणेत्तर प्राप्तियों की पर्याप्तता। ऋण धारणीयता महत्वपूर्ण ढंग से सुविधाजनक हो सकती है यदि वृद्धि से सम्बन्धित ऋणेत्तर प्राप्तियां वृद्धि से सम्बन्धित ब्याज भार तथा प्राथमिक व्यय की पूर्ति कर सकें।*

19 *कुल ऋण प्राप्तियों की तुलना में ऋण परिशोधन (मूलधन + ब्याज अदायगियां) के अनुपात के रूप में परिभाषित है और वह मात्रा इंगित करती है जिस मात्रा तक उधार ली गई निधियों की निवल उपलब्धता दर्शातें हुये ऋण प्राप्तियां ऋण परिशोधन के लिये प्रयुक्त की जाती हैं।*

1.10.2 ऋण स्थिरीकरण

ऋण संधारणीयता के लिए मुख्य शर्त है कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात में ऋण के संबंध में स्थिरता रहे। यदि प्रमात्रा प्रसार एवं प्राथमिक घाटा नकारात्मक है, तो ऋण-सकल राज्य घरेलू उत्पाद का अनुपात अधिक होगा, जो इस तथ्य की ओर इंगित करता है कि लोक ऋणों का स्तर असंधारणीय है और प्रमात्रा प्रसार एवं प्राथमिक घाटा सकारात्मक है तो ऋण-सकल राज्य घरेलू उत्पाद का अनुपात कम होगा जो इस तथ्य की ओर संकेत करता है कि लोक ऋण का स्तर संधारणीय है।

प्रमात्रा प्रसार के साथ प्राथमिक घाटे के विश्लेषण से प्रकट हुआ कि 2009-14 के दौरान उसकी राशि निरंतर सकारत्मक रही जो इस तथ्य की ओर संकेत करता है कि ऋण संधारणीयता के स्तर पर थे।

1.10.3 ऋणेत्तर प्राप्तियों की पर्याप्तता

ऋण संधारणीयता का एक और सूचक संवृद्धिता ब्याज देयताओं तथा संवृद्धिता प्राथमिक व्ययों की पूर्ति हेतु राज्य की संवृद्धि ऋणेत्तर प्राप्तियों की पर्याप्तता है। यदि संवृद्धि ब्याज देयता तथा संवृद्धि प्रारंभिक व्यय की पूर्ति संवृद्धि ऋणेत्तर प्राप्तियों से होती है तो ऋण संधारणीयता को सरल किया जा सकता है। सकारात्मक संसाधन अंतराल मध्यम से लंबी अवधि में राज्य सरकार की ऋणों को रोकने की क्षमता को सुदृढ़ करता है जबकि नकारात्मक संसाधन अंतराल इसके विपरीत स्थिति का सूचक है।

वर्ष 2010-11 के दौरान, ऋणेत्तर प्राप्तियों ने प्राथमिक व्यय की संवृद्धिता आवश्यकता को न केवल पूरा किया बल्कि संवृद्धिता ब्याज देयताओं को पूरा करने के बाद परिणामतः सकारात्मक संसाधन अंतराल उत्पन्न हुआ जिससे राज्य की ऋण संधारणीयता की क्षमता में वृद्धि हुई। 2009-10 एवं 2011-12 से 2013-14 की अवधि के दौरान, संवृद्धिता ऋणेत्तर प्राप्तियां, संवृद्धिता प्राथमिक व्यय को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं थी परिणामतः नकारात्मक संसाधन अंतराल उत्पन्न हुआ। 2009-10 एवं 2011-14 की अवधि के दौरान कर्जो की कोई भी महत्वूर्ण वसूली नहीं देखी गई।

1.10.4 उधार ली गई निधियों की निवल उपलब्धता

ऋण मोचन अनुपात ने 2009-14 की अवधि के दौरान उतार-चढ़ाव की प्रवृत्ति को दर्शाया (**परिशिष्ट 1.4**)। इसमें 2009-10 में 0.84 से 2011-12 में 0.95 की वृद्धि तथा उसके पश्चात 2012-13 में 0.86 तक की कमी आई। इसमें पुनः 2013-14 में 0.98 की वृद्धि हुई जिससे परिसम्पत्ति निर्माण के लिए बहुत कम निधियां उपलब्ध थी। वर्ष 2013-14 के दौरान आंतरिक ऋण पुनर्भुगतान (₹ 3,243 करोड़) नवीन आंतरिक ऋण प्राप्तियों (₹ 8,328 करोड़) का 39 प्रतिशत था, भारत सरकार के कर्जों का पुनर्भुगतान (₹ 762 करोड़) ₹ 1,212 करोड़ के नवीन ऋण प्राप्तियों का 63 प्रतिशत था जबकि अन्य दायित्वों (₹ 12,735 करोड़) के मामले में पुनर्भुगतान ₹ 14,161 करोड़ की नवीन प्राप्तियों का 90 प्रतिशत था। इससे यह दर्शित हुआ कि नवीन ऋण प्राप्तियों का ऋण के पुनर्भुगतान में अंशतः उपयोग किया गया था।

वर्ष के दौरान आंतरिक ऋण के अंतर्गत ₹ 8,328 करोड़ की प्राप्तियों में से, सरकार ने 9.42 प्रतिशत प्रतिवर्ष की औसत ब्याज दर पर ₹ 5,000 करोड़ बाजार कर्ज से, ₹ 1,996 करोड़ राष्ट्रीय अल्प बचत निधि से, ₹ 1,250 करोड़ राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास (नाबार्ड) बैंक से एवं ₹ 82 करोड़ राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से लिए।

भारत सरकार से कर्ज एवं अग्रिमों की प्राप्ति में 2012-13 में ₹ 1,557 करोड़ से 2013-14 में ₹ 1,212 करोड़ की कमी मुख्यतः 'राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की आयोजनागत योजना के लिए कर्ज' के अंतर्गत एक मुश्त कर्जो प्राप्ति में कमी थी। आन्तरिक ऋण में बाजार कर्ज मुख्य रुप से समाविष्ट था।

1.10.5 राज्य ऋण की परिपक्वता रूपरेखा

तालिका 1.31: 2012-13 एवं 2013-14 के लिए राज्य ऋण की परिपक्वता रूपरेखा

(₹ करोड़ में)

वर्षों में	वित्तीय वर्ष 2012-13				वित्तीय वर्ष 2013-14			
	6003-आन्तरिक ऋण की राशि	6004-कर्ज तथा अग्रिमों की राशि	कुल राशि	ऋणों से देय पुनर्भुगतान का प्रतिशत	6003-आन्तरिक ऋण की राशि	6004-कर्ज तथा अग्रिमों की राशि	कुल राशि	ऋणों से देय पुनर्भुगतान का प्रतिशत
0-1	2,155.17	1,116.55	3,271.72	4.91	2,859.37	1,148.62	4,007.99	5.56
1-3	5,338.84	1,154.89	6,493.73	9.75	4,901.40	1,176.90	6,078.30	8.43
3-5	5,816.11	1,178.33	6,994.44	10.51	8,231.36	1,199.59	9,430.95	13.07
5-7	11,624.32	1,183.68	12,808.00	19.24	11,853.71	1,205.75	13,059.46	18.11
7-9	9,833.07	1,183.46	11,016.53	16.55	10,632.71	1,205.50	11,838.21	16.41
9-11	6,433.07	867.75	7,300.82	10.97	7,132.71	432.36	7,565.07	10.49
11-13	1,896.61	250.37	2,146.98	3.22	2,019.12	228.88	2,248.00	3.12
13-15	1,738.67	161.58	1,900.25	2.85	1,818.72	140.15	1,958.87	2.72
15 और इससे अधिक	3,377.15	107.32	3,484.47	5.23	3,605.54	104.81	3,710.35	5.15
विविध*	6,096.32	5,063.88	1,1160.20	16.76	6,340.45	5,875.67	12,216.12	16.94
योग	**54,309.33**	**12,267.81**	**66,577.14**		**59,395.09**	**12,718.23**	**72,113.32**	

(स्रोतः वित्त लेखे)

**** ऋणों की परिपक्वता के सम्बन्ध में जानकारी राज्य सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक से प्रतीक्षित है।***

ऊपर दर्शाए गए राज्य ऋण की परिपक्वता रूपरेखा यह दर्शाती है कि राज्य सरकार को अपने ऋणों का 27 प्रतिशत एक से पाँच वर्षो के मध्य, 45 प्रतिशत पाँच से 11 वर्षो के मध्य तथा 11 प्रतिशत ग्यारह से 15 वर्षो के मध्य और अधिक के पश्चात पुनर्भुगतान करना होगा। राज्य के ऋणों के लगभग 17 प्रतिशत के पुनर्भुगतान की परिपक्वता रूपरेखा उपलब्ध नहीं थी क्योंकि जानकारी सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त नहीं हुई थी।

1.11 राजकोषीय असंतुलन

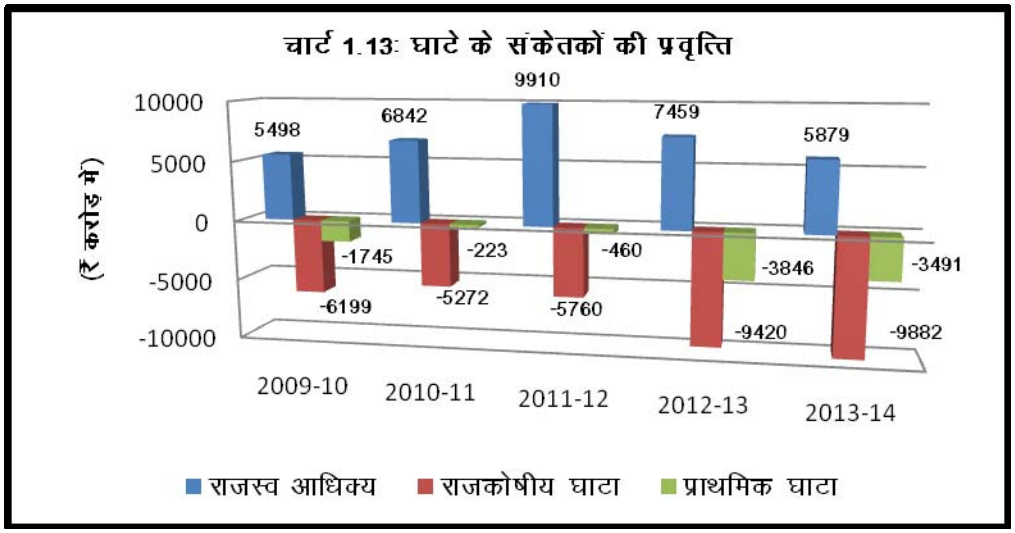
तीन प्रमुख राजकोषीय मापदण्ड-राजस्व, राजकोषीय और प्राथमिक घाटे-एक निर्दिष्ट अवधि के दौरान राज्य सरकार के वित्त में सम्पूर्ण राजकोषीय असन्तुलन की मात्रा की ओर इंगित करते हैं। सरकार के लेखाओं में घाटे उसकी प्राप्तियों और व्यय के मध्य अन्तर प्रदर्शित करते हैं। घाटे की प्रकृति सरकार के राजकोषीय प्रबंधन के विवेक का संकेतक है। इसके अतिरिक्त, जिस तरह से घाटे का वित्त पोषण किया जाता है और

संसाधनों का सृजन तथा उपयोग किया जाता है, वह इसके राजकोषीय लाभप्रदता के महत्वपूर्ण संकेतक हैं। इस भाग में प्रवृत्तियों, प्रकृति, प्रमात्रा और इन घाटों को वित्त पोषित करने की रीति तथा राजस्व, प्राथमिक और राजकोषीय घाटे के वास्तविक स्तरों के निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में वित्त वर्ष 2013-14 के लिए राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम/नियमों को प्रस्तुत किया गया है।

घाटे की प्रवृत्ति

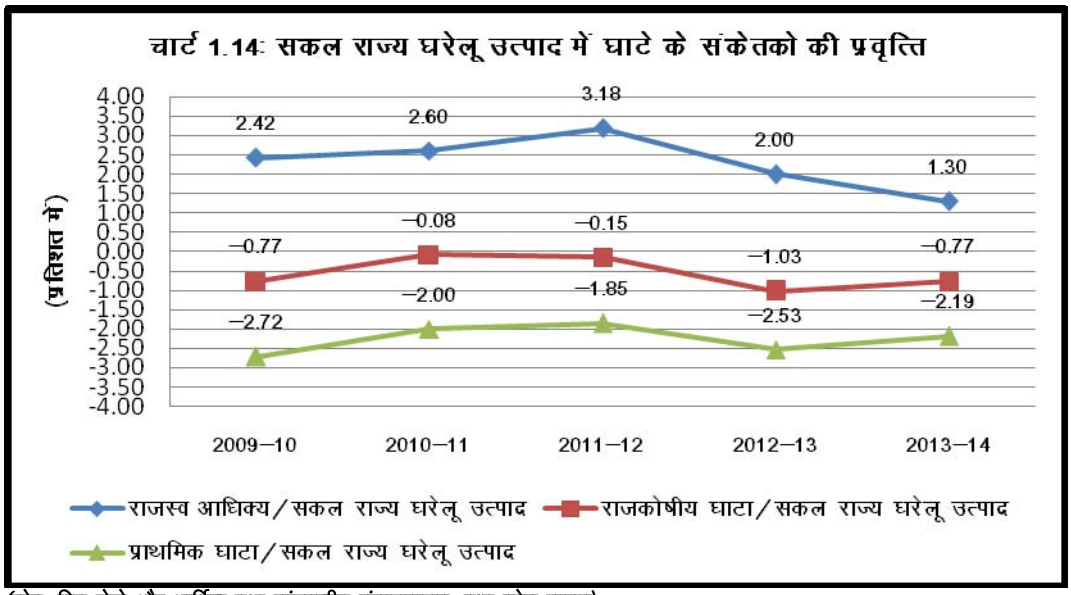
चार्ट 1.13 एवं **चार्ट 1.14** 2009-14 के दौरान घाटे के संकेतकों की प्रवृत्ति प्रस्तुत करते हैं।

चार्ट 1.13: घाटे के संकेतकों की प्रवृत्ति



(स्रोतः वित्त लेखे)

चार्ट 1.14: सकल राज्य घरेलू उत्पाद में घाटे के संकेतको की प्रवृत्ति



(स्रोतः वित्त लेखे और आर्थिक तथा सांख्यकीय संचालनालय, मध्य प्रदेश शासन)

- जैसा कि राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2005 में निर्धारित किया गया था, मार्च 2009 तक राजस्व घाटे को विलोपित करने के राजकोषीय लक्ष्य को राज्य ने वर्ष 2004-05 में प्राप्त कर लिया था। इसके पश्चात राज्य ने राजस्व आधिक्य को बनाए रखा जिसमें 2009-10 में ₹ 5,498 करोड़ से 2011-12 में ₹ 9,910 करोड़ तक की लगातार वृद्धि हुई, उसके बाद

2013-14 में कम होकर ₹ 5,879 करोड़ रहा। इसमें विगत वर्ष की तुलना में ₹ 1,580 करोड़ तक की कमी आई। सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशतता के अनुरुप राजस्व आधिक्य में 2009-10 में 2.42 प्रतिशत से 2011-12 में 3.18 प्रतिशत की वृद्धि हुई, उसके पश्चात 2013-14 के दौरान सकल राज्य घरेलू उत्पाद की संवृद्धि दर से तुलना करने पर राजस्व प्राप्तियों की संवृद्धि दर में कमीं के कारण 2013-14 में 1.30 प्रतिशत की कमी आई। 2013-14 के दौरान यह 1.27 प्रतिशत के बजट अनुमान से अधिक था।

- राजकोषीय घाटा, जो सरकार की समस्त उधारियों और उसके संसाधन अंतराल को प्रदर्शित करता है, में अंतर वर्षीय परिवर्तनों के साथ 2009-10 में ₹ 6,199 करोड़ से 2013-14 में ₹ 9,882 करोड़ की वृद्धि हुई। वर्तमान वर्ष के दौरान, राजकोषीय घाटे में विगत वर्ष की तुलना में ₹ 462 करोड़ की वृद्धि हुई। सकल राज्य घरेलू उत्पाद की तुलना में राजकोषीय घाटे में 2012-13 में 2.53 प्रतिशत से 2013-14 में 2.19 प्रतिशत की कमी आई जो बजट अनुमान (2.98 प्रतिशत) के भीतर रहा एवं तेरहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित तीन प्रतिशत साथ ही राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत निर्धारित सीमा के भी भीतर रहा।
- 2013-14 के दौरान प्राथमिक घाटे में 2009-10 में ₹ 1,745 करोड़ से 2013-14 में ₹ 3,491 करोड़ तक की वृद्धि अंतर-वर्षीय परिवर्तनों के साथ हुई।

1.11.1 राजकोषीय घाटे के संघटक तथा इसकी वित्त व्यवस्था का प्रतिरूप

राजकोषीय घाटा, राज्य को कुल उधारियों की आवश्यकता तथा राजस्व एवं ऋणेत्तर पूंजीगत प्राप्तियों पर कर्ज तथा अग्रिम सहित राजस्व व्यय एवं पूंजीगत व्यय का आधिक्य होता है। राजकोषीय घाटे का अपघटन से प्रकट होता है कि राज्य द्वारा राजस्व एवं ऋणेत्तर प्राप्तियों के अलावा निधियों की आवश्यकता की पूर्ति हेतु किस सीमा तक विभिन्न कर्ज लिए गए। राजकोषीय घाटे की वित्त व्यवस्था का प्रतिरूप **तालिका 1.32** में परिलक्षित होता है।

तालिका 1.32 : राजकोषीय घाटे के संघटक तथा इसकी वित्त व्यवस्था का प्रतिरूप

(₹ करोड़ में)

विवरण		2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
राजकोषीय घाटे का अपघटन						
राजकोषीय घाटा		**-6,199**	**-5,272**	**-5,760**	**-9,420**	**-9,882**
1	राजस्व आधिक्य	5,498	6,842	9,910	7,459	5,879
2	निवल पूंजीगत व्यय	-7,903	-8,433	-9,032	-11,534	-10,777
3	निवल कर्ज एवं अग्रिम	-3,794	-3,681	-6,638	-5,345	-4,984

राजकोषीय घाटे की वित्त व्यवस्था का प्रतिरूप*						
1	बाजार उधारियां	5,016	3,258	3,166	3,363	3,572
2	भारत सरकार से कर्ज	888	577	403	909	450
3	राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियां	492	1,582	-167	725	1,270
4	वित्तीय संस्थानों से कर्ज	-188	-488	198	210	245
5	आरक्षित निधियां	324	275	1,191	2,020	971
6	अल्प बचत, भविष्य निधि इत्यादि	412	773	698	837	948
7	जमा एवं अग्रिम	705	1,678	783	348	-490
8	उचन्त एवं विविध	10	86	-28	-93	32
9	प्रेषणों	31	519	391	400	286
10	रोकड़ शेष वृद्धि (+)/कमी (-)	+1,491	+2,988	+875	-701	-2,598

**आंकड़े वर्ष के दौरान संवितरण एवं बहिर्गमन का निवल है*

(स्रोतः वित्त लेखे)

यह देखा गया है कि वर्ष 2013-14 के दौरान, राज्य सरकार द्वारा ली गई बाजार उधारियों ने राजकोषीय घाटे के मुख्य अंश को वित्त पोषित करना जारी रखा। राजकोषीय घाटे को वित्त पोषण करने में 2013-14 में इसका अंश 36.15 प्रतिशत था। 2012-13 की तुलना में 2013-14 में राष्ट्रीय अल्प बचत निधि कर्जों, अल्प बचतों, भविष्य निधियों इत्यादि की राशि राजकोषीय घाटे के वित्त पोषण में उच्चतर थी जिससे भविष्य में ब्याज भार में वृद्धि दर्शित हुई।

1.12 घाटे/आधिक्य की गुणवत्ता

राजकोषीय घाटे की तुलना में राजस्व घाटे का अनुपात और प्राथमिक घाटे का प्राथमिक राजस्व घाटे तथा पूंजीगत व्यय (कर्ज एवं अग्रिम सहित) में अपघटन राज्य की वित्त व्यवस्था में घाटे की गुणवत्ता को इंगित करेगा। मध्य प्रदेश में राजस्व आधिक्य 2004-05 से रहा है। प्राथमिक घाटे का विभाजन **(तालिका 1.33)** उस सीमा को इंगित करता है जिस सीमा तक पूंजीगत व्यय में वृद्धि के कारण घाटा हुआ, जो राज्य की अर्थव्यवस्था की उत्पादन क्षमता सुधारने के लिए वांछित हो सकता है।

तालिका 1.33: प्राथमिक घाटा/अधिशेष - घटकों का विभाजन

(₹ करोड़ में)

वर्ष	ऋणेत्तर प्राप्तियां	प्राथमिक राजस्व व्यय	पूंजीगत व्यय	कर्ज तथा अग्रिम*	प्राथमिक व्यय	प्राथमिक राजस्व व्यय की तुलना में ऋणेत्तर प्राप्तियां	प्राथमिक घाटा (-)/ आधिक्य (+)	प्राथमिक व्यय के प्रतिशत के रूप में पूंजीगत व्यय
1	2	3	4	5	6 (3+4+5)	7 (2-3)	8 (2-6)	9
2009-10	41,443	31,443	7,925	3,820	43,188	10,000	-1,745	18.35
2010-11	52,257	39,963	8,800	3,717	52,480	12,294	-223	16.77
2011-12	71,753	47,394	9,055	15,764	72,213	24,359	-460	12.54
2012-13	70,500	57,394	11,567	5,385	74,346	13,106	-3,846	15.56
2013-14	75,880	63,479	10,813	5,079	79,371	12,401	-3,491	13.62

**अन्तर्राज्यीय परिशोधन सहित*

(स्रोतः वित्त लेखे)

2009-14 की अवधि के दौरान राज्य के प्राथमिक घाटों के घटकों के विभाजन के परिणामस्वरूप प्रकट हुआ कि प्राथमिक घाटा राज्य सरकार द्वारा किए गए पूंजीगत व्यय और वितरित किए गए कर्ज एवं अग्रिमों के कारण था। दूसरे शब्दों में, राज्य की ऋणेत्तर प्राप्तियां प्राथमिक राजस्व व्यय को पूरा करने के लिये न केवल पर्याप्त थी अपितु पूंजीगत व्यय के सम्पूर्ण/आंशिक व्यय को पूरा करती थी। यद्यपि आधिक्य ऋणेत्तर प्राप्तियां सभी वर्षों के पूंजीगत व्यय को पूरा करने के लिए पर्याप्त थी, वे सम्पूर्ण कर्जों एवं अग्रिमों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं थी परिणामस्वरूप 2009-14 के दौरान प्राथमिक घाटा हुआ।

1.13 निष्कर्ष एवं अनुशंसाएं

राजकोषीय असन्तुलनों का प्रबंधन एवं संसाधन संग्रहण

- राज्य ने वर्ष 2013-14 के दौरान ₹ 5,879 करोड़ का राजस्व आधिक्य बनाये रखा तथापि इसमें विगत वर्ष की तुलना में ₹ 1,580 करोड़ की कमी आई। यद्यपि राज्य का राजकोषीय घाटा (₹ 9,882 करोड़) 13वें वित्त आयोग, राजकोषीय उत्तरदयित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम तथा बजट अनुमानों द्वारा निर्धारित सीमा के भीतर था, राजकोषीय घाटे में विगत वर्ष से ₹ 462 करोड़ की वृद्धि हुई। तथापि सकल राज्य घरेलू उत्पाद की तुलना में राजकोषीय घाटे ने 2012-13 में 2.53 प्रतिशत से वर्तमान वर्ष में 2.19 प्रतिशत का सुधार मुख्यतः 2013-14 के दौरान सकल राज्य घरेलू उत्पाद में विगत वर्ष की तुलना में (19.41 प्रतिशत) उच्चतर संवृद्धि (21.15 प्रतिशत) के कारण हुआ।
- राजस्व प्राप्तियों (₹ 75,749 करोड़) में विगत वर्ष में 12.50 प्रतिशत की संवृद्धि की तुलना में 2013-14 में 7.56 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इस कमी का मुख्य कारण भारत सरकार से अनुदानों (2 प्रतिशत) में कमी एवं राज्य के स्वयं के कर राजस्व में कम संवृद्धि था। 2013-14 के दौरान, राजस्व प्राप्तियों का 54 प्रतिशत राज्य के स्वयं के संसाधनों से आया एवं 46 प्रतिशत केंद्रीय कर अंतरण एवं भारत सरकार से सहायतानुदान से था।

 सरकार को कर दायरे को बढ़ाते हुए कर एवं करेत्तर राजस्व द्वारा अतिरिक्त संसाधन जुटाने चाहिए।

व्यय प्रबंधन एवं राजकोषीय प्राथमिकता

- 2013-14 के दौरान, राज्य के राजस्व व्यय (₹ 69,870 करोड़) में 10.96 प्रतिशत की वृद्धि हुई। आयोजनेत्तर राजस्व व्यय में 13.05 प्रतिशत की वृद्धि हुई तथा यह राजस्व व्यय का 72 प्रतिशत था। वास्तविक आयोजनेत्तर राजस्व व्यय, तेरहवें वित्त आयोग के प्रक्षेपणों से 46.88 प्रतिशत अधिक था लेकिन मध्यम कालिक राजकोषीय नीति विवरण में किए गए प्रक्षेपणों के लगभग बराबर था।

- 2013-14 में पूंजीगत व्यय में विगत वर्ष की तुलना में सात प्रतिशत की कमी आई। कमी मुख्यतः ग्रामीण विकास, ऊर्जा एवं कृषि तथा संबंद्ध गतिविधियों के अंतर्गत थी जिसे सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण तथा परिवहन में वृद्धि द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया।

 सरकार आयोजनेत्तर राजस्व व्यय को घटाने के लिए उपयुक्त उपाय प्रारम्भ कर सकती है ताकि परिसम्पत्तियों निर्माण के लिए पूंजीगत व्यय के लिए अधिक निधियां उपलब्ध हो सके।

- वेतन एवं मजदूरी, पेंशन भुगतान, ब्याज अदायगी एवं राजसहायता सभी पर व्यय, राजस्व व्यय का 53 प्रतिशत व राजस्व प्राप्तियों का 49 प्रतिशत था। ₹ 6,567 करोड़ की कुल राजसहायता भुगतानों में से, 46 प्रतिशत ऊर्जा विभाग से संबंधित थी।

 चूंकि वेतन, पेंशन एवं ब्याज भुगतान अगम्य हैं, राजसहायता पर व्यय, जिसमें लगातार वृद्धि हो रही है, पर सरकार द्वारा विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है।

- 2013-14 के दौरान मध्य प्रदेश में सामाजिक क्षेत्र व्यय तथा शिक्षा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र पर व्यय में दी गई प्राथमिकता, जब सामान्य श्रेणी के राज्यों के औसत से तुलना की गई, पर्याप्त नहीं थी।

 सरकार को सामाजिक सेवाओं पर विशेषतः राज्य में शिक्षा क्षेत्र एवं स्वास्थ्य क्षेत्र को अधिक राजकोषीय प्राथमिकता देनी चाहिए।

राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को राज्य बजट के बाहर अंतरित की गई निधियां

- 2013-14 के दौरान, राज्य अभिकरणों को विभिन्न योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए प्रत्यक्ष रूप से कुल ₹ 9,280.05 करोड़ अंतरित किए गए थे। ये निधियां राज्य बजट से होकर नहीं गुजरी थीं।

 भारत सरकार द्वारा प्रत्यक्ष रूप से अंतरित की गई निधियों के बेहतर अनुवीक्षण के लिए, राज्य अभिकरणों को एकरुप लेखांकन पद्धति का पालन एवं व्यय का उपयुक्त प्रलेखन सुनिश्चित करना चाहिए तथा व्यय की समय से सूचना देना चाहिए।

निवेश पर प्रतिलाभ

- 2013-14 के दौरान, सरकार द्वारा 2013-14 तक सांविधिक निगमों, कंपनियों, सहकारी समितियों इत्यादि में निवेश ₹ 15,275.10 करोड़ पर प्रतिलाभ (₹ 378.72 करोड़) केवल 2.48 प्रतिशत था जबकि वर्ष के दौरान औसत उधारी दर 6.84 प्रतिशत थी।

 सरकार को अपने निवेशों हेतु बेहतर मूल्य सुनिश्चित करना चाहिए।

- बाईस सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों जिनके लेखों को 2013-14 तक अंतिम रुप दिया जा चुका था, अद्यतन वर्ष के लिए उनका कुल निवेश ₹ 12,695.31 करोड़ था घाटे में चल रही थी जिनका कुल संचित घाटा ₹ 22,071.34 करोड़ तक हो गया था।

 सरकार को राज्य सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों जो अधिक नुकसान में चल रहे हैं, की कार्यप्रणाली की समीक्षा करना चाहिए एवं या तो पुनः प्रवर्तन कार्यनीति या समाप्ति नीति तैयार करना चाहिए।

अपूर्ण परियोजनाएं

- ऊर्जा, जल संसाधन, लोक निर्माण तथा नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण विभागों में 201 अपूर्ण परियोजनाओं पर 31 मार्च 2014 तक किया गया व्यय ₹ 34,465 करोड़ निष्फल रहा। इनमें से 50 परियोजनाओं की प्रारम्भिक अनुमानित लागत पुनरीक्षित की गई थी जिससे ₹ 12,701 करोड़ की लागत वृद्धि हुई।

 सरकार को अपूर्ण परियोजनाओं को पूर्ण करवाने के लिए पहल करनी चाहिए ताकि समय एवं लागत वृद्धि से बचा जा सके।

देयताओं का प्रबंधन

- वर्ष 2013-14 के अंत में, राज्य की कुल देयताएं ₹ 96,826 करोड़ थी। सकल राज्य घरेलू उत्पाद की तुलना में कुल देयताओं से अनुपात 21.47 प्रतिशत था जो कि राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन के लक्ष्य एवं तेरहवें वित्त आयोग (36 प्रतिशत) की निर्धारित सीमा के भीतर था। सकल राज्य घरेलू उत्पाद के संबंध में कुल देयताओं की उत्प्लावकता में 2012-13 में 0.53 से 2013-14 के दौरान 0.35 की कमी आई।

 राज्य की अच्छी वित्तीय सेहत के लिए भविष्य में निर्धारित स्तर पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद का कुल देयताओं से अनुपात बनाए रखना आवश्यक है।

नवम्बर 2014 में आयोजित निर्गम सम्मेलन के दौरान, सचिव, वित्त विभाग ने बताया कि लेखापरीक्षा द्वारा की गई अनुशंसाओं पर कार्रवाई की जाएगी।

अध्याय 2

वित्तीय प्रबंधन तथा बजटीय नियंत्रण

अध्याय 2

वित्तीय प्रबंधन तथा बजटीय नियंत्रण

2.1 प्रस्तावना

विनियोग लेखे सरकार के प्रत्येक वित्त वर्ष हेतु दत्तमत एवं प्रभारित व्यय के लेखे है जिनकी तुलना विनियोग अधिनियम के साथ संलग्न अनुसूचियों में विशेष रूप से यथा उल्लिखित विभिन्न उद्देश्यों के लिए दत्तमत अनुदानों एवं प्रभारित विनियोगों की राशियों से की जाती है। इन लेखाओं में मूल बजट अनुमान, अनुपूरक अनुदानों, समर्पण तथा पुनर्विनियोग स्पष्ट रूप से सूचीबद्ध किये जाते हैं और ये लेखे बजट की प्रभारित तथा दत्तमत मदों दोनों के सम्बन्ध में विनियोग अधिनियम द्वारा अधिकृत व्यय की तुलना में वास्तविक पूंजीगत तथा राजस्व व्यय इंगित करते हैं। इस प्रकार विनियोग लेखे वित्त व्यवस्था के प्रबन्धन और बजट सम्बन्धी प्रावधानों की निगरानी को सुविधाजनक बनाते हैं तथा इसलिये वित्त लेखे के संपूरक हैं।

भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा विनियोगों की लेखापरीक्षा यह पता लगाने के लिए है कि क्या विभिन्न अनुदानों के अधीन वस्तुतः किया गया व्यय विनियोग अधिनियम के अधीन प्रदत्त अधिकार के अनुसार है और यह कि संविधान के प्रावधानों के अनुसार जो व्यय भारित होना था वह भारित दिखाया गया है। लेखापरीक्षा द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि इस प्रकार किया गया व्यय विधि, सम्बद्ध नियमों, विनियमों तथा अनुदेशों के अनुरूप है।

2.2 विनियोग लेखे का सारांश

80 अनुदानों एवं विनियोगों के विरूद्ध 2013-14 के दौरान वास्तविक व्यय की स्थिति का सारांश **तालिका 2.1** में दिया गया है।

तालिका 2.1: मूल/अनुपूरक प्रावधानों की तुलना में वास्तविक व्यय की सारांशीकृत स्थिति

(₹ करोड़ में)

	व्यय की प्रकृति	मूल अनुदान/ विनियोग	अनुपूरक अनुदान/ विनियोग	योग	वास्तविक व्यय	बचत (-)/ आधिक्य (+)
1	2	3	4	5	6	7
दत्तमत	I राजस्व	69,059.33	7,481.74	76,541.07	63,028.13	(-)13,512.94
	II पूंजीगत	11,431.69	2,518.61	13,950.30	10,951.03[1]	(-)2,999.27
	III ऋण एवं अग्रिम	6,455.60	376.58	6,832.18	5,078.56	(-)1,753.62
योग दत्तमत		**86,946.62**	**10,376.93**	**97,323.55**	**79,057.72[2]**	**(-)18,265.83**
प्रभारित	IV राजस्व	*7,475.99*	*700.56*	*8,176.55*	*7,352.50*	*(-)824.05*
	V पूंजीगत	*21.79*	*5.00*	*26.79*	*17.19*	*(-)9.60*
	VI लोक ऋण-पुनर्भुगतान	*8,017.43*	*5.26*	*8,022.69*	*4,004.64*	*(-)4,018.05*
योग प्रभारित		***15,515.21***	***710.82***	***16,226.03***	***11,374.33***	*(-)**4,851.70***
महायोग		**1,02,461.83**	**11,087.75**	**1,13,549.58**	**90,432.05**	**(-)23,117.53**

(स्रोतः विनियोग लेखे)

- वर्ष के दौरान ₹ 11,087.75 करोड़ के अनुपूरक प्रावधान प्राप्त किए गए जो कि मूल प्रावधानों के 10.82 प्रतिशत थे।

- ₹ 23,117.53 करोड़ की वास्तविक बचतों को ध्यान में रखते हुए ₹ 11,087.75 करोड़ के संपूर्ण अनुपूरक बजट अनावश्यक सिद्ध हुए।

- ₹ 23,117.53 करोड़ की संपूर्ण बचत राजस्व अनुभाग के अधीन 73 अनुदानों एवं 46 विनियोगों और पूंजीगत अनुभाग के अधीन 51 अनुदानों एवं सात विनियोगों में ₹ 23,151.84 करोड़ की बचतों का परिणाम था, जिसे राजस्व अनुभाग के अधीन एक अनुदान (₹ 18.18 करोड़) तथा पूंजीगत अनुभाग के अधीन दो अनुदान/विनियोग (₹ 16.13 करोड़) ₹ 34.31 करोड़ के आधिक्य द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया।

नियंत्रण अधिकारियों से सारभूत परिवर्तनों के कारणों को स्पष्ट करने के लिए बचतें/आधिक्य उन्हें सूचित (जून-जुलाई 2014) किए गए। संबंधित विभागों द्वारा अंतिम बचतों के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2014)।

1 अंतर्राज्यीय परिशोधन के ₹ 2.36 करोड़ सम्मिलित हैं।
अव्ययित राशि पूंजीगत दत्तमत अनुभाग 29 मार्च 2014 को निरंक भुगतान प्रमाणकों के माध्यम से मुख्य शीर्ष 8443-सिविल जमा के अंतर्गत अंतरित किए जाने के कारण वास्तविक व्यय ₹ 12.25 करोड़ से अधिक बताया गया।

2 राजस्व व्ययः ₹ 510.87 करोड़ एवं पूंजीगत व्ययः ₹ 154.38 करोड़ के अंतर्गत व्यय की कमी के रुप में समायोजित वसूलियां सम्मिलित किए बिना सकल आंकड़े।

2.3 वित्तीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन

2.3.1 आवंटनीय प्राथमिकताओं की तुलना में विनियोग-सारभूत बचतें

हमारे द्वारा किए गए विनियोग लेखापरीक्षा से प्रकट हुआ कि 60 प्रकरणों में कुल ₹ 13,804.26 करोड़ की सारभूत बचतें हुई थी। प्रत्येक प्रकरण में ₹ 10 करोड़ एवं संबंधित बजट प्रावधानों के 20 प्रतिशत से भी अधिक की बचत हुई (**परिशिष्ट 2.1**)। कुल बचत ₹ 23,117.53 करोड़ में से, 27 प्रकरणों में ₹ 100 करोड़ एवं उससे अधिक की सारभूत बचतें कुल ₹ 12,427.18 करोड़ (53.76 प्रतिशत) हुई, जो **तालिका 2.2** में दर्शाई गई हैं।

तालिका 2.2 : ₹ 100 करोड़ तथा उससे अधिक एवं कुल प्रावधानों के 20 प्रतिशत से अधिक की बचतों वाले अनुदानों/विनियोगों की सूची

(₹ करोड़ में)

स.क्र.	अनुदान/ विनियोग की संख्या तथा नाम	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	योग	वास्तविक व्यय	बचतें	बचत का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8
राजस्व-दत्तमत							
1	08-भू राजस्व एवं जिला प्रशासन	1,070.37	17.42	1,087.79	835.64	252.14	23.18
2	12-ऊर्जा	2,355.10	1,486.40	3,841.50	3,061.24	780.26	20.31
3	13-कृषक कल्याण एवं कृषि विकास	1,107.99	69.78	1,177.77	842.82	334.95	28.44
4	15-अनुसूचित जाति उप योजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थानों को वित्तीय सहायता	987.26	40.13	1,027.39	794.56	232.83	22.66
5	17-सहकारिता	470.59	1.24	471.83	355.38	116.45	24.68
6	20-लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	523.36	1.60	524.96	397.69	127.27	24.24
7	23-जल संसाधन विभाग	842.83	--	842.83	672.62	170.21	20.20
8	29-विधि एवं विधायी कार्य	871.75	68.47	940.22	606.75	333.47	35.47
9	30-ग्रामीण विकास	686.01	--	686.01	486.81	199.20	29.04
10	31-योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी	238.74	2.46	241.20	119.57	121.63	50.43
11	38-आयुष	380.26	--	380.26	210.87	169.39	44.55
12	50-उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण	301.30	53.29	354.59	197.48	157.11	44.31
13	55-महिला एवं बाल विकास	2,776.05	66.69	2,842.74	2,250.70	592.04	20.83
14	61-बुंदेलखण्ड पैकेज से संबंधित व्यय	100.00	100.00	200.00	19.44	180.56	90.28
15	64-अनुसूचित जाति उपयोजना	2,294.32	103.91	2,398.23	1,809.66	588.57	24.54
16	66-पिछड़ा वर्गों का कल्याण	671.94	140.89	812.83	636.42	176.41	21.70
17	77-स्कूल शिक्षा से संबंधित अन्य व्यय	1,512.06	134.17	1,646.23	1,263.43	382.80	23.25
पूंजीगत-दत्तमत							
18	03-पुलिस	93.47	83.40	176.87	71.02	105.85	59.85
19	06-वित्त	238.80	47.54	286.34	51.60	234.74	81.98
20	12-ऊर्जा	5,283.30	193.93	5,477.23	4,357.79	1,119.44	20.44
21	20-लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	466.39	155.84	622.23	400.26	221.97	35.67
22	30-ग्रामीण विकास	577.34	--	577.34	200.81	376.53	65.22
23	41-जनजातीय क्षेत्र उप योजना	1,991.11	131.94	2,123.05	1,602.72	520.33	24.51
24	61-बुंदेलखण्ड पैकेज से संबंधित व्यय	100.00	308.71	408.71	197.71	211.00	51.63

स.क्र.	अनुदान/ विनियोग की संख्या तथा नाम	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	योग	वास्तविक व्यय	बचतें	बचत का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8
25	64-अनुसूचित जाति उपयोजना	1,926.68	230.41	2,157.09	1,634.35	522.74	24.23
राजस्व-प्रभारित							
26	12-ऊर्जा	155.00	26.23	181.23	--	181.23	100.00
पूंजीगत-प्रभारित							
27	पी.डी.- लोक ऋण	8,017.43	5.26	8,022.69	4,004.64	4,018.05	50.08
योग		**36,039.45**	**3,469.71**	**39,509.16**	**27,081.98**	**12,427.18**	**31.45**

(स्रोतः विनियोग लेखे)

इसके अतिरिक्त, उपर्युक्त अनुदानों से संबंधित अनुदानों/विनियोगों के अंतर्गत 81 योजनाओं में सारभूत बचतें (प्रत्येक प्रकरण में ₹ 20 करोड़ से अधिक) देखी गई जो कि ₹ 2,000 करोड़ तक की थीं। विवरण **परिशिष्ट 2.2 (क)** में दिए गए हैं।

2.3.2 सतत बचतें

छह प्रकरणों में, विगत पाँच वर्षों 2009-10 से 2013-14 के दौरान, प्रत्येक प्रकरण में ₹ एक करोड़ से अधिक तथा कुल प्रावधान के 20 प्रतिशत से अधिक की सतत बचतें हुई थी जिन्हें **तालिका 2.3** में दिखाया गया है।

तालिका 2.3 : अनुदान/विनियोग जिनके अंतर्गत 2009-14 के दौरान सतत बचतें हुईं

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	अनुदान/विनियोग की संख्या तथा नाम	बचतों की राशि (कोष्ठकों में कुल अनुदान का प्रतिशत)				
		2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
राजस्व-प्रभारित						
1	06-वित्त	9.99 (78.48)	12.41 (97.49)	14.23 (96.28)	12.93 (52.18)	13.24 (89.64)
बचतें मुख्यतः मुख्य शीर्ष 2071-पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ के अंतर्गत हुई।						
पूंजीगत-दत्तमत						
2	06-वित्त	113.33 (68.34)	74.94 (70.18)	1,501.78 (92.80)	1,374.53 (95.53)	234.74 (81.98)
बचतें मुख्यतः मुख्य शीर्ष 6075-विविध सामान्य सेवाओं के लिए कर्ज के अंतर्गत हुई।						
3	22-नगरीय प्रशासन एवं विकास-नगरीय निकाय	174.67 (52.34)	95.08 (38.50)	44.23 (28.68)	61.21 (37.99)	39.80 (46.33)
बचतें मुख्यतः मुख्य शीर्ष 4217-शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय तथा 6217-शहरी विकास के लिए कर्ज की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत हुई।						
4	53-अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	8.61 (21.04)	25.43 (41.56)	11.23 (30.11)	15.39 (41.06)	9.88 (74.29)
बचतें मुख्यतः मुख्य शीर्ष 4217-शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय तथा 6217-शहरी विकास के लिए कर्ज की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत हुई।						
5	58- प्राकृतिक आपदा एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	2.70 (64.29)	2.93 (69.76)	2.50 (85.62)	2.50 (76.69)	2.50 (100)
बचतें मुख्यतः मुख्य शीर्ष 6245-प्राकृतिक आपदा के कारण राहत के लिए कर्ज की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत हुई।						
पूंजीगत-प्रभारित						
6	लोक ऋण	*3,896.40* (61.94)	*3,392.77* (57.29)	*3,650.31* (53.68)	*3,903.17* (52.13)	4,018.05 (50.08)
बचतें मुख्यतः मुख्य शीर्ष 6003-110-0637-अर्थोपाय अग्रिम तथा 0779-कमियों की पूर्ति के लिये अग्रिम के अंतर्गत हुई।						

(स्रोतः संबंधित वर्षों के विनियोग लेखे)

सतत बचतों से प्रदर्शित हुआ कि बजट अनुमान वास्तविक रूप से तैयार नहीं किए गए थे एवं संबंधित विभागों में बजटीय नियंत्रण प्रभावशाली नहीं थे।

2.3.3 योजनाओं के अंतर्गत अधिक व्यय

37 प्रकरणों में, विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत ₹ 2,253.78 करोड़ का कुल व्यय, प्रत्येक प्रकरण में अनुमोदित प्रावधान ₹ 10 करोड़ या उससे अधिक और प्रत्येक योजना के लिए किए गए प्रावधानों के 20 प्रतिशत से अधिक था। जिसका विवरण **परिशिष्ट 2.2 (ख)** में दिया गया है।

2.3.4 योजनाओं के अंतर्गत अप्रयुक्त प्रावधान

59 प्रकरणों में, विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत (प्रत्येक में ₹ 10 करोड़ या उससे अधिक) सम्पूर्ण प्रावधान, कुल ₹ 6,540.84 करोड़ अप्रयुक्त रहा। जिसका विवरण **परिशिष्ट 2.2 (ग)** में दिया गया है।

2.3.5 2013-14 के दौरान प्रावधान से आधिक्य जिनके नियमन की आवश्यकता है

भारत के संविधान के अनुच्छेद 205 के अनुसार, राज्य सरकार द्वारा अनुदान/विनियोग से अधिक व्यय का राज्य विधानसभा से नियमन कराया जाना अनिवार्य है। यदि राज्य विधान सभा द्वारा किसी सेवा पर जिस उद्देश्य के लिए अनुमोदित राशि से अधिक व्यय किया गया है, तो लोक लेखा समिति (पी.ए.सी.) तथ्यों के साथ, आधिक्य की परिस्थितियों की जांच करेगी तथा इसको नियमितिकरण करने की अनुशंसा कर सकती है।

2013-14 के दौरान राज्य की समेकित निधि से ₹ 34.32 करोड़ के तीन प्रकरणों में प्राधिकृत प्रावधान से कुल आधिक्यों का सारांश **तालिका 2.4** में दर्शित है, जिनमें संविधान के अनुच्छेद 205 के अधीन नियमन की आवश्यकता है। उपर्युक्त आधिक्यों के कोई कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2014)।

तालिका 2.4 : 2013-14 के दौरान प्रावधान से आधिक्य जिनके नियमितीकरण की आवश्यकता है

(₹ करोड़ में)

अनुदानों/ विनियोग की संख्या तथा नाम	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	कुल अनुदान/ विनियोग	व्यय	आधिक्य
02-सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय (राजस्व दत्तमत)	37.39	2.51	39.90	58.09	18.19
10-वन (राजस्व दत्तमत)	77.00	निरंक	77.00	92.93	15.93
21-आवास एवं पर्यावरण (पूंजीगत प्रभारित)	0.23	निरंक	0.23	0.43	0.20
योग	**114.62**	**2.51**	**117.13**	**151.45**	**34.32**

(स्रोतः विनियोग लेखे)

2.3.6 विगत वर्षों से संबंधित प्रावधान से आधिक्य जिनके नियमन की आवश्यकता है

वर्ष 1997-98 से 1998-99, 2003-04 से 2006-07 एवं 2008-09 से 2012-13 से संबंधित वर्षों के ₹ 740.38 करोड़ की राशि के अधिक व्यय को **परिशिष्ट 2.3** में दिए गए विवरणों के अनुसार अब भी नियमित किया जाना है। नियमितिकरण हेतु लंबित अधिक व्यय की राशियों का वर्षवार सांराश **तालिका 2.5** में दिया गया है।

तालिका 2.5: विगत वर्षों से संबंधित प्रावधान से आधिक्य जिनके नियमन की आवश्यकता है

वर्ष	संख्या		अधिक व्यय (₹ करोड़ में)	नियमन की स्थिति (31 अक्टूबर 2014 की स्थिति में)
	अनुदान	विनियोग		
1	2	3	4	5
1997-98	10	03	302.79	संबंधित विभागों द्वारा लोक लेखा समिति को स्पष्टीकरण प्रस्तुत किए गए।
1998-99	01	निरंक	0.10	संबंधित विभागों द्वारा लोक लेखा समिति को स्पष्टीकरण प्रस्तुत किए गए।
2003-04	04	03	2.54	अनुदान संख्या 68 (राजस्व दत्तमत्त) के संदर्भ में ₹ 1.24 करोड़ को छोड़कर संबंधित विभागों द्वारा लोक लेखा समिति को स्पष्टीकरण प्रस्तुत किए गए।
2004-05	13	02	83.66	संबंधित विभागों द्वारा लोक लेखा समिति को स्पष्टीकरण प्रस्तुत किए गए।
2005-06	04	02	37.58	अनुदान संख्या 39 (पूंजीगत दत्तमत्त) के संदर्भ में ₹ 2.27 करोड़ को छोड़कर संबंधित विभागों द्वारा लोक लेखा समिति को स्पष्टीकरण प्रस्तुत किए गए।
2006-07	02	01	35.99	संबंधित विभागों द्वारा लोक लेखा समिति को स्पष्टीकरण प्रस्तुत किए गए।
2008-09	02	02	5.80	अनुदान संख्या 62 (राजस्व दत्तमत्त) के संदर्भ में ₹ 3.68 करोड़ को छोड़कर संबंधित विभागों द्वारा लोक लेखा समिति को स्पष्टीकरण प्रस्तुत किए गए।
2009-10	04	निरंक	123.96	अनुदान संख्या 49 (राजस्व दत्तमत्त) के संदर्भ में ₹ 4.65 करोड़ को छोड़कर संबंधित विभागों द्वारा लोक लेखा समिति को स्पष्टीकरण प्रस्तुत किए गए।
2010-11	निरंक	02	12.62	संबंधित विभागों द्वारा लोक लेखा समिति को स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किए गए।
2011-12	04	02	135.10	संबंधित विभागों द्वारा लोक लेखा समिति को स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किए गए।
2012-13	निरंक	02	0.24	रिपोर्ट (राज्य वित्त) 2012-13 राज्य विधानसभा में दिनांक 22 जुलाई 2014 को प्रस्तुत की गई थी।
योग	**44**	**19**	**740.38**	

वर्षों से अनुदानों/विनियोगों के अधीन प्रावधान से आधिक्य का अनियमितिकरण अनुदानों/विनियोगों पर विधायी नियंत्रण का उल्लंघन है।

2.3.7 अनावश्यक/अत्यधिक/अपर्याप्त अनुपूरक प्रावधान

अनुदानों/विनियोगों के 58 प्रकरणों में वर्ष के दौरान प्राप्त किए गए कुल ₹ 4,269.16 करोड़ के अनुपूरक प्रावधान, प्रत्येक प्रकरण में ₹ एक करोड़ या इससे अधिक पूर्ण रूप से अनावश्यक सिद्ध हुए क्योंकि वास्तविक व्यय, मूल प्रावधान से कम था। विवरण **परिशिष्ट 2.4** में दर्शाया गया है। 31 प्रकरणों में ₹ 2,714.18 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता के विरूद्ध ₹ 6,502.97 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान अत्यधिक सिद्ध हुआ। परिणामस्वरूप प्रत्येक प्रकरण में ₹ एक करोड़ से अधिक की बचतें, जिनका कुल योग ₹ 3,788.79 करोड़ था, को **परिशिष्ट 2.5** में दर्शाया गया है।

2.3.8 निधियों का अत्यधिक/अनावश्यक पुनर्विनियोग/समर्पण

पुनर्विनियोग, विनियोग की एक इकाई जहाँ बचतें अनुमानित हैं, से दूसरी इकाई जहाँ अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता है को अनुदान के भीतर निधियों का अंतरण है। हमने 26 प्रकरणों में (प्रत्येक प्रकरण में ₹ एक करोड़ या अधिक का पुनर्विनियोग) अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोग या समर्पण देखा जिसके परिणामस्वरुप प्रत्येक प्रकरण में ₹ एक करोड़ से अधिक की बचतें/आधिक्य हुआ जिसका विवरण **परिशिष्ट 2.6** में दिया गया है।

2.3.9 समर्पित न की गई प्रत्याशित बचतें

मध्य प्रदेश बजट नियमावली के कंडिका 26.9 के अनुसार, बजट नियंत्रण अधिकारियों द्वारा व्यय में प्रत्याशित बचतों का विवरण पत्रक 15 जनवरी तक वित्त विभाग को आवश्यक रूप से सौंपना होता है।

वर्ष 2013-14 की समाप्ति पर, सभी अनुदानों/विनियोगों के अंतर्गत कुल बचत ₹ 23,117.53 करोड़ में से कुल ₹ 12,538.75 करोड़ की राशि समर्पित की परिणामस्वरूप संबंधित विभागों द्वारा कुल ₹ 10,578.78 करोड़ (कुल बचत की 45.76 प्रतिशत) की बचतों का समर्पण नहीं किया गया। इनमें महत्वपूर्ण बचत वाले 59 प्रकरणों (प्रत्येक प्रकरण में ₹ एक करोड़ और उससे अधिक एवं बचत का 20 प्रतिशत से अधिक) कुल ₹ 10,191.42 करोड़ के सम्मिलित हैं जिनका समर्पण नहीं किया गया, विवरण **परिशिष्ट 2.7** में दर्शाया है।

इसके अतिरिक्त, 59 प्रकरणों में (प्रत्येक प्रकरण में ₹ 10 करोड़ से अधिक की निधियों का समर्पण), ₹ 7,558.39 करोड़ (**परिशिष्ट 2.8**) की कुल बचत राशि का समर्पण वित्तीय वर्ष के अंतिम कार्य दिवस में किया गया, जिससे इन निधियों का उपयोग अन्य विकासात्मक उद्देश्यों हेतु करने में गुंजाइश नहीं रही।

2.3.10 व्यय की अत्यधिकता

मध्य प्रदेश बजट नियमावली की कंडिका 26.13 के अनुसार, व्यय की अत्यधिकता विशेष रूप से वित्त वर्ष के अंतिम माहों में साधारणतया वित्तीय अनियमितता माना जाएगा।

हमने पाया कि 26 अनुदानों/विनियोगों के 45 प्रकरणों[3] में ₹ 2,924.65 करोड़ (कुल व्यय का 84 प्रतिशत) वित्त वर्ष की अंतिम तिमाही में व्यय किए गए। इनमें से ₹ 2,688.01 करोड़ का व्यय माह मार्च में किया गया था। प्रत्येक प्रकरण में कुल व्यय की तुलना में माह मार्च के दौरान किए गए व्यय का प्रतिशत 55 से 100 के मध्य रहा। विवरण **परिशिष्ट 2.9** में दिया गया है। इससे त्रुटिपूर्ण वित्तीय प्रबंधन और व्यय के प्रवाह में एकरूपता न होना दर्शित हुआ जो कि बजटीय नियंत्रण की प्राथमिक आवश्यकता है।

2.3.11 निधियों का आहरण एवं सिविल जमा में रखना

मध्य प्रदेश कोषालय संहिता भाग-1 के उप नियम 284 के प्रावधानों के अनुसार, कोई भी राशि कोषालय से तब तक आहरित नहीं की जानी चाहिए जब तक कि तत्काल संवितरण की आवश्यकता न हो।

हमने देखा कि पर्यटन विभाग ने केंद्र प्रवर्तित योजना पर्यटन अधोसंरचना का निर्माण (केंद्रांश) (अनुदान संख्या-37) के अंतर्गत ₹ 12.25 करोड़ 29 मार्च 2014 को आहरित किए गए थे तथा संबंधित योजना के अंतर्गत अंतिम व्यय दर्शाते हुए 8443-सिविल जमा-800-अन्य जमा में अंतरित किए गए थे। इस प्रकार, केंद्रीय निधियों को व्यपगत होने से बचाने के लिए राशियों को आवश्यकता से पूर्व आहरित किया गया, जो कि संहितागत प्रावधान के प्रतिकूल है।

2.3.12 बजट में नवीन मदों पर व्यय के लिये किए गए प्रावधान का उपयोग न होना

2013-14 के दौरान बजट में नवीन व्यय की अनुसूची की जांच में पाया गया कि 13 अनुदानों से संबंधित 21 योजनाओं में ₹ 107.54 करोड़ नवीन मदों पर व्यय (प्रत्येक प्रकरण में प्रावधान ₹ एक करोड़ और उससे अधिक) हेतु उपलब्ध कराये गये थे। वर्ष 2013-14 के दौरान सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे, जिनके लिए कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2014)। विवरण **परिशिष्ट 2.10** में दिए गए हैं।

2.3.13 अवास्तविक बजट अनुमान

मध्य प्रदेश शासन बजट नियमावली खंड-1 (भाग ब) की कंडिका बी-7 एवं 8 के अनुसार, समस्त बजट नियंत्रण अधिकारी अपने अधीनस्थ आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा तैयार किए गए व्यय एवं प्राप्तियों के अनुमान को संग्रहित करने के साथ ही साथ आगामी वित्तीय वर्ष के दौरान विभागीय योजनाओं के लिए प्राप्त की जाने वाली बजटेत्तर निधियों के अनुमानों की तैयारी एवं व्यय और प्राप्तियों के अनुमानों को अंतिम रूप देने के उत्तरदायी है, बजट नियंत्रण अधिकारियों को आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा तैयार सभी अनुमानों को संग्रहित करना चाहिए एवं उनकी समीक्षा करनी चाहिए।

विनियोग लेखे की जांच के दौरान हमने देखा कि वर्ष 2012-13 में 39 योजनाओं (प्रत्येक प्रकरण में ₹ एक करोड़ से अधिक) के लिए ₹ 5,232.56 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया था जो पूर्णतः अप्रयुक्त रहा। वर्ष 2013-14 में पुनः उन्हीं 39 योजनाओं के लिए ₹ 4,850.21 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया था जो पुनः पूर्णतः अप्रयुक्त रहा। इससे यह दर्शित होता है कि बजट प्रावधान बिना वास्तविक

[3] जहां पिछली तिमाही में व्यय ₹ 10 करोड़ से अधिक हुआ।

आवश्यकता के तदर्थ आधार पर तैयार किए गए थे। विवरण **परिशिष्ट 2.11** में दिए गए हैं।

2.4 चयनित अनुदानों की समीक्षा का परिणाम

विधानसभा में अनुदानों की मांगों पर मतदान होने के उपरांत राज्य की समेकित निधि से सभी प्रकार के धन के विनियोग हेतु एक विनियोग विधेयक प्रस्तुत किया जाता है जो (क) विधानसभा द्वारा दी गई अनुदानों और (ख) समेकित निधि पर भारित व्यय की पूर्ति करता है। विनियोग विधेयक पर राज्यपाल की सहमति प्राप्त करने के उपरांत, विनियोग अधिनियम और संलग्न अनुसूचियों में दर्शाई गई राशियाँ, विभिन्न मांगों में व्यय के लिए स्वीकृत अनुदान मानी जाती है।

हमने बजटीय प्रक्रिया एवं दो अनुदानों अर्थात अनुदान क्रमांक 39-खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण तथा अनुदान क्रमांक 55-महिला एवं बाल विकास से संबंधित व्यय पर नियंत्रण की समीक्षा की (जुलाई-सितम्बर 2014)।

आयुक्त खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, रजिस्ट्रार उपभोक्ता संरक्षण एवं विवाद निवारण फोरम एवं नियंत्रक, नापतौल भोपाल अनुदान क्रमांक 39 के बजट नियंत्रण अधिकारी हैं। आयुक्त एकीकृत बाल विकास सेवाएं तथा आयुक्त, महिला सशक्तीकरण, भोपाल अनुदान क्रमांक 55 के बजट नियंत्रण अधिकारी हैं।

वर्ष 2013-14 के लिए वित्त विभाग द्वारा बजट अनुमान प्रस्तुत करने की समय अनुसूची के संबंध में जारी निर्देशों (22 अगस्त 2012) के अनुसार प्रशासनिक विभाग द्वारा आयोजनेत्तर एवं आयोजना व्यय के लिए अनुमान क्रमशः 14 अक्टूबर 2012 एवं 26 अक्टूबर 2012 तक वित्त विभाग को प्रस्तुत करने थे। बजट नियंत्रण अधिकारी द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी के अनुसार, विभाग (अनुदान क्रमांक 39 एवं 55) के लिए बजट अनुमान वित्त विभाग को अनुबंधित दिनांक के अंदर प्रस्तुत कर दिए गए थे।

2.4.1 सारांशीकृत स्थिति

अनुदान क्रमांक 39 एवं 55 के अंतर्गत बजट, किए गए व्यय एवं बचत की राशियों के ब्यौरे **तालिका 2.6** में सारांशीकृत हैं।

तालिका 2.6: सारांशीकृत विनियोग

(₹ करोड़ में)

अनुदानों का विवरण	अनुभाग	मूल बजट	अनुपूरक बजट	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	बचतें	बचत का कुल अनुदान से प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8
अनुदान क्रमांक 39	राजस्व (दत्तमत)	1,595.84	535.75	2,131.59	1,739.84	391.75	18.38
	पूंजीगत (दत्तमत)	44.50	156.00	200.50	130.48	70.02	34.92
अनुदान क्रमांक 55	राजस्व (दत्तमत)	2,776.05	66.69	2,842.74	2,250.70	592.04	20.83
	पूंजीगत (दत्तमत)	89.80	240.40	330.20	233.97	96.23	29.14
योग		**4,506.19**	**998.84**	**5,505.03**	**4,354.99**	**1,150.04**	**20.89**

(स्रोतः विनियोग लेखे)

इन अनुदानों की समीक्षा करने पर निम्नलिखित बिंदु पाये गए :

2.4.2 बजट अनुमानों की तदर्थ आधार पर तैयारी

मध्य प्रदेश शासन बजट नियमावली खंड-1 (भाग ब) की कंडिका बी-7 एवं 8 के अनुसार, समस्त बजट नियंत्रण अधिकारी अपने अधीनस्थ आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा तैयार किए गए व्यय एवं प्राप्तियों के अनुमान को संग्रहीत करने के साथ ही साथ आगामी वित्तीय वर्ष के दौरान विभागीय योजनाओं के लिए प्राप्त की जाने वाली बजटेत्तर निधियों के अनुमानों की तैयारी एवं व्यय और प्राप्तियों के अनुमानों को अंतिम रूप देने के उत्तरदायी है। बजट नियंत्रण अधिकारियों को आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा तैयार सभी अनुमानों को संग्रहीत करना चाहिए एवं उनकी समीक्षा करनी चाहिए।

जांच में पाया गया कि **परिशिष्ट 2.12** में दिए गए विवरणों के अनुसार वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान राजस्व (दत्तमत) एवं पूंजीगत (दत्तमत) अनुभाग में अनुदान क्रमांक 55 के अंतर्गत पाँच योजनाओं के लिए ₹ 16.17 करोड़ का एवं राजस्व (दत्तमत) अनुभाग में अनुदान क्रमांक 39 के अंतर्गत आठ योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए ₹ 127.80 करोड़ का प्रावधान किया गया था। हमने देखा कि योजनाओं के अंतर्गत कोई व्यय नहीं किया गया। इस प्रकार, सम्पूर्ण प्रावधान अनावश्यक था इससे यह दर्शित हुआ कि बजट अनुमान के लिए मांग तदर्थ आधार पर तैयार की गई थी।

2.4.3 व्यय की अत्यधिकता

व्यय का एकरुप प्रवाह समुचित बजटीय नियंत्रण की प्राथमिक आवश्यकता है। व्यय की अधिकता से विशेषतः वित्त वर्ष के अंतिम माह में बचना चाहिए।

हमने देखा कि वर्ष 2013-14 की अंतिम तिमाही के दौरान अनुदान क्रमांक 39 के अंतर्गत चार योजनाओं में प्रत्येक योजना में किया गया व्यय कुल व्यय का 73 से 100 प्रतिशत था। इसी तरह, अनुदान क्रमांक 55 के अंतर्गत 11 योजनाओं में प्रत्येक योजना में किया गया व्यय कुल व्यय का 44 से 100 प्रतिशत तक था। विवरण **परिशिष्ट 2.13** में दिए गए हैं।

इस ओर इंगित किए जाने पर बजट नियंत्रण अधिकारियों ने बताया कि अंतिम तिमाही के व्यय में पूर्व तीन तिमाहियों की बचतें भी सम्मिलित थीं।

उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि वर्ष के अंत में व्यय की अत्यधिकता से वित्तीय प्रबंधन की कमी दर्शित हुई।

2.4.4 बचत को देरी से/नहीं समर्पित किया जाना

बजट नियमावली की कंडिका 8.3.10 में दिए गए निर्देशों के अनुसार, बजट नियंत्रण अधिकारियों को जैसे ही बचतों पर चूक का आभास हो अपने अधिकार क्षेत्र के विनियोगों या अनुदानों के भागों, जिनकी वर्ष के दौरान आवश्यकता की संभावना न हो, को समर्पित कर देना चाहिए। बजट नियंत्रण अधिकारियों द्वारा सभी प्रत्याशित बचतों को जैसे ही उनका अनुमान लगता है कारणों सहित पूर्ण विवरण के साथ वित्त विभाग को

सूचित करना चाहिए, यदि इन बचतों की उसी अनुदान के अन्य शीर्षों के अंतर्गत प्रत्याशित अतिरिक्त निधियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जरुरत नहीं हो। हमने निम्नलिखित देखाः

(i) अनुदान क्रमांक 39 के अंतर्गत, ₹ 461.77 करोड़ की बचत जो कि कुल आवंटन ₹ 2,332.09 करोड़ की 20 प्रतिशत थी को समर्पित नहीं किया गया तथा उसे व्यपगत होने दिया गया। इसके कारण राशि का वित्त वर्ष के दौरान उपयोग नहीं हो सका।

(ii) अनुदान क्रमांक 55 के अंतर्गत, कुल बचत ₹ 688.39 करोड़ में से ₹ 686.36 करोड़ वित्त वर्ष के आखिरी महीने में समर्पित किए गए थे, इसमें से ₹ 276.00 करोड़ वित्त वर्ष के अंतिम दिवस को समर्पित किए गए थे। शेष राशि को व्यपगत होने दिया गया।

इस ओर इंगित किए जाने पर बजट नियंत्रण अधिकारियों ने बताया कि राशि वित्त विभाग की सहमति के बाद अंतिम तिमाही में जारी की गई थी। इस राशि का उपयोग चुनाव आचार संहिता की अधिसूचना जारी होने के कारण नहीं किया गया था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि जैसे ही बचत संभावित हो वित्त विभाग को सूचित करना चाहिए था।

2.4.5 अनावश्यक अनुपूरक बजट प्रावधान

चार योजनाओं में **तालिका 2.7** में दिए गए विवरण अनुसार, ₹ 162.58 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान अत्यधिक सिद्ध हुआ।

तालिका 2.7: प्रकरण जहां अनुपूरक प्रावधान अधिक सिद्ध हुए

(₹ करोड़ में)

स.क्र.	योजना का नाम	मूल अनुदान/ विनियोग	अनुपूरक अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत
1	2	3	4	5	6
अनुदान क्रमांक 39- खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग					
1.	2408-01-102-6645-अंत्योदय खाद्य योजना	35.00	67.75	34.94	67.81
2.	3475-106-6112-मुख्यालय एवं संभागीय कार्यालय	17.25	0.10	11.33	6.02
अनुदान क्रमांक 55- महिला एवं बाल विकास विभाग					
3.	2235-02-103-701-6103-एकीकृत बाल संरक्षण योजना	6.82	9.23	1.68	14.37
4.	4235-02-102-1301-5360-आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए भवनों का निर्माण	64.75	64.00	54.37	74.38
योग		**123.82**	**141.08**	**102.32**	**162.58**

(स्रोतः विनियोग लेखे)

उपर्युक्त तालिका के विश्लेषण से प्रकट हुआ कि इन दो अनुदानों के अंतर्गत किए गए सम्पूर्ण अनुपूरक प्रावधान (₹ 141.08 करोड़) अप्रयुक्त रहे।

2.4.6 त्रुटियुक्त बजटिंग

मध्य प्रदेश बजट नियमावली की कंडिका 20.3.2 के अनुसार, विभाग को वेतन उद्देश्य शीर्ष सहित आयोजनेत्तर व्यय के अंतर्गत अनुमानों की समीक्षा करनी चाहिए एवं यदि आवश्यक हो तो संभावित बचतों या विगत वर्ष की वास्तविक बचतों के आधार पर अनुमानों में परिवर्तन करें। विभाग को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि वेतन एवं मजदूरी व्यय के अनुमानों के लिए कुल स्वीकृत पदों के स्थान पर वास्तविक पदों की संख्या को लिया गया है।

अनुदान क्रमांक 39 के अंतर्गत विनियोग लेखे एवं विस्तृत लेखे में दर्शित महत्वपूर्ण बचतों के कारणों का विश्लेषण करने पर प्रकट हुआ कि विभाग ने स्वीकृत संख्या के आधार पर वर्ष 2013-14 के लिए वेतन एवं भत्ते सहित आयोजनेत्तर व्यय के लिए बजट अनुमान तैयार किए थे। इसके परिणामस्वरुप ₹ 15.62 करोड़ की बचतें हुई। **तालिका 2.8** में दिए गए विवरण अनुसार राशियां समर्पित नहीं किए जाने से व्यपगत हुई।

तालिका 2.8: त्रुटियुक्त बजटिंग का विवरण

(₹ करोड़ में)

स.क्र.	शीर्ष	कुल प्रावधान	व्यय	बचत
1.	39-2408-01-001-0629-ग्राहक संरक्षण प्रकोष्ठ	17.46	13.17	4.29
2.	39-2408-01-001-1471-जिला कार्यालय	35.46	31.16	4.30
3.	39-2408-01-001-3537-मुख्य कार्यालय	3.88	2.87	1.01
4.	39-3475-106-6112-मुख्यालय एवं संभागीय कार्यालय	17.35	11.33	6.02
	योग	**74.15**	**58.53**	**15.62**

(स्रोतः विनियोग लेखे)

इस ओर इंगित किए जाने पर, बजट नियंत्रण अधिकारियों ने बताया कि बचतें विभाग में पद खाली होने के कारण हुई थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि नियमावली के प्रावधान का पालन नहीं किया गया था।

2.5 निष्कर्ष एवं अनुशंसाएं

मूल एवं अनुपूरक अनुदानों के अंतर्गत बढ़े हुए प्रावधान

- 2013-14 के दौरान कुल बजट प्रावधान ₹ 1,13,550 करोड़ के विरुद्ध कुल ₹ 90,432 करोड़ व्यय हुए, परिणामस्वरुप ₹ 23,118 करोड़ की समग्र बचतें हुई। अतः ₹ 11,088 करोड़ (मूल प्रावधान का 10.82 प्रतिशत) के सम्पूर्ण अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुए। 21 अनुदानों के अंतर्गत, 27 मदों में प्रत्येक में ₹ 100 करोड़ से अधिक की कुल ₹ 12,427 करोड़ की बचतें हुई थी।

सरकारी विभागों में बजटीय नियंत्रण तंत्र को व्यय के उचित अनुवीक्षण द्वारा सुदृढ़ किया जाना चाहिए। अनुपूरक अनुदानों के अनावश्यक प्रावधानों से बचा जाना चाहिए।

देरी से/नहीं समर्पित की गई बचतें

- वर्ष के दौरान कुल बचतों का केवल 54.24 प्रतिशत (₹ 12,538.75 करोड़) समर्पित किया गया था। 59 प्रकरणों में ₹ 7,558 करोड़ की बचतें (प्रत्येक में ₹ 10 करोड़ से अधिक) वित्त वर्ष के अंतिम दिवस को समर्पित की गई थीं, जिससे इन निधियों के अन्य कार्यों में उपयोग हेतु गुंजाइश नहीं बची।

 सभी प्रत्याशित बचतों को समय से समर्पित किया जाना चाहिए ताकि निधियों को अन्य विकासात्मक उद्देश्यों हेतु उपयोग किया जा सके।

आधिक्य व्यय जिसके नियमन की आवश्यकता है

- 2013-14 के दौरान ₹ 34.32 करोड़ का आधिक्य व्यय हुआ, जिसका संविधान के अनुच्छेद 205 के अधीन नियमन की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त, विगत वर्षों से संबंधित ₹ 740 करोड़ भी अनियमित रहे।

 1997-98 से लंबित आधिक्य व्यय का नियमितीकरण प्राथमिकता के आधार पर किया जाए।

केन्द्रीय निधियों को सिविल जमा में रखना

- 29 मार्च 2014 को आहरित ₹ 12.25 करोड़ की केन्द्रीय निधि को व्यपगत होने से बचाने के लिए लोक लेखे में सिविल जमा में अंतरित किया गया था, जिससे राज्य की समेकित निधि के अंतर्गत उस वर्ष के लिए व्यय बढ़ा हुआ था।

 वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर सिविल जमा में निधियों का अंतरण किया लेकिन उनका उपयोग नहीं किया गया। परिणामस्वरूप राज्य का व्यय बढ़ा हुआ बताया गया जिससे बचा जाना चाहिए।

नवम्बर 2014 में आयोजित निर्गम सम्मेलन के दौरान, सचिव, वित्त विभाग ने बताया कि लेखापरीक्षा द्वारा की गई अनुशंसाओं पर कार्रवाई की जाएगी।

अध्याय 3

वित्तीय प्रतिवेदन

अध्याय 3

वित्तीय प्रतिवेदन

सुसंगत एवं विश्वसनीय सूचना के साथ एक स्वस्थ आन्तरिक वित्तीय सूचनातंत्र, राज्य सरकार द्वारा दक्ष एवं प्रभावी सुशासन में महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान करता है। वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं तथा निदेशों के अनुपालन के साथ इन अनुपालनों की समयबद्धता और सूचना की गुणवत्ता की स्थिति अच्छे सुशासन की विशेषताओं में से एक है। अनुपालन और नियंत्रणों पर प्रतिवेदन, यदि प्रभावशाली एवं प्रक्रियात्मक है तो यह राज्य सरकार की मूलभूत प्रबंधन उत्तरदायित्व निभाने के साथ सामरिक महत्व की योजना व निर्णय लेने में भी सहायता करता है। इस अध्याय में वर्ष 2013-14 के दौरान राज्य सरकार के विभिन्न वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं और निदेशों के अनुपालन की स्थिति एवं एक विहंगावलोकन दिया गया है।

3.1 उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में विलंब

मध्य प्रदेश वित्तीय संहिता खण्ड-1 के नियम 182 के अनुसार, वार्षिक या अनावर्ती सशर्त अनुदानों के मामले में, जिस विभागीय अधिकारी के हस्ताक्षर या प्रतिहस्ताक्षर से सहायता अनुदान देयक आहरित किया जाता है, वह अधिकारी जिस वर्ष से अनुदान संबंधित है उसके आगामी वर्ष के 30 सितम्बर को या उसके पहले महालेखाकार को उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेंगे।

2013-14 तक विभिन्न विभागों में सहायता-अनुदान स्वीकृति के विरूद्ध बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्र की स्थिति **तालिका 3.1** में दी गई है।

तालिका 3.1: बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्रों की वर्षवार स्थिति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रारंभिक शेष		चालू वर्ष के दौरान देय उपयोगिता प्रमाण-पत्र		योग		वर्ष के दौरान प्राप्त उपयोगिता प्रमाण-पत्र		वर्ष के अंत में बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्र	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
2011-12 तक	36,150	18,127.79	4551	15,020.76	40,701	33,148.55	296	1,730.83	40,405	31,417.72
2012-13	40,405	31,417.72	687	3,708.83	41,092	35,126.55	2469	6,885.64	38,623	28,240.91
2013-14	38,623	28,240.91	428	926.94	39,051	29,167.85	2637	1,795.12	36,414	27,372.73*

(स्रोतः वित्त लेखे 2013-14)

**** 2013-14 के दौरान दिए गए अनुदानों के लिए उपयोगिता प्रमाण-पत्र दिनांक 30 सितम्बर को या इससे पूर्व देय होंगे सिवाय इसके जहां स्वीकृति आदेश में अन्यथा निर्देश नहीं दिए गए हों।***

जैसा कि उपर्युक्त में देखा जा सकता है कि 31 मार्च 2014 को 36 विभागों के कुल राशि ₹ 27,372.73 करोड़ के 36,414 उपयोगिता प्रमाण-पत्र बकाया थे। विवरण **परिशिष्ट 3.1** में दिया गया है। उपयोगिता प्रमाण पत्रों का वृहद् रूप से लंबित रहना मुख्य रूप से नगरीय प्रशासन (₹ 9,548 करोड़), खाद्य, नागरिक आपूर्ति (₹ 5,210 करोड़), ग्रामीण विकास (₹ 4,937 करोड़), स्कूल शिक्षा (₹ 2,784 करोड़) तथा ऊर्जा (₹ 998 करोड़) विभागों से संबंधित था।

3.2 स्वायत्त निकायों के लेखाओं/पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की प्रस्तुति में विलंब

राज्य सरकार ने कृषि, गृह निर्माण, श्रम कल्याण, नगरीय विकास इत्यादि क्षेत्रों में अनेक स्वायत्त निकायों की स्थापना की है। राज्य में छह स्वायत्त निकायों के लेखाओं की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक को सौंपी गई है। 30 जून 2014 को लेखापरीक्षा सौंपने की स्थिति, लेखापरीक्षा को लेखे भेजना, पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जारी करना तथा विधानसभा में उनकी प्रस्तुति **तालिका 3.2** में दी गई है।

तालिका 3.2: स्वायत्त निकायों के लेखे भेजने की स्थिति

स.क्र.	निकाय का नाम	सौंपने की अवधि	वर्ष जब तक लेखे प्रस्तुत किए गए थे	अवधि जब तक पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जारी किए गए थे	विधानसभा में पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की प्रस्तुति	लेखों की प्रस्तुति/अप्रस्तुति में विलंब (माहों में)
1	मध्य प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग मंडल, भोपाल	2013-14 तक	2008-09	2008-09	2005-06	2009-10 (48) 2010-11 (36) 2011-12 (24) 2012-13 (12) 2013-14 (निरंक)
2	मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग, भोपाल	2013-14 तक	2012-13	2011-12	2011-12	2012-13 (08)
3	मध्य प्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल, भोपाल	संसद के अधिनियम द्वारा सौंपा	2010-11	2005-06	जानकारी प्रतीक्षित	2006-07 (69) 2007-08 (57) 2008-09 (45) 2009-10 (55) 2010-11 (31) 2011-12 (24) 2012-13 (12) 2013-14 (निरंक)
4	मध्य प्रदेश राज्य विद्युत शक्ति नियामक आयोग	2012-13 तक	2012-13	2012-13	2012-13	-
5	मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर	संसद के अधिनियम द्वारा सौंपा	स्थापना (1997-98) से प्रस्तुत नहीं किए गए	-	-	1997-98 (192)
6	मध्य प्रदेश आवास एवं अधोसंरचना विकास मंडल, भोपाल	2013-14 तक	2011-12	2011-12	जानकारी प्रतीक्षित	2007-08 (50) 2008-09 (40) 2009-10 (34) 2010-11 (22) 2011-12 (12) 2012-13 (12) 2013-14 (निरंक)

टिप्पणी-विलम्ब की अवधि, लेखा प्राप्ति की नियत दिनांक अर्थात आगामी वित्तीय वर्ष की 30 जून से 30 जून 2014 तक ली गई है।

छह स्वायत्त निकायों में से, मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर ने अपनी स्थापना 1997-98 से लेखे प्रस्तुत नहीं किए। लेखाओं के प्रस्तुतीकरण हेतु सदस्य सचिव, मध्य प्रदेश राज्य विधि सेवा प्राधिकरण, जबलपुर से पत्राचार (सितम्बर 2014) किया गया था। जैसा कि **तालिका 3.2** में देखा जा सकता है कि तीन स्वायत्त निकायों (सरल क्रमांक एक, तीन एवं छह) द्वारा लेखाओं को प्रस्तुत करने में 69 महीनों तक का अत्यधिक विलंब किया गया था।

राज्य विधानसभा में पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की प्रस्तुति एवं लेखों के प्रस्तुतीकरण में अस्वाभाविक विलंब के परिणामस्वरूप इन निकायों जिनमें सरकारी निवेश किया गया है, की कार्यप्रणाली की जाँच में देरी हुई, इसके साथ ही स्वायत्त निकायों में वित्तीय अनियमितताओं पर आवश्यक उपचारात्मक कार्यवाही प्रारम्भ करने में विलंब हुआ।

3.3 दुर्विनियोग, हानियां, गबन इत्यादि की सूचना

मध्य प्रदेश वित्तीय संहिता खण्ड-1 के नियम 22(1) में कहा गया है कि कोई भी लोक धन की हानि, गबन से हो या अन्य किसी कारण से, तत्काल महालेखाकार को सूचित किया जाना चाहिये, चाहे इस हानि को जिम्मेदार पक्षकार द्वारा पूरा कर दिया गया हो।

राज्य सरकार ने 31 मार्च 2014 तक दुर्विनियोग, हानियाँ, गबन इत्यादि के 2989 प्रकरण सूचित किए थे जिनमें ₹ 28.17 करोड़ समाविष्ट था, जिन पर जून 2014 तक अंतिम कार्रवाई लंबित थी। इस राशि में वर्ष 2013-14 के लिए ₹ 1.32 करोड़ (349 प्रकरण) सम्मिलित थे। ₹ 14.47 करोड़ एवं ₹ 4.83 करोड़ के अनेक प्रकरण (2353) वानिकी एवं वन्य प्राणी विभाग तथा सामान्य शिक्षा विभाग के लिए वसूली/नियमितिकरण हेतु लंबित थे। 2013-14 के अंत में दुर्विनियोग, हानियाँ, गबन इत्यादि के लंबित प्रकरणों का विभागवार विवरण तथा उनका समयवार विश्लेषण **परिशिष्ट 3.2** में दिया गया है। विभागवार और अनियमितताओं की प्रकृति अनुसार इन प्रकरणों का विवरण **परिशिष्ट 3.3** में दिया गया है। इन परिशिष्टों से उद्भूत लंबित प्रकरणों की समयानुसार रूपरेखा के साथ अनियमितताओं की प्रकृति को **तालिका 3.3** में सारांशीकृत किया गया है।

तालिका 3.3: दुर्विनियोग, हानियों, गबन इत्यादि की रूपरेखा

लंबित प्रकरणों की समयानुसार रूपरेखा			लंबित प्रकरणों का विवरण		
वर्गीकरण (वर्षो में)	प्रकरणों की संख्या	समाविष्ट राशि (₹ करोड़ में)	प्रकरण की प्रकृति	प्रकरणों की संख्या	समाविष्ट राशि (₹ करोड़ में)
0 - 5	544	11.30	चोरी	186	2.01
5 - 10	385	7.26			
10 - 15	463	4.20	दुर्विनियोग/सामग्री की हानि	2803	26.16
15 - 20	380	2.21			
20 - 25	664	1.76			
25 और उससे अधिक	553	1.44			
योग	**2989**	**28.17**	**योग**	**2989**	**28.17**

आगे विश्लेषण से प्रकट हुआ कि जिन कारणों से प्रकरण बकाया थे उनको **तालिका 3.4** में दर्शाया गया है।

तालिका 3.4: दुर्विनियोग, हानि, गबन इत्यादि के बकाया प्रकरणों के कारण

बकाया/विलंब प्रकरणों के कारण		प्रकरणों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
(i)	विभागीय एवं आपराधिक अन्वेषण प्रतीक्षित	20	0.35
(ii)	विभागीय कार्यवाही प्रारंभ परंतु अंतिम रूप नहीं दिया	07	0.53
(iii)	आपराधिक कार्यवाही जिसे अंतिम रूप दिया गया लेकिन राशि की वसूली के लिए प्रमाण पत्र प्रकरणों का निष्पादन लंबित था	06	0.19
(iv)	वसूली अथवा अपलेखन हेतु आदेश प्रतीक्षित	2839	23.03
(v)	न्यायालयों में लंबित	117	04.07
	योग	**2989**	**28.17**

इस तरह ₹ 28.17 करोड़ के 2989 प्रकरणों में से ₹ 9.61 करोड़ के 2060 प्रकरण (69 प्रतिशत) 10 वर्ष से अधिक लंबित शामिल थे। 2839 प्रकरणों (95 प्रतिशत) में वसूली अथवा अपलेखन के आदेश प्रतिक्षित थे।

इसके अतिरिक्त, वर्ष 2013-14 के दौरान ₹ 17.89 लाख के 163 हानि के प्रकरणों का अपलेखन किया गया था, जैसा कि **परिशिष्ट 3.4** में विस्तृत दिया गया है।

3.4 विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक देयकों की प्रस्तुति में विलंब

3.4.1 संक्षिप्त आकस्मिक देयकों के विरूद्ध विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक देयकों की प्रस्तुति में विलंब

मध्य प्रदेश कोषालय संहिता भाग-1 के नियम 313 के अनुसार, प्रत्येक आहरण एवं संवितरण अधिकारी को प्रत्येक संक्षिप्त आकस्मिक देयक में यह प्रमाणित करना होता है कि वर्तमान माह के प्रथम दिवस से पूर्व उनके द्वारा आहरित समस्त आकस्मिक प्रभारों के लिए विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक देयकों को प्रतिहस्ताक्षर के लिए संबंधित नियंत्रण अधिकारियों को तथा महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को प्रेषण हेतु अग्रेषित

कर दिए गए है। मध्य प्रदेश कोषालय संहिता के सहायक नियम 327 के अनुसार आहरण एवं संवितरण अधिकारी को मासिक विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक देयक आवश्यक प्रमाण पत्र के साथ नियंत्रण अधिकारी को आगामी महीने की पांच तारीख तक प्रस्तुत कर देने चाहिए। नियंत्रण अधिकारी को पारित विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक देयक महालेखाकार को प्रस्तुत करना होता है, ताकि ये देयक महालेखाकार कार्यालय में उसी महीने की 25 तारीख तक प्राप्त हो जाए। जबकि, वित्त विभाग के अनुदेश (सितम्बर 1999) द्वारा सभी विभागों के लिए खेल एवं युवा कल्याण विभाग (केवल नेशनल केडेट कोर पर व्यय के लिए) को छोड़कर संक्षिप्त आकस्मिक देयकों से आहरण पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

हमने देखा कि मार्च 2014 के अन्त तक, ₹ 14.96 करोड़ के 599 विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक देयक लंबित थे। इनमें से केवल 55 देयक (₹ 52 लाख) नेशनल कैडेट कोर (एन.सी.सी.) से संबंधित थे। विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक देयकों को प्रस्तुत करने में हुआ वर्षवार विलंब **तालिका 3.5** में दिया गया है।

तालिका 3.5: मार्च 2014 के अंत में संक्षिप्त आकस्मिक देयकों के विरूद्ध विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक देयकों की बकाया स्थिति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रारंभिक शेष		वर्ष के दौरान आहरित संक्षिप्त आकस्मिक देयक		योग		वर्ष के दौरान प्राप्त विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक देयक		वर्ष के अंत में बकाया विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक देयक	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
2011-12 तक	1339	21.43	8**	0.05	1347	21.48	477	1.98	870	19.50
2012-13	870	19.50	300	1.66	1170	21.16	497	5.92	673	15.24
2013-14	673	15.24	255	1.64	928	16.88	329	1.92	599ϒ	14.96

(स्रोतः वित्त लेखे 2013-14)

*** 2011-12 के दौरान 8 देयक आहरित किए गए ϒ इसमें मार्च 2014 में आहरित ₹ 0.96 लाख के पांच संक्षिप्त आकस्मिक देयक सम्मिलित है जिनके लिए विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक देयक अप्रैल 2014 तक प्राप्त नहीं किए गए थे।*

2013-14 के अन्त तक विभागवार लंबित विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक देयकों का विवरण **तालिका 3.6** में दिया गया है।

तालिका 3.6: वर्ष 2013-14 तक लंबित विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक देयक

स.क्र.	विभागों के नाम/नियंत्रण अधिकारी	संक्षिप्त आकस्मिक देयकों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
1	सामान्य प्रशासन विभाग, राज्य प्रोटोकॉल अधिकारी, मंत्रालय, भोपाल	19	7.59
2	संचालक, किसान कल्याण एवं कृषि विकास, भोपाल	07	0.07
3	संचालक (मृदा संरक्षण), किसान कल्याण एवं कृषि विकास, भोपाल	481	6.41
4	आयुक्त, जनजाति कल्याण एवं पिछड़ा वर्ग विभाग, भोपाल	37	0.37
5	खेल एवं युवा कल्याण विभाग, उप संचालक (एन.सी.सी.) राज्य भोपाल	55	0.52
	योग	**599**	**14.96**

इस प्रकार, बकाया संक्षिप्त आकस्मिक देयकों के लगभग 91 प्रतिशत नेशनल कैडेट कोर पर किए व्यय के अलावा अन्य उद्देश्यों से संबंधित थे।

3.5 विभागीय प्राप्तियों एवं व्यय का मिलान

मध्य प्रदेश बजट नियमावली की कंडिका 24.9.3 के अनुसार, बजट नियंत्रण अधिकारी उनके द्वारा संधारित किये गये लेखों को महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) की पुस्तकों से मिलान और गलत वर्गीकरण को पहचान कर एवं ठीक करवाने के लिए उत्तरदायी होगा। यद्यपि विभागीय आंकड़ों के मिलान न किए जाने के बारे में हमारे लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में नियमित रूप से उल्लेख किया गया है तथापि 2013-14 के दौरान इस विषय में नियंत्रण अधिकारियों की ओर से चूक करना निरन्तर रूप से जारी रहा।

हमने देखा कि 2013-14 के दौरान कुल व्यय ₹ 85,762.16 करोड़ के विरूद्ध 117 नियंत्रण अधिकारियों में से 104 नियंत्रण अधिकारियों द्वारा ₹ 35,216.12 करोड़ (41 प्रतिशत) का मिलान किया गया था। 31 मार्च 2014 को 13 विभागों के नियंत्रण अधिकारियों द्वारा ₹ 50,546.04 करोड़ (59 प्रतिशत) की राशि के व्यय का मिलान नहीं किया गया।

इसके अतिरिक्त, सभी बजट नियंत्रण अधिकारियों को प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा लेखांकित आंकड़ों से सरकार की प्राप्तियों का मिलान करने की आवश्यकता होती है। वर्ष 2013-14 के दौरान सरकार की कुल ऋणेत्तर प्राप्तियाँ ₹ 75,880.88 करोड़ के विरूद्ध केवल ₹ 23,158.46 करोड़ (31 प्रतिशत) के मिलान पूर्ण किए गए थे। नियंत्रण अधिकारियों द्वारा व्यय और प्राप्तियों का मिलान न किये जाने से वित्तीय प्रबंधन में कमी दर्शित हुई।

3.6 अस्थायी अग्रिमों का समायोजन न होना

आहरण एवं संवितरण अधिकारी आकस्मिक व्यय की पूर्ति के लिए अस्थायी अग्रिमों का आहरण या तो स्थाई आदेशों के प्राधिकार पर अथवा राज्य सरकार की विनिर्दिष्ट संस्वीकृतियों के आधार पर करते हैं। वित्त विभाग के निर्देशानुसार (अक्टूबर 2001) शासकीय कर्मचारियों द्वारा यात्रा या आकस्मिक व्यय हेतु लिए गए अस्थायी अग्रिमों का समायोजन अग्रिम लेने की दिनांक से तीन माह के अन्दर या वित्त वर्ष के अंत तक, जो भी पहले हो, तक कर लिया जाना चाहिए। ऐसा न करने पर गलती करने वाले अधिकारी/कर्मचारी से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की सावधि जमा पर ब्याज की दर के अनुसार ब्याज अधिरोपित किया जाना चाहिए।

विभिन्न विभागों द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी (उपलब्ध सीमा तक) से प्रकट हुआ कि दिनांक 31 मार्च 2014 को 18 विभागों[1] के कुल ₹ 6.63 करोड़ के 1834 प्रकरण,

[1] *(1) आवास एवं पर्यावरणः ₹ 0.04 लाख, (2) मछली पालनः ₹ 0.09 लाख, (3) चुनाव आयोगः ₹ 304.35 लाख, (4) पुलिसः ₹ 3.98 लाख, (5) शिक्षाः ₹ 14.08 लाख, (6) पर्यटनः ₹ 11.31 लाख, (7) उद्यानिकीः ₹ 274.43 लाख, (8) संस्कृतिः ₹ 4.68 लाख, (9) पुरातत्व अभिलेखागार एवं संग्रहालयः ₹ 31.21 लाख, (10) अनुसूचित जनजाति कल्याणः ₹ 1.88 लाख, (11) उद्योगः ₹ 0.36 लाख, (12) नर्मदा*

अभिलेखों में समायोजन हेतु लंबित थे। संबंधित विभागों द्वारा अस्थायी अग्रिमों का समायोजन नहीं किए जाने के कारण सूचित नहीं किए गए थे। लंबित अग्रिमों का अवधिवार विश्लेषण **तालिका 3.7** में दिया गया है।

तालिका 3.7: मार्च 2014 तक लंबित अग्रिम प्रकरणों का अवधिवार विश्लेषण

स.क्र.	लंबित	प्रकरणों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
1	10 वर्ष से अधिक	952	0.37
2	5 वर्ष से अधिक एवं 10 वर्ष तक	291	0.28
3	एक वर्ष से अधिक किन्तु पाँच वर्ष से कम	258	0.94
4	एक वर्ष से कम	333	5.04
कुल		**1834**	**6.63**

(स्त्रोतः विभागों द्वारा प्रस्तुत आंकड़े)

उपर्युक्त से देखा जा सकता है कि 52 प्रतिशत प्रकरण (952) 10 वर्ष से अधिक पुराने हैं एवं इस तरह, उनकी वसूली की संभावना बहुत कम है। अग्रिमों की वसूली न होने से संबंधित विभागों में प्रभावशाली आंतरिक नियंत्रण की कमी दर्शित हुई।

3.7 लघु शीर्ष '800-अन्य प्राप्तियां' एवं '800-अन्य व्यय' के अंतर्गत बुकिंग

चूंकि अधिकतर शासकीय गतिविधियां महालेखा नियंत्रक द्वारा जारी केंद्र व राज्य के मुख्य एवं लघु शीर्ष की सूची में स्पष्ट वर्णित है एवं मध्य प्रदेश बजट नियमावली के पैरा 8.3.5(VI) के अनुसार भी बजट नियंत्रण अधिकारियों को सुनिश्चित करना चाहिए कि लघुशीर्ष '800-अन्य प्राप्तियां/व्यय' का संचालन कम से कम हो।

वित्त लेखे 2013-14 की जांच में पाया गया कि ₹ 9,532.67 करोड़ का व्यय, कुल व्यय का 12 प्रतिशत (राजस्व एवं पूंजीगत) संबंधित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दर्ज किया गया, जो कि लघुशीर्ष '800-अन्य व्यय' के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था।

हमने यह भी देखा कि 18 मुख्य लेखा शीर्ष (राजस्व एवं पूंजीगत) के अंतर्गत ₹ 6,075.78 करोड़ इन मुख्य शीर्षों के अंतर्गत कुल व्यय ₹ 8,074.00 करोड़ का 75 प्रतिशत लघु लेखा शीर्ष '800-अन्य व्यय' के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था। यह व्यय संबंधित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत कुल व्यय के 53 से 100 प्रतिशत के मध्य रहा, जैसा कि **परिशिष्ट 3.5** में दिखाया गया है।

इसी तरह संबंधित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत ₹ 15,411.85 करोड़ की राजस्व प्राप्तियां कुल राजस्व प्राप्तियों (₹ 75,749.24 करोड़) का 20 प्रतिशत दर्ज की गईं जो कि लघुशीर्ष '800-अन्य प्राप्तयों' के अंतर्गत वर्गीकृत की गईं थी। 26 लेखों के मुख्य शीर्ष (राजस्व प्राप्ति) के अंतर्गत कुल राजस्व प्राप्तियों ₹ 12,236.45 करोड़ में से ₹ 10,191.49 करोड़ (83 प्रतिशत) '800-अन्य प्राप्तियों' के अंतर्गत वर्गीकृत किए गए

घाटी विकासः ₹ 2.91 लाख, (13) पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक कल्याणः ₹ 2.67 लाख, (14) जल संसाधन विभागः ₹ 7.78 लाख, (15) भू अर्जन एवं पुनर्वासः ₹ 0.03 लाख, (16) सामाजिक न्याय एवं निःशक्तता कल्याणः ₹ 0.26 लाख, (17) लोक निर्माण विभागः ₹ 1.37 लाख, (18)आबकारी : ₹ 1.24 लाख

थे, संबंधित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लघु शीर्ष के अंतर्गत प्राप्तियां कुल राजस्व प्राप्तियों का 51 से 100 प्रतिशत के मध्य रहा। विवरण **परिशिष्ट 3.6** में दिया गया है।

लघु शीर्ष '800-अन्य प्राप्तियां' एवं '800-अन्य व्यय' के अंतर्गत दर्ज की गई बड़ी राशियां वित्तीय सूचना की पारदर्शिता को प्रभावित करती हैं क्योंकि इससे लेखों में सरकार की विभिन्न गतिविधियों पर विखण्डित जानकारी पृथक से प्राप्त नहीं हो पाती।

3.8 निकायों एवं प्राधिकरणों को दिए गए अनुदान या ऋण के विवरणों को प्रस्तुत न करना

नियंत्रक महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 14 एवं 15 के अंतर्गत जिन संस्थानों/संगठनों की लेखापरीक्षा की जानी है उनको पहचानने के लिए, सरकार/विभागाध्यक्षों को विभिन्न संस्थानों को दी गई वित्तीय सहायता, जिस उद्देश्य के लिए सहायता प्रदान की गई और संस्थानों के कुल व्यय की विस्तृत जानकारी प्रत्येक वर्ष लेखापरीक्षा को प्रस्तुत करनी होती है। इसके अतिरिक्त, लेखा एवं लेखापरीक्षा, विनियम 2007 उपबंधित करता है कि सरकार एवं विभागाध्यक्ष, जिन निकायों या प्राधिकरणों को अनुदान एवं/या ऋण संस्वीकृत करते हैं, वे प्रत्येक वर्ष जुलाई के अंत में, उन निकायों एवं प्राधिकरणों जिनको पूर्ववर्ती वर्ष में ₹ 10 लाख या उससे अधिक के अनुदान एवं/या ऋण का भुगतान किया था, का विवरण पत्र, जिसमें (अ) सहायता की राशि (ब) जिस उद्देश्य के लिए सहायता संस्वीकृत की गई थी (स) निकाय या प्राधिकरण का कुल व्यय दर्शित हो, लेखापरीक्षा कार्यालय को प्रस्तुत करेंगे।

सितम्बर 2014 तक, मध्य प्रदेश सरकार के किसी भी विभाग ने वर्ष 2013-14 के लिए इस तरह के विवरण लेखापरीक्षा कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किए। प्रकरण को सितम्बर 2014 में वित्त विभाग एवं अक्टूबर 2014 में शासन के मुख्य सचिव के ध्यान में भी लाया गया; उनके उत्तर अभी तक प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2014)।

3.9 व्यक्तिगत जमा खातों का रख-रखाव

व्यक्तिगत जमा खाते वे जमा खाते हैं जो कि, खाते प्रशासक के नाम से कोषालय में खोले जाते हैं। राशि को 8443-सिविल जमा 106-व्यक्तिगत जमा के अंतर्गत रखा जाता है। इन खातों को वित्त विभाग के अनुमोदन से खोला जा सकता है। वर्तमान नियमानुसार महालेखाकार की सहमति आवश्यक नहीं है। मध्य प्रदेश कोषालय संहिता भाग-1 के सहायक नियम 543 एवं 584 से 590 के प्रावधानों के अनुसार जो कि व्यक्तिगत जमा खाते के संधारण से संबंधित है, ऐसे व्यक्तिगत जमा खाते जो राज्य की समेकित निधि से विकलन कर खोले जाते हैं, उनको वित्त वर्ष की समाप्ति पर संबद्ध सेवा शीर्ष को ऋणात्मक नामे डालकर बंद कर देना चाहिए। वित्त विभाग के फरवरी 2010 के अनुदेशों के अनुसार, यदि अगले वर्ष व्यक्तिगत जमा खाते खोलना आवश्यक है तो सामान्य प्रक्रिया से खोले जा सकते हैं। जो व्यक्तिगत जमा खाते लगातार तीन वर्ष तक असंचालित रहे हैं उन्हें कोषालय अधिकारी द्वारा व्यक्तिगत जमा खाते के

प्रशासक को सूचना देकर बंद कर देना चाहिए एवं शेष राशि को राजस्व जमा के रूप में शासकीय खाते में अंतरित करने की कार्रवाई प्रारम्भ कर देनी चाहिए। व्यक्तिगत जमा खाते का कोषालय लेखे से आवधिक मिलान संबंधित प्रशासक का उत्तरदायित्व है। सहायक नियम 558 के अनुसार धन ऋण ज्ञापन जो कि व्यक्तिगत जमा खाते के प्रारम्भिक शेष, प्राप्तियों, संवितरण एवं अंतिम शेष को दर्शाते हैं, को प्रत्येक माह महालेखाकार को प्रस्तुत करना आवश्यक होता है।

व्यक्तिगत जमा खाते की समग्र स्थिति

वर्ष 2011-14 के लिए शासकीय एवं अर्द्ध शासकीय संस्थानों के व्यक्तिगत जमा खाते जो कि राज्य की समेकित निधि से विकलन कर खोले गये हैं, के लेन-देनों के विवरण **तालिका 3.8** में दिए गए हैं।

तालिका 3.8: व्यक्तिगत जमा खातों के अंतर्गत शेष की स्थिति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	1 अप्रैल को व्यक्तिगत जमा खाते में शेष		वर्ष के दौरान खोले गए व्यक्तिगत जमा खाते		वर्ष के दौरान बंद किए गए व्यक्तिगत जमा खाते		31 मार्च को व्यक्तिगत जमा खाते में शेष	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
2011-12	765	2,003.45	128	3.93	07	0.08	886	2,007.30
2012-13	886	2,007.30	27	80.96	09	25.24	904	2,063.02
2013-14	904	2,063.02	19	94.75	43	18.70	880*	1,784.77#

(स्रोतः वित्त लेखे में लेखों पर टिप्पणियां)

**** शासकीयः 877, अर्द्धशासकीय 3, इसमें से 414 व्यक्तिगत जमा खाते मार्च 2014 तक असंचालित थे।***

वित्त लेखे में दर्शाए गए वास्तविक शेष के अनुसार है। उपर्युक्त तालिका में पुराने व्यक्तिगत जमा खाते के अंतर्गत ₹ 354.30 करोड़ का अंतर प्राप्तियों एवं संवितरण को दर्शाये न जाने के कारण था।

व्यक्तिगत जमा खातों के अंतिम शेष से प्रकट हुआ कि प्रशासकों ने नियमानुसार वित्त वर्ष की समाप्ति पर व्यक्तिगत जमा खातों को सुसंगत सेवा शीर्षों को ऋण नामे में डालकर बंद नहीं किए गए। चूंकि राज्य की समेकित निधि से व्यक्तिगत जमा खाते में अंतरित राशि को अंतिम व्यय के रूप मे दर्शाया जाता है, वर्ष की समाप्ति पर व्यक्तिगत जमा खाते को बंद न किए जाने के परिणामस्वरूप वर्ष के दौरान समेकित निधि के अंतर्गत व्यय बढ़ा हुआ होता है।

सात व्यक्तिगत जमा खातों के प्रशासकों, जिनके 31 मार्च 2014 को व्यक्तिगत जमा खातों के अंतर्गत कुल ₹ 93.45 करोड़[2] शेष थे, से संबंधित अभिलेखों (मई से अगस्त 2014) की लेखापरीक्षा में नमूना जांच की गई। निम्नलिखित टिप्पणियां की गई थीः

[2] (1) आयुक्त, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, भोपालः ₹ 50.85 करोड़, (2) भू अर्जन अधिकारी, ओंकारेश्वर/महेश्वर परियोजना, बड़वाह, जिला खरगोनः ₹ 18.03 करोड़, (3) भू अर्जन अधिकारी एवं पुनर्वास अधिकारी, सरदार सरोवर परियोजना, मनावर जिला धारः ₹ 5.04 करोड़, (4) भू अर्जन अधिकारी एवं उप संभागीय अधिकारी (राजस्व), बड़वाह, जिला खरगोनः ₹ 12.25 करोड़, (5) भू अर्जन अधिकारी एवं उप संभागीय अधिकारी (राजस्व), बरोद जिला आगर (मालवा): ₹ 1.25 करोड़, (6) उप संचालक, कृषक कल्याण एवं कृषि, सागरः ₹ 1.04 करोड़, (7) आयुक्त, संचालनालय सिल्क सतपुड़ा भवन, भोपालः ₹ 4.99 करोड़

➢ विभाग के रोकड़ बही आंकड़ो एवं कोषालय आंकड़ो के मध्य कुल ₹ 3.37 करोड़ के व्यक्तिगत जमा खातों के शेषों में अंतर, मुख्यतः चार प्रशासकों द्वारा इन लेन देनों का कोषालयों के आंकड़ो से मिलान न किए जाने के कारण था, जैसा कि **तालिका 3.9** में दर्शाया गया है। धन ऋण ज्ञापन एवं प्रत्येक महीने के लेखे कोषालय अधिकारियों द्वारा महालेखाकार को प्रस्तुत नहीं किए गए थे।

तालिका 3.9: रोकड़ बही एवं कोषालय के मध्य अंतिम शेष में विसंगतियां

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	व्यक्तिगत जमा खाते का नाम	31 मार्च 2014 को अंतिम शेष		
		कोषालय	रोकड़ बही	विसंगति
1	भू अर्जन अधिकारी एवं पुनर्वास अधिकारी, सरदार सरोवर परियोजना, मनावर, जिला धार	5.07	5.04	0.03
2	भू अर्जन अधिकारी, ओंकारेश्वर/महेश्वर परियोजना, बड़वाह, जिला खरगोन	20.77	18.03	2.74
3	भू अर्जन अधिकारी एवं उप संभागीय अधिकारी (राजस्व), बड़वाह, जिला खरगोन	12.92	12.25	0.67
4	भू अर्जन अधिकारी एवं उप संभागीय अधिकारी (राजस्व), बरोद, जिला आगर (मालवा)	1.18	1.25	(-) 0.07
	योग	**39.94**	**36.57**	**3.37**

(स्त्रोतः विभागों द्वारा प्रस्तुत आंकड़े)

➢ सात में से दो प्रशासकों ने प्रत्येक वित्त वर्ष की समाप्ति पर व्यक्तिगत जमा खाते को जारी रखने की अनुमति वित्त विभाग से प्राप्त नहीं की थी। विवरण **तालिका 3.10** में दिए गए हैं।

तालिका 3.10: व्यक्तिगत जमा खाते बिना अनुमति के जारी रहे

स.क्र.	व्यक्तिगत जमा खाते का नाम	वित्त वर्ष के दौरान
1	भू अर्जन अधिकारी ओंकारेश्वर/महेश्वर परियोजना, बड़वाह, जिला खरगोन	2011-12 से 2014-15
2	उप संचालक, कृषक कल्याण एवं कृषि, सागर	2012-13 एवं 2013-14

(स्त्रोतः विभागों द्वारा प्रस्तुत आंकड़े)

➢ हमने देखा कि आयुक्त, संचालनालय सिल्क सतपुड़ा भवन, भोपाल के व्यक्तिगत जमा खाता क्रमांक 38 में 31 मार्च 2014 को ₹ 4.99 करोड़ का अंतिम शेष था जिसमें 2006-07 के दौरान अंतरित किए गए ₹ 2.28 करोड़ भी सम्मिलित थे। इससे यह दर्शित हुआ कि व्यक्तिगत जमा खाते को न तो वित्त वर्ष की समाप्ति पर बंद किया गया और न ही तीन वर्षों से अधिक अव्ययित शेष राशि को राजस्व शीर्ष में जमा कराया गया था।

➢ आयुक्त, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, भोपाल के व्यक्तिगत जमा खाता क्रमांक 41 जो कि उपभोक्ता कल्याण निधि के लिए प्राप्त सीड मनी की राशि को रखने के लिए खोला गया था, में 31 मार्च 2014 को ₹ 50.85 करोड़ का अंतिम शेष था। हमने देखा कि तीन जिला

प्राधिकारियों[3] द्वारा ₹ 0.32 करोड़ कोषालय में 6 जनवरी 2014 को जमा करवाया जाना पाया गया। किन्तु आयुक्त के व्यक्तिगत जमा खाता पंजी में राशि की प्रविष्टि नहीं पाई गई इससे यह दर्शित होता है कि आयुक्त द्वारा व्यक्तिगत जमा खाता शेष का मिलान नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त, अन्य उद्देश्यों/योजनाओं से संबंधित लेनदेन अर्थात खाद्य कूपन योजना (₹ 25.74 करोड़) तथा 13वें वित्त आयोग (₹ 24.71 करोड़) उपर्युक्त व्यक्तिगत जमा खाता में जमा होना पाए गए।

व्यक्तिगत जमा खाते में अन्य उद्देश्यों/योजनाओं से संबंधित लेनदेन के संबंध में संचालनालय ने बताया कि भविष्य में केवल उन्हीं उद्देश्यों/योजनाओं की राशि व्यक्तिगत जमा खातों में रखी जाएगी जिन उद्देश्यों/योजनाओं के लिए वे खोले गए हैं। तथ्य यह है कि मध्य प्रदेश कोषालय संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत आवश्यक प्रत्येक उद्देश्य/योजना के लिए पृथक व्यक्तिगत जमा खाता नहीं खोला गया था।

उपर्युक्त प्रकरण शासन को संदर्भित (सितम्बर 2014) किया गया था; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (अक्टूबर 2014)।

3.10 निष्कर्ष एवं अनुशंसाएं

उपयोगिता प्रमाण-पत्रों का प्रस्तुतीकरण

- राज्य सरकार द्वारा दिए गए ₹ 27,372.73 करोड़ के अनुदानों के संबंध में अनुदानग्राही संस्थानों से बड़ी संख्या में उपयोगिता प्रमाण-पत्र (36,414) प्रतीक्षित थे जो संबंधित विभागों द्वारा अनुदानों के उपयोग में उपयुक्त निगरानी की कमी को दर्शाता है।

 अनुदानग्राही संस्थानों को जारी अनुदान के संबंध में, विभागों को उपयोगिता प्रमाण-पत्रों का समय से प्रस्तुतीकरण सुनिश्चित करना चाहिए।

स्वायत्त निकायों द्वारा लेखों का प्रस्तुतीकरण

- छह स्वायत्त निकायों द्वारा महालेखाकार को लेखाओं के प्रस्तुतीकरण में अत्यधिक विलंब (69 महीनों तक) हुआ परिणामस्वरुप स्वायत्त निकायों की कार्यपद्धति की संवीक्षा में देरी हुई।

 सरकार को स्वायत्त निकायों द्वारा महालेखाकार को लेखों का समय से प्रस्तुतीकरण सुनिश्चित करना चाहिए।

[3] रतलाम (₹ 0.24 करोड़); देवास (₹ 0.03 करोड़); होशंगाबाद (₹ 0.05 करोड़)।

दुर्विनियोग एवं हानियों की सूचना

- ₹ 28.17 करोड़ की राशि की हानियों, दुर्विनियोग इत्यादि के 2989 प्रकरणों के निवर्तन में सरकार का अनुपालन लंबित था।

 दुर्विनियोगों, हानियों इत्यादि के सभी प्रकरणों में विभागीय जाँच शीघ्रतापूर्वक पूरी करनी चाहिए ताकि चूककर्ताओं द्वारा की गई चूक दर्ज हो सके।

संक्षिप्त आकस्मिक देयकों के विरुद्ध विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक देयकों का प्रस्तुतीकरण

- मार्च 2014 तक संक्षिप्त आकस्मिक देयकों पर आहरित ₹ 14.96 करोड़ के विरुद्ध विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक देयक प्रतीक्षित थे।

 बकाया संक्षिप्त आकस्मिक देयकों के समय से समायोजन हेतु निगरानी तंत्र होना चाहिए।

विभागीय व्यय का मिलान

- 31 मार्च 2014 को 13 विभागों के नियंत्रण अधिकारियों ने ₹ 50,546.04 करोड़ की राशि के व्यय का मिलान नहीं किया।

 विभाग को व्यय के आंकड़ो का महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) की पुस्तकों में दिखाए गए आंकड़ों से मिलान समय से सुनिश्चित करना चाहिए।

व्यक्तिगत जमा खातों का रखरखाव

- मध्य प्रदेश कोषालय संहिता के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए व्यक्तिगत जमा खाते, बिना वित्त विभाग के अनुमोदन के वित्त वर्ष की समाप्ति के पश्चात भी जारी रहे थे। मार्च 2014 की समाप्ति तक व्यक्तिगत जमा खाते में कुल ₹ 1,784.77 करोड़ राशि का अत्यधिक अंतिम शेष था।

 विभागों को वित्त वर्ष की समाप्ति पर व्यक्तिगत जमा खातों को बंद करना सुनिश्चित करना चाहिए एवं शेष को राज्य की समेकित निधि में अंतरित किया जाना चाहिए।

नवम्बर 2014 में आयोजित निर्गम सम्मेलन के दौरान, सचिव, वित्त विभाग ने बताया कि लेखापरीक्षा द्वारा की गई अनुशंसाओं पर कार्रवाई की जाएगी।

(सौरभ के.मल्लिक)
महालेखाकार
ग्वालियर **(सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखापरीक्षा)**
दिनांक **मध्य प्रदेश**

प्रतिहस्ताक्षरित

(शशि कान्त शर्मा)
नई दिल्ली **भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक**
दिनांक

परिशिष्ट

परिशिष्ट 1.1
राज्य रूपरेखा (मध्य प्रदेश)
(संदर्भः कंडिका राज्य की रूपरेखा एवं 1.7.2; पृष्ठ 1,33)

क	सामान्य आंकड़े *			
स.क्र	विवरण			आंकड़े
1	क्षेत्र			3,08,245 वर्ग कि.मी.
2	जनसंख्या			
	क.	2001 की जनगणना के अनुसार		6.03 करोड़
	ख.	2011 की जनगणना के अनुसार		7.26 करोड़
3	क.	जनसंख्या का घनत्व (2001 की जनगणना के अनुसार) (अखिल भारतीय घनत्व =325 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर)		196 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी
	ख.	जनसंख्या का घनत्व (2011 की जनगणना के अनुसार) (अखिल भारतीय घनत्व =382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर)		236 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी
4	गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या (अखिल भारतीय औसत=21.92 %)			38.30 प्रतिशत
5	क.	साक्षरता (2001 की जनगणना के अनुसार) (अखिल भारतीय औसत = 64.8 %)		69.69 प्रतिशत
	ख.	साक्षरता (2011 की जनगणना के अनुसार) (अखिल भारतीय औसत = 74.04 %)		70.63 प्रतिशत
6	शिशु मृत्यु दर (प्रति 1000 जीवित बच्चे) (अखिल भारतीय औसत =40 प्रति 1000 जीवित बच्चे)			67
7	जन्म के समय जीवित रहने की आशा** (अखिल भारतीय औसत=65.8 वर्ष)			58 वर्ष
8	जिनी कोएफीशियेन्ट***			
	क.	ग्रामीण (अखिल भारतीय=0.29)		0.29
	ख.	शहरी (अखिल भारतीय=0.38)		0.36
9	सकल राज्य घरेलू उत्पाद चालू मूल्य पर 2013-14			₹ 4,50,900 करोड़
10	सकल राज्य घरेलू उत्पाद संयोजित वार्षिक संवृद्धि दर प्रति व्यक्ति (2004-05 से 2013-14)		मध्य प्रदेश	14.93 प्रतिशत
			सामान्य संवर्ग के राज्य	14.88 प्रतिशत
11	सकल राज्य घरेलू उत्पाद संयोजित वार्षिक संवृद्धि दर (2004-05 से 2013-14)		मध्य प्रदेश	16.63 प्रतिशत
			सामान्य संवर्ग के राज्य	15.49 प्रतिशत
12	जनसंख्या वृद्धि दर (2004-05 से 2013-14)		मध्य प्रदेश	16.12 प्रतिशत
			सामान्य संवर्ग के राज्य	12.94 प्रतिशत

ख.	वित्तीय आंकड़े			
विवरण		आंकड़े (प्रतिशत में)		
संयोजित वार्षिक संवृद्धि दर		2004-05 से 2012-13		2004-05 से 2013-14
		सामान्य संवर्ग के राज्य	मध्य प्रदेश	मध्य प्रदेश
क.	राजस्व प्राप्तियों के	16.93	15.18	16.11
ख.	स्वंय के कर राजस्व के	16.42	16.44	17.64
ग.	करेत्तर राजस्व के	12.49	5.13	6.26
घ.	कुल व्यय के	15.37	13.15	14.04
ड.	पूंजीगत व्यय के	17.01	9.89	9.07
च.	शिक्षा पर राजस्व व्यय के	17.44	17.50	20.52
छ.	स्वास्थ्य पर राजस्व व्यय के	16.50	15.49	16.11
ज.	वेतन एवं मजदूरी के	14.73	11.18	12.87
झ.	पेन्शन के	18.34	15.71	18.07

स्रोतः वित्तीय आँकडे वित्त लेखे पर आधारित है

* सामान्य आंकड़ेः गरीबी रेखा से नीचे (योजना आयोग एवं एन. एस. एस. ओ. डाटा, 61वां चक्र)

** जन्म के समय जीवित रहने की आशा (भारत के महापंजीयक का कार्यालय, गृह मन्त्रालय), आर्थिक सर्वेक्षण 2012-13 में दर्शाये गये 2010-11 के लिए आर्थिक सर्वेक्षण संकेतक

*** जिनी कोएफीशियेन्ट जनसंख्या में आय वितरण की असमानता का माप है। मूल्य दर शून्य से एक तक है, शून्य के निकट असमानता कम है; एक के निकट असमानता ज्यादा है, 2009-10 के लिए योजना आयोग आंकड़े।

टिप्पणीः सामान्य संवर्ग के राज्यों के अखिल भारतीय औसत की गणना, सामान्य संवर्ग के 16 राज्यों द्वारा उपलब्ध कराए गए आँकड़ो के आधार पर की गई है (दिल्ली, गोवा, और पुडुचेरी को छोड़कर)

परिशिष्ट 1.2
भाग-क
सरकारी लेखों की संरचना
(संदर्भः कंडिका 1.1; पृष्ठ 2)

राज्य सरकार के लेखाओं को तीन भागों में रखा जाता है यथा-समेकित निधि, आकस्मिकता निधि और लोक लेखा।

भाग I : समेकित निधि : राज्य सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व, कोषागार विपत्रों को जारी कर लिए गए सभी ऋण, आन्तरिक ऋण तथा ऋणों के पुनर्भुगतान में शासन द्वारा प्राप्त सभी धनराशियाँ एक समेकित निधि का निर्माण करती है जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 266 (1) के अंतर्गत स्थापित "राज्य की समेकित निधि" नाम से जाना जाता है।

भाग II : आकस्मिकता निधि : संविधान के अनुच्छेद 267(2) के अंतर्गत स्थापित राज्य की आकस्मिकता निधि अग्रदाय प्रकृति की होती हैं जो विधायिका द्वारा प्राधिकृत किये जाने तक अनवेक्षित व्यय करने के लिये अग्रिम प्रदाय करने हेतु राज्यपाल के विवेकाधीन रखी जाती हैं। बाद में इस प्रकार के व्यय हेतु तथा समतुल्य राशि के समेकित निधि से आहरण हेतु विधानमंडल का अनुमोदन प्राप्त किया जाता है, जिससे आकस्मिकता निधि से लिए गए अग्रिमों की प्रतिपूर्ति की जाती है।

भाग III : लोक लेखा : प्राप्ति एवं संवितरण से संबंधित कुछ लेन-देनों जैसे लघु बचतों, भविष्य निधियों, आरक्षित निधियों, निक्षेपों, उचन्त, प्रेषणों आदि जो समेकित निधि के भाग नहीं होते है, को संविधान के अनुच्छेद 266(2) के अंतर्गत स्थापित लोक लेखा में रखे जाते है और राज्य विधान मंडल द्वारा मत हेतु प्रस्तुत नहीं होते हैं।

वित्त लेखों की रूपरेखा 2013-14

वित्त लेखे दो भागों में तैयार किये जाते है जिसके भाग-1 में सरकार के संक्षिप्त वित्तीय विवरण है और भाग-2 में इनके विस्तृत विवरण दिए गए है। रूपरेखा का विवरण नीचे दिया गया है। आगे, भाग-2 में मुख्य शीर्षवार वेतन एवं राजसहायता पर तुलनात्मक व्यय, राज्य सरकार द्वारा दी गयी सहायता एवं सहायता अनुदान, विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनायें, आयोजनागत योजना पर व्यय, केन्द्रीय योजना निधियों का क्रियान्वयन अभिकरणों को प्रत्यक्ष अंतरण, शेषों का सारांश, सिंचाई योजनाओं के वित्तीय परिणाम, बजट में प्रस्तावित नई योजनाओं में लागू मुख्य नीतिगत निर्णय और अनुरक्षण व्यय जो कि विभिन्न परिशिष्टों में आये हैं, के विवरण समाहित है।

विवरण क्रमांक	संक्षिप्त तथा विस्तृत विवरण
1	वित्तीय स्थिति का विवरण
2	प्राप्तियों एवं संवितरण का विवरण
3	प्राप्तियों (समेकित निधि) का विवरण
4	व्यय (समेकित निधि) का विवरण
5	प्रगामी पूंजीगत व्यय का विवरण
6	उधारियों एवं अन्य देयताओं का विवरण
7	सरकार द्वारा दिए गए ऋण एवं अग्रिमों का विवरण
8	सरकार द्वारा दिए गए सहायतानुदान का विवरण
9	सरकार द्वारा दी गई गारंटियों का विवरण
10	दत्तमत एवं प्रभारित व्यय का विवरण
11	लघु शीर्षवार राजस्व एवं पूंजीगत प्राप्तियों का विस्तृत विवरण
12	लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण
13	लघु शीर्ष एवं उप शीर्षवार पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण
14	सरकार के निवेशों का विस्तृत विवरण
15	उधारियों एवं अन्य देयताओं का विस्तृत विवरण
16	सरकार द्वारा दिये गये कर्ज तथा अग्रिमों का विस्तृत विवरण
17	राजस्व लेखे के अतिरिक्त व्यय के लिए निधियों के स्त्रोतों एवं अनुप्रयोग का विवरण
18	आकस्मिकता निधि तथा लोक लेखा लेन-देनों का विस्तृत विवरण
19	उद्दिष्ट शेषों के निवेश पर विस्तृत विवरण

परिशिष्ट 1.2 (समाप्त)

भाग-ख

(संदर्भ: कंडिका 1.1; पृष्ठ 2)

पूर्ववर्ती मध्य प्रदेश राज्य की 31 मार्च 2014 को परिसंपत्तियों एवं देयताओं का उत्तरवर्ती मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्यों के मध्य विभाजन दर्शाने वाला विवरण पत्र

(₹ करोड़ में)

मदें	31 अक्टूबर 2000 को शेष	विभाजन		विभाजन लंबित होने के कारण मध्य प्रदेश के लेखाओं में रोककर रखे गये शेष	वित्त लेखे की विवरण पत्रक संख्या का संदर्भ
		मध्य प्रदेश	छत्तीसगढ़		
I- देयताएं-					
1. अल्प बचतें, भविष्य निधियां आदि	7371.51	5570.57	1239.45	561.49	17 एवं 18
2. निक्षेप	1872.19	1516.52	358.05	(-)2.38	17 एवं 18
3. आरक्षित निधियां	657.94	45.49	11.55	102.47	17 एवं 18
4. उचन्त एवं विविध शेष	39.58	25.46	5.93	8.18	18
II- परिसम्पत्तियां-					
1. सकल पूंजीगत परिव्यय	15760.57	4993.86	1499.12	8788.75	5 एवं 13
2. कर्ज तथा अग्रिम	2883.18	559.83	135.91	2186.26	7 एवं 16
3. गारंटियां	9709.60	--	--	1185.46	9

टिप्पणी : और अधिक विवरणों हेतु कृपया वित्त लेखे देखें।

परिशिष्ट 1.3
भाग-क
राजकोषीय स्थिति के मूल्यांकन हेतु अंगीकृत प्रणाली
(संदर्भः कंडिका 1.1; पृष्ठ 3)

चयनित राजकोषीय बदलाव के लिये बारहवें वित्त आयोग द्वारा राजकोषीय संचयों को मूर्त रूप देने हेतु अपने लक्ष्यों सहित निर्धारित मापदण्ड/परिसीमन और राज्य सरकार द्वारा अपने राजकोषीय उत्तरदायित्व अधिनियमों तथा अधिनियम **(परिशिष्ट 1.3 का भाग-ख)** के अधीन विधानसभा के पटल पर रखे जाने हेतु आवश्यक अन्य विवरण पत्रों में दी गई वचनबद्धताएँ/निर्धारित लक्ष्यों का उपयोग प्रमुख राजकोषीय संचयों की प्रवृत्ति तथा प्रणाली के गुणवत्तापूर्ण मूल्यांकन हेतु किया जाता है। यह मान लेने पर कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद राज्य की अर्थव्यवस्था के निष्पादन का एक अच्छा संकेतक है, प्रमुख राजकोषीय संचय जैसे कर एवं करेत्तर राजस्व, राजस्व एवं पूंजीगत व्यय, आन्तरिक ऋण एवं राजस्व तथा राजकोषीय घाटा चालू बाजार मूल्य पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में प्रस्तुत किया गया है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद द्वारा प्रस्तुत आधार के सन्दर्भ में सम्बद्ध राजकोषीय बदलाव हेतु गुणांक उत्प्लावकता का भी यह मूल्यांकन करने हेतु आंकलन किया गया है कि क्या संसाधनों का संग्रहण, व्यय की पद्धति आदि, आधार में परिवर्तन के साथ तालमेल रख सकते है अथवा ये राजकोषीय संचय सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अलावा अन्य घटकों द्वारा भी प्रभावित होते है।

अन्तिम पाँच वर्षो के लिये सकल राज्य घरेलू उत्पाद की प्रवृत्ति निम्नानुसार है :

सकल राज्य घरेलू उत्पाद की प्रवृत्ति

	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (₹ करोड़ में)	227557	263396	311670	372171	450900
सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर* (प्रतिशत में)	15.35	15.75	18.33	19.41	21.15

स्रोतः आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, मध्य प्रदेश शासन

****2009-10 से 2012-13 की अवधि के लिए सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुमान पुनरीक्षित हैं इसलिए पूर्व के प्रतिवेदनों में दर्शित 2009-10 से 2012-13 के लिए सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सन्दर्भ में विभिन्न मापदण्डों की उत्प्लावकता/अनुपात प्रतिशत भी पुनरीक्षित कर दिया गया है।***

परिशिष्ट 1.3 जारी
भाग-ख
राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबन्धन अधिनियम, 2005
(संदर्भः कंडिका 1.1; पृष्ठ 3)

राज्य सरकार ने मध्य प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन अधिनियम, 2005 बनाया है जो 1 जनवरी 2006 से प्रभावशील हुआ था राजकोषीय प्रबन्धन में बुद्धिमता सुनिश्चित करने हेतु तथा राजस्व घाटे में उत्तरोत्तर कमी करके राजकोषीय स्थिरता, राजकोषीय घाटे में कमी, राजकोषीय धारणीयता के अनुरूप विवेकपूर्ण ऋण प्रबन्धन, सरकार के राजकोषीय कार्यक्रमों में अधिक पारदर्शिता और मध्यम कालीन संरचना में राजकोषीय नीति के संचालन तथा उससे सम्बन्धित अथवा प्रासंगिक मामलों हेतु अधिनियम में निर्दिष्ट तथा/अथवा उसके अधीन बनाये गये नियमों (30 जनवरी 2006) के अनुसार राजकोषीय प्रबन्धन उद्देश्यों को कार्यान्वित करने के लिये राज्य सरकार द्वारा निम्नांकित राजकोषीय लक्ष्य निर्धारित किये गये थेः

- प्रत्येक वित्तीय वर्ष में राजस्व घाटा को कम करे जिससे इसे 31 मार्च 2009 तक समाप्त किया जा सके तथा उसके पश्चात राजस्व आधिक्य को निर्मित किया जा सके;
- राजकोषीय घाटा के संदर्भ में राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 के संशोधन अनुसार, 31 मार्च 2012 तक, राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद के तीन प्रतिशत से अधिक न हो, तक कम करना तथा उसके पश्चात उसे बनाए रखना;
- राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 में संशोधन के अनुसार, सुनिश्चित करें कि कुल बकाया ऋण वित्त वर्ष 2011-12, 2012-13, 2013-14 एवं 2014-15 के लिए उस वर्ष के अनुमानित सकल राज्य घरेलू उत्पाद से क्रमशः 37.6 प्रतिशत, 36.8 प्रतिशत, 36.0 प्रतिशत एवं 35.3 प्रतिशत से अधिक नहीं हो; एवं
- वार्षिक संवृद्धि कारक गारंटी को परिसीमित करना जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि चालू वर्ष की कुल गारंटियां पूर्ववर्ती वर्ष की कुल राजस्व प्राप्तियों के 80 प्रतिशत से अधिक न हो।

परन्तु शर्त यह है कि राजस्व घाटा तथा राजकोषीय घाटा भारत संघ के बजट अनुमान के संबंध में केन्द्रीय कर न्यागमेन में कमी के आधारों के कारण और/या राज्य सरकार के वित्त पर आन्तरिक उपद्रव या प्राकृतिक आपदा से उत्पन्न अकल्पित बाध्यताओं या ऐसे अन्य अपवादिक आधारों के कारण, जिन्हें राज्य सरकार विनिर्दिष्ट करें, इस धारा के अधीन विनिर्दिष्ट सीमा से अधिक हो सकेगा।

राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबन्धन अधिनियम/नियमों में यथा निर्दिष्ट राजकोषीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये पथदर्शी मान चित्र

राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबन्धन अधिनियम 2005 के प्रावधानों के अनुसार, राज्य सरकार ने 2013-14 हेतु बजट के साथ (क) वृहद् आर्थिक रूप रेखा विवरण, (ख) मध्यम कालिक राजकोषीय नीति विवरण एवं (ग) राजकोषीय नीति युक्ति विवरण प्रस्तुत किये हैं। चयनित संकेतकों के लिये 2011-12 हेतु वास्तविक आंकड़े, 2012-13 हेतु पुनरीक्षित अनुमान तथा 2013-14 हेतु बजट अनुमान मध्यम कालिक राजकोषीय नीति विवरण में प्रस्तुत किये गये है (***परिशिष्ट 1.3 भाग-ग***)।

चयनित शब्द जिनका प्रयोग राजकोषीय संचय की रूपरेखा तथा पद्धति के मूल्याकंन में किया गया है, की परिभाषाएं भी नीचे दी गई हैं:

चयनित शब्द जिनका प्रयोग राजकोषीय संचय की रूपरेखा तथा पद्धति के मूल्याकंन में किया गया है, की परिभाषा

शब्द	गणना का आधार
मापदण्डों की उत्प्लावकता	मापदण्ड की संवृद्धि दर/सकल राज्य घरेलू उत्पाद संवृद्धि
मानदण्ड (X) की अन्य मापदण्ड (Y) के सन्दर्भ में उत्प्लावकता	मापदण्ड (X) की संवृद्धि दर/मानदण्ड (Y) की संवृद्धि दर
संवृद्धि दर	[(चालू वर्ष की राशि/विगत वर्ष की राशि)-1]* 100
विकास व्यय	सामाजिक सेवाएं + आर्थिक सेवाएं
राज्य द्वारा प्रदत्त औसत ब्याज	ब्याज भुगतान/[(पूर्ववर्ती वर्ष की राजकोषीय देयताएं + चालू वर्ष की राजकोषीय देयताएं)/2]*100
ब्याज प्रसार	सकल राज्य घरेलू उत्पाद संवृद्धि (-) औसत ब्याज दर
प्रमात्रा प्रसार	ऋण स्टॉक* ब्याज प्रसार
बकाया कर्ज के प्रतिशत के रूप में प्राप्त ब्याज	प्राप्त ब्याज/ [(कर्ज तथा अग्रिमों का प्रारम्भिक शेष + अन्त शेष)/2]*100
राजस्व घाटा	राजस्व प्राप्तियां- राजस्व व्यय
राजकोषीय घाटा	राजस्व व्यय+पूंजीगत व्यय+निवल कर्ज तथा अग्रिम-राजस्व प्राप्तियां-विविध पूंजीगत प्राप्तियां
प्रारम्भिक घाटा	राजकोषीय घाटा-ब्याज अदायगियाँ
चालू राजस्व से शेष	मुख्य शीर्ष-2048 ऋण घटाने या उसका परिहार करने के लिए विनियोजन के अंतर्गत दर्ज व्यय को छोड़कर राजस्व प्राप्तियों में से सभी आयोजना अनुदान एवं आयोजनेत्तर राजस्व व्यय का विकलन
ऋणेत्तर प्राप्तियों की पर्याप्तता (संसाधन अंतराल)	संवृद्धिता ऋणेत्तर प्राप्तियां-(संवृद्धिता प्राथमिक व्यय + संवृद्धिता ब्याज अदायगी)

परिशिष्ट 1.3 (समाप्त)

भाग-ग

चयनित राजकोषीय संकेतकों की प्रवृत्ति

(संदर्भः कंडिका 1.1 एवं 1.1.2; पृष्ठ 3,4)

(₹ करोड़ में)

सरल क्र.	राजकोषीय संकेतक	2011-12 का लेखा	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	2011-12 की तुलना में पिछले वर्षो में प्रतिशत परिवर्तन	पिछले वर्ष की तुलना में चालू वर्ष में प्रतिशत परिवर्तन
			2012-13 पुनरीक्षित अनुमान	2013-14 बजट अनुमान		
1	2	3	4	5	6	7
1	राजस्व प्राप्तियाँ (2+3+4)	62604.08	71728.51	79603.47	14.57	10.98
2	कर राजस्व (2.1+2.2)	45192.58	51110.31	57075.29	13.09	11.67
2.1	राज्य कर	26973.44	29570.68	33381.68	9.63	12.89
2.2	केन्द्रीय करों में हिस्सा	18219.14	21539.63	23693.61	18.23	10.00
3	करेत्तर राजस्व	7482.73	7516.55	7583.39	0.45	0.89
4	केंद्र सरकार से सहायता अनुदान	9928.77	13101.65	14944.79	31.96	14.07
5	पूँजीगत प्राप्तियां(6+7+8)	18309.52	9643.59	12415.63	-47.33	28.74
6	कर्ज तथा अग्रिमों की वसूली	9147.86	98.63	124.86	-98.92	26.59
7	शुद्ध लोक ऋण	3600.46	7993.46	11841.07	122.01	48.13
8	लोक लेखा से शुद्ध प्राप्ति	5561.20	1551.50	449.70	-72.10	-71.02
9	कुल प्राप्तियां(1+5)	80913.60	81372.10	92019.10	0.57	13.08
10	राजस्व व्यय(10.1+10.2)	52693.71	65308.39	74388.64	23.94	13.90
10.1	आयोजनेत्तर राजस्व व्यय	36677.17	44840.54	50826.95	22.26	13.35
10.2	आयोजना राजस्व व्यय	16016.54	20467.85	23561.69	27.79	15.12
10.3	राजस्व व्यय जिसमें					
10.3.1	ब्याज अदायगियां	5299.77	5950.54	6518.52	12.28	9.55
10.3.2	राजसहायताएं	19488.54	25684.75	27775.56	31.79	8.14
10.3.3	मजदूरी एवं वेतन	14331.99	18148.97	21830.59	26.63	20.29
10.3.4	पेंशन भुगतान	4388.91	5325.85	6530.85	21.35	22.63
11	पूंजीगत व्यय (11.1+11.2)	9055.16	11079.42	11113.62	22.35	0.31
11.1	आयोजनेत्तर पूंजीगत व्यय	32.29	51.30	78.89	58.87	53.78
11.2	आयोजना पूंजीगत व्यय	9022.87	11028.12	11034.73	22.22	0.06
12	कर्ज एवं अग्रिम (12.1+12.2)	15864.25	5874.83	6444.60	-62.97	9.70
12.1	आयोजनेत्तर कर्ज एवं अग्रिम	14635.00	3829.95	3432.85	-73.83	-10.37
12.2	आयोजना कर्ज एवं अग्रिम	1229.25	2044.88	3011.75	66.35	47.28
13	कुल व्यय (13.1+13.2)	77613.12	82262.64	91946.86	5.99	11.77
13.1	आयोजनेत्तर व्यय (10.1+11.1+12.1)	51344.46	48721.79	54338.69	-5.11	11.53
13.2	आयोजना व्यय (10.2+11.2+12.2)	26268.66	33540.85	37608.17	27.68	12.13
14	राजस्व आधिक्य (1-10)	9910.37	6420.12	5214.83	-35.22	-18.77
15	राजकोषीय घाटा (1+6-13)	5861.18	10435.50	12218.53	78.04	17.09
16	प्राथमिक घाटा [1+6-(13-10.3.1)]	561.41	4484.96	5700.01	698.87	27.09

परिशिष्ट 1.4
राज्य सरकार के वित्त के समयबद्ध आंकड़े
(संदर्भः कंडिका 1.1, 1.3, 1.9.2 एवं 1.10.4; पृष्ठ 3,11,37,42)

(₹ करोड़ में)

	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
भाग क. प्राप्तियां					
1. राजस्व प्राप्तियां	**41395(40)**	**51854(41)**	**62604(41)**	**70427(43)**	**75749(41)**
(i) कर राजस्व	**17273(42)**	**21419(41)**	**26973(43)**	**30582(43)**	**33552(44)**
कृषि आय पर कर	--	--	--	--	--
बिक्री,व्यापार आदि पर कर	7724 (45)	10257(48)	12517(46)	14856(49)	16650(50)
राज्य उत्पाद शुल्क	2952 (17)	3603(17)	4317(16)	5078(17)	5907(18)
वाहन कर	919 (5)	1198(6)	1357(5)	1531(5)	1599(5)
स्टाम्प तथा पंजीकरण शुल्क	1783 (10)	2514(12)	3284(12)	3944(13)	3400(10)
भू-राजस्व	180 (1)	361(2)	279(1)	444(1)	366(1)
माल तथा यात्री कर	1333 (8)	1746(8)	2047(8)	2395(8)	2579(8)
अन्य कर	2382 (14)	1740(8)	3172(12)	2334(8)	3051(9)
(ii) करेत्तर राजस्व	**6382 (15)**	**5720(11)**	**7483(12)**	**7000(10)**	**7705(10)**
(iii) संघ करों तथा शुल्कों में राज्य का अंश	**11077(27)**	**15638(30)**	**18219(29)**	**20805(30)**	**22715(30)**
(iv) भारत सरकार से सहायता अनुदान	**6663 (16)**	**9077(18)**	**9929(16)**	**12040(17)**	**11777(16)**
2. विविध पूंजीगत प्राप्तियां	**22**	**367**	**23**	**31**	**36**
2 क.अन्तर्राज्यीय परिशोधन	**3**	**2**	**3**	**9**	**2**
3. कर्ज तथा अग्रिमों की वसूलियां	**23**	**34**	**9123**	**33**	**93**
4. कुल राजस्व तथा ऋणेत्तर पूंजीगत प्राप्तियां (1+2+2क+3)	**41443**	**52257**	**71753**	**70500**	**75880**
5. लोक ऋण प्राप्तियां	**8603(8)**	**7458(6)**	**6750(4)**	**8791(5)**	**9541(5)**
आन्तरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिम तथा अधिविकर्षणों को छोड़ कर)	7258 (84)	6363(85)	5718(85)	7234(82)	8328(87)
अर्थोपाय अग्रिम तथा अधिविकर्षणों के अधीन निवल लेनदेन	--	--	--	--	--
भारत सरकार से कर्ज तथा अग्रिम	1345 (16)	1095(15)	1032(15)	1557(18)	1212(13)
6. समेकित निधि में कुल प्राप्तियां (4+5)	**50046**	**59715**	**78503**	**79291**	**85421**
7. आकस्मिकता निधि प्राप्तियां	--	--	**100**	--	--
8. लोक लेखा प्राप्तियां	**52353(51)**	**65675(52)**	**76315(49)**	**86248(52)**	**94811(53)**
9. राज्य की कुल प्राप्तियां (6+7+8)	**102399**	**125390**	**154918**	**165539**	**180232**
भाग ख. व्यय/संवितरण					
10.राजस्व व्यय	**35897(75)**	**45012(78)**	**52694(68)**	**62968(79)**	**69870(81)**
आयोजना	9838 (27)	12911(29)	16017(30)	18349(29)	19427(28)
आयोजनेत्तर	26059(73)	32101(71)	36677(70)	44619(71)	50443(72)
सामान्य सेवाएं (ब्याज अदायगियों सहित)	12014(34)	14647(33)	16229(31)	17705(28)	20591(29)
सामाजिक सेवाएं	12962 (36)	17345(39)	20297(38)	24375(39)	27768(40)
आर्थिक सेवाएं	8371 (23)	10084(22)	12965(25)	16823(27)	16972(24)
सहायता अनुदान तथा अंशदान	2550 (7)	2935(7)	3203(6)	4065(6)	4539(7)
11. पूंजीगत व्यय	**7925 (17)**	**8800(15)**	**9055(12)**	**11567(14)**	**10813(13)**
आयोजना	7864 (99)	8657(98)	9023(100)	11543(100)	10770(100)
आयोजनेत्तर	61 (1)	143(2)	32(0)	24(0)	43(0)
सामान्य सेवाएं	119 (1)	179(2)	167(2)	205(2)	197(2)

	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
सामाजिक सेवाएं	1178 (15)	1532(17)	1599(18)	1621(14)	1899(17)
आर्थिक सेवाएं	6628 (84)	7089(81)	7289(80)	9741(84)	8717(81)
12.कर्ज तथा अग्रिमों का संवितरण	**3817 (8)**	**3715(6)**	**15760(20)**	**5378(7)**	**5077(6)**
13. अन्तर्राज्यीय परिशोधन	**3**	**2**	**4**	**7**	**2**
14. योग (10+11+12+13)	**47642**	**57529**	**77513**	**79920**	**85762**
15. लोक ऋण का पुनर्भुगतान	**2394**	**2529**	**3150**	**3584**	**4005**
आन्तरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिमों तथा अधिविकर्षो को छोड़ कर)	1938	2012	2520	2936	3243
अर्थोपाय अग्रिमों तथा अधिविकर्षो के अधीन निवल लेन-देन	--	--	--	--	--
भारत सरकार से कर्जे तथा अग्रिम	456	517	630	648	762
16.आकस्मिकता निधि में विनियोग	--	--	**100**	--	--
17.* समेकित निधि में से कुल संवितरण *(14+15+16)	**50036**	**60058**	**80763**	**83504**	**89767**
18. आकस्मिकता निधि संवितरण	--	--	--	--	--
19. लोक लेखा संवितरण	**50872**	**62344**	**73279**	**82736**	**93064**
20. राज्य द्वारा कुल संवितरण (17+18+19)	**100908**	**122402**	**154042**	**166240**	**182831**
भाग ग. घाटे					
21. राजस्व घाटा (-)/राजस्व आधिक्य (+) (1-10)	5498	6842	9910	7459	5879
22. राजकोषीय घाटा (-)/ राजकोषीय आधिक्य (+) (4-14)	-6199	-5272	-5760	-9420	-9882
23. प्राथमिक घाटा (-)/आधिक्य (+) (22+24)	-1745	-223	-460	-3846	-3491
भाग घ. अन्य आंकड़े					
24. ब्याज अदायगियां (राजस्व व्यय में सम्मिलित)	4454	5049	5300	5574	6391
25. स्थानीय निकायों आदि को वित्तीय सहायता	1434	9117	10830	13487	14953
26. ली गई अर्थोपाय अग्रिम/ अधिविकर्षण (दिन)	--	--	--	--	--
ली गई अर्थोपाय अग्रिम (दिन)	--	--	--	--	--
लिया गया अधिविकर्षण (दिन)	--	--	--	--	--
27. अर्थोपाय अग्रिम/अधिविकर्षणों पर ब्याज	--	--	--	--	--
28. सकल राज्य घरेलू उत्पाद[1]	227557	263396	311670	372171	450900
29. बकाया राजकोषीय देयताएं (वर्ष के अन्त में)	67853	75504	81757	90168	96826

[1] सरकार द्वारा सूचित संशोधित सकल राज्य घरेलू उत्पाद के आंकड़ों को अपनाया गया है।

	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
30. बकाया गारंटियां (वर्ष के अन्त में) (ब्याज सहित)	1630	5111	5605	7720	9978
31. गारंटी की अधिकतम राशि (वर्ष के अन्त में)	11823	8439	11108	14752	21472
32. अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या	लागू नहीं	लागू नहीं	45	55	201[2]
33. अपूर्ण परियोजनाओं में अवरूद्ध निधियाँ	लागू नहीं	लागू नहीं	9356	2413	34465[2]
भाग-ङ राजकोषीय स्थिति के संकेतक					
I संसाधन संग्रहण					
स्वयं के कर राजस्व/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	7.59	8.13	8.65	8.22	7.44
स्वंय के करेत्तर राजस्व/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	2.80	2.17	2.40	1.88	1.71
केन्द्रीय अंतरण[3]/ सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	7.80	9.38	9.03	8.83	7.65
राज्य के स्वयं के कर के सन्दर्भ में राजस्व उत्प्लावकता (प्रतिशत)	0.87	1.05	0.80	0.93	0.78
II व्यय प्रबंधन					
कुल व्यय/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	20.94	21.84	24.87	21.47	19.02
कुल व्यय/राजस्व प्राप्तियां (प्रतिशत)	115.09	110.94	123.81	113.48	113.22
राजस्व व्यय/कुल व्यय (प्रतिशत)	75.35	78.24	67.98	78.79	81.47
सामान्य सेवाओं पर व्यय /कुल व्यय (प्रतिशत)	25.56	25.81	21.16	22.47	24.24
सामाजिक सेवाओं पर व्यय /कुल व्यय (प्रतिशत)	30.10	33.14	28.43	32.69	34.67
आर्थिक सेवाओं पर व्यय/कुल व्यय (प्रतिशत)	38.98	35.93	46.28	39.75	35.79
पूंजीगत व्यय/कुल व्यय (प्रतिशत)	16.63	15.30	11.68	14.47	12.61
सामाजिक तथा आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत व्यय/कुल व्यय (प्रतिशत)	16.38	14.99	11.47	14.22	12.37
III राजकोषीय असंतुलन का प्रबन्धन					
राजस्व घाटा (-)/आधिक्य (+)/ सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	+2.42	+2.60	+3.18	+2.00	+1.30
राजकोषीय घाटा (-)/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	-2.72	-2.00	-1.85	-2.53	-2.19
प्राथमिक घाटा (-)/आधिक्य (+)/ सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	-0.77	-0.08	-0.15	-1.03	-0.77

[2] महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखा परीक्षा) मध्य प्रदेश, भोपाल द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी।

[3] केन्द्रीय अंतरण में संघ करों/शुल्क का भाग एवं भारत सरकार से अनुदान समाविष्ट है।

	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
राजस्व घाटा /राजकोषीय घाटा	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
प्राथमिक राजस्व शेष/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	13.82	15.17	15.21	15.42	14.08
IV राजकोषीय देयताओं का प्रबन्धन					
राजकोषीय देयताएं/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	29.82	28.67	26.23	24.23	21.47
राजकोषीय देयताएं/राजस्व प्राप्तियां (प्रतिशत)	163.92	145.61	130.59	128.03	127.82
प्राथमिक घाटा की तुलना में प्रमात्रा प्रसार	(+)2117	(+)8333	(+)10390	(+)4632	(+)9412
ऋण मोचन (मूलधन+ब्याज)/कुल ऋण प्राप्तियां (अनुपात)	0.84	0.87	0.95	0.86	0.98
V अन्य राजकोषीय संकेतक					
निवेश पर प्रतिलाभ (₹ करोड़ में तथा कोष्ठक में प्रतिशत में)	49.75 (0.43)	32.20 (0.26)	37.98 (0.29)	18.38 (0.13)	378.72 (2.48)
चालू राजस्व से शेष (₹ करोड़ में)	10206	12313	18112	14101	17069
वित्तीय परिसम्पत्तियां/देयताएं	0.91	0.82	0.72	0.67	0.63

कोष्ठक में दिये गये आंकड़े प्रत्येक उपशीर्ष के योगों की तुलना में प्रतिशतता (पूर्णांक में) प्रदर्शित करते हैं।

परिशिष्ट 1.4 एवं 1.5 हेतु व्याख्यात्मक टिप्पणियां

1. *उपरोक्त दिए गए विवरण पत्रों में संक्षिप्त लेखे, वित्त लेखे में दी गयी टिप्पणियों एवं स्पष्टीकरणों के साथ पढ़े जाये। सरकारी लेखे मुख्य रूप से रोकड़ के आधार पर होने के कारण **परिशिष्ट-1.5** में दर्शाए अनुसार सरकारी लेखाओं में घाटा वाणिज्यिक लेखाकरण में उपार्जन के आधार के विपरीत रोकड़ के आधार पर स्थिति इंगित करते हैं। परिणामस्वरूप भुगतान योग्य मदें अथवा प्राप्ति योग्य मदें अथवा मदें जैसे मूल्य ह्रास या स्टॉक में भिन्नता आदि के आंकड़े लेखाओं में नहीं दिए गए है। उचन्त तथा विविध शेषों में जारी किये गये किन्तु राज्य की ओर से भुगतान नहीं किए गए चेक एवं अन्य लम्बित निपटारे आदि सम्मिलित हैं।*

2. *मार्च 2014 के लेखाओं के बंद होने पर "भारतीय रिजर्व बैंक में जमा" के अन्तर्गत लेखाओं में दर्शित ₹ 173.22 करोड़ (नामे) और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सूचित ₹ 133.97 करोड़ (जमा) के मध्य आंकड़ों में ₹ 39.25 करोड़ (नामे) का अन्तर था। अप्रैल 2014 के लेखाओं के बन्द होने के उपरांत ₹ 49.29 करोड़ (नामे) का शुद्ध अन्तर समाधान के लिए शेष था। रिजर्व बैंक में जमा के अंतर्गत अन्तर का कारण एजेंसी बैंक द्वारा आर.बी.आई. तथा कोषालय अधिकारियों को लेखों में लेन-देनों की गलत सूचना देना है।*

3. *लागू नहीं क्योंकि राज्य ने राजस्व आधिक्य 2004-05 के बाद से वर्तमान तक बनाए रखा है।*

परिशिष्ट 1.5
भाग-क
वर्ष 2013-14 के लिए प्राप्तियों एवं संवितरणों का सारांश
(संदर्भः कंडिका 1.1.1; पृष्ठ 3)

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियां				संवितरण				
2012-13		**2013-14**		**2012-13**	**2013-14**			
योग			**योग**	**योग**		**आयोजनेत्तर**	**आयोजना**	**योग**
भाग-कः राजस्व								
70427.28	**I**	**राजस्व प्राप्तियां**	**75749.24**	**62968.53**	**राजस्व व्यय**	**50443.49**	**19426.272**	**69869.76**
30581.70		- कर राजस्व	33552.16	**17705.14**	**सामान्य सेवाएं**	**20479.36**	**111.57**	**20590.93**
				24375.47	**सामाजिक सेवाएं**	**15465.83**	**12302.38**	**27768.21**
7000.22		- करेत्तर राजस्व	7704.99	10896.42	-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति	10138.64	3558.49	13697.13
				3128.22	-स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	2320.52	963.08	3283.60
20805.16		- संघ करों में राज्य का भाग	22715.27	2741.49	- जल आपूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास	923.33	1918.12	2841.45
332.93		- आयोजनेत्तर अनुदान	3540.25	149.25	- सूचना एवं प्रसारण	164.54	10.96	175.50
				2277.93	- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण	330.88	2085.10	2415.98
7099.43		- राज्य आयोजनागत योजनाओं के लिए अनुदान	5535.77	189.72	- श्रम तथा श्रमिक कल्याण	164.37	57.26	221.63
				4901.77	- समाज कल्याण एवं पोषण	1308.78	3709.37	5018.15
4607.84		- केंद्रीय तथा केंद्र प्रवर्तित आयोजना योजनाओं के लिए अनुदान	2700.80	90.67	- अन्य	114.77	निरंक	114.77
				16823.35	**आर्थिक सेवाएं**	**10720.64**	**6250.69**	**16971.33**
				6021.08	-कृषि एवं सम्बद्ध क्रियाकलाप	3811.56	2402.39	6213.95
				3740.28	-ग्रामीण विकास	1124.11	2281.45	3405.56

प्राप्तियां				संवितरण				
2012-13		2013-14		2012-13	2013-14			
योग			योग	योग		आयोजनेत्तर	आयोजना	योग
				720.12	- सिंचाई तथा बाढ़ नियन्त्रण	552.23	230.74	782.97
				2799.61	- ऊर्जा	2745.90	594.57	3340.47
				2060.57	- उद्योग एवं खनिज	994.63	474.68	1469.31
				1277.81	-परिवहन	1411.58	0.63	1412.21
				63.33	- विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण	6.63	113.98	120.61
				140.55	- सामान्य आर्थिक सेवाएं	74.00	152.25	226.25
				4064.57	**सहायता अनुदान एवं अंशदान**	**3777.66**	**761.63**	**4539.29**
	II	**भाग ख में अग्रेनीत राजस्व घाटा**		**7458.75**	**भाग ख में अग्रेनीत राजस्व आधिक्य**			**5879.48**
70427.28		**योग**	**75749.24**	**70427.28**	**योग**			**75749.24**
					भाग-ख			
7775.88	**III**	**प्रारम्भिक नकद शेष स्थाई अग्रिमों तथा रोकड़ शेष निवेश सहित**	**7074.81**	**--**	**भारतीय रिजर्व बैंक से प्रारम्भिक अधिविकर्ष**			
31.45	**IV**	**विविध पूंजीगत प्राप्तियां**	**35.98**	**11566.89**	**पूंजीगत परिव्यय**	**42.56**	**10769.96**	**10812.52**
				204.89	**सामान्य सेवाएं**	**27.61**	**168.70**	**196.31**
				1620.99	**सामाजिक सेवाएं**	**4.95**	**1894.35**	**1899.30**
				147.02	- शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति	--	131.60	131.60
				176.80	-स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	1.94	164.07	166.01
				827.32	-जल आपूर्ति,सफाई,आवास एवं शहरी विकास	--	925.13	925.13
				-	- सूचना एवं प्रसारण	--	--	--
				440.60	- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण	--	343.38	343.38
				8.45	- समाज कल्याण एवं पोषण	3.01	324.98	327.99
				20.80	- अन्य सामाजिक सेवाएं	--	5.19	5.19
				9741.01	**आर्थिक सेवाएं**	**10.00**	**8706.91**	**8716.91**
				345.60	- कृषि एवं सम्बद्ध क्रियाकलाप	--	186.52	186.52
				1451.76	- ग्रामीण विकास	--	702.69	702.69
				4268.95	- सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	--	4537.31	4537.31
				1226.49	- ऊर्जा	--	631.64	631.64
				213.47	- उद्योग एवं खनिज	10.00	184.92	194.92
				2115.75	-परिवहन		2382.55	2382.55

प्राप्तियां				संवितरण				
2012-13		**2013-14**		**2012-13**	**2013-14**			
योग			**योग**	**योग**		**आयोजनेत्तर**	**आयोजना**	**योग**
				29.00	- विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण	--	22.65	22.65
				89.99	- सामान्य आर्थिक सेवाएं	--	58.63	58.63
32.53	**V**	**कर्ज तथा अग्रिमों की वसूलियाँ**	**93.22**	**5378.25**	**कर्ज तथा अग्रिम संवितरित**	**2906.33**	**2171.19**	**5077.52**
				4557.27	- बिजली परियोजनाओं के लिए	2878.64	1472.72	4351.36
				310.33	- कृषि तथा संबद्ध क्रियाकलाप को	--	--	304.19
				336.08	- उद्योग तथा खनिज को	--	--	348.00
0.17		- सरकारी कर्मचारियों से	0.13	0.01	- सरकारी कर्मचारियों के लिए	--	--	0.07
32.36		-अन्यो से	93.09	174.56	- अन्यो के लिये	27.69	698.47	73.90
9.14	**VI**	**अन्तर्राज्यीय परिशोधन**	**2.44**	**7.02**	**अन्तर्राज्यीय परिशोधन**	--	--	**2.36**
7458.75	**VII**	**अधोनीत राजस्व आधिक्य**	**5879.48**	--	**अधोनीत राजस्व घाटा**	--	--	--
8791.16	**VIII**	**लोक ऋण प्राप्तियां**	**9540.82**	**3583.94**	**लोक ऋण का पुनर्भुगतान**	--	--	**4004.65**
7233.85		-अर्थोपाय अग्रिम तथा अधिविकर्षणों के अलावा आन्तरिक ऋण	8328.38	2935.53	- अर्थोपाय अग्रिम तथा अधिविकर्षणों के अलावा आन्तरिक ऋण	--	--	3242.63
-		अर्थोपाय अग्रिम के अधीन निवल लेन-देन		-	अर्थोपाय अग्रिम के अधीन निवल लेन-देन			
-		अधिविकर्षणों के अधीन निवल लेन-देन						
1557.31		- केंद्र सरकार से कर्ज तथा अग्रिम	1212.44	648.41	-केंद्र सरकार को कर्ज तथा अग्रिमों का पुनर्भुगतान			762.02
--	**IX**	**आकस्मिक निधि को विनियोग**		-	**आकस्मिक निधि को विनियोग**			निरंक
--	**X**	**आकस्मिक निधि को अंतरित राशि**		-	**आकस्मिक निधि से व्यय**			निरंक
86247.57	**XI**	**लोक लेखा प्राप्तियां**	**94811.32**	**82735.57**	**लोक लेखा प्राप्तियां**			**93063.99**
2319.03		- अल्प बचतें तथा भविष्य निधियां	2784.03	1481.96	-अल्प बचतें तथा भविष्य निधियां			1836.27

प्राप्तियां				संवितरण				
2012-13		**2013-14**		**2012-13**	**2013-14**			
योग			**योग**	**योग**		**आयोजनेत्तर**	**आयोजना**	**योग**
2441.27		- आरक्षित निधियां	1612.01	421.48	- आरक्षित निधियां			640.74
59818.65		- उचंत तथा विविध	64444.26	59911.79	- उचंत तथा विविध			64412.85
15167.15		- प्रेषण	15602.17	14766.89	- प्रेषण			15316.54
6501.47		-जमा एवं अग्रिम	10368.85	6153.45	-जमा एवं अग्रिम			10857.59
--	**XII**	**भारतीय रिजर्व बैंक में अंतिम अधिविकर्षण**		**7074.81**	**वर्ष के अन्त में रोकड़ शेष**			**4477.03**
				--	- खजानों में रोकड़ तथा स्थानीय प्रेषण			
				(-)262.75	- रिजर्व बैंक में जमा			173.22[4]
				133.05	- स्थाई अग्रिमों सहित विभागीय रोकड़ शेष			3.40
				7204.51	- रोकड़ शेष निवेश तथा उद्दिष्ट निधियों से निवेश			4300.41
180773.76		**योग**	**193187.31**	**180773.76**	**योग**			**193187.31**

[4] मार्च 2014 के लेखाओं के बंद होने पर 'भारतीय रिजर्व बैंक में जमा' के अंतर्गत लेखाओं में दर्शित ₹ 173.22 करोड़ (नामे) और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सूचित ₹ 133.97 करोड़ (जमा) के मध्य आकड़ों में ₹ 39.25 करोड़ (नामे) का अंतर था। अप्रैल 2014 के लेखाओं के बंद होने के उपरांत ₹ 49.29 करोड़ (नामे) का शुद्ध अंतर मिलान के लिए शेष था। रिजर्व बैंक में जमा के अंतर्गत अंतर का कारण एजेन्सी बैंक द्वारा आर.बी.आई. तथा कोषालय अधिकारियों को लेखों में लेन देनों की गलत सूचना देना है।

परिशिष्ट 1.5 (समाप्त)

भाग-ख

31 मार्च 2014 को मध्य प्रदेश सरकार की सारांशीकृत वित्तीय स्थिति

(संदर्भः कंडिका 1.9.1; पृष्ठ 37)

(₹ करोड़ में)

31.03.2013 की स्थिति में	देयताएं	31.03.2014 की स्थिति में
54309.33	**आन्तरिक ऋण-**	**59395.09**
31406.58	ब्याज वाले बाजार कर्ज	34978.40
0.43	ब्याज रहित बाजार कर्ज	0.39
94.37	भारतीय जीवन बीमा निगम से कर्ज	83.61
6001.52	अन्य संस्थाओं से कर्ज	6256.85
16806.00	केन्द्र सरकार की राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियां	18075.84
निरंक	अर्थोपाय पेशगियां (प्रदत्त ब्याज सहित)	निरंक
निरंक	भारतीय रिजर्व बैंक से अधिविकर्षण	निरंक
12267.81	**केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम-**	**12718.23**
1.88	1984-85 से पूर्व के कर्ज	1.88
50.17	आयोजनेत्तर कर्ज	46.49
12215.76	राज्य आयोजनागत योजनाओं के लिए कर्ज	12669.86
--	केन्द्रीय आयोजनागत योजनाओं के लिए कर्ज	--
--	केंद्र प्रवर्तित आयोजना योजनाओं के लिए कर्ज	--
200.00	**आकस्मिकता निधि**	**200.00**
10752.33	**अल्प बचतें, भविष्य निधियां आदि**	**11698.46**
7649.77	**जमा**	**7160.15**
5587.16	**आरक्षित निधियां**	**6255.19**
87.81	**उचन्त तथा विविध शेष**	**119.87**
1080.65	**प्रेषण शेष**	**1366.27**
91934.86	**योग**	**98913.26**
	परिसम्पत्तियां	
88452.66	**स्थाई परिसम्पत्तियों पर सकल पूंजीगत परिव्यय-**	**99229.20**
14656.50	कम्पनियों,निगमों आदि के शेयरों में निवेश	15275.10
73796.16	अन्य पूंजीगत परिव्यय	83954.10
27088.10	**कर्ज तथा अग्रिम**	**32072.34**
21917.11	बिजली परियोजनाओं हेतु कर्ज	26268.48
5142.12	अन्य विकास कर्ज	5775.05
28.87	सरकारी कर्मचारियों को कर्ज तथा विविध कर्ज	28.81
12.49	**अग्रिम**	**11.61**

31.03.2013 की स्थिति में	देयताएं	31.03.2014 की स्थिति में
--	**प्रेषण शेष**	--
7074.81	**रोकड़-**	**4477.03**
--	कोषालयों में नकद तथा स्थानीय प्रेषण	--
(-)262.75	रिजर्व बैंक में जमा	173.22[5]
133.05	स्थाई अग्रिमों सहित विभागीय रोकड़ शेष	3.40
6806.45	रोकड़ शेष निवेश	3899.14
398.06	आरक्षित निधि निवेश	401.27
-30693.20	**सरकारी लेखाओं में घाटा-**	**-36876.92**
-7458.75	(i) चालू वर्ष के राजस्व आधिक्य को घटा कर	-5879.48
-2.14	(क) अन्तर्राज्यीय परिशोधन	-0.07
14.89	(ख) सरकारी लेखे में राशि का संवरण	0.65
-1.04	(ग) वर्ष के दौरान प्रोफार्मा समायोजन	-304.82
--	(घ) आकस्मिकता निधि	--
-23246.16	वर्ष के आरंभ में संचित घाटा	-30693.20
91934.86	**योग**	**98913.26**

[5] मार्च 2014 के लेखाओं के बंद होने पर 'भारतीय रिजर्व बैंक में जमा' के अंतर्गत लेखाओं में दर्शित ₹ 173.22 करोड़ (नामे) और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सूचित ₹ 133.97 करोड़ (जमा) के मध्य आकड़ों में ₹ 39.25 करोड़ (नामे) का अंतर था। अप्रैल 2014 के लेखाओं के बंद होने के उपरांत ₹ 49.29 करोड़ (नामे) का शुद्ध अंतर मिलान के लिए शेष था। रिजर्व बैंक में जमा के अंतर्गत अंतर का कारण एजेन्सी बैंक द्वारा आर.बी.आई. तथा कोषालय अधिकारियों को लेखों में लेन देनों की गलत सूचना देना है।

परिशिष्ट 1.6

खेल एवं युवा कल्याण विभाग एवं जनजातीय कल्याण विभाग के श्रेणी-2 के अंतर्गत बचतों का विवरण

(संदर्भः कंडिका 1.1.4; पृष्ठ 8)

(₹ करोड़ में)

स.क्र.	योजनाओं का नाम एवं संख्या	कुल प्रावधान	कुल व्यय	बचत	प्रावधान के साथ बचतों की प्रतिशतता
खेल एवं युवा कल्याण विभाग					
1	5159-खेल अकादमी की स्थापना	13.40	11.19	2.21	16.49
2	6725-प्रदायक केन्द्र (तीरंदाजी) की स्थापना	2.96	1.59	1.37	46.28
3	7265-ओलंपिक 2020	2.21	0.17	2.04	92.31
जनजातीय कल्याण विभाग					
4	2773-प्राथमिक स्कूल वेतन भत्ते	381.39	355.39	26.00	6.82
5	364-आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालय वेतन भत्ते	5.80	4.67	1.13	19.48
6	581-उच्चतर माध्यमिक विद्यालय वेतन भत्ते	131.25	112.73	18.52	14.11
7	5216-उच्च विद्यालय वेतन भत्ते	27.95	26.08	1.87	6.69
8	494-आश्रमशाला वेतन भत्ते	40.19	37.04	3.15	7.84
9	1398-छात्रावास वेतन भत्ते	49.97	43.52	6.45	12.91
10	2676-पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति	47.59	37.00	10.59	22.25
11	8832-आश्रम छात्रावास का सुदृढ़ीकरण	22.47	20.26	2.21	9.84
12	7851-युवाओं के लिए रोजगार उन्मुखी व्यवसायिक प्रशिक्षण योजना	5.10	1.07	4.03	79.02
13	5204-अनुसूचित जाति/जनजाति छात्रों की दक्षता में उन्नयन	16.28	12.54	3.74	22.97
14	8799-छात्रावासों का निर्माण	19.48	9.84	9.64	49.49
15	8828-आश्रमशाला भवन का निर्माण	21.20	8.90	12.30	58.02
16	1392-छात्रवृत्ति एवं अन्य लाभ	18.92	0.80	18.12	95.77
17	2949-यूनीफार्म की आपूर्ति	9.47	7.43	2.04	21.54
18	8805-प्राथमिक स्तर के छात्रों को छात्रवृत्ति	13.84	1.74	12.10	87.43
19	495-आश्रम एवं स्कूल	29.02	23.64	5.38	18.54
20	6175-राज्य छात्रवृत्ति	7.92	0.20	7.72	97.47
21	9416-नगरीय निकायों को प्राथमिक शिक्षा के लिए अनुदान	164.24	153.86	10.38	6.32

(स्त्रोतः संबंधित विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी)

परिशिष्ट 1.7
वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 के दौरान राजसहायता भुगतानों का विवरण
(संदर्भः कंडिका 1.6.4.4; पृष्ठ 28)

(₹ करोड़ में)

स.क्र	विभाग	विवरण एवं लेखा शीर्ष	2012-13			2013-14		
			आयोजनेत्तर	आयोजना (केन्द्र प्रवर्तित आयोजना एवं केन्द्र आयोजना सहित)	योग	आयोजनेत्तर	आयोजना (केन्द्र प्रवर्तित आयोजना एवं केन्द्र आयोजना सहित)	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	पशुपालन	2403-पशुपालन	--	6.75	6.75	-	13.00	13.00
2	आयुष	2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	0.02	--	0.02	0.02	--	0.02
3	जैव विविधता एवं जैव प्रौद्योगिकी	3425-अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान		0.54	0.54	--	0.70	0.70
4	वाणिज्य उद्योग एवं रोजगार	2230-श्रम एवं रोजगार	2.06	--	2.06	1.47	--	1.47
5	वाणिज्य उद्योग एवं रोजगार	851-ग्राम तथा लघु उद्योग	--	40.10	40.10	--	57.26	57.26
6	वाणिज्य उद्योग एवं रोजगार	2852-उद्योग	0.31	102.26	102.57	--	227.03	227.03
7	सहकारिता	2425-सहकारिता	--	250.82	250.82	--	247.87	247.87
8	संस्कृति	2205-कला एवं संस्कृति	--	0.02	0.02	--	0.01	0.01
9	ऊर्जा	2801-बिजली	2440.90	232.00	2672.90	2744.52	296.83	3041.35
10	किसान कल्याण तथा कृषि विकास	2401-फसल कृषि कर्म	--	275.75	275.75	--	369.95	369.95
11	वित्त	2052-सचिवालय सामान्य सेवाएं	--	--	--	--	--	--
12	मत्स्य पालन	2405-मत्स्य पालन	0.10	5.31	5.41	--	5.52	5.52
13	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति	2408-खाद्य, भंडारण तथा भांडागार	1470.22	22.80	1493.02	1579.73	15.00	1594.73
14	वन	2406-वानिकी तथा वन्य प्राणी	0.06	--	0.06	--	--	--
15	सामान्य प्रशासन	2012-राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति/ राज्यपाल/संघ राज्य क्षेत्रो के प्रशासक	0.26	--	0.26	0.38	--	0.38

1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	सामान्य प्रशासन	2013-मंत्री परिषद	60.73	--	60.73	70.22	--	70.22
17	सामान्य प्रशासन	2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	1.89	--	1.89	1.54	--	1.54
18	उच्च शिक्षा	2202-सामान्य शिक्षा	--	4.54	4.54	--	4.09	4.09
19	गृह	2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	--	--	--	--	--	--
20	गृह	2055-पुलिस	0.60	--	0.60	1.08	--	1.08
21	उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण	2401-फसल कृषि कर्म	--	21.71	21.71	--	36.13	36.13
22	सूचना प्रौद्योगिकी	3425-अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	--	10.98	10.98	--	46.55	46.55
23	जन शक्ति नियोजन	2203-तकनीकी शिक्षा	--	5.19	5.19	--	9.26	9.26
24	जन शक्ति नियोजन	2230-श्रम एवं रोजगार	--	0.44	0.44	नगण्य	0.43	0.43
25	नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा	2810-गैर पारम्परिक ऊर्जा के स्रोत	--	16.15	16.15	--	34.89	34.89
26	योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी	2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम	18.47	--	18.47	18.46	--	18.46
27	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	77.87	--	77.87	65.99	--	65.99
28	जनसम्पर्क	2220-सूचना तथा प्रचार	1.00	--	1.00	0.58	--	0.58
29	धार्मिक न्यास और धर्मस्व	2250-अन्य सामाजिक सेवाएं	59.50	--	59.50	71.96	--	71.96
30	राजस्व	2245-प्राकृतिक आपदा के कारण राहत	14.00	--	14.00	9.77	--	9.77
31	ग्रामीण विकास	2216-आवास	--	71.49	71.49	--	30.40	30.40

1	2	3	4	5	6	7	8	9
32	अनुसूचित जाति कल्याण	2202-सामान्य शिक्षा	--	--	--	--	--	--
33	अनुसूचित जाति कल्याण	2225-अनूसूचित जाति,अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ें वर्गो का कल्याण	--	3.30	3.30	--	10.14	10.14
34	अनुसूचित जाति कल्याण	2202-सामान्य शिक्षा	--	--	--	--	--	--
35	अनुसूचित जाति कल्याण	2225-अनूसूचित जाति,अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ें वर्गो का कल्याण	--	17.33	17.33	--	31.67	31.67
36	स्कूल शिक्षा	2202-सामान्य शिक्षा	--	283.39	283.39	--	296.34	296.34
37	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	3425-अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	--	7.95	7.95	--	8.79	8.79
38	सामाजिक न्याय	2052-सचिवालय सामान्य सेवाएं	--	20.29	20.29	--	15.99	15.99
39	सामाजिक न्याय	2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	--	78.96	78.96	--	89.56	89.56
40	खेल और युवक सेवाएं	2204-खेल तथा युवा सेवाएं	0.22	25.59	25.81	0.15	49.44	49.59
41	नगरीय प्रशासन एवं विकास	2217-शहरी विकास	--	10.10	10.10	--	25.10	25.10
42	नगरीय प्रशासन एवं विकास	3604-स्थानीय निकायों एवं पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति एवं नियतन	--	--	--	30.00	--	30.00
43	ग्रामोद्योग	2851-ग्राम तथा लघु उद्योग	--	20.24	20.24	--	31.12	31.12
44	पिछड़ा वर्ग एवं अल्प संख्यक कल्याण	2225-अनूसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ें वर्गो का कल्याण	--	0.10	0.10	--	0.27	0.27
45	महिला एवं बाल विकास	2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	--	15.10	15.10	--	18.00	18.00
योग			**4148.21**	**1549.20**	**5697.41**	**4595.87**	**1971.34**	**6567.21**

परिशिष्ट 1.8

कः राज्य सरकार द्वारा नगरीय स्थानीय निकायों को कार्यों का हस्तांतरण

(संदर्भः कंडिका 1.6.6.1; पृष्ठ 29)

स.क्र.	कार्य का नाम
1	नगरीय योजना जिसके अंतर्गत नगर योजना भी है
2	भूमि उपयोग का विनियमन और भवनों का निर्माण
3	आर्थिक और सामाजिक विकास योजना
4	सड़कें और पुल
5	घरेलू, औद्योगिक और वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए जल प्रदाय
6	लोक स्वास्थ्य, स्वच्छता, सफाई और कूड़ा करकट प्रबंध
7	अग्निशमन सेवाएं
8	नगरीय वानिकी, पर्यावरण का संरक्षण और पारिस्थितिकी आयामों की अभिवृद्धि
9	समाज के दुर्बल वर्गों के, जिनके अंतर्गत विकलांग और मानसिक रूप से मंद व्यक्ति भी हैं, हितों की रक्षा
10	गंदी बस्ती सुधार और प्रोन्नयन
11	नगरीय निर्धनता उन्मूलन
12	नगरीय सुख-सुविधाओं और सुविधाओं, जैसे पार्क, उद्यान, खेल के मैदानों की व्यवस्था
13	सांस्कृतिक, शैक्षणिक और सौंदर्यपरक आयामों की अभिवृद्धि
14	शव गाड़ना और कब्रिस्तान, शवदाह और श्मशान और विद्युत शवदाह गृह
15	कांजी हाउस, पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण
16	जन्म-मरण सांख्यिकी, जिसके अंतर्गत जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण भी है
17	सार्वजनिक सुख-सुविधाएं, जिनके अंतर्गत सड़कों पर प्रकाश, पार्किंग स्थल, बस स्टॉप और जन सुविधाएं भी हैं
18	वधशालाओं और चर्मशोधनशालाओं का विनियमन

खः राज्य सरकार द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को कार्यों का हस्तांतरण

स.क्र.	कार्य का नाम
1	कृषि, जिसके अंतर्गत कृषि विस्तार भी है
2	भूमि विकास, भूमि सुधार का कार्यान्वयन, चकबंदी और भूमि संरक्षण
3	लघु सिंचाई, जल प्रबंधन और जल-आच्छादन विकास
4	पशुपालन, दुग्ध उद्योग और कुक्कुट-पालन
5	मत्स्यिकी
6	सामाजिक वनोद्योग और फार्म वनोद्योग
7	लघु वन उत्पाद
8	लघु उद्योग, जिनके अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग भी है
9	खादी, ग्राम और कुटीर उद्योग
10	ग्रामीण आवास
11	पेयजल
12	ईंधन एवं चारा

स.क्र.	कार्य का नाम
13	सड़क, पुलियां, पुल, फेरी, जलमार्ग तथा संचार के अन्य साधन
14	ग्रामीण विद्युतीकरण जिसके अंतर्गत विद्युत का वितरण है
15	गैर पारम्परिक ऊर्जा स्त्रोत
16	गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम
17	शिक्षा, जिसके अंतर्गत प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय भी है
18	तकनीकी प्रशिक्षण एवं व्यवसायिक शिक्षा
19	प्रौढ़ और अनौपचारिक शिक्षा
20	पुस्तकालय
21	सांस्कृतिक क्रियाकलाप
22	बाजार एवं मेले
23	स्वास्थ्य और स्वच्छता जिसके अंतर्गत अस्पताल प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और औषधालय भी हैं
24	परिवार कल्याण
25	महिला एवं बाल विकास
26	समाज कल्याण जिसके अंतर्गत विकलांगों और मानसिक रुप से मंद व्यक्तियों का कल्याण भी है
27	कमजोर वर्गों का विशिष्टतया अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का कल्याण
28	सार्वजनिक वितरण प्रणाली
29	सामुदायिक परिसम्पत्तियों का अनुरक्षण

परिशिष्ट 1.9
अद्यतन वर्ष जिसके लिये लेखाओं को अन्तिम रूप दिया गया था, 31 मार्च 2014 की स्थिति में हानि में चलने वाले सांविधिक निगमों/सरकारी कम्पनियों की वित्तीय स्थिति
(संदर्भ कंडिका 1.8.1; पृष्ठ 34)

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	कम्पनियों/निगमों के नाम	जिस वर्ष तक के लेखा प्रस्तुत किये गये थे	वर्ष के अन्त में निवेशित राशि (प्रदत्त पूंजी)				वर्ष के 31 मार्च के अन्त में संचित हानि (-)	क्षेत्र
			राज्य	केन्द्र	अन्य	योग		
1.	**2.**	**3.**	**4.**	**5.**	**6.**	**7.**	**8.**	**9.**
1.	औद्योगिक अधोसंरचना विकास निगम लिमिटेड, ग्वालियर	2012-13	0.00	0.00	0.75	0.75	5.02	वित्त
2.	मध्य प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, भोपाल	2011-12	81.09	0.00	0.00	81.09	593.50	वित्त
3.	क्रिस्टल आई.टी. पार्क लिमिटेड, इन्दौर	2012-13	0.00	0.00	0.05	0.05	0.07	निर्माण
4.	मध्य प्रदेश ए.एम.आर.एल. सेमरिया कोल कंपनी लिमिटेड	2012-13	0.00	0.00	1.00	1.00	0.46	निर्माण
5.	मध्य प्रदेश ए.एम.आर.एल. मोरगा कोल कंपनी लिमिटेड	2012-13	0.00	0.00	1.00	1.00	0.32	निर्माण
6.	मध्य प्रदेश ए.एम.आर.एल. बिचारपुर कोल कंपनी लिमिटेड	2012-13	0.00	0.00	1.00	1.00	0.44	निर्माण
7.	मध्य प्रदेश ए.एम.आर.एल. मरकी बारका कोल कंपनी लिमिटेड	2012-13	0.00	0.00	1.00	1.00	0.37	निर्माण
8.	मध्यप्रदेश जेपी कोल लिमिटेड	2012-13	0.00	0.00	10.00	10.00	0.09	निर्माण
9.	मध्य प्रदेश जेपी मिनरल्स लिमिटेड	2012-13	0.00	0.00	61.22	61.22	1.27	निर्माण
10.	मध्य प्रदेश जेपी कोल क्षेत्र लिमिटेड	2012-13	0.00	0.00	10.00	10.00	0.39	निर्माण

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
11.	मध्य प्रदेश सैनिक कोल माइनिंग प्राईवेट लिमिटेड	2012-13	0.00	0.00	39.98	39.98	0.70	निर्माण
12.	मध्य प्रदेश मोनेट माइनिंग कंपनी लिमिटेड	2012-13	0.00	0.00	2.00	2.00	0.35	निर्माण
13.	मध्य प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लिमिटेड	2012-13	2375.64	0.00	0.00	2375.64	143.75	ऊर्जा
14.	मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड	2012-13	0.00	0.00	1598.08	1598.08	6937.29	ऊर्जा
15.	मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड	2012-13	1770.33	0.00	0.00	1770.33	6001.03	ऊर्जा
16.	मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड	2012-13	1825.96	0.00	0.00	1825.96	5922.60	ऊर्जा
17.	मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कम्पनी लिमिटेड	2012-13	4527.49	0.00	185.00	4712.49	1418.71	ऊर्जा
18.	बाणसागर ताप विद्युत परियोजना लिमिटेड	2012-13	0.00	0.00	0.05	0.05	0.55	ऊर्जा
19.	पीथमपुर आटो क्लस्टर प्रायवेट लिमिटेड	2012-13	-	-	11.98	11.98	7.98	निर्माण
20.	मध्य प्रदेश राज्य इलैक्ट्रानिक विकास निगम लिमिटेड	2011-12	21.91	-	-	21.91	8.57	निर्माण
21.	मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	2011-12	27.97	-	-	27.97	3.36	सेवा
22.	मध्य प्रदेश सड़क परिवहन निगम	2007-08	109.96	31.85	-	141.81	1024.52	सेवा
योग			**10740.35**	**31.85**	**1923.11**	**12695.31**	**22071.34**	

परिशिष्ट 1.10

कः अपूर्ण परियोजनाओं का विवरण जिसमें प्रारंभिक बजट लागत का पुनरीक्षण किया गया- ऊर्जा विभाग, जल संसाधन विभाग, लोक निर्माण विभाग एवं नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण

(संदर्भः कंडिका 1.8.2; पृष्ठ 34)

(₹ करोड़ में)

विभाग	संख्या	प्रारंभिक बजट लागत (कॉलम 3)	परियोजनाओं की पुनरीक्षित कुल लागत (कॉलम 4)	लागत आधिक्य (कॉलम 4-कॉलम 3)	संचयी वास्तविक व्यय (31 मार्च 2014)
ऊर्जा विभाग	17	8486.12	11611.64	3125.52	9182.49
लोक निर्माण विभाग	19	123.92	187.11	63.19	130.43
नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण	11	3038.34	12460.6	9422.26	7825.75
जल संसाधन विभाग	3	194.46	283.41	88.95	226.26
योग	**50**	**11842.84**	**24542.76**	**12699.92**	**17364.93**

खः अपूर्ण परियोजनाओं का विवरण जिसमें प्रारंभिक बजट लागत का पुनरीक्षण नहीं किया गया- ऊर्जा विभाग, जल संसाधन विभाग, लोक निर्माण विभाग एवं नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण

(₹ करोड़ में)

डिवीजन/ जोन	संख्या	प्रारंभिक बजट लागत	परियोजनाओं की पुनरीक्षित कुल लागत	लागत आधिक्य	संचयी वास्तविक व्यय (31 मार्च 2014)
ऊर्जा विभाग	75	53888.09	0.00	0.00	15064.04
लोक निर्माण विभाग	26	107.09	0.00	0.00	62.79
नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण	2	2507.81	0.00	0.00	1814.14
जल संसाधन विभाग	43	215.17	0.00	0.00	130.98
योग	**146**	**56718.16**	**0.00**	**0.00**	**17071.95**

गः अपूर्ण परियोजनाओं का विवरण जिनमें वास्तविक व्यय, प्रारंभिक बजट से अधिक है लेकिन परियोजनाओं की लागत का पुनरीक्षण नहीं किया गया-जल संसाधन विभाग एवं लोक निर्माण विभाग

(₹ करोड़ में)

डिविजन/ जोन	संख्या	प्रारंभिक बजट लागत	परियोजनाओं की पुनरीक्षित कुल लागत	लागत आधिक्य	संचयी वास्तविक व्यय (मार्च 2014)
जल संसाधन विभाग	3	9.18	0.00	0.11	9.29
लोक निर्माण विभाग	2	17.77	0.00	0.81	18.58
योग	**5**	**26.95**	0.00	**0.92**	**27.87**

(स्त्रोतः महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखापरीक्षा) मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा प्रदाय जानकारी के अनुसार)

कुल प्रारंभिक लागत (50+ 146+5) 201 परियोजनाएं= (11842.84 +56718.16+26.95) = 68587.95

31.03.2014 तक (50+ 146+5) 201 परियोजनाओं का कुल संचयी वास्तविक व्यय= (17364.93 + 17071.95+ 27.87) = 34464.75

परिशिष्ट 1.11
मई 2014 तक विभिन्न क्षेत्रों के अंतर्गत सार्वजनिक निजी साझेदारी परियोजनाओं की स्थिति
(संदर्भः कंडिका 1.8.2; पृष्ठ 35)

(₹ करोड़ में)

स.क्र.	क्षेत्र	कुल परियोजनाएं		आयोजना/पाईप लाइन के अंतर्गत		निविदा प्रक्रिया के अंतर्गत		लागू होने/निर्माण के अंतर्गत		पूर्ण परियोजनाएं	
		संख्या	लागत	संख्या	लागत	संख्या	लागत	संख्या	लागत	संख्या	लागत
1	पशुपालन	2	80.00	2	80.00	0	0	0	0	0	0
2	स्कूल शिक्षा	2	496.20	2	496.20	0	0	0	0	0	0
3	नगरीय प्रशासन एवं विकास	22	846.70	11	393.10	2	24.90	6	281.60	3	147.10
4	आवास एवं पर्यावरण	7	2133.10	5	2131.10	0	0	0	0	2	2.00
5	जैव विविधता (बायो-डायवर्सिटी) तथा जैव प्रौद्योगिकी	1	130.00	1	130.00	0	0	0	0	0	0
6	वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार	4	647.10	1	351.00	1	78.50	2	217.60	0	0
7	वन	3	146.70	1	130.00	0	0	1	15.70	1	1.00
8	लोक निर्माण कार्य	147	17926.90	1	40.90	17	2556.40	96	10233.90	33	5095.70
9	खेलकूद एवं युवा कल्याण	1	900.00	0	0	0	0	1	900.00	0	0
10	पर्यटन	3	35.00	1	15.00	2	20.00	0	0	0	0
11	उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण	4	398.00	1	223.20	3	174.80	0	0	0	0
12	तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास	3	331.30	1	176.30	0	0	2	155.00	0	0
13	उर्जा	4	552.70	0	0	0	0	3	522.70	1	30.00
14	परिवहन	1	1094.00	0	0	0	0	1	1094.00	0	0
15	किसान कल्याण तथा कृषि विकास	1	138.50	0	0	0	0	1	138.50	0	0
16	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	1	67.00	0	0	0	0	0	0	1	67.00
17	खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण	1	249.90	0	0	1	249.90	0	0	0	0
	योग	**207**	**26173.10**	**27**	**4166.80**	**26**	**3104.50**	**113**	**13559.00**	**41**	**5342.80**

परिशिष्ट 2.1

विभिन्न अनुदानों/विनियोगों जिनमें बचतें ₹ 10 करोड़ से अधिक और कुल प्रावधान का 20 प्रतिशत से भी अधिक थी, का विवरण पत्र

(संदर्भः कंडिका 2.3.1; पृष्ठ 53)

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	अनुदान संख्या	अनुदान/विनियोग का नाम	कुल अनुदान/ विनियोग	बचतें	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6
1	लोक ऋण	लोक ऋण (पूंजीगत प्रभारित)	8022.69	4018.05	50.08
2	03	पुलिस (पूंजीगत दत्तमत)	176.87	105.85	59.85
3	06	वित्त (राजस्व प्रभारित)	14.77	13.24	89.64
4	06	वित्त (पूंजीगत दत्तमत)	286.34	234.74	81.98
5	08	भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन (राजस्व दत्तमत)	1087.79	252.14	23.18
6	08	भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन (पूंजीगत दत्तमत)	77.97	71.36	91.52
7	09	राजस्व विभाग से संबंधित व्यय (राजस्व दत्तमत)	60.75	18.22	29.99
8	12	ऊर्जा (राजस्व दत्तमत)	3841.50	780.26	20.31
9	12	ऊर्जा (राजस्व प्रभारित)	181.23	181.23	100
10	12	ऊर्जा (पूंजीगत प्रभारित)	5477.23	1119.44	20.44
11	13	किसान कल्याण तथा कृषि विकास (राजस्व दत्तमत)	1177.77	334.95	28.44
12	15	अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता (राजस्व दत्तमत)	1027.39	232.83	22.66
13	15	अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता (पूंजीगत दत्तमत)	81.84	53.46	65.32
14	16	मछली पालन (राजस्व दत्तमत)	66.36	17.77	26.78
15	17	सहकारिता (राजस्व दत्तमत)	471.83	116.45	24.68
16	19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (पूंजीगत दत्तमत)	98.65	22.00	22.30
17	20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (राजस्व दत्तमत)	524.96	127.27	24.24
18	20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (पूंजीगत दत्तमत)	622.23	221.97	35.67
19	22	नगरीय प्रशासन एवं विकास-नगरीय निकाय (राजस्व दत्तमत)	312.22	74.03	23.71
20	22	नगरीय प्रशासन एवं विकास-नगरीय निकाय (पूंजीगत दत्तमत)	85.91	39.80	46.33
21	23	जल संसाधन (राजस्व दत्तमत)	842.83	170.21	20.20
22	26	संस्कृति (पूंजीगत दत्तमत)	192.38	68.25	35.48
23	27	स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा) (पूंजीगत दत्तमत)	48.80	34.85	71.41
24	28	राज्य विधान मंडल (राजस्व दत्तमत)	60.92	13.26	21.77
25	29	विधि एवं विधायी कार्य (राजस्व दत्तमत)	940.22	333.47	35.47

1	2	3	4	5	6
26	29	विधि एवं विधायी कार्य (राजस्व प्रभारित)	93.41	27.66	29.61
27	30	ग्रामीण विकास (राजस्व दत्तमत)	686.01	199.20	29.04
28	30	ग्रामीण विकास (पूंजीगत दत्तमत)	577.34	376.53	65.22
29	31	योजना, आर्थिक और सांख्यिकी (राजस्व दत्तमत)	241.20	121.63	50.43
30	33	आदिम जाति कल्याण (राजस्व प्रभारित)	21.79	13.85	63.56
31	34	सामाजिक न्याय (राजस्व दत्तमत)	245.07	78.17	31.90
32	36	परिवहन (राजस्व दत्तमत)	83.73	18.85	22.51
33	36	परिवहन (पूंजीगत दत्तमत)	25.00	15.07	60.28
34	37	पर्यटन (पूंजीगत दत्तमत)	134.66	76.28	56.65
35	38	आयुष (राजस्व दत्तमत)	380.26	169.39	44.55
36	38	आयुष (पूंजीगत दत्तमत)	26.41	12.74	48.24
37	39	खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण (पूंजीगत दत्तमत)	200.50	70.02	34.92
38	40	जल संसाधन विभाग से संबंधित व्यय-आयाकट (पूंजीगत दत्तमत)	152.46	58.75	38.53
39	41	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना (पूंजीगत दत्तमत)	2123.05	520.33	24.51
40	44	उच्च शिक्षा (पूंजीगत दत्तमत)	40.55	19.62	48.38
41	47	तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास (पूंजीगत दत्तमत)	103.93	56.74	54.59
42	50	उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण (राजस्व दत्तमत)	354.59	157.11	44.31
43	52	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय सहायता (पूंजीगत दत्तमत)	109.51	69.14	63.14
44	53	अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता (राजस्व दत्तमत)	283.15	86.95	30.71
45	55	महिला एवं बाल विकास (राजस्व दत्तमत)	2842.74	592.04	20.83
46	55	महिला एवं बाल विकास (पूंजीगत दत्तमत)	330.20	96.23	29.14
47	59	ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं (राजस्व दत्तमत)	91.70	39.73	43.33
48	61	बुन्देलखण्ड पैकेज से संबंधित व्यय (राजस्व दत्तमत)	200.00	180.56	90.28
49	61	बुन्देलखण्ड पैकेज से संबंधित व्यय (पूंजीगत दत्तमत)	408.71	211.00	51.63
50	63	अल्प संख्यक कल्याण (राजस्व दत्तमत)	67.42	35.81	53.11
51	64	अनुसूचित जाति उपयोजना (राजस्व दत्तमत)	2398.23	588.57	24.54
52	64	अनुसूचित जाति उपयोजना (पूंजीगत दत्तमत)	2157.09	522.74	24.23

1	2	3	4	5	6
53	66	पिछड़ा वर्ग कल्याण (राजस्व दत्तमत)	812.83	176.41	21.70
54	67	लोक निर्माण कार्य-भवन (पूंजीगत दत्तमत)	182.67	91.29	49.98
55	68	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के अंतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता (राजस्व दत्तमत)	46.00	13.97	30.37
56	73	चिकित्सा शिक्षा (पूंजीगत दत्तमत)	33.16	14.31	43.15
57	75	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता (पूंजीगत दत्तमत)	25.00	21.36	85.44
58	76	नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा (राजस्व दत्तमत)	66.57	22.60	33.95
59	77	स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय (प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर) (राजस्व दत्तमत)	1646.23	382.80	23.25
60	77	स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय (प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर) (पूंजीगत दत्तमत)	11.71	11.71	100
योग			**42984.33**	**13804.26**	**32.11**

(स्रोतः विनियोग लेखे)

परिशिष्ट 2.2 (क)
तालिका 2.2 में दिए गए अनुदानों/विनियोगों से संबंधित योजनाओं के प्रकरण जिनमें सारभूत बचतें (प्रत्येक प्रकरण में ₹ 20 करोड़ से अधिक) हुई
(संदर्भः कंडिका 2.3.1; पृष्ठ 54)

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	संबंधित शीर्ष	योजना का नाम	बचतें	बचतों के कारण
1	2	3	4	5
08-भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन (राजस्व दत्तमत)				
1	2029-भू-राजस्व	जिला खर्च	89.20	सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2014)
2	2053-जिला प्रशासन	जिला स्थापना	50.02	सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2014)
3	2053-जिला प्रशासन	उप संभागीय स्थापना	28.48	बचत का कारण व्यय कम होने एवं तहसील कार्यालयों में गत वर्ष कार्यालयीन उपकरण उपलब्ध करा दिये जाने से चालू वित्त वर्ष में निधि की आवश्यकता न होना बताया गया।
12-ऊर्जा				
4	2801-बिजली	टेरिफ अनुदान	600.00	बचत का कारण पुनरीक्षित बजट अनुमान कम किया जाना बताया गया।
5	2801-बिजली	कृषक समृद्धि योजना हेतु अनुदान	107.96	बचत का कारण वित्त विभाग से स्वीकृति प्राप्त न होना बताया गया।
13-किसान कल्याण तथा कृषि विकास				
6	2401-फसल कृषि-कर्म	खाद भंडारण पर ब्याज अनुदान	31.88	सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2014)
7	2401-फसल कृषि-कर्म	राष्ट्रीय तिलहन विकास योजना	62.67	बचत का कारण मुख्यतः रिलीज कम प्राप्त होने, राज्य योजनाओं के अंतर्गत जिलों से मांग प्राप्त न होने, राशि का उपयोग न होने, राष्ट्रीय तिलहन विकास योजनान्तर्गत पूर्ण रिलीज प्राप्त न होने से, भारत सरकार से प्रावधानित राशि अनुसार रिलीज प्राप्त न होने एवं राज्यांश राशि का पुनर्विनियोजन स्वीकृत न होना बताया गया।
8	2401-फसल कृषि-कर्म-113	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	25.04	सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2014)
9	2401-फसल कृषि-कर्म-800	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	135.69	बचत का कारण अंशतः भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत पूर्ण रिलीज प्राप्त न होने से प्रावधान का शत-प्रतिशत उपयोग न होना बताया गया। (₹ 134.45 करोड़)
15-अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता				
10	2501-ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	बेकवर्ड रिजन ग्राण्ड फण्ड योजना	20.60	सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2014)
11	2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण	अनुसूचित जाति छात्रावास	24.26	बचत का कारण मांग आधारित योजनान्तर्गत राशि की कम आवश्यकता होना बताया गया।
12	2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण	अन्य छात्रवृत्तियां	39.68	बचत का कारण मांग आधारित योजनान्तर्गत राशि की कम आवश्यकता होना बताया गया।

1	2	3	4	5
13	2505-ग्रामीण रोजगार	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना	27.82	बचत का कारण अंशतः भारत सरकार से केन्द्रांश कम प्राप्त होना एवं राज्यांश राशि अग्रिम जारी होना बताया गया।
17-सहकारिता				
14	2425-सहकारिता	आडिट बोर्ड	20.31	बचत का कारण मुख्यतः दस प्रतिशत आर्थिक कटौती एवं वेतन एवं भत्तों में अधिक प्रावधान किया जाना बताया गया।
15	2425-सहकारिता	सहकारी बैंकों के माध्यम से कृषकों को अल्पकालीन ऋण पर ब्याज अनुदान	80.62	बचत का कारण वित्त विभाग से स्वीकृति प्राप्त न होना बताया गया।
20-लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी				
16	2215-जल पूर्ति एवं सफाई	प्रशासन	51.79	बचत का कारण अंशतः पदों का रिक्त रहना बताया गया।
17	2215-जल पूर्ति एवं सफाई	नलकूपों (हैण्ड पंपो) का अनुरक्षण	32.94	बचत का कारण अंशतः पदों का रिक्त रहना बताया गया।
23-जल संसाधन				
18	2701-मध्यम सिंचाई	कार्यपालिक स्थापना	82.21	बचत का कारण मुख्यतः पदों की निरन्तरता के अभाव में राशि का उपयोग न होना एवं वास्तविक कार्यरत पदों के विरुद्ध ही आहरण करना बताया गया।
19	2701-मध्यम सिंचाई	नहरें तथा तालाब	38.06	बचत का कारण अंशतः पदों की निरन्तरता के अभाव में राशि का उपयोग न होना बताया गया।
29-विधि एवं विधायी कार्य				
20	2014-न्याय प्रशासन	सामान्य स्थापना	76.45	सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2014)
21	2014-न्याय प्रशासन	न्याय व्यवस्था में सुधार (13वाँ वित्त आयोग)	57.48	बचत का कारण अंशतः पदों के रिक्त रहना एवं कोर्टस ऑफ टुमारों योजना, ई-कोर्टस परियोजना एवं गैप विश्लेषण का प्रतिवेदन तैयार न होना बताया गया।
22	2015-निर्वाचन	मतदाता सूचियां तैयार करना एवं मुद्रण	30.94	सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2014)
23	2015-निर्वाचन	राज्य विधान मण्डल के निर्वाचन के प्रभार	72.78	सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2014)
30-ग्रामीण विकास				
24	2216-आवास	मुख्यमंत्री आवास मिशन	45.40	बचत का कारण मांग कम प्राप्त होना बताया गया।
25	2515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	विकास खण्ड कार्यालय	25.26	बचत का कारण मुख्यतः मांग प्राप्त न होना बताया गया।
26	2515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	प्रधानमंत्री सड़क योजनान्तर्गत निर्मित सड़कों का नवीनीकरण एवं उन्नयन	106.60	बचत का कारण मांग कम प्राप्त होना एवं वित्त विभाग द्वारा प्रतिबंध लगाया जाना बताया गया।
31-योजना, आर्थिक और सांख्यिकी				
27	3454-जनगणना, सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी	यू.आई.डी.ए. के लिए प्रोत्साहन (13वाँ वित्त आयोग)	49.94	सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2014)
38-आयुष				
28	2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	आयुर्वेदिक चिकित्सालय एवं औषधालय	111.83	सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2014)

1	2	3	4	5
50-उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण				
29	2401-फसल कृषि-कर्म	पौधशाला उद्यान	22.67	बचत का कारण शासन द्वारा स्वीकृत नवीन सेटअप के अंतर्गत योजना को योजना-0655 'संचालनालय एवं अधीनस्थ कार्यालयों' में परिवर्तित करना बताया गया।
30	2401-फसल कृषि-कर्म	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	24.27	सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2014)
31	2401-फसल कृषि-कर्म	माईक्रो इरीगेशन की केन्द्र प्रवर्तित योजना	70.34	सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2014)
55-महिला एवं बाल विकास				
32	2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	एकीकृत बाल विकास सेवा योजना	310.17	बचत का कारण अंशतः भारत सरकार द्वारा आई.सी.डी.एस. मिशन अंतर्गत मापदण्डों में परिवर्तन होना एवं अनुमानित व्यय की तुलना में अधिक बजट प्रावधान होना बताया गया।
33	2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	मध्य प्रदेश स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार कार्यक्रम (विदेशी सहायता)	21.10	सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2014)
34	2236-पोषण	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम विशेष पोषण आहार योजना	185.06	बचत का कारण अंशतः भारत सरकार द्वारा आई.सी.डी.एस. मिशन अंतर्गत मापदण्डों में परिवर्तन होना बताया गया।
61-बुन्देलखण्ड पैकेज से संबंधित व्यय				
35	2700-मुख्य सिंचाई	अवशेष निपटारा	200.00	सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2014)
64-अनुसूचित जाति उपयोजना				
36	2401-फसल कृषि-कर्म	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	43.22	बचत का कारण अंशतः भारत सरकार से राष्ट्रीय तिलहन विकास योजना के अंतर्गत पूर्ण रिलीज प्राप्त न होने से प्रावधान का शत-प्रतिशत उपयोग न होना बताया गया।
37	2425-सहकारिता	सहकारी बैंकों के माध्यम से कृषकों को अल्पकालीन ऋण पर ब्याज अनुदान	43.60	बचत का कारण मुख्यतः अनुसूचित जाति के किसानों को अल्पकालीन फसल ऋण वितरित किये जाने के आधार पर राशि का आहरण किया जाना बताया गया।
38	2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन	30.78	सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2014)
39	2202-सामान्य शिक्षा	सर्वशिक्षा अभियान	64.85	बचत का कारण अंशतः भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्त न होना बताया गया।
40	2236-पोषण	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम विशेष पोषण आहार योजना	35.88	सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2014)
41	2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण-0103	पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्तियां	38.01	सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2014)
42	2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण-0803	पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्तियां	25.23	सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2014)

1	2	3	4	5
43	2515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	प्रधानमंत्री सड़क योजनान्तर्गत निर्मित सड़कों का नवीनीकरण एवं उन्नयन	24.60	बचत का कारण वित्त विभाग द्वारा आहरण पर प्रतिबंध लगाया जाना बताया गया।
66-पिछड़ा वर्ग कल्याण				
44	2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण	पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्तियां	30.95	बचत का कारण स्कूलों से प्रस्ताव समय पर प्राप्त न होना बताया गया।
45	2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण	राज्य छात्रवृत्तियां	128.47	सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2014)
77-स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय (प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर)				
46	2202-सामान्य शिक्षा	उच्चतर माध्यमिक शालायें	145.82	बचत का कारण मुख्यतः पदों का रिक्त रहना बताया गया।
47	2202-सामान्य शिक्षा	राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का क्रियान्वयन	119.50	बचत का कारण मुख्यतः आहरण की अनुमति विलम्ब से प्राप्त होना बताया गया।
48	2202-सामान्य शिक्षा	हाई स्कूलों का हायर सेकेण्डरी स्कूलों में उन्नयन	40.50	बचत का कारण मुख्यतः पदों का रिक्त रहना बताया गया।
03-पुलिस (पूंजीगत दत्तमत)				
49	4055-पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय	पुलिस बल का आधुनिकीकरण	83.95	बचत का कारण स्वीकृत पदों के विरुद्ध पदों की पूर्ति न होना, समयमान वेतन एवं अन्य एरियर्स के भुगतान न होना, क्रय पर प्रतिबंध होना, आधुनिकीकरण योजना के अंतर्गत बजट प्रावधान के विरुद्ध भारत सरकार से अनुमति प्राप्त न होना एवं फर्नीचर एवं कार्यालय उपकरण की राशि क्रय आदेश जारी किये जाने के उपरान्त भी शासन द्वारा व्यक्तिगत जमा खाते में राशि जमा करने की अनुमति प्रदान न किया जाना बताया गया।
06-वित्त				
50	6075-विविध सामान्य सेवाओं के लिये कर्ज	गारंटीकृत ऋणों के समाधान हेतु प्रावधान	100.00	सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2014)
51	6075-विविध सामान्य सेवाओं के लिये कर्ज	राज्य शासन के उपक्रमों की पुनर्संरचना हेतु ऋण सहायता	93.72	सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2014)
12-ऊर्जा				
52	4801-बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	2 गुना 660 मेगावॉट श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना	92.80	बचत का कारण वित्त विभाग से राशि के विमोचन की स्वीकृति हेतु सहमति प्राप्त न होना बताया गया।
53	6801-बिजली परियोजनाओं के लिये कर्ज	विद्युत वितरण कंपनियों को कार्यशील पूंजी हेतु ऋण	200.00	बचत का कारण पुनरीक्षित बजट अनुमान कम किया जाना बताया गया।
54	6801-बिजली परियोजनाओं के लिये कर्ज	ट्रेडिंग कम्पनी की विद्युत परियोजना के विद्युत देयकों की देनदारियों का सतत ऋण में परिवर्तन-वर्ष 2013-14 तक	146.35	सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2014)

1	2	3	4	5
55	6801-बिजली परियोजनाओं के लिये कर्ज	बिजली बोर्ड को अन्य उधार (जनरेटिंग कम्पनी)	100.00	बचत का कारण अंशतः जनरेटिंग कम्पनी के प्रस्ताव पर वित्त विभाग की सहमति न मिलना बताया गया।
56	6801-बिजली परियोजनाओं के लिये कर्ज	विद्युत जनरेटिंग कम्पनी को कार्यशील पूंजी ऋण	50.00	बचत का कारण पुनरीक्षित बजट अनुमान कम किया जाना बताया गया।
57	6801-बिजली परियोजनाओं के लिये कर्ज	कृषि उपयोग के लिये स्वतंत्र फीडर की व्यवस्था	320.62	बचत का कारण मुख्यतः कुछ मुख्य ठेकेदारों द्वारा कार्य में विलम्ब किया जाना बताया गया।
58	6801-बिजली परियोजनाओं के लिये कर्ज	पारेषण प्रणाली का सुदृढ़ीकरण	113.83	बचत का कारण कार्यों के बिलों के परीक्षण एवं प्रमाणीकरण में विलम्ब होना बताया गया।
20-लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी				
59	4215-जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय	पाइपों द्वारा ग्रामीण जल प्रदाय योजना	40.91	बचत का कारण अंशतः योजनाओं एवं प्रस्तावित कार्यों हेतु निविदा दरों का प्राप्त न होना बताया गया।
60	4215-जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय	पेयजल योजनाओं का जल निगम द्वारा क्रियान्वयन	150.00	बचत का कारण योजनाओं के कार्य हेतु निविदा दरों का प्राप्त न होना बताया गया।
30-ग्रामीण विकास				
61	4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय	मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण को अनुदान	125.30	बचत का कारण मांग कम प्राप्त होना एवं वित्त विभाग द्वारा आहरण पर प्रतिबंध लगाया जाना बताया गया।
62	4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय	मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं अवसंरचना योजना	198.22	बचत का कारण मुख्यतः मांग कम प्राप्त होना एवं वित्त विभाग द्वारा आहरण पर प्रतिबंध लगाया जाना बताया गया।
63	4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय	राज्य ग्रामीण सड़क कनेक्टीविटी	49.50	बचत का कारण मांग कम प्राप्त होना एवं वित्त विभाग द्वारा आहरण पर प्रतिबंध लगाया जाना बताया गया।
41-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना				
64	6801-बिजली परियोजनाओं के लिये कर्ज	कृषि उपयोग के लिये स्वतंत्र फीडर की व्यवस्था	155.58	बचत का कारण कुछ मुख्य ठेकेदारों द्वारा कार्य में देरी के कारण पूरी राशि प्रयुक्त न होना बताया गया।
65	6801-बिजली परियोजनाओं के लिये कर्ज	उप पारेषण एवं वितरण प्रणाली का सुदृढ़ीकरण	26.70	बचत का कारण भौतिक रुप से पूर्ण हुए कार्यों के देयकों की जांच एवं प्रमाणीकरण में देरी होना बताया गया।
66	4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	उच्चतर माध्यमिक शालायें	26.19	सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2014)
67	4225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	आदिवासी उपयोजना क्षेत्र में विविध विकास कार्य अनुच्छेद 275(1)	79.21	सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2014)
68	4701-मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	मध्यम परियोजनाओं का निर्माण कार्य	51.91	बचत का कारण बांध स्थल से उच्च दाब वाली विद्युत लाइन हटाने में देरी एवं कार्य प्रारंभ न होना बताया गया।
69	4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	ए.आई.बी.पी. योजनाएं	31.96	बचत का कारण आदिवासी उपयोजना के अंतर्गत कम संख्या में ए.आइ.बी.पी. योजनाएं स्वीकृत होना बताया गया।

1	2	3	4	5
61-बुन्देलखण्ड पैकेज से संबंधित व्यय				
70	4215-जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय	पाइपों द्वारा ग्रामीण जल प्रदाय योजना	70.03	बचत का कारण मुख्यतः विद्यानसभा एवं लोकसभा चुनाव की आदर्श आचार संहिता लागू होना एवं कार्यों हेतु निविदा दरों की स्वीकृति न होना बताया गया।
71	4700-मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय-1501	अवशेष निपटारा	100.00	बचत का कारण इस मद में कोई योजना न होना बताया गया।
72	4700-मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय-800	अवशेष निपटारा	100.00	सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2014)
64-अनुसूचित जाति उपयोजना				
73	6801-बिजली परियोजनाओं के लिये कर्ज	कृषि उपयोग के लिये स्वतंत्र फीडर की व्यवस्था	136.64	बचत का कारण कुछ ठेकों में टर्न-की ठेकेदारों द्वारा कार्य में देरी करने से राशियां अप्रयुक्त रहना बताया गया।
74	6801-बिजली परियोजनाओं के लिये कर्ज	पारेषण प्रणाली का सुदृढ़ीकरण	40.15	बचत का कारण अंशतः देयकों के प्रमाणीकरण एवं जांच में देरी होने से राशि का समायोजन न होना बताया गया।
75	6801-बिजली परियोजनाओं के लिये कर्ज	उप पारेषण एवं वितरण प्रणाली का सुदृढ़ीकरण	55.10	बचत का कारण देयकों के प्रमाणीकरण एवं जांच में देरी होने से राशि का समायोजन न होना बताया गया।
76	5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	म.प्र. सड़क विकास कार्यक्रम	50.00	सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2014)
77	5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (ग्रामीण सड़कों सहित)	40.24	सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2014)
78	4700-मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	नहर तथा उससे संबंधित निर्माण कार्य	45.08	बचत का कारण अंशतः कुछ निर्माण कार्य की धीमी प्रगति होने एवं भू-अर्जन प्रकरण का निराकरण नहीं होना बताया गया।
12-ऊर्जा (राजस्व प्रभारित)				
79	2045-वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क	मध्य प्रदेश उपकर अधिनियम 1982 के अन्तर्गत ऊर्जा विकास उपकर का ऊर्जा विकास निधि को अन्तरण	181.23	बचत का कारण वित्त विभाग से निधियों का अंतरण न होना बताया गया।
लोक ऋण (पूंजीगत प्रभारित)				
80	6003-राज्य सरकार का आंतरिक ऋण	उपाय तथा साधन अग्रिम	2000.00	सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2014)
81	6003-राज्य सरकार का आंतरिक ऋण	कमियों की पूर्ति के लिए अग्रिम	2000.00	सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2014)

(स्रोतः विनियोग लेखे)

परिशिष्ट 2.2 (ख)

अनुदानों/विनियोगों के अंतर्गत विभिन्न योजनाएं जिनमें प्रत्येक में व्यय ₹ 10 करोड़ से अधिक और कुल प्रावधान के 20 प्रतिशत से अधिक था, का विवरण पत्र

(संदर्भः कंडिका 2.3.3; पृष्ठ 55)

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	अनुदान/विनियोग की संख्या तथा नाम	अनुदान/विनियोग के अंतर्गत योजना का नाम	कुल प्रावधान (मूल + पूरक)	व्यय	आधिक्य	आधिक्य व्यय का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
1	लोक ऋण	6004-02-101-9086-बाह्य पोषित परियोजनाओं हेतु बेक टू बेक ऋण	3.50	210.68	207.18	5919.43
2	02-सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय	2235-60-107-4674-स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को भत्ते तथा उपादान	14.00	42.88	28.88	206.29
3	06-वित्त	2071-01-101-9998-मध्य प्रदेश	383.00	487.56	104.56	27.30
4	06-वित्त	2071-01-104-9998-मध्य प्रदेश	168.00	399.58	231.58	137.85
5	06-वित्त	2071-01-105-9998-मध्य प्रदेश	78.75	145.73	66.98	85.05
6	06-वित्त	2071-01-115-9998-मध्य प्रदेश	42.56	138.09	95.53	224.46
7	06-वित्त	2071-01-117-6854-अंशदायी पेंशन योजना	75.00	176.78	101.78	135.71
8	10-वन	4406-01-070-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-4342-वन अधोसंरचना का सुदृढ़ीकरण	77.00	92.93	15.93	20.69
9	11-वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार	4851-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-7341-डी.एम.आई.सी.ऋण की एन्यूटी	नगण्य	20.00	20.00	100
10	19-लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	4210-02-103-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-7871-प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, उप स्वास्थ्य केन्द्र एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण-मूलभूत सेवाओं के लिये	11.60	24.81	13.21	113.88
11	23-जल संसाधन विभाग	2701-80-001-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-3300-मण्डल स्थापना	36.82	88.93	52.11	141.53
12	23-जल संसाधन विभाग	4700-13-800-1501-अतिरिक्त केंद्रीय सहायता (सामान्य)- 2884-नहर तथा उससे संबंधित निर्माण कार्य	74.93	91.88	16.95	22.62

1	2	3	4	5	6	7
13	23-जल संसाधन विभाग	4701-80-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-6598-दतौनी मध्यम सिंचाई परियोजना	12.50	47.17	34.67	277.36
14	24-लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल	3054-04-800-7081-राजमार्गों/मुख्य जिला मार्गों का नवीनीकरण, उन्नतीकरण एवं डामरीकरण	350.00	568.54	218.54	62.44
15	24-लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल	5053-02-102-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-3115-भू-अर्जन हेतु मुआवजा	40.39	60.17	19.78	48.97
16	24-लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल	5053-02-102-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-4727-हवाई पट्टियों का निर्माण एवं विस्तार	9.00	20.98	11.98	133.11
17	24-लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल	5054-03-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-4149-वृहद पुलों का निर्माण	65.00	78.86	13.86	21.32
18	24-लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल	5054-04-800-1401-नाबार्ड-5226-(सामान्य) ग्रामीण सड़कों का निर्माण (नाबार्ड)	200.00	265.89	65.89	32.95
19	24-लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल	5054-04-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-2457-न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (ग्रामीण सड़को सहित)	210.38	502.71	292.33	138.95
20	27-स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा)	2202-01-001-3930-विकास खण्ड स्तर कार्यालय की स्थापना-मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिये-	32.70	46.31	13.61	41.62
21	41-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	13-ऊर्जा विभाग 6801-796-190-1202-बाह्य पोषित परियोजनाएं (आदिवासी क्षेत्र उपयोजना)- 6929-पारेषण प्रणाली का सुदृढ़ीकरण	50.10	116.30	66.20	132.14
22	41-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	20-स्कूल शिक्षा विभाग 2202-01-796-101-0102-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना-6484-आर.टी.ई.के तहत अशासकीय विद्यालयों को ट्यूशन फीस की प्रतिपूर्ति	34.30	113.00	78.70	229.45

1	2	3	4	5	6	7
23	41-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	25-आदिम जाति कल्याण विभाग-2801-06-796-800-0102-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना-7211-अनुसूचित जाति/जनजाति हेतु विद्युतीकरण योजना	140.00	182.84	42.84	30.60
24	41-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	31-जल संसाधन विभाग 4700-64-796-800-1202-बाह्य पोषित परियोजनाएं (आदिवासी क्षेत्र उपयोजना)- 6831-पांच कछारों की पूर्व निर्मित सिंचाई योजनाओं की उत्पादकता में सुधार-जल संसाधन विभाग	सांकेतिक	12.52	12.52	100
25	42-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल	5054-03-796-101-0102-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना-4149-वृहद पुलों का निर्माण	23.00	42.10	19.10	83.04
26	45-लघु सिंचाई निर्माण कार्य	4702-101-1501-अतिरिक्त केंद्रीय सहायता (सामान्य)-6079-सुधार, सुदृढ़ीकरण, पुनर्स्थापना	73.00	99.41	26.41	36.18
27	45-लघु सिंचाई निर्माण कार्य	4702-101-0420-खनिज क्षेत्र विकास निधि- 3803-लघु एवं लघुत्तम सिंचाई योजनाएं	90.00	191.07	101.07	112.30
28	52-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	58-ग्रामीण विकास विभाग 2215-02-796-198-0702-केंद्र प्रवर्तित योजना आदिवासी क्षेत्र उपयोजना-5206- निर्मल भारत अभियान	17.91	28.73	10.82	60.41
29	57-जल संसाधन विभाग से संबंधित बाह्य पोषित परियोजनाएं	4700-64-001-1201-बाह्य पोषित परियोजनाएं (सामान्य)-6831-पांच कछारों की पूर्व निर्मित सिंचाई योजनाओं की उत्पादकता में सुधार-जल संसाधन विभाग	0.74	16.53	15.79	2133.78
30	61-बुंदेलखण्ड पैकेज से संबंधित व्यय	4701-80-001-1501-अतिरिक्त केंद्रीय सहायता (सामान्य)-5584-सिंहपुर बैराज	नगण्य	43.84	43.84	100

1	2	3	4	5	6	7
31	64-अनुसूचित जाति उपयोजना	20-स्कूल शिक्षा विभाग 2202-01-789-101-0103-अनुसूचित जाति उपयोजना-6484-आर.टी.ई.के तहत अशासकीय विद्यालयों को ट्यूशन फीस की प्रतिपूर्ति	25.70	79.88	54.18	210.82
32	64-अनुसूचित जाति उपयोजना	19-लोक निर्माण विभाग 5054-03-789-101-0103-नाबार्ड (अनुसूचित जाति उपयोजना)-4149-वृहद पुलों का निर्माण	7.00	33.71	26.71	381.57
33	64-अनुसूचित जाति उपयोजना	19-लोक निर्माण विभाग 5054-03-789-800-1403-नाबार्ड (अनुसूचित जाति उपयोजना)-5226-ग्रामीण सड़कों का निर्माण (नाबार्ड)	65.55	87.37	21.82	33.29
34	64-अनुसूचित जाति उपयोजना	27-नर्मदा घाटी विकास विभाग 4700-41-789-800-1503-अतिरिक्त केंद्रीय सहायता (अनुसूचित जाति उपयोजना)-2872-बरगी नहर व्यपवर्तन योजना	35.43	47.32	11.89	33.56
35	74-त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय सहायता	2215-02-198-0701-केंद्र प्रवर्तित योजना सामान्य-5206-समग्र स्वच्छता अभियान	46.86	74.60	27.74	59.20
36	75-नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	2217-05-193-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-6221-इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम फार स्माल एण्ड मीडियम टाउन्स	9.33	54.14	44.81	480.28
37	75-नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	3604-193-9436-यात्रीकर समाप्त किये जाने के एवज में नगरीय निकायों को विशेष अनुदान	27.82	51.81	23.99	86.23
योग			**2531.87**	**4785.65**	**2253.78**	**89.02**

(स्रोतः विनियोग लेखे)

परिशिष्ट 2.2 (ग)
योजनाओं के प्रकरण जिनमें सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 10 करोड़ या अधिक अप्रयुक्त रहा
(संदर्भः कंडिका 2.3.4; पृष्ठ 55)

(₹ करोड़ में)

स.क्र.	अनुदान संख्या	अनुदान/विनियोग का नाम	योजना का नाम	कुल प्रावधान (मूल + पूरक)	व्यय	बचत की राशि	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ब्याज भुगतान	ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	2049-01-101-5025-मध्य प्रदेश राज्य विकास ऋण	100.00	निरंक	100.00	100
2	ब्याज भुगतान	ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	2049-01-200-3089-भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय पेशगियों और कैश बैलेन्स की कमी की पूर्ति हेतु लिये गये अग्रिमों पर ब्याज	50.00	निरंक	50.00	100
3	ब्याज भुगतान	ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	2049-01-200-6973-स्थानीय निधि निक्षेप खातों पर ब्याज	10.00	निरंक	10.00	100
4	ब्याज भुगतान	ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	2049-03-104-4033-विभागीय भविष्य निधियों पर ब्याज	30.00	निरंक	30.00	100
5	लोक ऋण	लोक ऋण	6003-110-0637-अर्थोपाय अग्रिम	2000.00	निरंक	2000.00	100
6	लोक ऋण	लोक ऋण	6003-110-0779-कमियों की पूर्ति के लिए अग्रिम	2000.00	निरंक	2000.00	100
7	03	पुलिस	4055-211-2643-पुलिस बल का आधुनिकीकरण	83.95	निरंक	83.95	100
8	06	वित्त	2071-01-200-5653-अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को पेंशन का भुगतान	34.00	निरंक	34.00	100
9	06	वित्त	2701-01-101-9999-एकीकृत मध्य प्रदेश	12.00	निरंक	12.00	100
10	06	वित्त	6075-800-6787-गारंटीकृत ऋणों के समाधान हेतु प्रावधान	100.00	निरंक	100.00	100
11	06	वित्त	6075-800-6788-राज्य शासन के उपक्रमों व अधीनस्थ संस्थाओं द्वारा जारी एस.एल.आर. बाण्ड्स के समाधान हेतु प्रावधान	25.00	निरंक	25.00	100

1	2	3	4	5	6	7	8
12	07	वाणिज्यिक कर	2030-01-001-6002-मध्यप्रदेश पंचायत अधिनियम के अंतर्गत लगाये गये अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क का मध्यप्रदेश पंचायत भू-राजस्व तथा स्टाम्प शुल्क निधि में अन्तरण	51.12	निरंक	51.12	100
13	10	वन	2406-01-101-1501-अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (सामान्य)-4342-वन अधोसंरचना का सुदृढ़ीकरण	16.11	निरंक	16.11	100
14	10	वन	2406-01-102-1501-अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (सामान्य)-9027-नर्सरी अधोसंरचना का सुदृढ़ीकरण	26.00	निरंक	26.00	100
15	11	वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार	6860-60-600-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-6396-डी.एम.आई.सी.परियोजना हेतु ट्राईफैक को भू-अर्जन मुआवजा ऋण	20.00	निरंक	20.00	100
16	12	ऊर्जा	2045-103-3218-मध्य प्रदेश उपकर अधिनियम 1982 के अंतर्गत ऊर्जा विकास उपकर का ऊर्जा विकास निधि को अन्तरण	181.23	निरंक	181.23	100
17	12	ऊर्जा	4801-02-190-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-6323-2 गुना 660 मेगावॉट श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना	92.80	निरंक	92.80	100
18	12	ऊर्जा	6801-190-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-2967-बिजली बोर्ड को अन्य उधार (जनरेटिंग कम्पनी)	100.00	निरंक	100.00	100
19	12	ऊर्जा	6801-190-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-7161-विद्युत जनरेटिंग कम्पनी को कार्यशील पूंजी ऋण	50.00	निरंक	50.00	100
20	12	ऊर्जा	6801-204-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-6869-राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना	47.60	निरंक	47.60	100

1	2	3	4	5	6	7	8
21	17	सहकारिता	6425-106-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-7827-अल्पकालीन ऋणों को मध्यकालीन ऋणों में परिवर्तित करने हेतु राज्य शासन का अंशदान मध्य प्रदेश राज्य सहकारी बैंक	11.98	निरंक	11.98	100
22	20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	4215-01-102-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-6643-राज्य जल निगम में पूंजी निवेश	15.00	निरंक	15.00	100
23	20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	4215-01-800-1401-नाबार्ड (सामान्य)-7301-पेयजल योजनाओं का जल निगम द्वारा क्रियानवयन	150.00	निरंक	150.00	100
24	23	जल संसाधन	4700-19-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-6596-सुधार, सुदृढ़ीकरण एवं पुर्नस्थापना	25.00	निरंक	25.00	100
25	23	जल संसाधन	4700-80-001-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-2304-निदेशन एवं प्रशासन	37.80	निरंक	37.80	100
26	23	जल संसाधन	4700-84-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-2884-नहर तथा उससे संबंधित निर्माण कार्य	21.00	निरंक	21.00	100
27	23	जल संसाधन	4701-80-001-1401-नाबार्ड (सामान्य)-2304-निदेशन एवं प्रशासन	20.00	निरंक	20.00	100
28	24	लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल	3054-03-337-7403-मध्य प्रदेश राजमार्ग निधि हेतु अनुदान	124.74	निरंक	124.74	100
29	29	विधि एवं विधायी कार्य	2014-105-7225-मध्य प्रदेश विधिक सहायता तथा विधिक सलाह बोर्ड को सहायक अनुदान (13वां वित्त आयोग)	18.23	निरंक	18.23	100
30	31	योजना, आर्थिक और सांख्यिकी	3451-101-1301-केन्द्रीय वित्त आयोग-(सामान्य)-6267-जिला नवाचार कोष (13वां वित्त आयोग)	16.00	निरंक	16.00	100

1	2	3	4	5	6	7	8
31	31	योजना, आर्थिक और सांख्यिकी	3454-02-206-1301-केंद्रीय वित्त आयोग (सामान्य)- 6268-यू.आई.डी.ए. के लिए प्रोत्साहन (13वां वित्त आयोग)	49.94	निरंक	49.94	100
32	37	पर्यटन	5452-01-101-1501-अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (सामान्य)-7404-अन्तर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर का निर्माण, भोपाल	31.00	निरंक	31.00	100
33	37	पर्यटन	5452-01-190-1301-केंद्रीय वित्त आयोग (सामान्य)- 6565-इको एवं एडवेंचर पर्यटन का विकास	13.00	निरंक	13.00	100
34	39	खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण	2408-01-102-0570-सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत सहकारी समितियों को खाद्यान्न की बिक्री से होने वाली हानि की प्रतिपूर्ति	15.00	निरंक	15.00	100
35	39	खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण	2408-01-102-3248-मध्य प्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ को खाद्यान्न उपार्जन में हुई हानि की प्रतिपूर्ति	30.20	निरंक	30.20	100
36	39	खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण	2408-01-102-6933-अस्थाई केप निर्माण में हुई हानि की प्रतिपूर्ति	45.00	निरंक	45.00	100
37	39	खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण	2408-01-102-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 9214-आयोडीनयुक्त नमक का वितरण	30.00	निरंक	30.00	100
38	40	जल संसाधन विभाग से संबंधित व्यय-आयाकट	4705-207-0701-केन्द्रीय प्रवर्तित योजना (सामान्य)-2304-निदेशन एवं प्रशासन	10.00	निरंक	10.00	100
39	41	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	07-राजस्व विभाग 2029-796-103-0702-केन्द्रीय प्रवर्तित योजना आदिवासी क्षेत्र उपयोजना-6337-भू-अभिलेख का अद्यतीकरण (एन.एल.आर.एम.पी.)	10.00	निरंक	10.00	100

1	2	3	4	5	6	7	8
40	41	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	13-ऊर्जा विभाग 4801-05-796-190-0102-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना-6323-2 गुना 660 मेगावॉट श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना	15.40	निरंक	15.40	100
41	41	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	25-आदिम जाति कल्याण विभाग 4225-02-796-277-0102-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना-0978-क्रीड़ा परिसर	10.00	निरंक	10.00	100
42	45	लघु सिंचाई निर्माण कार्य	4702-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-2304-निदेशन एवं प्रशासन	30.22	निरंक	30.22	100
43	47	तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास	2230-03-001-0701-केन्द्रीय प्रवर्तित योजना (सामान्य)-6951-शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं को उत्कृष्ट संस्थानों में विकसित किया जाना	13.50	निरंक	13.50	100
44	48	नर्मदा घाटी विकास	4402-800-0701-केन्द्रीय प्रवर्तित योजना (सामान्य)-1580-मेक्रोमेनेजमेन्ट योजना	13.45	निरंक	13.45	100
45	53	अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	2217-05-789-193-0103-अनुसूचित जाति उपयोजना-6982-एकीकृत शहरी एवं मलिन बस्ती विकास कार्यक्रम	11.00	निरंक	11.00	100
46	55	महिला एवं बाल विकास	4235-02-102-1501-अतिरिक्त केंद्रीय सहायता (सामान्य)-7449-सेक्टर स्तरीय कार्यालय सह प्रशिक्षण केन्द्र के भवनों का निर्माण	13.52	निरंक	13.52	100
47	58	प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	2245-01-101-6422-सूखा फसल क्षति सहायता अनुदान	50.00	निरंक	50.00	100
48	58	प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	2245-01-101-8874-सूखा राहत एवं रोजगार के लिए अतिरिक्त प्रावधान	50.00	निरंक	50.00	100

1	2	3	4	5	6	7	8
49	58	प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	2245-02-193-5498-बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में स्थानीय निकायों एवं अन्य गैर सरकारी निकायों/संस्थाओं को सहायता	18.00	निरंक	18.00	100
50	58	प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	2245-80-800-7249-कीट प्रकोप से फसल क्षति	51.10	निरंक	51.10	100
51	61	बुन्देलखण्ड पैकेज से संबंधित व्यय	2700-80-800-1501-अतिरिक्त केंद्रीय सहायता (सामान्य)-8000-अवशेष निपटारा	200.00	निरंक	200.00	100
52	61	बुन्देलखण्ड पैकेज से संबंधित व्यय	4700-80-001-1501-अतिरिक्त केंद्रीय सहायता (सामान्य)-8000-अवशेष निपटारा	100.00	निरंक	100.00	100
53	61	बुन्देलखण्ड पैकेज से संबंधित व्यय	4700-80-800-1501-अतिरिक्त केंद्रीय सहायता (सामान्य)-8000-अवशेष निपटारा	100.00	निरंक	100.00	100
54	64	अनुसूचित जाति उपयोजना	13-ऊर्जा विभाग 4801-05-789-190-0103-अनुसूचित जाति उपयोजना-6323-2 गुना 660 मेगावॉट श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना	16.80	निरंक	16.80	100
55	64	अनुसूचित जाति उपयोजना	13-ऊर्जा विभाग 6801-789-190-1203-बाह्य पोषित परियोजनाएं (अनुसूचित जाति उपयोजना)-6929-पारेषण प्रणाली का सुदृढ़ीकरण	40.15	निरंक	40.15	100
56	64	अनुसूचित जाति उपयोजना	13-ऊर्जा विभाग 6801-789-190-1203-विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (अनुसूचित जाति उपयोजना)-7900-उप पारेषण एवं वितरण प्रणाली का सुदृढ़ीकरण	55.10	निरंक	55.10	100
57	74	त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय सहायता	2853-02-198-6299-ग्रामीण क्षेत्रों के गौण खनिज से प्राप्त राजस्व का पंचायतों को अंतरण	28.90	निरंक	28.90	100

1	2	3	4	5	6	7	8
58	75	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	3604-191-6062-राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा अनुसार पेयजल योजनाओं के लिए विद्युत व्यय की प्रतिपूर्ति	10.00	निरंक	10.00	100
59	75	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	3604-191-6063-राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा अनुसार विशिष्ट अनुदान	10.00	निरंक	10.00	100
योग				**6540.84**		**6540.84**	

(स्रोतः विनियोग लेखे)

परिशिष्ट 2.3

पिछले वर्षो के प्रावधान से अधिक व्यय जिसके नियमन की आवश्यकता है

(संदर्भः कंडिका 2.3.6; पृष्ठ 56)

(₹ करोड़ में)

वर्ष	अनुदानों/विनियोग की संख्या	अनुदानों/विनियोग संख्या	आधिक्य की राशि
1	**2**	**3**	**4**
1997-98	10 अनुदान 03 विनियोग	राजस्व (दत्तमत)ः 7,20,24, 27,58, 67 पूंजीगत (दत्तमत)ः 20,21,61,69 राजस्व (प्रभारित)ः ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा,31,67	302.79
1998-99	01 अनुदान	राजस्व (दत्तमत)ः 62	0.10
2003-04	04 अनुदान 03 विनियोग	राजस्व (दत्तमत) ः 68,84 पूंजीगत (दत्तमत)ः 35,94 राजस्व (प्रभारित)ः 20,67 पूंजीगत (प्रभारित)ः 23	2.54
2004-05	13 अनुदान 02 विनियोग	राजस्व (दत्तमत) : 24,59,67,92,94 पूंजीगत (दत्तमत)ः 6,19,30,59,66,78,84,86 राजस्व (प्रभारित)ः 67 पूंजीगत (प्रभारित)ः 45	83.66
2005-06	04 अनुदान 02 विनियोग	राजस्व (दत्तमत) : 24,67 पूंजीगत (दत्तमत) : 6,39 पूंजीगत(प्रभारित) : 21,45	37.58
2006-07	02 अनुदान 01 विनियोग	राजस्व (दत्तमत) : 24,67 पूंजीगत((प्रभारित) : 24	35.99
2008-09	02 अनुदान 02 विनियोग	राजस्व (दत्तमत) : 62 पूंजीगत (दत्तमत) : 43 राजस्व (प्रभारित) : 24 पूंजीगत (प्रभारित): 24	5.80
2009-10	04 अनुदान	राजस्व (दत्तमत) : 3, 27, 32, 49	123.96
2010-11	02 विनियोग	राजस्व (प्रभारित) : 23 पूंजीगत((प्रभारित) : 24	12.62
2011-12	04 अनुदान 02 विनियोग	राजस्व (दत्तमत) : 33 पूंजीगत (दत्तमत) : 15,52,74 राजस्व (प्रभारित) : 23 पूंजीगत (प्रभारित) : 23	135.10
2012-13	02 विनियोग	राजस्व (प्रभारित) : 10 पूंजीगत (प्रभारित) : 24	0.24
योग	**44 अनुदान एवं 19 विनियोग**		**740.38**

परिशिष्ट 2.4
वे प्रकरण जिनमें अनुपूरक प्रावधान (प्रत्येक प्रकरण में ₹ एक करोड़ अथवा इससे अधिक) अनावश्यक सिद्ध हुए
(संदर्भः कंडिका 2.3.7; पृष्ठ 57)

(₹ करोड़ में)

स.क्र.	अनुदान/विनियोग की संख्या तथा नाम	मूल प्रावधान	वास्तविक व्यय	मूल प्रावधान में से बचत	अनुपूरक प्रावधान
1	2	3	4	5	6
क-राजस्व (दतमत)					
1	01-सामान्य प्रशासन और लोक सेवा प्रबंधन	318.07	316.27	1.80	60.85
2	03-पुलिस	3977.48	3427.10	550.38	306.07
3	04-गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय	23.53	21.41	2.12	2.04
4	07-वाणिज्यिक कर	2252.05	2055.95	196.10	71.20
5	08-भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन	1070.36	835.64	234.72	17.42
6	10-वन	1855.99	1710.98	145.01	83.14
7	13-किसान कल्याण तथा कृषि विकास	1107.98	842.82	265.16	69.78
8	14-पशुपालन	622.25	520.65	101.60	11.26
9	15-अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थानों को वित्तीय सहायता	987.26	794.56	192.70	40.13
10	16-मछली पालन	64.15	48.58	15.57	2.20
11	17-सहकारिता	470.59	355.38	115.21	1.24
12	18-श्रम	132.61	121.42	11.19	8.15
13	19-लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	2710.52	2330.83	379.69	66.55
14	20-लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	523.36	397.69	125.67	1.60
15	21-आवास एवं पर्यावरण	151.40	145.51	5.89	8.24
16	22-नगरीय प्रशासन एवं विकास-नगरीय निकास	263.19	238.19	25.00	49.03
17	26-संस्कृति	131.04	124.13	6.91	61.34
18	27-स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा)	5476.94	4793.73	683.21	89.03
19	29-विधि और विधायी कार्य	871.75	606.75	265.00	68.47
20	31-योजना, आर्थिक और सांख्यिकी	238.74	119.57	119.17	2.46
21	33-आदिम जाति कल्याण	1382.09	1191.77	190.32	6.84
22	34-सामाजिक न्याय	219.42	166.90	52.52	25.65
23	36-परिवहन	79.79	64.88	14.91	3.94
24	41-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	3348.74	2783.81	564.93	119.44
25	47-तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास	376.79	351.28	25.51	29.05

1	2	3	4	5	6
26	50-उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण	301.31	197.48	103.83	53.29
27	52-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	1711.27	1483.89	227.38	114.85
28	55-महिला एवं बाल विकास	2776.05	2250.70	525.35	66.69
29	56-ग्रामोद्योग	143.03	133.63	9.40	10.42
30	61-बुंदेलखण्ड पैकेज से संबंधित व्यय	100.00	19.44	80.56	100.00
31	63-अल्प संख्यक कल्याण	65.05	31.62	33.43	2.37
32	64-अनुसूचित जाति उपयोजना	2294.32	1809.66	484.66	103.91
33	66-पिछड़ा वर्ग कल्याण	671.94	636.42	35.52	140.89
34	67-लोक निर्माण कार्य-भवन	425.74	373.23	52.51	25.00
35	72-भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास	72.43	71.40	1.03	8.53
36	75-नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	5060.10	4744.12	315.98	621.45
37	77-स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय (प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर)	1512.06	1263.43	248.63	134.17
योग (क)		**43789.39**	**37380.82**	**6408.57**	**2586.69**
ख-पूंजीगत (दत्तमत)					
38	03-पुलिस	93.47	71.02	22.45	83.40
39	06-वित्त	238.80	51.60	187.20	47.54
40	08-भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन	52.97	6.61	46.36	25.00
41	12-ऊर्जा	5283.30	4357.79	925.51	193.93
42	14-पशुपालन	24.18	22.06	2.12	6.30
43	15-अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	76.20	28.38	47.82	5.64
44	17-सहकारिता	199.96	191.63	8.33	6.98
45	20-लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	466.39	400.26	66.13	155.84
46	23-जल संसाधन	1049.36	1043.97	5.39	200.00
47	37-पर्यटन	89.00	58.38	30.62	45.66
48	40-जल संसाधन विभाग से संबंधित व्यय-आयाकट	102.46	93.71	8.75	50.00
49	41-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	1991.11	1602.72	388.39	131.94
50	44-उच्च शिक्षा	34.55	20.93	13.62	6.00

1	2	3	4	5	6
51	52-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय सहायता	101.75	40.36	61.39	7.76
52	64-अनुसूचित जाति उपयोजना	1926.68	1634.35	292.33	230.41
53	67-लोक निर्माण कार्य-भवन	174.22	91.37	82.85	8.45
54	73-चिकित्सा शिक्षा	32.06	18.85	13.21	1.10
योग (ख)		**11936.46**	**9733.99**	**2202.47**	**1205.95**
ग-राजस्व (प्रभारित)					
55	आई.पी.-ब्याज अदायगी और ऋण सेवा	6518.52	6391.32	127.20	439.79
56	12-ऊर्जा	155.00	निरंक	155.00	26.23
57	29-विधि और विधायी कार्य	88.17	65.75	22.42	5.24
योग (ग)		**6761.69**	**6457.07**	**304.62**	**471.26**
घ-पूंजीगत (प्रभारित)					
58	पी.डी.-लोक ऋण	8017.43	4004.64	4012.79	5.26
योग (घ)		**8017.43**	**4004.64**	**4012.79**	**5.26**
योग (क+ख+ग+घ)		**70504.97**	**57576.52**	**12928.45**	**4269.16**

(स्रोतः विनियोग लेखे)

परिशिष्ट 2.5
वे प्रकरण जिनमें अनुपूरक प्रावधान अधिक सिद्ध हुए
(संदर्भः कंडिका 2.3.7; पृष्ठ 57)

(₹ करोड़ में)

स.क्र.	अनुदान/विनियोग की संख्या तथा नाम	मूल अनुदान/विनियोग	अनुपूरक अनुदान/विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
क-राजस्व (दत्तमत)					
1	05-जेल	211.72	4.36	213.45	2.63
2	11-वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार	339.05	74.66	350.66	63.05
3	12-ऊर्जा	2355.10	1486.40	3061.24	780.26
4	24-लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल	1123.04	435.34	1312.57	245.81
5	32-जनसंपर्क	180.90	39.00	210.34	9.56
6	37-पर्यटन	65.40	11.34	70.17	6.57
7	39-खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण	1595.84	535.75	1739.84	391.75
8	43-खेल और युवक कल्याण	64.60	21.09	76.86	8.83
9	44-उच्च शिक्षा	1073.72	181.18	1099.71	155.19
10	45-लघु सिंचाई निर्माण कार्य	108.12	14.72	108.60	14.24
11	48-नर्मदा घाटी विकास	15.14	8.62	17.52	6.24
12	51-धार्मिक न्यास और धर्मस्व	87.11	9.00	90.17	5.94
13	58-प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	1023.67	883.53	1631.81	275.39
14	73-चिकित्सा शिक्षा	373.32	76.57	414.98	34.91
15	74-त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय सहायता	6707.57	1041.53	6746.90	1002.20
16	76-नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा	42.32	24.25	43.97	22.60
योग (क)		**15366.62**	**4847.34**	**17188.79**	**3025.17**
ख-पूंजीगत (दत्तमत)					
17	01-सामान्य प्रशासन एवं लोक सेवा प्रबंधन	36.16	7.00	37.50	5.66
18	11-वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार	523.11	7.95	527.16	3.90
19	21-आवास एवं पर्यावरण	54.67	28.35	81.74	1.28
20	24-लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल	1400.38	31.39	1408.37	23.40
21	27-स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा)	13.51	35.29	13.95	34.85
22	36-परिवहन	8.00	17.00	9.93	15.07
23	39-खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण	44.50	156.00	130.48	70.02
24	45-लघु सिंचाई निर्माण कार्य	458.61	473.00	879.49	52.12
25	47-तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास	21.01	82.92	47.19	56.74
26	48-नर्मदा घाटी विकास	1088.55	227.80	1135.06	181.29
27	55-महिला एवं बाल विकास	89.80	240.40	233.97	96.23
28	57-जल संसाधन विभाग से संबंधित बाह्य पोषित परियोजनाएं	276.58	20.00	292.63	3.95
29	61-बुन्देलखण्ड पैकेज से संबंधित व्यय	100.00	308.71	197.71	211.00

1	2	3	4	5	6
30	66-पिछड़ा वर्ग कल्याण	12.50	17.82	23.45	6.87
योग (ख)		**4127.38**	**1653.63**	**5018.63**	**762.38**
ग-राजस्व (प्रभारित)					
31	20-लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	0.50	2.00	1.26	1.24
योग (ग)		**0.50**	**2.00**	**1.26**	**1.24**
योग (क+ख+ग)		**19494.50**	**6502.97**	**22208.68**	**3788.79**

अतिरिक्त आवश्यकताः वास्तविक व्यय-मूल प्रावधान = 22208.68 – 19494.50= 2714.18

(स्रोतः विनियोग लेखे)

परिशिष्ट 2.6
निधियों का अधिक/अनावश्यक पुनर्विनियोजन/समर्पण
(संदर्भः कंडिका 2.3.8; पृष्ठ 57)

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	लेखा का शीर्ष	पुनर्विनियोजन	अंतिम आधिक्य (+)/ बचत (-)	प्रतिशत
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	03	पुलिस	2055-114-4155-बेतार केन्द्र भोपाल/ग्वालियर	(-) 30.24	(+) 9.11	30.13
2	19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	2210-01-110-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-8798-चिकित्सालयों का उन्नयन	(+) 6.95	(-) 5.42	77.99
3	23	जल संसाधन	2700-32-101-2894-बांध तथा नहरें	(-)3.54	(+)1.42	40.11
4	23	जल संसाधन	2701-80-001-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-3300-मण्डल स्थापना	(-)7.41	(+)59.53	100
5	37	पर्यटन	5452-01-190-1301-केंद्रीय वित्त आयोग (सामान्य)-6560-धार्मिक पर्यटन का विकास	(+)8.00	(-)11.00	100
6	37	पर्यटन	5452-01-190-1301-केंद्रीय वित्त आयोग (सामान्य)-6566-विद्यमान पर्यटक सुविधाओं का विस्तार एवं उन्नयन	(+) 8.00	(-) 12.00	100
7	41	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	13-ऊर्जा विभाग 6801-796-190-1202-बाह्य पोषित परियोजनाएं (आदिवासी क्षेत्र उपयोजना)-6929-पारेषण प्रणाली का सुदृढ़ीकरण	(-) 4.99	(+) 71.19	100
8	41	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	25-आदिम जाति कल्याण विभाग 4225-02-796-277-0102-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना-8799-छात्रावास भवन निर्माण	(+) 2.25	(-) 6.30	100
9	41	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	25-आदिम जाति कल्याण विभाग 4225-02-796-277-0102-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना-8828-आश्रम/शाला भवन का निर्माण	(+) 8.76	(-) 11.20	100

1	2	3	4	5	6	7
10	41	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	20-स्कूल शिक्षा विभाग 2202-02-796-109-0702-केन्द्रीय प्रवर्तित योजना (आदिवासी क्षेत्र उपयोजना)-6005-राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का क्रियान्वयन	(-) 12.00	(+) 6.00	50.00
11	41	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	31-जल संसाधन विभाग 4701-54-796-800-0102-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना-3366-मध्यम परियोजनाओं का निर्माण	(-) 74.86	(+) 22.94	30.64
12	41	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	31-जल संसाधन विभाग 4702-796-800-0102-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना-6079-सुधार, सुदृढ़ीकरण एवं पुनर्स्थापना	(-) 11.90	(+) 5.47	45.97
13	45	लघु सिंचाई निर्माण कार्य	4702-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-3803-लघु एवं लघुतम सिंचाई योजनाएं	(+)14.54	(-)99.81	100
14	48	नर्मदा घाटी विकास	4701-80-001-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-5869-नर्मदा कछार के विकास हेतु मध्यम एवं लघु सिंचाई परियोजनाएं	(-)3.94	(+) 1.36	34.52
15	48	नर्मदा घाटी विकास	4700-45-800-1501-अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (सामान्य)-9091-औंकारेश्वर परियोजना	(-)2.02	(+)7.79	100
16	50	उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण	2401-119-0701-केन्द्रीय प्रवर्तित योजना (सामान्य)-7142-नेशनल मिशन ऑफ फुड प्रोसेसिंग	(+) 20.48	(-) 22.35	100
17	50	उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण	2401-119-0655-संचालनालय एवं अधीनस्थ कार्यालय	(+) 4.43	(-) 3.12	70.43
18	57	जल संसाधन विभाग से संबंधित बाह्य पोषित परियोजनाएं	4700-64-001-1201-बाह्य पोषित परियोजनाएं (सामान्य)-6825-सेवा प्रदान करने संबंधी सिंचाई एवं जल निकास संस्थाएं-जल संसाधन विभाग	(+)8.12	(-)3.67	45.20

1	2	3	4	5	6	7
19	58	प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	2245-02-101-0747-ओला पीड़ितों को राहत	(+)457.20	(-)182.64	39.95
20	58	प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	2245-02-101-2018-नगद दान	(+)100.00	(-)35.38	35.38
21	60	जिला परियोजनाओं से संबंधित व्यय	4515-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-8284-मध्य प्रदेश विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना	(-) 5.68	(+) 3.03	53.35
22	64	अनुसूचित जाति उपयोजना	19-लोक निर्माण विभाग 5054-03-789-337-0103-अनुसूचित जाति उपयोजना-5139-मुख्य जिला मार्गों का उन्नयन	(-) 11.00	(+) 6.50	59.09
23	64	अनुसूचित जाति उपयोजना	31-जल संसाधन विभाग 4700-64-789-800-1203-बाह्य पोषित परियोजनाएं (अनुसूचित जाति उपयोजना)-6831-पांच कछारों की पूर्व निर्मित सिंचाई योजनाओं की उत्पादकता में सुधार-जल संसाधन विभाग	(+) 1.49	(-) 7.66	100
24	64	अनुसूचित जाति उपयोजना	31-जल संसाधन विभाग 4700-13-789-800-1503-बाह्य पोषित परियोजनाएं (अनुसूचित जाति उपयोजना)-2824-नहर एवं उससे संबंधित कार्य	(+) 9.75	(-) 3.38	34.67
25	67	लोक निर्माण कार्य-भवन	4059-01-051-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-7094-जेल सुधारों की योजना अंतर्गत निर्माण कार्य	(+)7.95	(-)8.41	100
26	67	लोक निर्माण कार्य-भवन	4210-03-105-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-6335-चिकित्सा महाविद्यालयों में उन्नयन	(+)7.80	(-)8.75	100

(स्रोतः विनियोग लेखे)

परिशिष्ट 2.7

₹ एक करोड़ तथा इससे अधिक एवं 20 प्रतिशत से अधिक की समर्पित नहीं की गयी बचतों का विवरण

(संदर्भः कंडिका 2.3.9; पृष्ठ 57)

(₹ करोड़ में)

स.क्र.	अनुदान/विनियोग की संख्या एवं नाम	बचत	समर्पण	बचत जो समर्पण की जाने से रह गई	समर्पित नहीं की गई राशि का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6
राजस्व (प्रभारित)					
1	आई.पी.-ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	566.99	9.62	557.37	98.30
2	पी.डी.-लोक ऋण	2.00	निरंक	2.00	100
3	06-वित्त	13.24	निरंक	13.24	100
4	24-लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल	4.80	निरंक	4.80	100
5	67-लोक निर्माण कार्य-भवन	1.91	निरंक	1.91	100
राजस्व (दत्तमत)					
6	06-वित्त	725.39	22.85	702.54	96.85
7	07-वाणिज्यिक कर	267.31	32.85	234.46	87.71
8	14-पशुपालन	112.86	0.06	112.80	99.95
9	15-अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	232.83	158.71	74.12	31.83
10	16-मछली पालन	17.77	0.18	17.59	98.99
11	18-श्रम	19.34	15.42	3.92	20.27
12	19-लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	446.25	निरंक	446.25	100
13	21-आवास एवं पर्यावरण	14.14	नगण्य	14.14	100
14	24- लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल	245.81	निरंक	245.81	100
15	26-संस्कृति	68.25	18.70	49.55	72.60
16	28-राज्य विधान मंडल	13.26	4.15	9.11	68.70
17	37-पर्यटन	6.57	निरंक	6.57	100
18	38-आयुष	169.39	0.15	169.24	99.91
19	39-खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण	391.75	निरंक	391.75	100
20	41-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	684.37	433.28	251.09	36.69
21	47-तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास	54.55	निरंक	54.55	100
22	49-अनुसूचित जाति कल्याण एवं विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़ जाति कल्याण	16.56	10.52	6.04	36.47
23	50-उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण	157.11	निरंक	157.11	100

1	2	3	4	5	6
24	52-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय सहायता	342.22	169.82	172.40	50.38
25	58-प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	275.39	निरंक	275.39	100
26	61-बुन्देलखण्ड पैकेज से संबंधित व्यय	180.56	नगण्य	180.56	100
27	62-पंचायत	24.18	निरंक	24.18	100
28	64-अनुसूचित जाति उपयोजना	588.57	424.16	164.41	27.93
29	66-पिछड़ा वर्ग कल्याण	176.41	46.35	130.06	73.73
30	67-लोक निर्माण कार्य-भवन	77.51	निरंक	77.51	100
31	73-चिकित्सा शिक्षा	34.91	निरंक	34.91	100
32	74-त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय सहायता	1002.20	426.48	575.72	57.45
पूंजीगत (दत्तमत)					
33	01-सामान्य प्रशासन एवं लोक सेवा प्रबंधन	5.65	1.53	4.12	72.92
34	06-वित्त	234.74	निरंक	234.74	100
35	08-भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन	71.36	0.10	71.26	99.86
36	11-वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार	3.91	2.38	1.53	39.13
37	14-पशुपालन	8.42	1.89	6.53	77.55
38	19-लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	22.00	निरंक	22.00	100
39	21-आवास एवं पर्यावरण	1.28	0.01	1.27	99.22
40	23-जल संसाधन	205.39	88.85	116.54	56.74
41	24-लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल	23.40	निरंक	23.40	100
42	27-स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा)	34.85	निरंक	34.85	100
43	36-परिवहन	15.07	निरंक	15.07	100
44	37-पर्यटन	76.28	निरंक	76.28	100
45	38-आयुष	12.74	निरंक	12.74	100
46	39-खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण	70.02	निरंक	70.02	100
47	42-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल	70.35	50.50	19.85	28.22
48	43-खेल और युवक कल्याण	1.02	निरंक	1.02	100
49	44-उच्च शिक्षा	19.62	1.47	18.15	92.51
50	45-लघु सिंचाई निर्माण कार्य	52.12	3.88	48.24	92.56
51	47-तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास	56.74	निरंक	56.74	100

1	2	3	4	5	6
52	57-जल संसाधन विभाग से संबंधित बाह्य पोषित परियोजनाएं	3.95	2.18	1.77	44.81
53	58-प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	2.50	निरंक	2.50	100
54	61-बुन्देलखण्ड पैकेज से संबंधित व्यय	211.00	93.11	117.89	55.87
55	67-लोक निर्माण कार्य-भवन	91.29	62.40	28.89	31.65
56	73-चिकित्सा शिक्षा	14.31	निरंक	14.31	100
57	77-स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय (प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर)	11.71	6.11	5.60	47.82
पूंजीगत (प्रभारित)					
58	पी.डी.-लोक ऋण	4018.05	2.17	4015.88	99.95
59	24-लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल	9.13	निरंक	9.13	100
योग		**12281.30**	**2089.88**	**10191.42**	

(स्रोतः विनियोग लेखे)

परिशिष्ट 2.8
31 मार्च 2014 को ₹ 10 करोड़ से अधिक निधियों के समर्पण के प्रकरण
(संदर्भः कंडिका 2.3.9; पृष्ठ 57)

(₹ करोड़ में)

स.क्र.	अनुदान संख्या	मुख्य शीर्ष	बजट प्रावधान	समर्पण की राशि	कुल प्रावधान का प्रतिशत
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	01	2052	90.85	15.90	17.50
2	01	2053	30.29	10.22	33.74
3	03	2055	4048.33	797.21	19.69
4	03	2070	224.79	33.40	14.86
5	03	4055	146.10	101.43	69.43
6	08	2053	503.78	104.74	20.79
7	10	2406	1931.42	88.19	4.57
8	12	2045	206.62	186.61	90.32
9	12	2801	3816.11	774.71	20.30
10	12	4801	541.48	102.20	18.87
11	12	6801	4935.75	965.45	19.56
12	13	2401	1108.97	73.67	6.64
13	15	2216	71.33	26.40	37.01
14	15	2505	64.08	18.45	28.79
15	15	2515	221.97	26.50	11.94
16	15	4515	81.84	52.08	63.64
17	17	2425	471.85	116.61	24.71
18	17	6425	171.81	15.30	8.91
19	22	2217	299.93	37.17	12.39
20	27	2202	5566.02	382.63	6.87
21	29	2014	706.57	206.68	29.25
22	29	2015	284.74	131.42	46.15
23	30	2216	75.80	45.40	59.89
24	30	2515	526.20	148.70	28.26
25	30	4515	577.34	376.51	65.21
26	31	3454	205.03	93.16	45.44
27	41	2202	905.89	12.80	1.41
28	41	2235	357.26	19.60	5.49
29	41	2515	118.76	13.13	11.06
30	41	4801	94.95	18.40	19.38
31	41	6801	423.87	187.27	44.18
32	52	2216	104.07	36.86	35.42
33	52	2505	117.75	38.72	32.88
34	52	2515	255.76	24.54	9.59
35	52	4515	109.51	70.53	64.41
36	55	2235	1884.76	148.46	7.88
37	55	2236	941.12	30.07	3.20
38	55	4235	330.20	96.23	29.14
39	56	2851	153.45	14.28	9.31
40	59	2515	91.70	39.73	43.33
41	63	2225	67.42	34.91	51.78
42	64	2425	76.82	36.50	47.51
43	64	2515	85.15	34.25	40.22
44	64	4235	67.35	21.65	32.15
45	64	4515	102.55	11.87	11.57
46	64	4801	91.02	19.40	21.31
47	64	6801	356.95	202.58	56.75
48	66	2225	812.83	46.35	5.70
49	68	2217	46.00	13.97	30.37
50	74	2202	2821.42	17.11	0.61

1	2	3	4	5	6
51	74	2216	153.37	68.81	44.87
52	74	2501	48.12	21.63	44.95
53	74	2505	250.01	53.77	21.51
54	74	2515	2389.42	109.69	4.59
55	75	2217	1555.58	590.84	37.98
56	75	3604	3422.93	191.63	5.60
57	75	6217	25.00	21.36	85.44
58	77	2202	1596.85	368.72	23.09
59	78	2217	125.00	11.99	9.59
योग			**46891.84**	**7558.39**	**16.12**

(स्रोतः विनियोग लेखे)

परिशिष्ट 2.9
व्यय की अत्यधिकता
(संदर्भः कंडिका 2.3.10; पृष्ठ 58)

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	अनुदान संख्या तथा नाम	योजना संख्या	जनवरी-मार्च 2014 के दौरान किया गया व्यय	मार्च 2014 में किया गया व्यय	कुल व्यय	किए गए कुल व्यय का प्रतिशत	
						जनवरी-मार्च 2014	मार्च 2014
1	2	3	4	5	6	7	8
1	01-सामान्य प्रशासन एवं लोक सेवा प्रबंधन	6757	51.61	51.43	52.03	99.19	98.85
2	03-पुलिस	3059	13.00	13.00	21.00	61.90	61.90
3	06-वित्त	1005	14.54	14.54	14.54	100	100
4	10-वन	3885	43.76	43.76	43.76	100	100
5	11-वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार	6749	50.52	48.71	74.26	68.03	65.59
6	11-वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार	9053	23.56	23.56	23.56	100	100
7	12-ऊर्जा	7414	90.00	90.00	90.00	100	100
8	15-अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	6923	22.50	22.50	36.26	62.05	62.05
9	19-लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	7892	24.31	19.72	34.05	71.40	57.91
10	21-आवास एवं पर्यावरण	5244	21.03	21.03	21.03	100	100
11	23-जल संसाधन	4146	10.94	10.88	13.00	84.15	83.69
12	25-खनिज साधन	6606	591.34	591.34	591.34	100	100
13	26-संस्कृति	6464	46.67	45.68	48.28	96.67	94.61
14	39-खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण	3229	54.08	54.08	59.00	91.66	91.66
15	39-खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण	7272	89.00	89.00	121.50	73.25	73.25

1	2	3	4	5	6	7	8
16	39-खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण	9087	18.00	18.00	32.71	55.03	55.03
17	41-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	5152	32.10	29.68	44.39	72.31	66.86
18	41-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	6005	31.00	31.00	33.00	93.94	93.94
19	41-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	6484	78.70	78.70	113.00	69.65	69.65
20	41-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	6655	16.80	16.80	24.00	70.00	70.00
21	41-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	6831	12.52	12.52	12.52	100	100
22	41-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	6929	98.37	98.37	142.05	69.25	69.25
23	43-खेल और युवक कल्याण	5834	19.25	19.25	28.96	66.47	66.47
24	48-नर्मदा घाटी विकास	9133	44.62	44.62	44.62	100	100
25	52-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय सहायता	6923	40.50	40.50	65.26	62.06	62.06
26	53-अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	6981	49.97	48.57	87.32	57.23	55.62
27	55-महिला एवं बाल विकास	6741	27.10	20.91	34.57	78.39	60.49
28	58-प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	2018	577.40	377.53	658.62	87.67	57.32
29	61-बुन्देलखण्ड पैकेज से संबंधित व्यय	2884	30.00	19.65	30.00	100	65.50
30	61-बुन्देलखण्ड पैकेज से संबंधित व्यय	6078	10.90	10.90	10.90	100	100
31	61-बुन्देलखण्ड पैकेज से संबंधित व्यय	6080	21.56	21.56	21.56	100	100

1	2	3	4	5	6	7	8
32	64-अनुसूचित जाति उपयोजना	0658	25.99	21.00	25.99	100	80.80
33	64-अनुसूचित जाति उपयोजना	5139	13.00	11.66	15.50	83.87	75.23
34	64-अनुसूचित जाति उपयोजना	6005	24.33	24.33	25.83	94.19	94.19
35	64-अनुसूचित जाति उपयोजना	6484	54.18	54.18	79.88	67.83	67.83
36	64-अनुसूचित जाति उपयोजना	6655	15.40	15.40	22.00	70.00	70.00
37	74-त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय सहायता	6099	21.86	21.86	21.86	100	100
38	74-त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय सहायता	6923	87.00	87.00	140.19	62.06	62.06
39	75-नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	6981	88.19	85.74	154.75	56.99	55.41
40	76-नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा	3220	25.90	25.90	42.59	60.81	60.81
41	आई.पी.-ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	4209	33.55	33.55	33.55	100	100
42	आई.पी.-ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	6959	43.65	43.65	45.53	95.87	95.87
43	आई.पी.-ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	6971	71.16	71.16	71.16	100	100
44	आई.पी.-ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	6972	140.59	140.59	140.59	100	100
45	आई.पी.-ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	7421	24.20	24.20	24.20	100	100
योग			**2924.65**	**2688.01**	**3470.71**	**84.27**	**77.45**

(स्रोतः विनियोग लेखे)

परिशिष्ट 2.10
बजट में प्रावधानित नवीन मद के व्यय के लिए ₹ एक करोड़ से अधिक का प्रावधान अप्रयुक्त दिखाए जाने वाला विवरण पत्र
(संदर्भः कंडिका 2.3.12; पृष्ठ 58)

(₹ करोड़ में)

स.क्र.	अनुदान संख्या तथा नाम	योजना का नाम	प्रावधान	व्यय
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1	03-पुलिस	2055-800-0101-7348-अपराध एवं अपराधी पतासाजी तंत्र और व्यवस्था	7.00	निरंक
2	03-पुलिस	2055-800-0101-7353-पुलिस स्वास्थ्य अधोसंरचना	1.15	निरंक
3	03-पुलिस	4055-800-0101-7352-प्रशासनिक भवन का निर्माण	1.25	निरंक
4	03-पुलिस	4055-800-0101-7355-पुलिस पारगमन भवन का निर्माण	1.25	निरंक
5	03-पुलिस	4055-800-0101-7356-पुलिस लाईन्स का उन्नयन	1.25	निरंक
6	03-पुलिस	4070-800-0101-7326-नगर सेना अधोसंरचना एवं विकास	1.25	निरंक
7	12-ऊर्जा	6801-205-0101-7256-बाण सागर ताप विद्युत परियोजना 2 गुना 800 मेगावाट	5.00	निरंक
8	12-ऊर्जा	6801-205-0101-7255-33/11 के.व्ही. उपकेन्द्रों का आधुनिकीकरण एवं नवीनीकरण एवं डी.टी.आर. मीटरिंग के लिए	3.00	निरंक
9	19-लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	2210-06-101-0101-6840-राष्ट्रीय वृद्धावस्था स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम योजना	2.00	निरंक
10	20-लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	4215-01-800-0701-7299-समूह जल प्रदाय योजना	2.20	निरंक
11	29-विधि एवं विधायी कार्य	2052-090-7388-अधिवक्ता कल्याण निधि का निर्माण	5.00	निरंक
12	30-ग्रामीण विकास	4515-800-0101-7251-विकास भवन	3.00	निरंक
13	41-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	2225-02-796-277-0102-7204-लेपटाप का प्रदाय	5.00	निरंक
14	43-खेल और युवक कल्याण	2204-800-0101-7380-विवेकानन्द युवा केन्द्रो की स्थापना	1.00	निरंक
15	43-खेल और युवक कल्याण	2204-800-0101-7269-हॉकी कृत्रिम टर्फ	2.40	निरंक
16	46-विज्ञान और टेक्नालॉजी	3425-60-200-0101-7270-गांव सीमांकन और प्रदेश के वास मानचित्रण के लिए भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी का उपयोग	1.59	निरंक
17	58-प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	2245-80-800-7249-कीट प्रकोप से फसल क्षति	51.10	निरंक
18	64-अनुसूचित जाति उपयोजना	2225-01-789-277-0103-7204-लेपटाप का प्रदान	8.75	निरंक
19	75-नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	3604-191-7398-नगरीय निकायों के लिए स्वच्छता पुरस्कार योजना	1.10	निरंक
20	76-नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा	2810-02-101-0101-7312-सौर ऊर्जा पार्क विस्तार	2.00	निरंक
21	76-नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा	2810-03-101-0101-7318-पवन ऊर्जा पार्क विस्तार	1.25	निरंक
योग			**107.54**	

(स्रोतः विनियोग लेखे)

परिशिष्ट 2.11

ऐसे प्रकरण जिनमें पिछले दो वर्ष के दौरान ₹ एक करोड़ से अधिक के संपूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे

(संदर्भः कंडिका 2.3.13; पृष्ठ 59)

(₹ करोड़ में)

स.क्र.	अनुदान संख्या	अनुदान/ विनियोग का नाम	योजना का नाम	वर्ष			
				2012-13		2013-14	
				कुल प्रावधान (मूल + पूरक)	अप्रयुक्त प्रावधान	कुल प्रावधान (मूल + पूरक)	अप्रयुक्त प्रावधान
1	2	3	4	5	6	7	8
1	आई.पी.	ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	2049-03-104-0807-कामगार अंशदायक भविष्य निधि पर ब्याज	7.00	7.00	7.00	7.00
2	आई.पी.	ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	2049-03-104-4033-विभागीय भविष्य निधियों पर ब्याज	30.00	30.00	30.00	30.00
3	आई.पी.	ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	2049-03-104-6854-अंशदायी पेंशन योजना	6.00	6.00	6.00	6.00
4	आई.पी.	ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	2049-03-108-0117-परिभाषित पेंशन योजना पर ब्याज	5.00	5.00	5.00	5.00
5	आई.पी.	ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	2049-04-102-0930-केन्द्रीय आयोजनागत योजनाओं के लिये ऋणों पर ब्याज	2.83	2.83	2.50	2.50
6	आई.पी.	ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	2049-04-103-0925-केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाओं के लिये ऋणों पर ब्याज	12.00	12.00	7.25	7.25
7	पी.डी.	लोक ऋण	6003-110-0637-अर्थोपाय अग्रिम	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00
8	पी.डी.	लोक ऋण	6003-110-0779-कमियों की पूर्ति के लिए अग्रिम	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00
9	पी.डी.	लोक ऋण	6004-03-800-8437 त्वरित लाभप्रद कार्यक्रम हेतु ऋण	2.71	2.71	2.71	2.71
10	पी.डी.	लोक ऋण	6004-04-102-3128-भू एवं जल संरक्षण के लिए उधार	1.54	1.54	1.54	1.54
11	पी.डी.	लोक ऋण	6004-04-800-5236-राष्ट्रीय जल ग्रहण क्षेत्र विकास के लिये उधार	1.55	1.55	1.21	1.21
12	पी.डी.	लोक ऋण	6004-04-800-6420-माइक्रो मेनेजमेण्ट हेतु उधार	2.02	2.02	2.02	2.02
13	03	पुलिस	4055-211-2643-पुलिस बल का आधुनिकीकरण	25.00	25.00	83.95	83.95
14	06	वित्त	2052-091-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-5631-वित्तीय समावेशन हेतु अधोसंरचना विकास	5.00	5.00	3.00	3.00
15	06	वित्त	6075-800-6787-गारंटीकृत ऋणों के समाधान हेतु प्रावधान	300.00	300.00	100.00	100.00

1	2	3	4	5	6	7	8
16	06	वित्त	6075-800-6788-राज्य शासन के उपक्रमों व अधीनस्थ संस्थाओं द्वारा जारी एस.एल.आर.बाण्ड्स के समाधान हेतु प्रावधान	25.00	25.00	25.00	25.00
17	08	भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन	2029-103-0801-केन्द्र क्षेत्रीय योजना (सामान्य)-5917-भू-अभिलेख कम्प्यूटरीकरण योजना का विस्तार	6.31	6.31	5.98	5.98
18	08	भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन	2029-103-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)-6337-भू-अभिलेख का अद्यतीकरण (एन.एल.आर.एम.पी.)	3.00	3.00	9.40	9.40
19	17	सहकारिता	6425-106-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-7827-अल्पकालीन ऋणों को मध्यकालीन ऋणों में परिवर्तित करने हेतु राज्य शासन का अंशदान मध्य प्रदेश राज्य सहकारी बैंक	5.00	5.00	11.98	11.98
20	19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	2210-01-110-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)-5613-राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना	15.00	15.00	3.25	3.25
21	23	जल संसाधन	4700-21-800-1501-अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (सामान्य)-6596-सुधार, सुदृढ़ीकरण एवं पुनर्स्थापना	8.50	8.50	2.00	2.00
22	23	जल संसाधन	4700-80-001-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-2304-निदेशन एवं प्रशासन	37.80	37.80	37.80	37.80
23	23	जल संसाधन	4701-66-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-2884-नहर तथा उससे संबंधित निर्माण कार्य	20.00	20.00	5.00	5.00
24	31	योजना, आर्थिक और सांख्यिकी	3454-02-206-1301-केंद्रीय वित्त आयोग (सामान्य)- 6268-यू.आई.डी.ए. के लिए प्रोत्साहन (13वाँ वित्त आयोग)	49.94	49.94	49.94	49.94
25	37	पर्यटन	5452-01-190-1301-केंद्रीय वित्त आयोग (सामान्य)- 6558-एम.आई.सी.ई.सुविधाओं का विकास	5.00	5.00	5.00	5.00
26	37	पर्यटन	5452-01-190-1301-केंद्रीय वित्त आयोग (सामान्य)-6573-हवाई सेवाओं का विकास	2.00	2.00	2.00	2.00

1	2	3	4	5	6	7	8
27	40	जल संसाधन विभाग से संबंधित व्यय-आयाकट	4705-207-0701-केंद्रीय वित्त आयोग (सामान्य)-2304-निदेशन एवं प्रशासन	10.00	10.00	10.00	10.00
28	41	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	13-ऊर्जा विभाग 4801-05-796-190-0102-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना-6323-2 गुना 660 मेगावॉट श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना	3.08	3.08	15.40	15.40
29	45	लघु सिंचाई निर्माण कार्य	4702-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-2304-निदेशन एवं प्रशासन	35.40	35.40	30.22	30.22
30	48	नर्मदा घाटी विकास	4801-01-203-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-6942-औंकारेश्वर नहर शीर्ष विद्युत गृह	7.00	7.00	3.00	3.00
31	58	प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	2245-01-101-8874-सूखा राहत एवं रोजगार के लिये अतिरिक्त प्रावधान	50.00	50.00	50.00	50.00
32	58	प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	2245-01-103-5496-सूखा प्रभावित क्षेत्रों में पोषण आहार	3.00	3.00	3.00	3.00
33	58	प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	2245-80-102-1301-केंद्रीय वित्त आयोग (सामान्य)-6370-तेरहवें वित्त आयोग के अन्तर्गत क्षमता निर्माण	5.00	5.00	5.00	5.00
34	58	प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	6245-01-800-2750-प्राकृतिक विपदाओं के कारण उत्पन्न जलकष्ट के निवारण हेतु ऋण	2.50	2.50	2.50	2.50
35	61	बुन्देलखण्ड पैकेज से संबंधित व्यय	2700-80-800-1501-अतिरिक्त केंद्रीय सहायता (सामान्य)-8000-अवशेष निपटारा	99.00	99.00	200.00	200.00
36	61	बुन्देलखण्ड पैकेज से संबंधित व्यय	4700-80-001-1501-अतिरिक्त केंद्रीय सहायता (सामान्य)- 8000-अवशेष निपटारा	400.00	400.00	100.00	100.00

1	2	3	4	5	6	7	8
37	64	अनुसूचित जाति उपयोजना	13-ऊर्जा विभाग 4801-05-789-190-0103-अनुसूचित जाति उपयोजना-6323-2 गुना 660 मेगावॉट श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना	7.02	7.02	16.80	16.80
38	64	अनुसूचित जाति उपयोजना	55-अनुसूचित जाति कल्याण विभाग 4225-01-789-800-0703-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)-अनुसूचित जाति उपयोजना-1400-आश्रम तथा छात्रावास भवन	3.56	3.56	3.56	3.56
39	77	स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय (प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर)	2202-02-109-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)-6918-सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी विद्यालय	28.80	28.80	1.20	1.20
योग				**5232.56**	**5232.56**	**4850.21**	**4850.21**

(स्रोतः विनियोग लेखे)

परिशिष्ट 2.12
चयनित अनुदानों में विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत अप्रयुक्त प्रावधान
(संदर्भः कंडिका 2.4.2; पृष्ठ 60)

(₹ करोड़ में)

स.क्र.	अनुदान संख्या	योजना का नाम	कुल बजट	व्यय	बचत
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
(क) 39-खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण					
1	39	2408-01-001-6387-अवार्ड योजना	0.06	निरंक	0.06
2	39	2408-01-102-0570-सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत सहकारी समितियों को खाद्यान्न की बिक्री से होने वाली हानि की प्रतिपूर्ति	15.00	निरंक	15.00
3	39	2408-01-102-3248-मध्य प्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ को खाद्यान्न उपार्जन में हुई हानि की प्रतिपूर्ति	30.20	निरंक	30.20
4	39	2408-01-102-6933-अस्थाई केप निर्माण में हुई हानि की प्रतिपूर्ति	45.00	निरंक	45.00
5	39	2408-01-102-0101-6627-खाद्यान्न उपार्जन की कम्प्यूटराईजेशन परियोजना	6.50	निरंक	6.50
6	39	2408-01-102-0101-7241-खाद्यान्न परिवहन में नियंत्रण हेतु जी.पी.एस. ट्रेकिंग परियोजना	0.98	निरंक	0.98
7	39	2408-01-102-0101-9214-आयोडीनयुक्त नमक का वितरण	30.00	निरंक	30.00
8	39	3475-106-0801-6113-संभागीय कार्यालय का सुदृढ़ीकरण	0.06	निरंक	0.06
योग (क)			**127.80**		**127.80**
(ख) 55-महिला एवं बाल विकास					
9	55	2235-02-103-0801-9028-पूर्ण शक्ति केंद्र योजना	0.40	निरंक	0.40
10	55	2235-02-103-0101-7063-किशोरी बालिकाओं का कौशल उन्नयन	1.00	निरंक	1.00
11	55	4235-02-102-1501-7449-सेक्टर स्तरीय कार्यालय सह प्रशिक्षण केन्द्र के भवनों का निर्माण	13.52	निरंक	13.52
12	55	4235-02-800-0701-6103-समेकित बाल संरक्षण योजना (आई.सी.पी.एस.)	0.75	निरंक	0.75
13	55	4235-02-800-0101-6791-संचालनालय महिला बाल विकास का भवन निर्माण	0.50	निरंक	0.50
योग (ख)			**16.17**		**16.17**
योग (क+ख)			**143.97**		**143.97**

(स्त्रोतः-विनियोग लेखे एवं विस्तृत लेखे)

परिशिष्ट 2.13
चयनित अनुदानों में व्यय की अत्यधिकता
(संदर्भः कंडिका 2.4.3; पृष्ठ 60)

(₹ करोड़ में)

स.क्र.	अनुदान संख्या	शीर्ष	कुल प्रावधान (पुनर्विनियोजन के बाद)	कुल व्यय	अन्तिम तिमाही में व्यय (जन.-मार्च 2014)	अन्तिम तिमाही में व्यय का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
(क) 39-खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण						
1	39	2408-01-102-0101-7165-खाद्यान्न भण्डारण हेतु गारंटी योजना	5.00	2.86	2.86	100
2	39	3475-106-0101-6113-संभागीय कार्यालय का सुदृढ़ीकरण	0.50	0.50	0.50	100
3	39	3475-106-0101-8808-सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित कार्य	0.10	0.09	0.09	100
4	39	6408-02-190-1401-7272-गोदाम निर्माण	188.50	121.50	88.99	73.24
योग (क)			**194.10**	**124.95**	**92.44**	**73.98**
(ख) 55-महिला एवं बाल विकास						
5	55	2235-02-102-0701-0658-एकीकृत बाल विकास सेवा योजना	689.83	689.33	337.11	48.90
6	55	2235-02-102-0101-5643-आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं को अतिरिक्त मानदेय	170.29	170.01	111.31	65.47
7	55	2235-02-102-0101-6442-अटल बाल आरोग्य मिशन	2.10	2.10	2.10	100
8	55	2235-02-102-0101-8808-सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित कार्य	0.26	0.25	0.19	76.00
9	55	2235-02-103-0801-5285-राज्य महिला संसाधन केन्द्र	0.33	0.33	0.33	100
10	55	2235-02-103-0701-6103-समेकित बाल संरक्षण योजना (आई.सी.पी.एस.)	1.82	1.68	1.34	79.76

1	2	3	4	5	6	7
11	55	2235-02-103-0101-6104-योजनाओं का मूल्यांकन एवं अनुवीक्षण	0.31	0.31	0.16	51.61
12	55	2236-02-101-0701-6392-राजीव गांधी किशोरी बालिका सशक्तिकरण योजना (सबला)	140.04	140.04	61.64	44.02
13	55	4235-02-102-1301-5360-आंगनबाड़ी केन्द्रों के लिये भवन निर्माण	54.37	54.37	31.16	57.31
14	55	4235-02-800-1201-6741-मध्य प्रदेश स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार कार्यक्रम (बाह्य पोषित)	33.62	33.62	27.10	80.61
15	55	4235-02-800-0101-5871-मध्य प्रदेश महिला वित्त विकास निगम की अंशपूंजी में धनवेष्ठन	1.00	1.00	1.00	100
योग (ख)			**1093.97**	**1093.04**	**573.44**	**52.46**
योग (क+ख)			**1288.07**	**1217.99**	**665.88**	**54.67**

(स्रोतः विनियोग लेखे एवं विभाग)

परिशिष्ट 3.1

मार्च 2014 तक की स्थिति में लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्रों की विभागवार जानकारी

(संदर्भः कंडिका 3.1; पृष्ठ 65)

स.क्र.	विभागों के नाम	मुख्य शीर्ष	राशि (₹ करोड़ में)
1	2	3	4
1	राजस्व	2029	1.20
2	समाज कल्याण	2235	748.03
3	नगरीय प्रशासन	3604	9547.82
4	विधान सभा सचिवालय	2011	1.29
5	जन संपर्क	2220	1.50
6	ग्रामीण विकास	2501,2505, 2515,4515	4937.02
7	सहकारिता	6425,2425	368.66
8	सिंचाई	2702	18.69
9	ऊर्जा	2801,2810	998.40
10	पशुपालन	2403	249.31
11	आबकारी	2039,2045	2.04
12	जेल	2056	0.02
13	महिला एवं बाल विकास	2236	86.44
14	पुलिस	2055	2.06
15	धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग	2250	24.67
16	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	2215	22.76
17	उद्योग	2851,2852	423.56
18	विधि एवं विधायी कार्य	2014	1.55
19	आवास एवं पर्यावरण	2217	321.34
20	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति	2408	5209.50
21	लोक निर्माण विभाग	2216	246.81
22	भौमिकी एवं खनिकर्म	2853	233.42
23	मत्स्योद्योग	2405	11.12
24	पर्यटन	3452	81.05
25	कृषि	2401,4402	464.40
26	श्रम	2230	51.42
27	सामान्य प्रशासन	2075,2052	93.54
28	आर्थिक एवं सांख्यिकी	3454	57.45
29	संस्थागत वित्त	2047	0.02
30	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	3425	12.26
31	चिकित्सा सेवाएं	2210	56.78
32	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	2225	301.82
33	शिक्षा विभाग	2202,4202	2784.41
34	खेलकूद तथा युवा कल्याण	2204	10.78
35	राजभाषा एवं संस्कृति विभाग	2205	0.15
36	जिला प्रशासन	2053	1.44
	योग	**46 मुख्य शीर्ष**	**27372.73**

(स्रोतः प्रधान महालेखाकार (ले. एवं ह.) मध्य प्रदेश द्वारा प्रदाय जानकारी)

परिशिष्ट 3.2
दुर्विनियोग, गबन आदि के प्रकरणों का विभागवार/अवधिवार ब्यौरा
(संदर्भः कंडिका 3.3; पृष्ठ 67)

स. क्र.	विभाग का नाम	5 वर्षो तक		5 से 10 वर्ष तक		10 से 15 वर्ष		15 से 20 वर्ष		20 से 25 वर्ष		25 वर्ष तथा इससे अधिक		प्रकरणों की कुल संख्या	
		प्रकरणों की संख्या	राशि (₹ लाख में)	प्रकरणों की संख्या	राशि (₹ लाख में)	प्रकरणों की संख्या	राशि (₹ लाख में)	प्रकरणों की संख्या	राशि (₹ लाख में)	प्रकरणों की संख्या	राशि (₹ लाख में)	प्रकरणों की संख्या	राशि (₹ लाख में)	प्रकरणों की संख्या	राशि (₹ लाख में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	2210-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	03	10.41	02	10.55	03	5.13	04	26.67	03	7.32	06	4.46	21	64.54
2	2211-परिवार कल्याण	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	02	3.65	02	3.65
3	2054-कोषालय एवं लेखा प्रशासन	06	375.60	0	0.00	0	0.00	01	18.25	0	0.00	05	12.97	12	406.82
4	2215-जलपूर्ति तथा सफाई	01	0.58	03	3.85	01	0.48	0	0.00	0	0.00	0	0.00	05	4.91
5	2014-न्याय प्रशासन	04	18.77	02	3.64	0	0.00	0	0.00	01	0.44	0	0.00	07	22.85
6	2015-निर्वाचन	0	0.00	01	5.98	0	0.00	0	0.00	01	3.77	0	0.00	02	9.75
7	2052-सचिवालय सामान्य सेवाएं	0	0.00	01	26.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	01	26.00
8	2058-लेखन सामग्री तथा मुद्रण	0	0.00	0	0.00	0	0.00	01	0.17	0	0.00	0	0.00	01	0.17
9	2013-मंत्री परिषद	01	0.32	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	01	0.32
10	2055-पुलिस	148	60.75	124	26.85	56	45.22	22	15.78	09	4.71	04	0.72	363	154.03
11	2225-अनूसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, तथ अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	0	0.00	0	0.00	0	0.00	04	5.65	08	7.14	05	3.17	17	15.96
12	2235-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	0	0.00	01	1.31	01	4.04	01	0.14	02	1.24	01	1.23	06	7.96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
13	2202-सामान्य शिक्षा	26	92.05	30	336.94	12	20.17	04	3.04	12	8.14	34	23.00	118	483.34
14	2203-तकनीकी शिक्षा	04	2.57	08	17.16	03	7.64	0	0.00	0	0.00	0	0.00	15	27.37
15	2204-खेलकूद तथा युवा सेवाएँ	02	2.94	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	02	2.94
16	2205-कला एवं संस्कृति	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	01	13.12	0	0.00	01	13.12
17	2230-श्रम तथा रोजगार	07	4.52	01	0.36	03	6.94	0	0.00	0	0.00	0	0.00	11	11.82
18	2501-ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	0	0.00	01	42.31	0	0.00	02	1.34	01	2.90	0	0.00	04	46.55
19	2505-ग्रामीण रोजगार *	01	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	01	0.00
20	2403-पशुपालन	05	4.98	03	0.74	04	8.73	02	3.11	02	0.15	03	0.24	19	17.95
21	2401-फसल कृषि कर्म	04	7.07	07	12.41	0	0.00	0	0.00	03	0.48	0	0.00	14	19.96
22	2406-वानिकी तथा वन्य प्राणी	319	519.37	201	238.28	380	321.64	339	146.39	621	126.36	493	95.00	2353	1447.04
23	लोक निर्माण विभाग	05	23.09	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	05	23.09
24	जल संसाधन विभाग	06	6.56	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	06	6.56
25	नर्मदा घाटी विकास विभाग	02	0.25	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	02	0.25
	योग	**544**	**1129.83**	**385**	**726.38**	**463**	**419.99**	**380**	**220.54**	**664**	**175.77**	**553**	**144.44**	**2989**	**2816.95**

(स्रोतः महालेखाकार (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखापरीक्षा) एवं (आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखापरीक्षा) मध्य प्रदेश में संधारित जानकारी)

*** टीपः विभाग ने अभी तक राशि सूचित नहीं की।**

परिशिष्ट 3.3
चोरी, दुर्विनियोग/सरकारी सामग्रियों की हानि के प्रकरणों के संबंध में विभाग/संवर्गवार विवरण
(संदर्भः कंडिका 3.3; पृष्ठ 67)

स.क्र.	विभाग का नाम	चोरी के प्रकरण		दुर्विनियोग/सरकारी सामग्री की हानि		योग	
		प्रकरणों की संख्या	राशि (₹ लाख में)	प्रकरणों की संख्या	राशि (₹ लाख में)	प्रकरणों की संख्या	राशि (₹ लाख में)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1.	2210-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	06	7.47	15	57.07	21	64.54
2.	2211-परिवार कल्याण	0	0.00	02	3.65	02	3.65
3.	2054-कोषालय एवं लेखा प्रशासन	05	23.98	07	382.84	12	406.82
4.	2215-जलपूर्ति तथा सफाई	03	2.71	02	2.20	05	4.91
5.	2014-न्याय प्रशासन	04	4.11	03	18.74	07	22.85
6.	2015-निर्वाचन	0	0.00	02	9.75	02	9.75
7.	2052-सचिवालय सामान्य सेवाएं	0	0.00	01	26.00	01	26.00
8.	2058-लेखन सामग्री तथा मुद्रण	0	0.00	01	0.17	01	0.17
9.	2013-मंत्री परिषद	0	0.00	01	0.32	01	0.32
10.	2055-पुलिस	27	6.02	336	148.00	363	154.02
11.	2225-अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	02	0.38	15	15.58	17	15.96
12.	2235-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	04	2.47	02	5.50	06	7.97
13.	2202-सामान्य शिक्षा	44	71.46	74	411.88	118	483.34
14.	2203-तकनीकी शिक्षा	09	12.09	06	15.28	15	27.37
15.	2204-खेलकूद तथा युवा सेवाएँ	01	0.44	01	2.50	02	2.94
16.	2205-कला एवं संस्कृति	01	13.12	0	0.00	01	13.12
17.	2230-श्रम तथा रोजगार	09	4.83	02	6.99	11	11.82
18.	2501-ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	01	0.43	03	46.12	04	46.55
19.	2505-ग्रामीण रोजगार *	01	0.00	0	0.00	01	0.00
20.	2406-वानिकी एवं वन्य प्राणी	40	12.04	2313	1435.00	2353	1447.04
21.	2403-पशुपालन	07	6.70	12	11.25	19	17.95

1	2	3	4	5	6	7	8
22.	2401-फसल कृषि कर्म	11	13.36	03	6.60	14	19.96
23.	लोक निर्माण विभाग	03	12.59	02	10.50	05	23.09
24.	जल संसाधन विभाग	06	6.56	0	0.00	06	6.56
25.	नर्मदा घाटी विकास	02	0.25	0	0.00	02	0.25
	योग	**186**	**201.01**	**2803**	**2615.94**	**2989**	**2816.95**

(स्रोतः महालेखाकार (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखापरीक्षा) एवं (आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखापरीक्षा) मध्य प्रदेश में संधारित जानकारी)

** टीपः विभाग ने अभी तक राशि सूचित नहीं की।*

परिशिष्ट 3.4

2013-14 के दौरान अपलेखन के प्रकरणों के विभागवार विवरण

(संदर्भः कंडिका 3.3; पृष्ठ 68)

स.क्र.	विभाग	अपलेखन की स्वीकृति देने वाले प्राधिकारी	संक्षिप्त विवरण	प्रकरणों की संख्या	राशि (₹ में)
1	2	3	4	5	6
1.	2210-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	क्षेत्रीय निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं, सागर	दो प्रकरणों में औषधियों की चोरी के कारण हानि, एक प्रकरण में लूट के कारण हानि, तूफान के कारण वाहन का क्षतिग्रस्त होना	04	270829.00
2.	2055-पुलिस	महानिदेशक पुलिस, पुलिस मुख्यालय, भोपाल	वायरलेस सेटों की चोरी और वाहनों के दुर्घटनाग्रस्त इत्यादि के कारण हुई हानि	27	502668.00
3.	2225-अनूसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	निदेशक, अनूसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग	गबन एवं वाहनों के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण हानि	02	33493.00
4.	2202-सामान्य शिक्षा	संचालक लोक शिक्षा, मध्य प्रदेश, भोपाल	चार पंखों की चोरी के कारण हानि	01	4968.00
5.	2403-पशुपालन	उप संचालक, पशुपालन, सागर एवं सीधी	उपकरण/अनुपयोगी वस्तुएँ/ कल पुर्जे इत्यादि	06	26329.00
6.	2406-वानिकी एवं वन्य प्राणी	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक वित्त एवं बजट, मध्य प्रदेश, भोपाल	हानि की वसूली न होने के कारण	123	950853.00
	योग			**163**	**1789140.00**

(स्रोतः महालेखाकार (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखापरीक्षा) एवं (आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखापरीक्षा) मध्य प्रदेश में संधारित जानकारी)

परिशिष्ट 3.5
लघु शीर्ष '800-अन्य व्यय' के अंतर्गत बुकिंग
(संदर्भः कंडिका 3.7; पृष्ठ 71)

स. क्र.	मुख्य शीर्ष		मुख्य शीर्ष के अंतर्गत कुल व्यय (₹ करोड़ में)	लघु शीर्ष 800-अन्य व्यय के अंतर्गत व्यय (₹ करोड़ में)	प्रतिशतता
1	2	3	4	5	6
1	2250	अन्य सामाजिक सेवाएं	90.34	90.34	100
2	4875	अन्य उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	3.65	3.65	100
3	4070	अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	23.35	23.35	100
4	4853	अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	1.37	1.37	100
5	5475	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	0.25	0.25.	100
6	2852	उद्योग	270.55	258.45	96
7	4701	मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	686.47	632.16	92
8	2702	लघु सिंचाई	120.08	108.60	90
9	4700	मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय (ओंकारेश्वर परियोजना तथा नहर उद्वहन इत्यादि)	2556.48	2280.53	89
10	2075	विविध सामान्य सेवायें	12.82	11.42	89
11	2204	खेलकूद तथा युवा कल्याण सेवाएं	134.32	71.22	53
12	4515	अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय (मध्य प्रदेश विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना, मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण को अनुदान इत्यादि)	702.69	395.73	56
13	3454	जनसंख्या सर्वेक्षण एवं सांख्यिकी	112.09	73.25	65
14	2853	अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग	911.36	591.34	65
15	5054	सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	2301.40	1456.12	63
16	2705	कमान क्षेत्र विकास	3.71	2.16	58
17	4711	बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	6.78	3.77	56
18	2205	कला एवं संस्कृति	136.29	72.07	53
		योग	**8074.00**	**6075.78**	

(स्रोतः वित्त लेखे 2013-14)

परिशिष्ट 3.6
लघु शीर्ष '800-अन्य प्राप्तियों' के अंतर्गत बुकिंग
(संदर्भः कंडिका 3.7; पृष्ठ 72)

स. क्र.	मुख्य शीर्ष		मुख्य शीर्ष के अंतर्गत कुल प्राप्तियाँ (₹ करोड़ में)	लघु शीर्ष 800-अन्य प्राप्तियों के अंतर्गत प्राप्ति (₹ करोड़ में)	प्रतिशतता
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	0852	उद्योग	49.21	49.21	100
2	0853	अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग	2306.17	2306.17	100
3	0801	विद्युत	378.66	378.66	100
4	0702	लघु सिंचाई	219.37	219.37	100
5	0220	सूचना एवं प्रचार	0.11	0.11	100
6	0058	लेखन सामग्री तथा मुद्रण	22.25	22.25	100
7	0035	कृषि भूमि के अतिरिक्त अचल संपत्ति पर कर	666.95	666.95	100
8	0047	अन्य राजकोषीय सेवाएं	0.04	0.04	100
9	0404	डेयरी विकास	0.01	0.01	100
10	0211	परिवार कल्याण	0.16	0.16	100
11	0202	शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति	2008.49	2005.20	100
12	0408	खाद्य भण्डार एवं भंडागार	1.83	1.83	100
13	0235	सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	8.23	8.18	99
14	0059	लोक निर्माण कार्य	46.92	46.01	98
15	0403	पशुपालन	4.90	4.62	94
16	0217	शहरी विकास	35.72	32.85	92
17	0700	मुख्य सिंचाई	27.12	21.62	80
18	0435	अन्य कृषि कार्यक्रम	3.41	2.54	74
19	0075	विविध सामान्य सेवाएं	33.69	23.66	70
20	0039	राज्य आबकारी	5907.39	4071.64	69
21	0515	अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	6.05	4.08	67
22	0210	चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	57.76	37.69	65
23	0029	भू-राजस्व	366.23	237.89	65
24	0055	पुलिस	71.92	43.47	60
25	0056	जेल	3.53	2.04	58
26	0215	जलपूर्ति तथा सफाई	10.33	5.24	51
		योग	**12236.45**	**10191.49**	

(स्रोतः वित्त लेखे 2013-14)

© भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in

www.agmp.nic.in